लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी सस्करण

(सातवां सत्र)

Conservation Lab
Parliament
14/10/92

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.....5.1(b).(2)
Date.....1.X.....24.....

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक, 34, सोमवार, 9 अप्रैल, 1979/19 चैत्र, 1901 (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख :	....	1-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या 658 से 679	....	14-31
अतारांकित प्रश्न संख्या 6401 से 6439, 6441 से 6455, 6457 से 6465, 6467 से 6485 6487 से 6503, 6505 से 6533, 6536 से 6548, 6550,5552,से 6556,6558 से 6572 और 6574 से 6600,		31-174
अतारांकित प्रश्न संख्या 4687 दिनांक 28-8-1978 में शुद्धि करने वाला विवरण	....	174
अल्प सूचना प्रश्न के बारे में	....	174-175
सभा पटल पर रखे गये पत्र	....	175-179
लोक लेखा समिति		
121 वां प्रतिवेदन	....	179
प्राक्कलन समिति		
30 वां प्रतिवेदन	....	179
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति		
28 वां प्रतिवेदन	....	179
सदस्यों की सभा से अनुपस्थिति संबंधी समिति		
10 वां प्रतिवेदन	....	179
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति		
18 वाँ प्रतिवेदन	..	179
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति		
11 वां प्रतिवेदन	....	179
समितियों के लिए निर्वाचन		
(एक) प्राक्कलन समिति		180
(दो) लेखा लोक समिति	....	180
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	....	181
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	....	182
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) कम्पनियों के बड़े-बड़े पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त		

किये जाने वाले भारी वेतनों के समाचार के बारे में मामला श्री के० लकप्पा 182-184

(दो) गैर-मशीनी क्षेत्र में बनने वाली दियासलाइयों की कीमत में वृद्धि और राजस्थान में दियासलाई का उत्पादन करने के लिए कुटीर एकक स्थापित करने की आवश्यकता श्री श्यामसुन्दर लाल 184

(तीन) आणविक संयंत्रों में काम करने से उत्पन्न जोखिम को कम करने और आणविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में खतरों से बचने के लिए की गई कार्यवाही श्री एडुआर्डो फैलीरो 185

(चार) दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों द्वारा हड़ताल डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय 185

(पांच) मैसर्स आर्मस्ट्रांग स्मिथ लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने का समाचार श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर 186

(छः) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक गांव में नवबौद्धों पर कतिपय सशस्त्र लोगों द्वारा आक्रमण का समाचार ... 186
श्री केशवराव धोंडगे

(सात) मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों से धन एकत्र करने के आरोप की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करे जिसका पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने सुझाव दिया है स्वीकार करने से मध्य प्रदेश सरकार के इन्कार का समाचार श्री बृजभूषण तिवारी ... 187

अनुदानों की मांगें-1979-80

कृषि और सिंचाई मंत्रालय ... 187-230

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा ... 187-190

श्री ए० के० साहा 190-192

श्री ओमप्रकाश त्यागी ... 192-197

श्री वी० अरूणाचलम 197-200

प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना ... 200-202

श्री पी० के० कोडियान 200-205

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों 205-208

श्री छीतूभाई गामित 208-211

श्री राजकृष्ण डान ... 211-219

श्री नाथूराम मिर्धा ... 217-221

श्री मही लाल 221-226

श्री बाला साहिब विखे पाटिल 226-230

श्री नाथू सिंह 230

लोक सभा

सोमवार, 9 अप्रैल, 1979/19 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री ए० वी० पी० असाइथाम्बी, जो कि सदन के वर्तमान सदस्य थे, तथा तमिलनाडु के मद्रास उत्तर का यहाँ प्रतिनिधित्व करते थे – के दुःखद निधन की सूचना देनी है । उनकी मृत्यु 7 अप्रैल 1979 के अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रंगट नामक स्थान पर हो गई । वह 55 वर्ष के थे ।

श्री असाइथाम्बी, लोक सभा के सदस्य निर्वाचित होने से पूर्व 1957 से 1962 तथा फिर 1967 से 1971 तक तमिलनाडु विधान सभा के सदस्य भी रहे । वह एक अनुभवी संसदविज्ञ थे तथा वर्ष 1978-79 के दौरान तमिलनाडु विधान सभा में प्राकलन समिति के अध्यक्ष भी रहे ।

वर्ष 1946 से 1977 तक के अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में वह 10 बार जेल गये । वह बहुत बड़े मजदूर नेता थे तथा वर्ष 1969 से 1976 के दौरान वह मद्रास आये । रिक्शा ड्राईवरज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तथा तमिलनाडु टैक्सी एण्ड़ आटो डाईवज यूनियन के अध्यक्ष भी रहे ।

एक पत्रकार तथा जाने माने लेखक होने के नाते उन्होंने तमिल भाषा में अनेक पुस्तकें भी लिखीं । उन्हें यात्रा का प्रर्याप्त अनुभव था और उन्होंने योरुप के अनेक देशों की यात्रा भी की थी । उन्होंने 1968 के राष्ट्रमंड़ल संसदीय सम्मेलन में भी प्रतिनिधित्व किया ।

हम अपने इस सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मैं समझता हूं कि शोक संतप्त परिवार तक अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए सदन मेरे पास है ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं अपने सहयोगी श्री असाईथाम्बी के दुखद एवं असामयिक निधन पर मैं सदन के नेता तथा सरकार की ओर से शरीक होता हूं । नियति के क्रूर हाथों ने हमारे एक अन्य सहयोगी को उनके जीवन के यौवनकाल में ही हमसे छीन लिया । जैसा कि आपने कहा श्री असाईथाम्बी एक विशिष्ट समाज सुधारक थे । अपने जीवन काल के आरम्भ में ही उन्होंने अपनी त्याग की भावना से वशीभूत होकर कई अमूलचूक सामाजिक सुधार करके आपने अलग स्थान बना लिया । वह आत्म सम्मान आन्दोलन तथा द्रुमुक के साथ कई वर्ष तक सम्बद्ध रहे । वह एक आदर्शवादी थे तथा जीवन में जो कुछ भी उन्होंने किया उनसे उनकी आदर्शवादिता स्पष्ट झलकती है । अपने आदर्शों की सिद्धि के लिए उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा । भेदभाव, असमानता तथा गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने में वह सबसे आगे रहे । आपातकालीन स्थिति में भी उन्हें मीसा के अन्तर्गत बन्दी बनाया गया । उन्होंने गरीबों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं के लिए सदा संघर्ष किया । श्री असाई-थाम्बी ने नगर परिषद में तथा तमिलनाडु विधान सभा दोनों में ही कार्य किया तथा जहां कहीं भी उन्होंने कार्य किया वह वहीं अपने प्रगतिशील व्यक्तित्व तथा मेधा की अमिट छाप छोड़ी । वह एक

विद्वान मजदूर नेता थे तथा विख्यात लेखक थे। वह एक शक्तिशाली वक्ता भी थे, सफल लेखक भी थे और उनकी वाकपटुता तो इतनी आकर्षक थी कि आने वाले काफी समय तक तमिलनाडु तथा सम्पूर्ण भारत में जहां कहीं भी तमिल भाषा समझी जाती है उनकी वाकपटुता की स्मरण किया जाता रहेगा। वह मानवतावादी थे तथा उनका स्वभाव इतना मृदुल था कि इस सदन में तथा दूसरे सदन में उनके अनेक मित्र थे। तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों के लोग इन गतिशील समाज सुधारक तथा क्रान्तिकारी विचारक तथा महान वक्ता को स्मरण करते रहेंगे। उनकी मृत्यु से मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मैंने अपना मित्र खो दिया है इस दुःखद अवसर पर जबकि हमने अपना एक ओर सहयोगी खो दिया है। मैं सदन के नेता की ओर से तथा सरकार की ओर से इसमें शरीक होता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवार के प्रति हमारी संवेदना पहुंचा दी जाय।

श्री सी. एम. स्टीफन: (ईदक्की) : अभी कुछ ही दिन पहले की तरह ही अब एक बार फिर हम दुर्भाग्यवंश अपने एक सहयोगी के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अभी पिछले ही सप्ताह, सप्ताह के बीच में या आखिर में ही श्री अन्नईथाम्बी ने इसी सदन में भाषण दिया था जो कि उनका आखिरी भाषण ही बन गया है। वह अपने दल के केवल एक मात्र सदस्य ही थे जो कि इस सदन में मद्रास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और हम सबने देखा कि वह बहुत ही परिश्रम लगन तथा सार्थक ढंग से अपना दृष्टि कोण व्यक्त करते थे तथा अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। अपने इस मित्र के निधन पर मुझे गहरा दुःख हो रहा है। इसके साथ ही हमें एक बार फिर यह बात याद हो जाती है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है भाग्य कितना अनिश्चित होता है तथा जीवन की चकाचौंध कितनी अस्थाई होती है।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि उनका शव अभी भी अंडेमान में है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, भारतीय वायु सेना के विमान से उनका शव यहां लाने का प्रयत्न किया गया था परन्तु क्योंकि वायु सेना का कोई विमान उपलब्ध नहीं था और साथ ही मुझे यह भी पता चला है कि वहां भी शव को रखने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था भी नहीं है। अतः जब यह निधन सम्बन्धी मामला समाप्त हो जाये तो फिर मैं यह मामला उठाना चाहता हूं। आखिर सरकार को इसके बारे में कुछ तो बताना होगा कि यदि किसी संसद सदस्य का निधन उसके अपने क्षेत्र से बाहर हो जाये तो उसके प्रति सरकार का क्या कर्त्तव्य होना चाहिये। इस समय तो मैं सदन में दिवगंत आत्मा के प्रति व्यक्त की जा रही श्रद्धांजलि में शरीक होते हुये अपने तथा अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दी जाये।

श्री यशवन्तराव चौहान : सितारा : होनी सब के लिए अटल है। परन्तु कई बार जब कभी छोटी तथा मध्यम आयु के लोगों को, जैसे कि मानवीय सदस्य जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं, को मृत्यु के क्रूर हाथ छीन लेते हैं, तो उसका सदमा और भी गहरा हो जाता है। मैं समझता हूं कि पिछले सप्ताह के मध्य में जब इस मानवीय सदस्य ने अपना भाषण सदन में दिया था, तो उस समय मुझे भी उसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। वह इस सदन के किसी भी सदस्य के आत्म सम्मान का विचित्र उदाहरण था। उन्होंने कड़ा परिश्रम किया। मुझे उनके जीवन के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह पता चलता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वह लगभग विद्यार्थियों के दिलों के लिए संघर्ष करते हुये 10 बार जेल गये। इससे उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। वह एक मंजूर नेता थे जो सदा ही समाज के कमजोर वर्ग के लोगों, रिक्शा

वालों तथा अन्य छोटे-छोटे लोगों के लिए आवाज बुलन्द करते रहे। वह प्रतिनिधि के रूप में लोगों में लोकप्रिय थे क्योंकि उनके जीवन का इतिहास पढ़ने से यह पता चलता है कि उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन नगरपालिका के सदस्य से आरम्भ किया। इसके बाद वह दो बार मद्रास विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वह मद्रास विधान सभा की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद वह संसद सदस्य बने और मैं समझता हूं कि संसद सदस्य के रूप में उन्होंने बहुत ही लगन तथा परिश्रम के साथ अपने कृत्यों का पालन किया और सम्भवतः वह अण्डेमान भी किसी सार्वजनिक कार्य के लिए ही गये हुये थे। दुर्भाग्यवश मृत्यु ने वहां उन्हें हड़प लिया।

यह हम सब के लिए बहुत ही दुःख की घड़ी है परन्तु सभी को यह बात विदित हो जानी चाहिये कि इस सदन में हम सब उनके साथ कितना स्नेह रखते थे और अब हम उनके निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हैं।

मैं आशा करता हूं कि आप हमारी संवेदना न केवल शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक भी पहुंचा देंगे।

श्री ज्योतिर्मय वसु : (डायमंड हार्बर) : मैं अपने तथा अपने दल की ओर से श्री असाइथाम्बी की मृत्यु पर व्यक्त की जा रही संवेदना के साथ अपने आपको शरीक करता हूं। श्री असाइथाम्बी बहुत ही मृदुलभाषी तथा नये स्वभाव के व्यक्ति थे तथा उन्हें हम पहले से ही जानते थे। सम्भवतः हम में से अधिकांश लोग इस तथ्य को नहीं जानते हैं कि बहुत ही विशिष्ट पत्रकार थे तथा वह एक तमिल भाषा के एक लोकप्रिय समाचार पत्र के सम्पादक भी थे। उन्होंने 40 के करीब पुस्तकें लिखीं और जैसे कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा वह 1946 और 1947 के बीच अपने विचारों के लिए 10 बार जेल भी गये। 1976-1977 की पिछली आपात स्थिति में भी वह आंतरिका के अन्तर्गत बंदी बना दिये गये। दो बार विधान सभा का सदस्य रहने पर हमें उनकी संसदीय गतिविधियों की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है तथा एक बार तो वह तमिलनाडु विधान सभा में प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे। उनके निधन से न केवल द्रमुक दल की ही क्षति हुई है, अपितु उनके निधन से इस सदन तथा देश के लोगों को क्षति हुई है।

कृपया उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी भी संवेदना पहुंचा दीजियेगा।

श्री अरविन्द बाला यजनौर : (पांडिचेरी) : अध्यक्ष महोदय मैं बहुत ही दुःखी मन से अपने महान मित्र थीरु असाईथाम्बी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुये सदन के अन्य सदस्यों के साथ शरीक होता हूं।

श्री असाइथाम्बी हमारे महान नेता 'अन्ना' की तरह ही द्र-मु-क-दल के स्थापक थे। मुझे ऐसा भी पता चला है कि उसे हमारे क्षेत्र में लोगे छोटे पेरेमार के नाम से पुकारते थे। तमिल समुदाय के लोगों को उनके निधन से काफी क्षति हुई है। जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा है, हमें अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कल तक जो सदस्य हम सब के बीच में था, आज वह हमारे बीच नहीं है। दूसरे मुझे यह भी समझ नहीं आ रही कि इस दुःखद घड़ी में मैं अपनी भावाभि व्यक्ति किस प्रकार करूं। दुर्भाग्यवश इस समय उनकी विधवा पत्नी उनके शव के पास है जो कि यहां से हजारों मील दूर द्वीप समूह में पड़ा है। मुझे यह बहुत ही विचित्र लग रहा है कि आज जब हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका नश्वर शव वहां यह सड़ रहा है।

मैं इस समय कुछ कहना तो नहीं चाहता अपितु मैं इतना जरूर करना चाहता हूं सभी सदस्यों के दिलों को छू जाने वाली बात कह दूं। आप जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिये कि उनका शव हजारों मील दूर पड़ा हुआ है और तमिलनाडु में लोग उनके शव की प्रतीक्षा में कराह रहे हैं। उनकी मृत्यु शनिवार के शाम को 8 बजे हो गई थी। परन्तु अभी तक हमारे मानवीय मित्र असाईथाम्बी का शव अंडेमान में ही पड़ा हुआ है। ऐसा हम संसद सदस्यों में से किसी के साथ भी हो सकता, तो फिर देखना यह है हम लोग जो देश के हितों की सुरक्षा के लिए अग्रसर होते हैं, उनके हितों की सुरक्षा किस प्रकार से की जा सकती है।

श्रीमान जी मैं आपके तथा सदन के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि श्री असाइथाम्बी सत्र के दौरान मध्यवर्ती यात्रा पर वहां गये थे। उनकी पत्नी वहां थीं। मुझे समझ नहीं आती कि उन्हें कौन सांत्वना दे रहा होगा। मुझे यह भी मालूम नहीं है कि इस सदन की संवेदना उन तक पहुंच उन्हें किसी प्रकार की सांत्वना दे पायेगी। मैं केवल ईश्वर से यही निवेदन कर सकता हूं कि वह उनकी विधवा पत्नी को यहकठोर आघात सहने के लिए प्रर्याप्त शक्ति प्रदान करे जो इस समय वहां रही होगी। मैंने संसद में इस प्रकार का हृदयस्पर्शी दृश्य पहले कभी नहीं देखा है। हम लोग जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, हम उन्हें इस दुःख की घड़ी में भला कैसे भूल सकते हैं। उन्हें भूल जाना हमारे लिए आसान नहीं है। इस दुःख की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। सदन में असाईथाम्बी के प्रति जो भावभीनी श्रद्धांजलियाँ व्यक्त की गई हैं, उसके लिए हम सदन के निश्चय ही आभारी हैं परन्तु मैं जिस प्रकार से हमारे मित्र का शव वहां पड़ा हुआ है, उस पर निश्चय ही मैं खेद व्यक्त करता हूं। निःसंदेह उनकी आत्मा उन उद्देश्यों के लिए संघर्षशील रहेगी जिनके लिए वह जीवन भर संघर्ष करते रहे तथा जिनके लिए उन्होंने "पेरीमार" तथा "अण्णा" महान आत्माओं से प्रेरणा प्राप्त की। उनकी की चलाई हुई प्रथा चलती रहेगी। आपको मालूम ही है कि यह आन्दोलन केवल एक या दो लोगों द्वारा आरम्भ किया गया था तथा वह आन्दोलन के लिए संघर्षरत रहे तथा उसी के लिए संघर्ष करते हुये उन्होंने अपने जीवन की बलि दे दी। इसी लिए आज हम इनका यहां उल्लेख कर रहे हैं।

श्रीमान जी, हम संसद सदस्यों, जिन्होंने कि सार्वजनिक कार्यों का बीड़ा उठाया होता है, उनके लिए यह निश्चय ही काफी दुःख की बात है। हमारे भी बच्चे तथा पत्नी हैं। परन्तु श्रीमान जी इस समय जब कि मैं अपने तथा अपने दल की ओर से संवेदना व्यक्त कर रहा हूं, उनके बच्चे उनके शव के लिए मद्रास में प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि उनका शव किस समय तथा किस हालत में तथा कब तक मद्रास पहुंचेगा। जिस संसद सदस्य के निधन पर हम शोक व्यक्त कर रहे हैं, यह है उसके शव की स्थिति।

श्रीमान जी मेरा गला भावनाओं से कस सा गया है। मैं इस समय और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं समझता हूं यह उनके लिए उपयुक्त अवसर नहीं है। परन्तु फिर भी जब मैं यह कल्पना करता हूं कि यदि मुझे कुछ हो जाये तो फिर मेरी पत्नी तथा बच्चों का क्या होगा। मैं शब्दों में विश्वाश नहीं करता, मैं तो केवल अपनी भावनायें व्यक्त कर रहा हूं। श्री असाईथाम्बी तो अब इस संसार में नहीं हैं परन्तु मुझे यह समझ नहीं आ रही कि मैं उनकी पत्नी तथा बच्चों के प्रति अपनी संवेदना किस प्रकार व्यक्त करूं। आज लोग मद्रास रेलवे स्टेशन तथा हवाई अड्डे पर खड़े रो रहे हैं, वह सारी रात सोये नहीं हैं। इसीलिए मुझे यह सब कहना पड़ा है।

मैं इस अवसर पर अपने आपको तो रोक सकता हूं परन्तु अपनी भावनाओं तथा शब्दों को अभिव्यक्ति से रोक नहीं सकता। मैं समझता हूं कि सदन उन्हें समझने का प्रयास करेगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें तथा शोक संपन्न परिवार को यह आघात सहने का साहस प्रदान करे। इस समय मैं यही कहना चाहता हूं कि उनकी पत्नी शव सहित वहां पहुंच जाये। इसके साथ ही मैं भगवान से यह प्रार्थना भी करता हूं कि भविष्य में हम में से किसी के साथ ऐसा न हो तथा इसे सहने की हमें शक्ति प्रदान हो।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमान जी, मानवीय सदस्यों द्वारा जो शोक व्यक्त किया गया है, मैं भी उसमें शरीक होता हूं। परन्तु इसके साथ ही उनके शव प्रति सरकार ने जो रवैया अपनाया है, उस पर मुझे और भी अधिक दुःख हो रहा है। उनका शव अभी भी वहां पड़ा हुआ है। जो कुछ श्री असाइथाम्बी के साथ हुआ है वह किसी भी संसद सदस्य के साथ हो सकता है। हम में से सभी यात्रा करते हैं तथा किसी को भी अगर कुछ हो जाता है और यहां बैठे जिम्मेदार लोग भी यदि यह बात समझ नहीं सकते कि ऐसी परिस्थितियों में क्या नियमों से बचे रह कर कुछ बहाना निकालना सही है, तो फिर हमारे भाग्य की कल्पना सहज ही की जा सकती है। मुझे यह समझ नहीं आता कि नियमों के अनुसार शव को कैसे नहीं लाया जा सकता। क्या शव को लाने के लिए विमानों का उपयोग करने पर प्रतिबन्ध है? यदि हां, तो फिर भला कुछ व्यक्तियों को चिकित्सा के लिए वायु सेना के विमानों में क्यों ले जाया जाता है? इसलिए यदि ऐसे कोई नियम नहीं हैं? तो हमें इस सम्बन्ध में नियम बनाने होंगे।

लेकिन यहां लोग इतने कठोर हृदय हैं कि उन्होंने उनके पार्थिव शरीर को एक विमान द्वारा वापस लाने की अनुमति भी नहीं दी। जैसा कि कहा गया है। उनके साथ केवल उनकी पत्नी ही हैं। उनके परिवार के सभी सदस्य मद्रास में हैं। क्या हम में मानवीय भावनाएं बिल्कुल नहीं रहीं?

यह पहले भी कहा जा चुका है और हम सब जानते हैं वह इस सभा के बहुत ही योग्य सदस्य थे। द्र.मुक. के वह एक मात्र सदस्य थे। वह एक अच्छे वक्ता थे और उन्होंने मद्रास तथा इस सभा में अपना एक स्थान बना लिया था। वह मामूली व्यक्ति नहीं थे। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमें संरक्षण देना आपकी जिम्मेदारी है। पर आप भी इस विषय में खामोश हैं। अगर आप हमें संरक्षण देना चाहें तो कौन हमारी प्रार्थना को ठुकरा सकता है। यह सर्वोच्च संस्था है और आप इसके अध्यक्ष हैं। यदि आपका अनुरोध ठुकरा दिया जाता है तो यह एक गम्भीर बात होगी। अतः ऐसी घटना फिर से नहीं घटनी चाहिये। यदि नियमों में संशोधन करना पड़े तो उन्हें बदला जाये। आज भी उनका पार्थिव शरीर वहीं पड़ा हुआ है। उसे कब लाया जायेगा? क्या इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई है? उसे उनके सम्बन्धियों के पास किस हालत में भेजा जायेगा। मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। इस सभा में उनके असामायिक निधन के सम्बन्ध में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं मैं उनमें इस सभा के साथ हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधी नगर) : महोदय, मैं अपने प्रिय और बहुत ही सौम्य सहयोगी की असामयिक मृत्यु से बहुत दुःखी हूं और इससे मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं जैसी कि मेरी आदत है, तो पाता हूं कि श्री असाइथाम्बी वहां नहीं

बैठे हुए हैं। में इस सभा में जो भाव व्यक्त किये हैं और जो हार्दिक संवेदनाएं की गई हैं और जो उनके पार्थिव शरीर के एक दूरस्थ स्थान पर पड़े रहने के बारे में आवेग अभिव्यक्त किये गए हैं उनमें मैं सभा के साथ हूं। महोदय असाइथाम्बी बहुत ही कुसाग्र बुद्धि, ईमानदार और बड़े ही मेहनती संसद सदस्य थे। वह भाषण देने से पूर्व सदैव बड़ी मेहनत करते थे और धारा प्रवाह बोला करते थे और उनका भाषण अनुनयी एवं प्रभावी होता था। मैं समझता हूं कि संसद सदस्यों की यही एक खूबी है और यही उनका बोलने एवं व्यवहार करने का तरीका होना चाहिये।

यह सोचकर मैं वस्तुतः कांप उठा हूं कि वह इस सभा के एक मात्र सदस्य थे और उनका पार्थिव शरीर भी देश के एक दूर-दराज कौने में अकेला पड़ा हुआ है।

टैगोर ने कहा था "एकला चलो रे" और असाइथाम्बी ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा ही दृढ़ संकल्प होकर अपने जीवन में अपने सिद्धान्तों एवं विचार धारा को लेकर "एकला चलो रे" की बात को सार्थक करते रहे। यही उन्हें सब से प्रिय लगता था इसके लिए वह कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार रहते थे।

जैसा कि श्री यशवंतराव और ज्योतिर्मय ने भी कहा है। वह दस बार भी जेल को तैयार रहते थे और अपना जीवन ही जेल में ही समाप्त करने को तैयार थे। मुझे अत्यन्त खेद है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को मेरी ओर से गहरी सहानुभूति एवं संवेदनाएं भेज दें, और साथ ही तमिलनाडु के भाई-बहनों को भी मेरी संवेदना भेज दें।

श्री चित्ता बसु : (बारसात) : मैं अपने सहयोगी श्री असाइथाम्बी जो कि इस सभा में हमारी ओर बैठा करते थे, कि असामयिक मृत्यु पर गहरी संवेदन और दुःख व्यक्त करता हूं। जैसा कि आपने तथा अन्य जाने-माने साथियों ने कहा है वह तमिल में बहुत ही अच्छा भाषण दे सकते थे। एक महान पत्रकार थे। मजदूर नेता और समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु से तमिलनाडु के लोगों को बहुत बड़ी हानि हुई है और द्रमुक दल को भी अपूर्णीय क्षति हुई है वह इस दल के एक स्तम्भ थे इस सभा में द्रमुक के वही एक मात्र सदस्य थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी ओर से संवेदनाएं भेज दें।

अन्त में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनके साथ समुचित व्यवहार किया जाये, जिनका वह हमारे देश की मुख्य भूमि से काफी दूर निधन हुआ है।

श्री केशवराय धोडंगे : (नांदेड़) : सदर साहब, मरहूम श्री असाइथाम्बी के बारे में जिन ख्यालात का इजहार किया गया है उनकी मैं ताईद करता हूं और अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आमतौर पर परम्परा यह है कि केवल दलों के नेता ही बोलते हैं यदि आप इसमें कोई अपवाद लाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इससे एक नई परम्परा का निर्माण होगा, वस्तुतः आपको यह अधिकार है, मेरे पास पहले ही दो या तीन पर्चियां आ चुकी हैं जिसका अभिप्राय है कि हम एक नई परम्परा की स्थापना कर रहे हैं।

श्री त्रिदिब चौधरी : मैं इस सभा में जो भावनाएं व्यक्त की गई हैं उनमें सभा के साथ हूं और दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन्होंने विधान सभा और संसद दोनों में वक्ता, भाषणकर्ता, लेखक और जनसेवक के रूप में अपना स्थान बना लिया था।

महोदय, मुझे आशा है कि जहां तक उनके पार्थिव शरीर को यहां लाने का प्रश्न है उसके लिए कोई न कोई तरीका सोचा जा सकता है ताकि उनकी पत्नी अपने आपको बिल्कुल असाहय न समझे। हम जानते हैं कि कई अन्य मामलों में जब नागरिक विमान उपलब्ध नहीं थे तब वायु सेना के विमानों की सेवाएं उपलब्ध की गई और शवों को दिल्ली से उनके जन्म स्थान पर पहुंचाया गया, उनमें न केवल संसद सदस्य थे अपितु जाने माने जन नेता भी थे। इसी तरह की कोई व्यवस्था अब भी की जा सकती है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस मामले में अभी कुछ न कुछ करे। मैं एक बार पुनः अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामीनाथन, आशा है कि इसे भविष्य में एक दृष्टांत के रूप में नहीं लिया जायेगा।

श्री आर०वी० स्वामिनाथन : (मदुरै) : जब मुझे यह पता चला कि श्री असाइथाम्बी अब हमारे बीच नहीं रहे तो मैं हक्का-बक्का रह गया। हम दोनों रामनद जिले के हैं। यद्यपि हम अलग-अलग दलों के हैं फिर भी हम एक साथ आते-जाते थे। श्री असाइथम्बी द्रमुआ के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। जब प्रविण कपागम से श्री अन्नादुराई अलग हुए तो श्री असाइथम्बी ने द्रमुक पार्टी को बढ़ावा दिया। वह द्रमुक के प्रमुख नेताओं में से थे। यद्यपि उनका अपने कई सहयोगियों से मतभेद रहते थे तथापि वह पार्टी में बने रहे और कभी भी अपनी भावनाएं इसके विरोध में व्यक्त नहीं थीं। जब भी पार्टी में मतभेद होता था वह उसमें भाग नहीं लेते थे। वह सभी के मित्र थे। वह कामराज के दोस्त थे। वह अपने सिद्धान्तों के लिए अनेक बार जेल में गए। वह तमिल के बहुत ही अच्छे वक्ता थे और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। वह लघु कहानियां भी लिखते थे। इनके निधन से न केवल रामनद जिले को अपितु सारे तमिलनाडु और देश को क्षति हुई है।

श्री असाइथम्बी की पत्नी कल से अन्डमान द्वीप समूह में शव के पास बैठे रो रही है। मुझे दुःख है कि सरकार को उनके शव को शीघ्र उनके शुभ स्थान पर ले जाने का प्रबन्ध करना चाहिए था। इस सभा के वर्तमान सदस्य के साथ सरकार द्वारा इस प्रकार का कठोर व्यवहार करने की बात मेरी समझ में नहीं आई। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से होकर अण्डमान गये थे। उनके शव को यहां लाना इस सभा और सरकार का दायित्व है। आश्चर्य की बात है कि सरकार ने उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान नहीं दिया है। हमारा यह भी कटु अनुभव है कि हाल ही में श्री० जे० पी० को जसलोक अस्पताल में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं की गई। यह सरकार के कठोर रवैये का द्योतक है। अब मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उनके शव को अण्डमान से शीघ्र लाने का प्रबन्ध किया जाए। हर क्षण अमूल्य है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं।

श्री वी० अरुणाचलम : (त्रिनेवेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अ० भा० अ० द्रमुक के ओर से श्री असाइथम्बी के निधन पर हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने आत्म-सम्मान के साथ राजनीति में प्रवेश किया और उसी भावना ने जीवन भर अपना अस्तित्व बनाए रखा। वह राजनैतिक कारणों से दस से भी अधिक बार जेल गए। आपातकाल में उन्हें भी नहीं बख्सा गया। सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे डा० अन्ना के पक्के शिष्य रहे। वह तमिल के लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे, नीति और सिद्धान्त के पक्के थे। अपने दोस्तों में लोकप्रिय थे तथा अपने कृत्यों में दृढ़ संकल्प थे।

वह तमिल के अच्छे वक्ता थे। उनकी अभिव्यक्ति भाषा विधि, प्रेस में प्रस्तुतीकरण आदि पेरियार रामास्वामी की भांति ही थे। इसीलिए उन्हें तमिलनाडु का युवा पेरियार कहा जाता है।

तमिलनाडु सरकार पेरियार रामस्वामी की शताब्दी मना रही है, पर हमारे युवा पेरियार हमें छोड़ कर चल बसे हैं।

एडमण्ड वर्क ने एक बार कहा था कि महान व्यक्ति अपनी छाप छोड़ जाते हैं। वास्तव में वह इससे भी महान थे। उनका साहित्यिक कार्य और निष्काम सेवा तमिलनाडु के लोगों के लिए एक वैज्ञानिक मार्ग दर्शन है।

उनका सवाओं को सदैव याद रखा जाएगा। उनके सिद्धान्तों का हमेशा अनुसरण किया जाता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे और भाषणों की मांग न करें। अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्य कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े रहे)

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इस प्रकार के अशोभनीय व्यवहार के प्रति आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक कर के बोलें। मैं एक-एक कर बुलाऊंगा। ऐसे अवसर पर भी आप इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

ज्योतिर्मय बसु : यह एक गम्भीर बात है।

(व्यवधान)

श्री के गोपाल (करूर) : अभी सभी नेताओं ने हमारे मित्र श्री असाईथम्बी के प्रति अपनी संवेदनायें व्यक्त की हैं। वह पिछले गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर गए थे और शनिवार को रात्रि के आठ बजे उनका देहान्त हो गया। वह सत्र के मध्य में रगंत जा रहे थे। उनके शव को पोर्ट ब्लेयर लाया गया। आपको भी तुरन्त तार भेजा गया। श्री करुणानिधि को भी तार भेजा गया। मुख्य सचिव ने बताया कि वहाँ दाह संस्कार के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। श्री गोविन्द नायर को इसकी सूचना नहीं थी और लोक सभा के सचिव श्री रिखी को भी इसकी सूचना नहीं थी। राज्य सभा के सदस्य श्री मारन ने श्री अडवानी से सम्पर्क करने का प्रयास किया। प्रधान मंत्री यहाँ नहीं थे। रक्षा मंत्री से भी सम्पर्क नहीं किया जा सका। अतः श्री मारन श्री अडवानी के पास गए तथा श्री अडवानी ने रक्षा मंत्री से सम्पर्क किया जिन्होंने यह कह कर एक दम इन्कार कर दिया कि शव को लाने के लिए नियम नहीं है। हम इसे एशोआराम के तौर पर नहीं मांगते पर अण्डमान जैसी जगह जहाँ परिवहन का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। शव को लाने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा नागरिक उड़ाने केवल मंगलवार की हैं। उनकी शनिवार को मृत्यु हुई। उनके शव को वहाँ रखना पड़ा। श्री असाईथम्बी मद्रास के लाखों लोगों में लोक प्रिय थे। वह केवल मद्रास से ही चुन कर आते थे। उनकी लोक प्रियता का अन्दाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वही एक कार्य काफी अपनी पार्टी से चुने गए। ऐसी बात नहीं है कि विमान उपलब्ध नहीं था। पोर्ट ब्लेयर में जहाज था तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने श्री पुरुषोतम कौशिक से सम्पर्क करने का प्रयास किया।

वह बम्बई में थे । पर जहाजों की कमी थी । वह रात को विमान नहीं ले जा सकते । पोर्ट ब्लेयर सबन्टैन्डर्ड हवाई अड्डा है । अतः इण्डियन एयर लाइन्स से विमान मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था । यह बात नहीं है कि हम शव को विमान से ही लाना चाहते थे । यह हमारा आशय नहीं है । कभी सरकार ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं । श्री रविन्द्र वर्मा व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार आदमी हैं । मुझे इसमें शंका नहीं है । वह जो कुछ कहते हैं हम उसे सरकार के विचार न मान कर उनके अपने विचार मानते हैं । अतः इस सरकर की एक सदस्य के प्रति जिसका शव अभी भी वहाँ पड़ा है, इतना गैर जिमेदाराना और अमानवीय व्यवहार करने के लिए भर्तसना की जानी चाहिए, और तमिलनाडु में लाखों लोग उनके पार्थिव शरीर की प्रतीक्षा में हैं । आपने सभी प्रयास किए । हमें लोक सभा सचिवालय और अध्यक्ष के प्रति कोई शिकायत नहीं है । पर जहाँ तक सरकार के रवैये का प्रश्न है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत लोग कल भारतीय वायु सेना के विमान में पवनार गए ? किन नियमों के अधीन भारतीय वायु सना के विमानों का चुनाव प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है । क्या यह प्रबन्ध आपको स्वंय नहीं करना चाहिए था ? अतः मैं आपके अध्ययन से सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनके शव को मद्रास लाने की शीघ्र व्यवस्था की जाय । मुझे यही कहना है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : शायद आपको मालूम है कि अन्डमान की जलवायु में अभस होती है और शव शीघ्र ही विक्षित हो सकता है । मैं वहाँ गया हूं । अगर सत्ताधारी दल में राजनितिक इच्छा का अभाव नहीं होता तो भारतीय वायु सेना का विमान वहाँ बड़ी आसानी से भेजा जा सकता था । मैं कई बार उसमें यात्रा कर चुका हूं । वह सप्ताह में एक बार गुरूवार को आते हैं । उन्हें गुरुवार की बजाय रविवार को वहाँ लाया जा सकता है । क्या सरकार इसका स्पष्टीकरण देगी कि इतना कड़ा रवैया क्यों अपनाया गया जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के लाखों लोगों तथा समस्त देश में रोष व्याप्त है ।

श्री वयालार रवि : मैं अपने दोस्तों के साथ हूं । आप जानते हैं कि मैंने एक प्रस्ताव पेश करने का प्रयास किया । इस विषय में मैं आपके आदेश का पालन करूंगा । इसका आशय केवल सरकार से स्पष्टीकरण मांगना था क्योंकि इस सभा के एक माननीय सदस्य के साथ जो व्यवहार हुआ है उसके लिए मद्रास के लोग, सारे देश के लोग सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं । उनकी मृत्यु कुछ असामान्य परिस्थितियों में हुई है । वह देश के बाहर एक द्वीप में हुई है । वहां परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हैं । अगर शव को मोटर या अन्य साधन से लाया जा सकता तो मद्रास सरकार लाने को तैयार थी । दुर्भाग्य से इस द्वीप में परिवहन के कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं हैं । इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध किया गया था । पर कुछ भी नहीं हुआ । सरकार 1972 के नियमों की बात करती है जो कुछ अधिकारियों ने अपनी स्वेच्छा से बनाए थे । जिन ससद सदस्यों का देश से बाहर निधन हो जाता है, क्या उनके साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर काफी चर्चा कर चके हैं । क्या आप उसे विवाद का विषय बनाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री सी०एम० स्टीफन (इदक्की) : यह चर्चा का या विचार व्यक्त करने का ही प्रश्न नहीं है । एक स्थिति है जिस पर विचार किया जाता है । मामला अब संसद के समक्ष है । हम निधन

सम्बन्धी उल्लेख कर चुके हैं। शव वहीं पड़ा हुआ है और खराब हो रहा है। वस्तुतः जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रक्रिया अपनाई जाए इस विषय में मंत्रि मण्डल के निश्चित आदेश हैं। प्रश्न खर्च की प्रतिपूर्ति का है। कतिपय वर्ग के लोगों के लिए एयर इण्डिया के विमान उपलब्ध किए जा सकते हैं। जिनको राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाता है उनके मामले में खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। प्रश्न यह है कि खर्च कौन देगा? इस विषय में केवल मंत्रिमण्डल के ओर सरकार के आदेश हैं कोई सांविधिक नियम नहीं है। यह सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त मात्र हैं जिन्हें बाद में यह कह कर संशोधित किया गया कि यह सुविधा संसद सदस्यों को भी उपलब्ध होगी। यह सांविधिक नियम नहीं है। इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा।

यह एक विशेष परिस्थिति है जिसमें एक संसद सदस्य बाहर गया था और उसकी देश की भूमि से दूर मृत्यु हो गई यद्यपि वह स्थान भी देश का ही एक अंग है। शव यहां नहीं लाया जा सका। शव खराब हो रहा है। कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर्व प्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि शव को राजकीय सम्मान देने हेतु यहां से किसी उपयुक्त व्यक्ति को क्यों नहीं भेजा गया? इस विषय में क्या सोचा गया?

22-45—22-50

9-4-79

यदि आपत्ति यह है कि इण्डियन एयरलाइन्स का विमान शव को यहां लाने के लिए उपलब्ध नहीं है तो क्या यहां से किसी व्यक्ति को अण्डमान शव के संरक्षण के लिए भेजा गया है?

श्री ज्योतिर्मय बसु : किस तरह का परिवहन

श्री सी० एम० स्टीफन : भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा क्या मृत शव को ले जाने पर प्रतिबन्ध है। भारतीय वायु सेना के लोग अपने विमानों से जा सकते हैं। मंत्रालय के लोग भी वायु सेना के विमान से जा सकते हैं। मृत शव को सुरक्षित रखने के लिए किसी ने परवाह नहीं की। इस विशेष व्यक्ति के शव को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : इसका संलेपन कर दिया गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसे संलेपित कराया गया है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे संलेपित करवा दिया है।

कुछ माननीय सदस्य : किसके द्वारा?

अध्यक्ष महोदय : वहां के लोगों द्वारा।

(व्यवधान)

श्री के० गोपाल (करूर) : बर्फ में रखना कोई बढ़िया ढंग से संरक्षण करना नहीं होता।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पॉडचेरी) : आकाशवाणी ने आज सुबह यह प्रसारित करके उनके शव को वहां ले जाया जा रहा है, देश को गुमराह किया है। कल तक तो शव मद्रास नहीं लाया जा सकता। अब वे विमान भेजें और शव यहां ले आयें। मैं श्री गोपाल के विचार से सहमत हूं। वे वहां विमान भेजें।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं अब सभा से निवेदन करता हूं कि वह तत्काल शव को यहां लाने के लिए कहें। यह सभा शव को तत्काल लाने के लिए निर्देश दे सकती है (व्यवधान) जब संसद बैठी हुई है और जब संसद ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं और जब हमें पता है कि शव वहां बुरी दशा में है और जब हम जानते हैं कि दक्षिण के लाखों लोग शव को देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और शव विकृत दशा में है तथा उनकी विधवा शव के पास बैठे-बैठे शोक में बुरी तरह रो रही है तो क्या सभा के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शव को तत्काल यहां लाने के लिए कहे ? क्या भारत सरकार इतनी असक्षम है ? क्या यह सभा इतनी असक्षम है ? क्या हम इतने असक्षम हैं कि हम शव को यहां लाने के लिए आदेश भी न दे सकें ?

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा सरकार को वह शव तत्काल यहां लाकर मद्रास ले जाने के लिए सरकार को आदेश दे।

श्री राजावेलु मोहनरंगम (चेंगलपट्टू) : कल जब यह समाचार आया था तो मैं मद्रास में था। वहां हजारों लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब कल 4 बजे शाम को मैं उनके घर गया तो हजारों स्वयं सेवक उनके घर के आगे खड़े थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप संसद सदस्य हैं ? आज हम तीन या चार दिन बाद शव को लाने की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप शव को 48 घंटों के अन्दर अण्डमान से मद्रास लाने की स्थिति में नहीं हैं ? वे लोग असाइथम्बी के ही बारे में बात-चीत कर रहे हैं। यहां हम सब नियम-विनियमों की बातें कर रहे हैं। ये सब नियम इंसान ने ही बनाए हैं। हमने ये नियम इस देश की जनता के हित के लिए बनाए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा नियम है जो श्री असाइथाम्बी के शव को वायु सेना के विमान द्वारा यहां लाने पर बाधक बनता है ? वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे दूसरे राजनीतिक दल के हैं क्योंकि वह दक्षिण भारत के हैं" (व्यवधान) हम इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते और हम ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि हम सत्तारूढ़ दल के हैं। हमारे मानदीय मुख्य मंत्री तथा वित्त मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से कब शव को यहां लाने के लिए अनुरोध किया था। समझ में नहीं आती कि क्या बात है, जिसके कारण आज भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जरा वे उस औरत की दशा को तो देखें। वे बेचारी विधवा अपने पति के शव के पास बैठी विलख-विलख कर रो रही है। उसे सांत्वना देने वाला वहां कौन है ? तमिलनाडु के कई लोग चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं। "कि" आप संसद सदस्य वहां क्या कर रहे हैं ? आप लोग त्याग पत्र दे दीजिए और वापस आ जाइये।" जब कल मैं उन्हें मिला था तो उन्होंने मुझे यह सब कहा। कृपया आप शव को यथा सम्भव शीघ्र यहां लाने के लिए समुचित कदम उठाइये।

(व्यवधान)

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस मामले में सभा की राय बिल्कुल सही तथा मतैक्यपूर्ण है कि शव किसी विशेष विमान द्वारा अण्डमान से लाया जाये। मैं यह निवेदन कर दूं कि इस बारे में नियम भूतपूर्व सरकार ने बनाया था और यह ऐसा नियम नहीं है जिसका सरकार अवश्य ही पालन करे। सरकार को इस समय यह कह कर इस मामले की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि इस बारे में नियम बना हुआ है।

श्रीमान जहां तक नियमों का सम्बन्ध है, मैं आपके विचारार्थ निवेदन कर दूं कि हम भी सरकार के अंग हैं और विधायक गैर-सरकारी लोगों की तरह नहीं समझे जाने चाहिए विशेष कर जब कि हम अपना कार्य निभा रहे हों और उस दौरान हमें कुछ हो जाये। यह माननीय सदस्य भी अपना कर्त्तव्य निभा रहे थे। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि सभा सरकार को तत्काल यह शव लाने का निर्देश दे सकती है। किन्तु मैं यह भी कह दूं कि इस मामले में अध्यक्ष के आदेश को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी और अध्यक्ष के आदेश को कार्यान्वित करने के मामले में देश का कोई भी व्यक्ति बाधक नहीं बन सकता।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि श्री असाइथाम्बी का मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निधन हुआ है। जहां यह घटना घटी है, वह मध्य अंडमान में रणगत नामक स्थान पर हुई है और मुझे आशंका है कि वहां उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा नहीं पहुंचाई गई क्योंकि उस भाग में समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वहां शव को सुरक्षित रखना भी बिल्कुल असंभव है क्योंकि वहां शव कक्ष नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस समय उनका शव स्थानीय तकीजर संगम हाल में रखा हुआ है और उनकी विधवा उनके पास बैठी हुई है और कल मुझे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से टेलीफोन आया है, जहां कि बड़ी संख्या में तमिल लोग रहते हैं। वे लोग धीरे-धीरे हिंसात्मक बन रहे हैं क्योंकि सरकार शव को वहां से नहीं ले जा रही है। उनकी विधवा वहां विलख-विलख कर रो रही है। इस उद्देश्य के लिए मैंने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी सम्पर्क किया था और उन्होंने केवल एक ही उत्तर दिया कि नियम इसकी अनुमति नहीं देते। (व्यवधान) श्रीमान इस स्थिति में मैं सभा की चिन्ता में सहभागी हूं और मांग करता हूं कि सभा तत्काल सरकार को उनका शव वहां से लाने के लिए निदेश दे। धन्यवाद।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) अध्यक्ष महोदय सरकार की ओर से मैं यह कह सकता हूं कि सरकार इस स्थिति की गम्भीरता से भली भांति अवगत है और इस बारे में माननीय सदस्यों की जो गहरी भावनाएं हैं, उनसे भी सरकार अवगत है।

श्री के लकप्पा (तुमकुर) : तो फिर आपने शव को यहा क्यों नहीं मंगाया ?

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा: श्री मान जैसा कि आपने शुरू में ही कहने का प्रयास किया, यह बहुत ही दुखदायी अवसर है और यह अवसर वाद-विवाद करने का नहीं है। इसलिए मैं इस मामले को विवाद स्पद नहीं बनाना चाहता। इस बारे में मैं कुछ विचार रखना चाहता हूं।'

श्री मान, नियमों के प्रश्न का उल्लेख किया गया है और किसी भी नियम के अन्तर्गत बन्धने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक सदस्य ने पूछा हो कि क्या इस तरह के कोई नियम हैं ? प्रतिष्ठित व्यक्तियों के शव्दों को भारतीय वायु सेना के विमान द्वारा जानें ले लाने के लिए नियम हैं। दिन प्रति दिन व्यक्तियों के मरने पर उनकी राजकीय स्तर पर अन्त्योष्टि की जाती है, उनके मृत शरीरों को लाने ले जाने के लिए भारतीय वायु सेना थे विमान का उपयोग किया जाता है।

बाद में 1968 में सरकार ने फैसला किया कि मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों, आदि को मिलने वाली सुविधाएं संसद सदस्यों को भी उपलब्ध की जाएं।

अतः इस समय जहां तक किसी की मृत्यु का सम्बन्ध है इस सुविधा के मामले में संसद सदस्यों, मंत्रिमण्डलीय मंत्रियों या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाली सुविधा के मामले में कोई भेद नहीं किया जाता। दुर्भाग्य से इस मामले में निधन देश के एक ऐसे कोने में हुआ है जहां साधन उपलब्ध नही हैं। यदि यह मृत्यु देश की मुख्य भूमि में हुई होती तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होती। इस विषय में नियम है। पर फिर भी एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि उस जगह परिवहन के साधन नहीं हैं। अतः सदस्यों की भावना के मुताबिक कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से कल प्रधान मंत्री, रक्षा मंत्री और मैं स्वयं यहां नहीं था। आज सुबह ज्यों ही मुझे इसका पता चला मैंने आपसे सम्पर्क किया तो पता चला कि शायद शव के संलेपन हेतु काम किया जा चुका है। इस सभा में जो तीव्र संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं उन्हें देखते हुए मैं तुरन्त प्रधान मंत्री से सम्पर्क करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि नियमों के अधीन इस मामले में क्या किया जा सकता है। **(व्यवधान)** मैंने अपना वाक्य पूरा नहीं किया है।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : हम जानते हैं कल क्या हुआ। हमें गुमराह न करें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे अपना वाक्य पूरा करने दिया जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वाक्य पूरा करने दें।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : यदि आप ईमानदारी से यह कह रहे हैं तो सभा को तब तक के लिए स्थगित रखा जाए जब तक उनका दाहसंस्कार नहीं हो जाता।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं **(व्यवधान)**

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मैं यहां व्यर्थ की बात नहीं कर रहा। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द न कहिए। **(व्यवधान)** कल रक्षा मंत्री यहीं थे। श्री अडवानी ने उनसे सम्पर्क किया था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने कहा कि मैं

(व्यवधान)

श्री अरविन्द बाला पजनौर : वर्मा जी आप यहां नहीं थे।

(व्यवधान)

श्री सी. एम. स्टीफन : अब मामला संसद केसमक्ष है। क्या भारत की संसद को यह अधिकार है कि वह एक संसद सदस्य के शव को लाने के लिए विमान भेज सकती है। हम किसी से अपील नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह) : मैं अभी अभी पहुंचा हूं और मुझे स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। मुझे बताया गया है कि प्रश्न केवल विमान उपलब्ध करने का है। मैं घोषणा करता हूं कि विमान उपलब्ध किया जाएगा।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा दिवगत आत्मा के सम्मान में मध्याह्न पश्चात दो बजे तक के लिए स्थागित होती है ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न पश्चात् दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

1202 बजे ।

लोक सभा मध्याह्न पश्चात दो बजे पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्तक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ताज होटल ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में एक होटल के निर्माण और उसके प्रबन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी और वित्तीय औचित्य का कथित उल्लंघन

*658. **श्री रामसेवक हजारी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नं० 7, मानसिंह रोड़, नई दिल्ली में होटल का निर्माण करने और उसके प्रबन्ध के लिए ताज होटल ग्रुप और नई दिल्ली नगरपालिका के बीच हुए सौदे की जांच करने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा तैनात जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया है कि होटल कम्पनी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से सामान्य प्रक्रियाओं और वित्तीय औचित्य का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मामले की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूर को भेजा था और क्या इनका कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच अधिकारी प्रस्तुत प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या राजकोष को भारी हानि पहुंचाकर ताज ग्रुप को होटल के प्रबंध को चलाते रहने दिय जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा एक जाच अधिकारी नियुक्त किया गया था जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इस मामले पर कार्यवाही करते समय वित्तीय औचित्य की प्रक्रियाओं तथा मानदण्डों का उल्लंघन किया गया था ।

(ख) जी, हां । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एक मामला दर्ज किया गया था । उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) जांच अधिकारी की जांच का एक परिणाम यह था कि नई दिल्ली नगरपालिका तथा इंडियन होटल कम्पनी के बीच हुए करार की शर्तें नई दिल्ली नगरपालिका के हितों के लिए हानिकारक हैं । तदनुसार, परस्पर बातचीत के जरिए इसमें संशोधन किया गया है तथा अब निर्धारित की गई शर्तें नई दिल्ली नगरपालिका के हक में हैं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा यदि किसी प्रशासनिक गलती की पुष्टि की जाए तो उस पर कार्यवाही की जाएगी ।

सूर्य, मंदिर, कोणार्क

*659. **श्री चतुर्भुज** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) सूर्य मंदिर, कोणार्क के संरक्षण की समस्याओं तथा उपचारात्मक उपायों की जांच के बारे में स्थापित की गई विशेषज्ञ समिति की सिफारिश क्या हैं;

(ख) इस बारे में 'युनेस्को' ने क्या परामर्श दिया है; और

(ग) समिति की सिफारिशों और 'युनेस्को' के परामर्श के अनुसार क्या संरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री : (डा० प्रतापचंद्र चंद्र) : (क) विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) नमूने के तौर पर पत्थर के एक-दो टुकड़ों पर भौतिक-रासायनिक साधनों का इस्तेमाल करके अल्पतम सम्भव क्षति के बिना पत्थरों की सफाई की विधि की खोज करने के लिए छोटे स्तर पर प्रयोग किया जाना चाहिए ।

(ii) समय-समय पर अल्ट्रा वायलेट किरणों की सहायता से पत्थरों में जैव-अवयवों को मारने के लिए प्रयोगात्मक उपचार किया जाना चाहिए ।

(iii) वनस्पतिनाशी तथा फफूंदनाशी के साथ अन्य रसायनों के कुछ प्रयोग किये जाएं ताकि पत्थरों पर उनकी प्रतिक्रिया का पता लग सके ।

(iv) विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा द्वारा उड़कर आने वाले रेतीले कणों को रोकने के लिए झाड़ियों, छुरमुटों और स्मारकों से भी ऊंचे और लम्बे पेड़ों का बगीचा लगाया जाए ।

(v) विभिन्न ऊंचाइयों और दिशाओं में रेत की मात्रा (हर तिमाही या अर्द्धवार्षिक अवधि की) बताने के लिए उचित रेत-अवरोधक लगाए जाएं ताकि अपेक्षित दिशा में वनस्पति रोपण के द्वारा अगला प्रतिरक्षण उपाय अपनाया जा सके ।

(vi) यहि अनुभव किया गया है कि ट्यूबवेल लगाकर भूमिगत जलस्तर को कम किया जाए ।

(vii) स्मारक की कुर्सी के पास बरसाती पानी को जमा न होने दिया जाए । विशेष तौर पर उत्तर दिशा में जमा होने वाले पानी को निकालने लिए भूमिगत नाली की व्यवस्था की जानी चाहिए आवश्यकता पड़ने पर अत्यधिक वर्षा के पानी को बाहर निकालने के लिए पम्प की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

(viii) सुझाई गयी प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया यह भी थी कि परिरक्षणात्मक परत चढ़ाने के लिए पोलिस्टर राल या ऐक्रिलिक राल या विनाइल राल या एपोक्सी राल या सिलिकोनेट्स का इस्तेमाल किया जाए तथा संचयन के लिए इनका इस्तेमाल उस अनुपात में किया जाए कि ये अधिकतम गहराई तक वेध सकें ताकि इनका संचयन प्रभावशाली हो ।

(ix) समिति ने देखा कि स्मारक परिसर के चारों ओर अव्यवस्थित निर्माण हो रहे हैं इसलिए उस क्षेत्र के लिए महायोजना (मास्टर प्लान) तैयार की जानी चाहिए ।

(x) समिति ने अनुभव किया कि विगत समय में मन्दिर परिसर में अव्यवस्थित मूर्तियों के संग्रहीत करने के लिए सर्वेक्षण द्वारा निर्मित आधुनिक इमारतों को हटा दिया जाए ।

(xi) कोणार्क मन्दिर के लिए एक सहायक अधीक्षण पुरातत्वीय अभियन्ता को प्रभारी बनाया जाए ।

(ख) : मई, 1979 के पहले सप्ताह में यूनेस्को के विशेषज्ञ के आने की सम्भावना है ।

(ग) : मद संख्या (i) (iii) और (viii) मे समिति द्वारा सुझाये गये संरक्षणात्मक उपायों पर पहले से ही अमल किया जा रहा है जबकि अन्य मदों पर भी अमल करना आरम्भ कर दिया

गया है। यूनेस्को-विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण के उपरान्त दी गई उसकी सलाह पर विचार किया जाएगा।

जे० एन० मेडिकल कालेज, अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय में चिकित्सीय पद

*660, **श्री नटवरलाल वो० परमार** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुटानी समिति ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध जे० एन० मेडिकल कालेज में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया था;

(ख) क्या समिति ने कालेज में सुचारु शिक्षण कार्यक्रम के लिए कुछ चिकित्सीय और गैर-चिकित्सीय व्यवसायिक पदों के बारे में सिफारिश की थी;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार किया था और क्या चुटानी समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने गैर-चिकित्सीय पद रिलीज किए थे जबकि चिकित्सीय पद रिलीज किए जाने का मामला अभी भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास निलम्बित पड़ा है;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने जे० एन० मेडिकल कालेज की मान्यता समाप्त किए जाने के सम्भावना के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को धमकी दी है;

(ङ) क्या चिकित्सीय पद रिलीज नहीं किए जाते;

(च) सरकार का विचार चिकित्सीय कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कार्यवाही करने का है जो गैर-चिकित्सीय समकक्षी उन व्यक्तियों से कनिष्ठ है जिनके पद रिलीज किए जा चुके हैं; और

(छ) जे० एन० मेडिकल कालेज के चिकित्सीय पद कब रिलीज किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचंद्र चंद्र) : (क) से (छ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जे० एन० मेडिकल कालेज से सम्बंधित पांचवीं पंच वर्षीय योजना के लिए चिकित्सा शिक्षा के विकास प्रस्तावों की जांच करने तथा एक करोड़ रुपए के आवंटन के अन्दर दो प्राथमिकताओं आवंटन के दो-तिहाई के अन्दर पहली प्राथमिकता और आवंटन के एक-तिहाई भाग के अन्दर दूसरी प्राथमिकता—जिसमें अस्पताल की आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया जाना था-के सम्बन्ध में आयोग को सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी और चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान के निर्देशक डा० पी० एन० चुटानी इस समिति के संयोजक थे। समिति ने सुविधाओं के वर्तमान स्तरों का जायजा लेने के उद्देश्य से मेडिकल कालेज का दौरा किया। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मेडिकल कालेज के अध्यापन कार्यक्रमों के लिए गैर-चिकित्सीय तथा चिकित्सीय दोनों प्रकार के विभागों के लिए अतिरिक्त अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पदों की सिफारिश की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 23 अगस्त, 1977 को हुई अपनी बैठक में इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया और पूर्व तथा परा-चिकित्सीय विभागों से सम्बंधित सिफारिशों को आमतौर पर स्वीकार कर

लिया । तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चिकित्सीय विभागों से सम्बन्धित सिफारिशों को 150 अतिरिक्त अध्यापन शय्याओं (बिस्तरों) की व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया था ताकि उसे भारतीय मेडिकल परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाया जा सके, क्योंकि उक्त मेडिकल कालेज के साथ सम्बद्ध अस्पताल में केवल 350 बिस्तर थे और चिकित्सीय (क्लीनिकल) विभागों से सम्बंधित समिति द्वारा जितने पदों की सिफारिश की गयी थी, उनका सृजन भारत सरकार के परामर्श से मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने से सम्बंधित निर्णय ले लिए जाने के पश्चात् ही, किया जा सकता था, अतः उस समय आयोग के लिए चिकित्सीय विभागों से सम्बंधित सिफारिशों को स्वीकार करना सम्भव नहीं था । नवम्बर, 1978 में भारत सरकार भारतीय मेडिकल परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मेडिकल कालेज अस्पताल में 150 अतिरिक्त अध्यापन बिस्तरों की व्यवस्था करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गए कि अतिरिक्त खर्चे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के छठी पंचवर्षीय योजना के योजनागत आवंटन में से वहन किया जाए । आयोग ने अब मेडिकल कालेज के विभिन्नरोग-विषयक (क्लीनिकल) विभागों के लिए समिति द्वारा सिफारिश किए गए सभी अध्यापन तथा गैर-अध्यापन पदों के लिए 20 मार्च, 1979 को अपनी स्वीकृति दे दी है । आयोग ने 1-4-1979 से 150 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने के संबंध में अपनी स्वीकृति से भी सूचित कर दिया है ।

2. भारतीय मेडिकल परिषद् के निरीक्षकों ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जे० एन० मेडिकल कालेज के सम्बंध में अपनी आवधिक निरीक्षण (जुलाई, 1978 की) रिपोर्ट में जो विश्वविद्यालय में जनवरी, 1979 में प्राप्त हुई थी, यह मत व्यक्त किया कि अस्पताल के बिस्तरों की संख्या में तात्कालिक आधार पर 150 अतिरिक्त बिस्तर शामिल करने की आवश्यकता है और जब तक इस आवश्यकताको तत्काल पूरा नहीं किया जाता तब तक इस कालेज का मान्यता को जारी रखना सम्भव नहीं है ।

3. वरीयता के सम्बंध में संबंधियों अथवा अध्यादेशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के अपने ही नियम बनाए हुए हैं और वही नियम मेडिकल संकाय के स्टाफ पर भी लागू होते हैं ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों को पेंशन सम्बंधी लाभ दिया जाना

*661 **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

( ) दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय) ने एक नवम्बर, 1972 और एक नवम्बर, 1976 को राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कितने प्रशिक्षकों को अपने अधीन लिया;

(ख) अब तक कितने प्रशिक्षक सेवा निवृत्त हो चुके हैं और उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि क्या है;

(ग) क्या उनको नियमित आधार पर अपने अधीन लिया गया था अथवा तदर्थ आधार पर तथा वे दोनों में से किस आधार पर सेवा निवृत्त हुए;

(घ) क्या उन्हें पेंशन संबंधी लाभ मिलते हैं : और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमति रेणुका देवी

बरकटकी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के 339 और 24 अनुदेशकों की सेवाएं दिल्ली प्रशासन (शिक्षा निदेशालय) द्वारा क्रमशः एक नवम्बर, 1972 तथा एक नवम्बर 1976 को अपने हाथ ले ली गयी थीं ।

(ख) एक अनुदेशक दिनांक 31-5-1976 को कनिष्ट शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में तथा दो अनुदेशक 28-2-1979 को सेवा निवृत्त हुए थे ।

(ग) राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सभी अनुदेशकों की सेवाएं शिक्षा निदेशालय में नियमित आधार पर ली गयी थीं और तदनुसार वे सेवानिवृत्व हुए ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में आवास समस्या

*662 **श्री कंवरलाल गुप्त : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के सब देशों की सभी राजधानियों में दिल्ली में जनसंख्या की वृद्धि की दर सब से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में आवास समस्या को हल करने के लिए सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में किराए में वृद्धि तथा जमीन और मकानों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथापि, निम्नलिखित कार्यवायी किए जाने का प्रस्ताव है : —

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष 20000 रिहायशी एकक बनाए जाने का प्रस्ताव है ।

(ii) दिल्ली प्रशासन वर्ष 1979-80 के लिए अंतरिम रूप से स्वीकृत 9 करोड़ रुपए के प्लान परिव्यय को स्टाफ-क्वार्टरों के निर्माण, भूमिहीन मजदूरों के लिए स्थलों के विकास तथा मकानों के निर्माण के लिए ऋण देने हेतु उपयोग करना चाहता है ।

(iii) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट निर्माताओं को आमंत्रित करके प्रयोगात्मक आधार पर सहयोजित किया जा रहा है ।

(iv) भावी निर्माताओं को प्लाट देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल और सेवाएं कार्यक्रम आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है ।

(v) विभिन्न श्रेणियों के मकानों का कुर्सी क्षेत्रफल कम कर दिया गया है तथा विशिष्टियों को निम्नतर कर दिया है ताकि उन्हीं निधियों से अधिक मकान बनाए जा सकें ।

(vi) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के तत्वाधान में 21800 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं । मजूर किए जा रहे हैं ।

(vii) इसके अतिरिक्त, सहकारी संस्थाओं को भी निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विभागीय, फार्मों का उपलब्ध न होना

*663 **श्री बापूसाहेब परुलेकर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टी० ए० बिल फार्म, सर्विस बुक्स, एच० और कैश बुक आदि विभागीय फार्म न तो सरकार के प्रेस में उपलब्ध हैं और न विभाग में जबकि बाजार में गैर-सरकारी रूप में ये फार्म उपलब्ध हैं; और इसके क्या कारण हैं;

(ख) महाराष्ट्र राज्य में सभी डाकघरों द्वारा ऐसे फार्मों की खरीद पर गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) यदि सरकारी अथवा विभागीय मुद्रण प्रेस के माध्यम से ये फार्म उपलब्ध होते तो कितनी धनराशि व्यय होती ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं। इन फार्मों के उपलब्ध न होने के बारे में कोई भी शिकायत जानकारी में नहीं आई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में महाराष्ट्र राज्य के डाकघरों द्वारा कोई फार्म नहीं खरीदे गये। कुछ फार्म पोस्ट मास्टर जनरल ने स्थानीय प्रबंधानुसार निजी प्रेसों से छपवाए थे और टी० ए० बिल फार्म, सर्विस बुकें और हैडआफिस कैश बुकों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

	टी०ए०बिल फार्म	सर्विस बुक	एच०ओ० कैश बुक	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०
1975-76	—	430.10		430.10
1976-77	125	—		125.00
1977-78	125	—	6080	6205.00
योग	250	430.10	6080	6760.10

(ग) उपरोक्त फार्म यदि सरकारी प्रेसों में छपवाए गए होते तो जो धन व्यय किया जाता वह निम्न प्रकार है :

	टी०ए० बिल फार्म	सर्विस बुक	एच०ओ० कैश बुक	योग
1975-76	—	480	—	480
1976-77	146.54	—	—	146.54
1977-78	146.54	—	6130.35	6276.89
योग	293.08	480	6130.35	6903.43

द्रुत ग्रामीण जल सप्लाई योजना

*664, **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार के द्रुत ग्रामीण जल सप्लाई योजना के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है;

(घ) उनकी क्रियान्विति के लिए कितनी राशि मंजूर की गयी है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) जी, हां।

(ख) 1977-78 और 1978-79 में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के आरम्भ से करनाटिक राज्य से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

197778 :—538.78 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 421 ग्रामों के लिये नलों द्वारा जल सप्लाई योजनाएं और 100 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 803 ग्रामों के लिये बोरवैल योजनाएं।

1978-79 :—161.50 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 131 ग्रामों के लिये नल द्वारा जल पूर्ति योजनाएं और 304.20 लाख रुपए की अनुमानित लागत की 2547 ग्रामों के लिये बोरवैल योजनाएं।

(ग), (घ) तथा (ङ) :—1977-78 में 275.41 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 271 ग्रामों के लिये नल द्वारा जल पूर्ति योजनाएं और 100 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 803 ग्रामों के लिये बोरवैल योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। 1978-79 में कोई योजना स्वीकृत नहीं की जा सकी। शेष योजनाओं को इसलिये स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि वे केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के मानकों और मार्ग दर्शनों के अनुरूप नहीं थी।

कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78 के दौरान कर्नाटक को सहायक अनुदान के रूप में 140 लाख रुपए दिए गए और 1978-79 के दौरान निर्माण कार्यों के निष्पादन करने पूर्ण करने के लिये 105 लाख रुपए की और राशि दी गई।

काजू विकास की गुंजाइस

*665. **श्री जी० मुवारहन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में काजू के बागान के विकास की बहुत गुंजाइश है और यदि हां, तो तनजानिया में काजू के बागान के विकास के लिये 30 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या आवश्यकता है;

(ख) क्या कृषि और सिंचाई मंत्रालय ने तनजानिया में काजू बागान के विकास के लिए तनजानिया सरकार के साथ करार करने से पूर्व काजू विकास परिषद् से परामर्श किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) :

(क) हमारे देश में काजू के विकास के लिये अच्छी गुंजाइश है। इसलिये इस समय तनजानियां में काजू के विकास के लिये 30 करोड़ रुपए खर्च करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा ग) : प्रश्न ही नहीं होता।

बाल-श्रम व्यवस्था समाप्त करने के बारे में सर्वेक्षण

*666. **श्री शंकरसिंहजी वाघेला : श्री मुखत्यारसिंह मलिक :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इनस्टीट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एण्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, बम्बई ने गत वर्ष देश में बाल-श्रम व्यवस्था समाप्त करने के बारे में एक सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन प्रतिवेदन से यह पता चला है कि बाल-श्रम व्यवस्था का समाप्त करना अवास्तविक और अविश्वसनीय होगा क्योंकि इससे केवल गरीबों का संकट बढ़ेगा ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने अध्ययन प्रतिवेदन की जांच की है और यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी):

(क) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान नई दिल्ली (बम्बई नहीं) ने "बम्बई में श्रमजीवी बच्चे" (बाल-श्रम उन्मूलन नहीं) का 1978 में अध्ययन किया था।

(ख) जी हां। इस अध्ययन से यह सुझाव सामने आया कि हमारे आर्थिक विकास के वर्तमान स्तर पर बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन का प्रस्ताव अवास्तविक है जिसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता; और वैकल्पिक उपाय न होने के कारण इससे गरीबों के दुःख तकलीफ में वृद्धि ही होगी।

(ग) भारत सरकार ने बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति गठित की है जो निम्नलिखित पर विचार करेगी :—

(i) वर्तमान कानूनों, उनकी पर्याप्तता और क्रियान्वयन की जांच करना तथा क्रियान्वयन में सुधार जाने और कमियों को दूर करने के लिए निवारक उपायों का सुझाव देना।

(ii) बाल श्रम के विस्तार और उन व्यवसायों की जांच करना जिसमें बच्चों को रोजगार मिलता है तथा ऐसे नए क्षेत्रों के बारे में सुझाव देना जहां बच्चों के रोजगार को समाप्त करने नियमित करने के लिए कानून लागू किए जा सकें।

(iii) रोजगाररत बच्चों के हित के लिए कल्याण उपायों, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में सुझाव देना।

राष्ट्रीय समिति अन्य बातों के साथ-साथ इस बम्बई-अध्ययन के निष्कर्षों पर भी विचार करेगी।

ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण

*667. **श्री एडुआर्डो फ्लीरो : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण करने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में अब तक किये गये प्रयास अपर्याप्त है;

(ख) क्या सरकार इन स्मारकों के संरक्षण के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चंद्र चंद्र)

(क) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों की देख-भाल करता है जबकि सम्बन्धित राज्य अपने-अपने पुरातत्व विभागों के माध्यम से उन स्मारकों का रख-रखाव करते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं ।

(ख) और (ग) : सर्वेक्षण पहले से ही स्मारकों के संरक्षण (दोनों-संरचनात्मक और रासायनिक) के लिए समय-समय पर विकसित और भारतीय दशाओं पर लागू होने वाली वैज्ञानिक प्रणालियों को अपना रहा है । भारत में उष्ण-कटिबन्धी मौसम सम्बन्धी दशाओं तथा स्मारकों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री की तुलना युरोपीय देशों की मौसम सम्बंधी दशाओं और निर्माण सामग्री के साथ नहीं की जा सकती । रासायनिक सर्वेक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वेक्षण ने 14 प्रयोगशालाओं की स्थापना की है । सर्वेक्षण के रसायनज्ञ और अभियन्ता संरक्षण के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रवीणता के लिए लोक-विदित हैं । राष्ट्रीय स्मारकों में और उनके चारों ओर लगाये गये उद्यान भी अधिक प्रशंसनीय हैं ।

उत्तर प्रदेश में रायबरेली और नैनी में भारतीय टेलीफोन उद्योग के एककों का विस्तार

*668. **श्री गंगा भक्त सिंह : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू योजना में उत्तर प्रदेश में रायबरेली और नैनी संयंत्रों का विस्तार करने का है ताकि उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन पर व्यय करने के लिए आवश्यक प्रावधान किया है तथा वर्ष 1978-79 की क्षमता की तुलना में इस क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय)

(क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की रायबरेली और नैनी की प्रायोजनाएं अभी भी कार्यान्वयन की स्थिति में है और इन पर चालू योजना के दौरान कार्य होता रहेगा । फिर भी इन कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया है और पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त होने तक इन का उत्पादन साल दर साल बढ़ता जाएगा ।

(ख) इन प्रायोजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय व्यवस्था कर दी गई है । रायबरेली एकक की उत्पादन क्षमता को 20,000 लाइनों से बढ़ाकर एक लाख लाइनों तक बढ़ाने और नैनी के कारखाने के पारेषण प्रभाग की क्षमता को 10 करोड़ रुपयों के मूल्य के पारेषण उपस्कर के उत्पादन से बढ़ाकर 18 करोड़ रुपयों के मूल्य के परिषण उपस्कर के उत्पादन तक ले जाने का प्रस्ताव है । इसके अलावा नैनी कारखाने के टेलीफोन प्रभाग में टेलीफोन उपकरण की उत्पादन क्षमता 1.06 लाख टेलीफोन उपकरणों से बढ़ाकर 5,00,000 टेलीफोन उपकरण तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

कृषि अपशिष्ट सामग्री का उपयोग किया जाना

669. **डा. वसंत कुमार पंडित :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में जूट टेक्नोलोजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज को कृषि अपशिष्ट सामग्री का वाणिज्यिक उपयोग करने की प्रोद्योगिकी का विकास करने में सफलता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास हाईबोर्ड पेपर बोर्ड, क्राफ्ट पेपर, कम्बल और कपड़ा बनाने के लिये केले, अनानास, पटसन के रेशे और अपशिष्ट कपास का उपयोग करने की कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में सरकार ने इस बारे में और कौन सी योजनायें प्रायोजित की हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)

(क) जी हां, श्रीमान । खेती की अपशिष्ट सामग्री, जैसे कि जूट के तने और छीजन, केले के तने और अनानास की पत्तियों के रेशों के उपयोग के लिए एक प्रोद्योगिकी जूट टेक्नालोजिकल रिसर्च लैबोरेट्री द्वारा विकसित की गयी है । इस प्रौद्योगिकी को व्यापारिक आधार पर प्रयोग करने के लिए इसके प्रचार हेतु पायलट प्रायोजना की आवश्यकता होगी ।

(ख) जी हां, श्रीमान । अपशिष्ट सामग्रियों से निम्नलिखित वस्तुएं बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रदर्शन करेगी और जूट उद्योग को सलाह प्रदान करेगी ।

(i) जूट के तने और जूट की छीजन	से	हार्ड बोर्ड पेपर बोर्ड और क्राफ्ट पेपर
(ii) केले के तने और अनानास की पत्तियों के रेशे	से	कपडा
(iii) कपास और जूट को छीजन	से	कपड़ा और कम्बल

उत्पादन स्तर तक उपलब्ध परिणामों को मापने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपेक्षित आधारिक संरचना सुविधाएं जुटाने के लिए कदम उठा रहा है ।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चालू स्वर्ण जयन्ती वर्ष के दौरान प्रयोगशाला निम्नलिखित सम्बंध में कार्य करने की योजना बना रहा है :—

(1) ग्रामीण स्तर पर वस्त्रों का अप-ग्रेडिंग ।

(2) फाइबर ग्रेडिंग में जूट उत्पादकों का प्रशिक्षण ।

(3) जूट फाइबर रिबनिंग मशीन का प्रदर्शन और

(4) जूट के तनों से कम्बलों और पार्टिकिल बोर्डस हेतु ऊनीकृत जूट पर लघु स्तरीय निजी उद्यमों के साथ तकनीकी सहयोग ।

निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के लिए योजना के बारे में राज्य सरकारों से विचार विमर्श ।

*670. **श्री के. प्रधानी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल करने की किसी योजना पर राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा. प्रताप चंद्र चंद्र) (क) जी नहीं । अभी इस विषय पर विचार विमर्श का कोई प्रस्ताव नहीं है । तो भी कुछ राज्यों ने वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं बनाई हैं जिनका वे क्रियान्वयन कर रहीं हैं ।

(ख) अभी ऐसे व्यक्तियों की देखभाल के लिए भारत सरकार की कोई योजनायें नहीं है ।

अधिक चीनी मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव

671. **श्री सरतकार : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और चीनी मिलों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समीक्षा की गई है कि कितनी मिलों के गन्ने की बकाया राशि को चुकता कर देने के अपने वचन को निभाया है और पेराई आरम्भ कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) : चीनी उपक्रम (प्रबंध अधिग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन और चीनी मिलों को अपने अधिकार में लेने के बारे में फिलहाल कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है । तथापि, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, चीनी मौसम के दौरान किसी भी समय इसकी समीक्षा की जा सकती है और इस प्रकार की गई समीक्षा के निष्कर्षों पर कार्यवाही की जा सकती है ।

(ख) और (ग) : चार को छोड़कर, सभी फैक्ट्रियों, जिन्हें गन्ने के बकायों को निर्धारित स्तर से कम रखने और/अथवा मौसम में पिराई कार्य शुरू करने के लिए समय दिया गया था, वे निर्धारित समयानुसार कार्य किया । चार चूककर्ता मिलों के प्रबन्ध को बाद में सरकार द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया था ।

दिल्ली में जल संकट

*672. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त : श्री जी. एम. बनातवाला : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 8 मार्च, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में जल संकट की सम्भावना (वाटर क्राइसिस अहैड) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राजधानी में जल सप्लाई को बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही करने अथवा कोई योजना बनाने का है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस हेतु कोई वित्तीय सहायता देने का है और अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) :

(क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में पेयजल की सप्लाई बढ़ाने के लिए दीर्घावधि और अल्पावधि दोनों प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं । इसके ब्यौरे मोटे तौर पर संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) सरकार दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका दोनों को उनकी जलपूर्ति योजनाओं के लिए ऋण दे रही है ।

(घ) 1978-79 के दौरान दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका को उनकी जल पूर्ति तथा मल जल व्ययन योजनाओं के लिये क्रमश: 8.85 करोड़ रुपये तथा 31.30 लाख रुपये के ऋण दिये गये थे ।

विवरण

दिल्ली में पेयजल पूर्ति को बढ़ाने के उपायों के मोटे तौर पर ब्यौरे

दीर्घावधिक उपाय (किए जा रहे हैं)

1. हैदरपुर में 50 एम. जी. डी. शेष जल शोधन यंत्र को शीघ्र चालू करना ।

2. 6 अतिरिक्त आर. सी. सी. कुओं का निर्माण

3. उत्तरी शाहदरा में एक नए 100 एम. जी. डी. जल शोधन संयंत्र का निर्माण

अल्पावधिक उपाय :

4. 2 एम. जी. डी. तक सप्लाई बढ़ाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा 22 नलकूप खोदे गए ।

5. पानी की सप्लाई के दबाव को सुधारने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा 18 बूस्टर पम्पों की स्थापना ।

6. साफ पानी को बेकार बहने से/उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा उपाय किए गए हैं ।

7. पानी के कहीं भी रिसने की तत्काल मरम्मत की जाती है ।

भारतीय प्रबंध संथान की नई शाखाएं

खोले जाने का प्रस्ताव

*673 **श्री एम. आर. दामाणी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के लिए उच्च स्तरीय प्रबंध अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 1979-80 में भारतीय प्रबंध संस्थान की नई शाखाएं खोलने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन प्रस्तावित स्थानों का ब्यौरा क्या है जहाँ प्रशिक्षण देने के लिए नई शाखाएं खोली जाएंगी और अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री डा. (प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त विकास अनुदानों में से गुजरात में सिंचाई योजनाओं के लिये नियत की गई धनराशि

*674 **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से प्राप्त विकास अनुदानों में से कुछ धनराशि गुजरात को सिंचाई योजनाओं के लिये नियत की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि; और

(ग) उसका सिंचाई योजना-वार-ब्यौरा क्या है और उन मदों का ब्यौरा क्या है जिन पर उपरोक्त अनुदानों का उपयोग किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई. डी. ए.) ने गुजरात को मध्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए 85 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण सहायता देना स्वीकार कर लिया । इसके अतिरिक्त, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भी इन परियोजनाओं को 30 मिलियन डालर तक की धनराशि दे रही है ।

(ग) यह ऋण सहायता मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के एक समूह के लिए है । ऋण सहायता का स्कीम-वार ब्यौरा नहीं दिया गया है । किन्तु गुजरात सरकार ने इस ऋण सहायता के उपयोग के लिए 33 मध्यम परियोजनाओं को निर्धारित किया है । जिन मदों पर ऋण सहायता का उपयोग किये जाने की संभावना है, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

क्रम सं.	मद	ऋण सहायता (डालर मिलियन)	
		अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी
1.	**सिविल कार्य**		
	(क) नई और निर्माणाधीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण	67.0	24.0
	(ख) आधुनिकीकरण स्कीमें	16.0	6.0
2.	उपकरण और तकनीकी सेवाएं	0.5	--
3.	अनियत राशि	1·5	--
	कुल	85.0	30.0

आर्थिक एवं परिस्थिति विज्ञान की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लाभ के लिए अनुसंधान में तेजी लाना

*675. **श्री सुरेन्द्र विक्रम : श्री अहमद हुसैन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का देश के 50,000 परिवारों का चयन करने और आय एवं रोजगार

बढ़ाने के संबंध में उनकी सहायता करने का कार्यक्रम हैं: और यदि हां, तो कार्यक्रम चलाया जाना संभव होगा और उसके परिणाम क्या निकलेंगे : और

(ख) "उपकर निधियों के बारे में समिति की सिफारिशों के आधार पर" आर्थिक एवं परिस्थिति विज्ञान की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण को गति देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानप्रताप सिंह) (क) जी हां, श्रीमान। स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1979-80 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रौद्योगिकी को 50,000 कृषि परिवारों तक पहुंचाने (अनुसंधान शाला से खेत तक कार्य-क्रम) के लिये एक परिक्षणात्मक कार्यक्रम निश्चित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने उत्पादन और अपनी आय को बढ़ाने के उद्देश्य से जांची हुई तथा सिद्ध हुई प्रौद्योगिकी को चुनींदा किसानों द्वारा अपनाये जाने में सहायता करना है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास हेतु प्रौद्योगिकी पहुंचाने की त्रिदिवसीय कार्यशाला में अन्तिम रूप से तैयार किया गया और इसे व्यावहारिक और उचित दोनों ही रूप से उपयुक्त माना गया है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भागीदार परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने और रोजगार बढने की आशा है।

(ख) उपकर से अनुमोदित विभिन्न प्रायोजनाओं का विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

आर्थिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण को गहन बनाने के लिए निम्नलिखित प्रायोजनाएं उपकर निधि से अनुमोदित हुई हैं :--

(1) 150 जिलों में, पिछड़े उपेक्षित और जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक योजना स्वीकृत हुई है जिनमें अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यक्तियों को उनके अध्ययन हेतु 2550 शिक्षावृत्तियां प्रदान की गयी हैं।

(2) गावों में अवकाश के समय ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने के लिये 12 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना।

(3) कपास के बीज की गुणवत्ता को सुधारने के लिये बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान को गहन करना।

(4) 'सिलो रिलीज लाक कोटेड' यूरिया का पायलट संयंत्र उत्पादन और इसके कीमत-लाभ विशेषता पर परिचालन अनुसंसान।

(5) 16 कमाण्ड क्षेत्रों और 30 शुष्क कृषि क्षेत्रों के लिये उपयुक्त दालों और तिलहनों पर अनुसंधान को गहन करने के लिए 16 अनुसंधान केन्दों की स्थापना। इस प्रायोजना को स्वीकृति हेतु अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(6) गन्ने की खेती के कुछ मौलिक पक्षों पर अनुसधान को गहन करना तथा देश की विभिन्न भागों में न्यून अवधि गन्ना किस्म आधारित कृषि प्रणाली को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना। यह प्रायोजना भी स्वीकृति हेतु अन्तिम रूप से तैयार की जा रही है।

(7) गन्ने को ईथानल (पावर अलकोहल) के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक सादा

और सस्ती प्रौद्योगिकी के विकास हेतु एक प्रायोजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यह प्रायोजना भी स्वीकृति हेतु अन्तिम रूप से तैयार की जा रही है।

(8) पांच महानगरों और छः अन्य केन्द्रों में खेतीहर मजदूरों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में जिन संस्थानीय संघों की आवश्यकता है वे बन गये हैं और प्रायोजना का सूत्रीकरण पहले ही शुरू किया जा चुका है।

रोग निरोधक रैबीज विरोधी टीके की कमी

*676. **डा० विजय मंडल : श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 25 फरवरी, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस आशय के समाचार को देखा है कि दिल्ली और नई दिल्ली में रोग निरोधक एंटी रैबीज टीके की बहुत कमी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस टीके की भारी कमी को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि दिल्ली में निगम के अधीन आठ पशु-चिकित्सा अस्पतालों में से किसी भी अस्पताल में रोग निरोधक रैबीज विरोधी टीको की कमी नहीं है।

तथापि, मोती बाग स्थित नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा संचालित पशु-चिकित्सा अस्पताल में ये टीके स्टाक में नहीं हैं। 1978-79 के दौरान पंजाब पशु-चिकित्सा संस्थान को टीकों की 1255 शीशी भेजने का एक इन्डेंट भेजा गया था, परन्तु उनसे केवल 985 शीशियां प्राप्त हुई। हिसार पशु-चिकित्सा महाविद्यालय का एक विशेष इन्डेन्ट भेजने पर 170 शीशियां प्राप्त हुई। पशु-चिकित्सा महाविद्यालय, हिसार को टीकों के स्टाक को पूरा करने के लिये उन्हें एक आपाती इन्डेन्ट भेजा गया है।

धान की खरीद के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता

*677 **श्री जी० मलिकार्जुन राव:** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा न खरीदे गये और किसानों के पास पड़े धान को खरीदने के लिये राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि, दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार जिस धान को भारतीय खाद्य निगम द्वारा नहीं खरीदा जाता है, उसको किसानों से खरीदने हेतु राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे रही है। धान की वसूली

करने से संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित वित्त की व्यवस्था करने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। बजट व्यवस्था करने के अलावा, राज्य सरकारें रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई नकद ऋण सीमाओं का भी लाभ उठाती हैं। राज्य सरकारों से जब कभी नकद ऋण सुविधाओं से संबंधित अनुरोध प्राप्त होते हैं उनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थन किया जाता है।

(ख) क्योंकि नकद ऋण के प्रबंध राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से सीधे ही किए जाते हैं, इसलिये केवल धान की खरीदारी करने के लिए वित्तीय प्रबंधों के बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है।

काली मिर्च तथा मसाला विकास बोर्ड

*678. **श्री मुख्त्यारसिंह मलिक** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में काली मिर्च तथा मसाला विकास बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) इस बोर्ड के कृत्य क्या होंगे ?

(ग) यह कब तक स्थापित कर दिया जायेगा, और

(घ) इस पर कितनी लागत आयेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) से (घ) काली मिर्च तथा मसाला विकास बोर्ड की स्थापना से सम्बंधित एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था। परन्तु यह निर्णय किया गया कि वर्धित उत्पादन तथा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कृतक दल (टास्क फोर्स) बनाया जाए। जिनमें कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) तथा वाणिज्य मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और योजना आयोग के प्रतिनिधि हों। तदनुसार काली मिर्च और मसालों से सम्बंधित विकास कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लेने और काली मिर्च तथा मसालों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि लाने की दृष्टि से सचिव (कृषि एवं ग्राम विकास) की अध्यक्षता में एक कृतक दल गठित किया गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना

*679. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में अनुसंधान को बढावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने एक योजना बनाई है;, और

(ख) यदि हाँ, तो सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सभा के पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

आदिवासी क्षेत्रों में उनके लिए निम्नलिखित अनुसंधान प्रायोजनाएं स्वीकृत की गई तथा कार्यान्वित की गई :

1. अमरावती जिले के मेलघाट में आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना ।

2. मध्य प्रदेश में तीन आदिवासी जिलों का प्राकृतिक और भौतिक संसाधन, सामाजिक, आर्थिक बाधाएं और फार्म और वन सम्बंधी पद्धति का अध्ययन ।

3. मडला जिले (म० प्र०) में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए परिचालन अनुसंधान प्रायोजना ।

4. गुजरात स्थित गोधरा में बागवानी फसलों के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र शुरु किया गया ।

5. आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के राष्टकुन्डाभाई में तिल पर अनुसंधान तेज करने के लिए एक अनुसंधान योजना स्वीकृत की गई है ।

6. बिहार में रांची तथा नेत्रहाट में बागवानी अनुसंधान के लिए दो केन्द्र स्थापित किये गये हैं ।

7. उड़ीसा के कोरापुट जिले में चावल और कसावा पर अनुसंधान बढ़ाने के लिए एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया गया है ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रायोजनाएं स्वीकृति के लिए तैयार की जा रही हैं :—

1. जिला ननदेड स्थित तहसील किनवाट के आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान ।

2. गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ और दन्ता क्षेत्रों के आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए योजना ।

3. मेस्टा पर आधारित कृषि प्रणाली को अपनाकर आन्ध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम के आदिवासियों का सामाजिक आर्थिक उत्थान ।

4. मेस्टा पर आधारित कृषि प्रणाली को अपनाकर उड़ीसा में आदिवासियों का सामाजिक, आर्थिक उत्थान ।

5 गुजरात के डांग जिले के वघाई क्षेत्र के आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए योजना ।

6. गुजरात के साबरकांठा जिले के खोदब्रह्मा क्षेत्र के आदिवासियों के आर्थिक उत्थान के लिए योजना ।

7. उड़ीसा के कोसापुट के आदिवासी क्षेत्र में केन्द्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान के अधीन एक केन्द्र की स्थापना ।

8. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार के अंतर्गत बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में उच्च भूमि पर उगाये जाने वाले मरुआ (रागी) पर अनुसंधान के बढ़ाने के लिए योजना ।

9. उड़ीसा में आदिवासी विकास एजेन्सी, फुलवानी के लिए फसल सुधार हेतु अनुसंधान सहायता के लिए योजना ।

10. उड़ीसा के कियोनझड़ में आदिवासी विकास एजेंसी के लिए फसलों की सुधार हेतु अनुसंधान सहायता के लिए योजना ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना

6401. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के निलम्बित किये गये छः कर्मचारियों के मामलों पर जिनके नाम दिनांक 7 मार्च, 1978 के "हिन्दुस्तान टाइम्स' के पृष्ठ 8 पर प्रकाशित हुए थे, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक निर्णय नहीं किया गया है; यदि हां, तो क्यों :

(ख) क्या यह भी सच है कि जीविका भत्ते को जिसके लिए वे हकदार है, छः महीने यदि बंद कर दिया गया है; और

(ग) क्या यह सही है कि इन निलम्बित कर्मचारियों के मामलों की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा की गयी थी जिसने अभी तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट नहीं दी है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) तथा (ग) : जी, हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण के 6 कर्मचारियों के मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है तथा इन मामलों की अन्तिम जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) जी, नहीं । 6 कर्मचारियों में से 1 कर्मचारी को बहाल कर दिया गया है तथा शेष पांच आदमियों को पूर्व स्वीकृति दरों पर जीविका भत्ता दिया जा रहा है ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को स्थायी करना

6402. **श्री श्यामलाल धुर्वे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में शिक्षा निदेशालय दिल्ली का कोई ऐसा आदेश था कि 1 नवम्बर, 1972 को सेवा में लिए गये शिक्षित बेरोजगार तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को पूरे कार्य भार के साथ स्थायी कर्मचारियों में लिया जाये; और

(ख) यदि हां तो स्कूल का नाम क्या है और 1 नवम्बर, 1972 के दिन कितने राष्ट्रीय अनुशासन प्रशिक्षकों को सेवा में लिया गया तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के कितने प्रशिक्षकों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लिया गया ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) :(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिल पूरा करने के लिये पंजाब को सहायता

6403. **श्री भगतराम** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने दो मिलों के निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु

वित्तीय सहायता हेतु 'अखिलम्बा सहायता' प्रदान करने के लिये लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री भानुप्रतापसिंह) : (क) और (ख) : पंजाब के मुख्य मंत्री ने फरवरी, 1977 के अंतिम सप्ताह में उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री के पास एक पत्र भेजा है जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे जीरा तथा गुरदासपुर में स्थापित की जा रही दो चीनी मिलों की वित्तीय सहायता के लिये लम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने हेतु अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को राजी करें।

चीनी की नीति में परिवर्तन होने के बाद फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन योजना का पुनरीक्षण हो रहा है। इस बीच, इन परियोजनाओं की वित्तीय सहायता भी विचाराधीन है। लम्बित आवेदन-पत्रों को निबटाने के बारे में यथा समय कार्यवाही की जायेगी।

ग्रामीण टेलीफोन केन्द्र

6404. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने टेलीफोन एक्सचेंज चल रहे हैं;

(ख) सुगम संचार सुविधा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) छठी योजना के प्रारम्भ में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2,900 टेलीफोन एक्सचेंज चालू थे।

(ख) और (ग) : सरकार की यह योजना है कि उन सभी ग्रामों में जहां टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए पर्याप्त मांग हो, टेलीफोन एक्सचेंजों की व्यवस्था कर दी जाय। इसके अलावा सरकार की यह भी योजना है कि उदार नीति के अनुसार (जिसकी प्रति विवरण संलग्न है) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों और संयुक्त तार घरों की व्यवस्था की जाये. यह संभावना है कि छठी योजना अवधि के दौरान 2,400 नए टेलीफोन एक्सचेंज और 15,000 नए सार्वजनिक टेलीफोन घर और संयुक्त तार घर ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायेंगे।

विवरण

घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलीफोनघर और संयुक्त डाकतारघर जैसी दूरसंचार सुविधाएं देने के बारे में नीति

क्रम सं०	श्रेणीगत स्थान	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के बारे में शर्तें।	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के बारे में शर्तें
1.	जिला मुख्यालय	इन स्थानों पर घाटे के बावजूद	इन स्थानों पर घाटे के बावजूद
2.	उपमंडल मुख्यालय	और न्यूनतम आय की किसी शर्त	और न्यूनतम आय की किसी शर्त
3.	तहसील मुख्यालय	के बिना लंबी दूरी के सार्व-	के बिना तारघरों की व्यवस्था

4. उप तहसील मुख्यालय 5. खंड मुख्यालय 6. सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक (पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों में 2500 या इससे अधिक)आबादी वाले स्थान	जनिक टेलीफोन चरों की व्यवस्था कर दी जाएगी।	उत्तरोत्तर कर दी जाएगी।
7. ऐसे पुलिस थानों वाली जगहें जो किसी पुलिस दरोगा या उससे ऊंचे ओहदे वाले अधिकारी के चार्ज में ही।	सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय को कम से कम 25% पिछड़े क्षेत्रों में 15 % और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% होनी चाहिए।	सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25% पिछड़े क्षेत्रों में 15% और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% होनी चाहिए।
8. दूर-दराज के स्थान	(क) किसी मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि०मी० (अरीय दूरी) से अधिक दूर होना चाहिए। (ख) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25%, पिछड़े क्षेत्रों में 15% और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% होनी चाहिए।	(क) किसी मौजूदा तारघर से 20 कि०मी० (अरीय दूरी) से अधिक दूर होना चाहिए। (ख) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25%, पिछड़े क्षेत्रों में 15% और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% होनी चाहिए। (ग) अनुमानित घाटा प्रतिवर्ष सामान्य क्षेत्रों में 2000 रु० और पिछड़े। पहाड़ी क्षेत्रों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।
9. पर्यटक/तीर्थ केन्द्र।कृषि/सिंचाई/बिजली/परियोजना स्थल/बस्तियाँ	(क) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25%पिछड़े क्षेत्रों में 15% और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% होनी चाहिए।	(क) सामान्य क्षेत्रों में अनुमानित आय वार्षिक आवर्ती व्यय की कम से कम 25%, पिछड़े क्षेत्रों में 15% और पहाड़ी क्षेत्रों में 10% होनी चाहिए। (ख) अनुमानित घाटा प्रतिवर्ष सामान्य क्षेत्रों में 2000 रु० और पिछड़े। पहाड़ी क्षेत्रों में 5000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।
10. अन्य सभी स्थान	वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होने पर या घाटे के मामले में किराया और गारंटी के आधार पर।	वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य होने पर या घाटे के मामले में किराया और गारंटी के आधार पर।

टिप्पणी—1 : आबादी के आंकड़ों पर विचार करते समय केवल कस्बे या गांव की आबादी पर विचार करना चाहिए न कि कस्बों या गांवों के समूह की आबादी पर। सिवाय आदिवासी क्षेत्र के जहां केन्द्रीय ग्राम से 10 कि० मीटर की अरीय दूरी मे आने वाले ग्रामों के समूह पर विचार किया जा सकता है।

टिप्पटणी—2 : श्रेणी 8 और 9 के अंतर्गत खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में 200 तक सीमित रहेगी।

तकनीकी पदों के लिये भर्ती और प्रतिनियुक्ति का आधार

6405. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्तार निदेशालय में लगभग सभी तकनीको पदों पर नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जा रही हैं और केवल थोड़े से पदों पर ही सीधी भर्ती की जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान उन पदों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है, जिन पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर और सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं; और

(ग) खुले बाजार से सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को किस प्रकार अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) विस्तार निदेशालय में किसी भी पद को तकनीकी पद घोषित नहीं किया गया है। तथापि, कुछ पदों पर नियुक्ति करने के लिए स्वीकृत भर्ती नियमों में तथा जहां अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ड्यूटी तकनीकी किस्म की होती है वहां तकनीकी अर्हतायें निर्धारित की गई हैं। ऐसे पदों की संख्या 72 है। इसमें से 34 पद सीधी भर्ती द्वारा और 23 पद पदोन्नति द्वारा भरे गए हैं। 13 ऐसे पद हैं जो 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हैं। केवल 2 पद ही प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गए हैं। ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

इसके अलावा, जब अल्पकालिक रिक्तियां होती हैं तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की जाती है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 4 तकनीकी पद प्रतिनियुक्ति द्वारा और 7 पद सीधी भर्ती द्वारा भरे गए हैं। ब्यौरा विवरण–2 में दिया गया है।

(ग) अधिकांश पद सीधी भर्ती के जरिए सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा भरे जाते हैं।

विवरण—1

क्रम सं०	पद नाम	वेतन मान	भर्ती नियमों में निर्धारित भर्ती प्रक्रिया अर्थात्		
			प्रोन्नति	सीधे	प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	फार्म सूचना निदेशक	1500-1800	हां	—	—
2.	विस्तार प्रशिक्षण निदेशक	—तदैव—	हां	—	—
3.	संयुक्त निदेशक (विस्तार)	1300-1700	50 प्रतिशत	हां 50 प्रतिशत	हां—

4. संयुक्त निदेशक (कृषक प्रशिक्षण)	—तदैव—	50 प्रतिशत	हां	50 प्रतिशत हां—
5. संयुक्त निदेशक/फार्म आसूचना)	—तदैव—	50 प्रतिशत	हां	50 प्रतिशत हां—
6. संयुक्त निदेशक (महिला कार्यक्रम)	—तदैव—	—	हां	—
7. उप निदेशक (फार्म आसूचना सहायक)	1100-1600	हां	—	—
8. प्रदर्शिनी अधिकारी	—तदैव—	—	हां	—
9. वरिष्ठ विस्तार अधिकारी	—तदैव—	हां	—	—
10. विस्तार अधिकारी	700-1300	50 प्रतिशत	हां	50 प्रतिशत हां—
11. वरिष्ठ गृह अर्थशास्त्री	1100-1600	हां	—	—
12. क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्री	700-1300	—	हां	—
13. आफसेट उत्पादन अधिकारी	—तदैव—	—	हां	—
14. बागवानी अधिकारी	—तदैव—	—	हां	—
15. वरिष्ठ विस्तार अधिकारी	1100-1600	—	हां	—
16. विस्तार अधिकारी (मूल्यांकन)	700-1300	50 प्रतिशत	हां	50 प्रतिशत —
17. सहायक पशुधन अधिकारी	650-1200	—	—	हां
18. प्रभारी अधिकारी (डब्लयू सी.सी.एस.)	—तदैव—	—	—	हां
19. युवा सगठन (पुरुष)	550-900	—	हां	—
20. युवा संगठन (महिला)	तदैव—	—	हां	—
21. सहायक विस्तार अधिकारी	—तदैव	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
22. सहायक विस्तार अधिकारी (मूल्यांकन)	—तदैव—	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
23. वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (महिला)	550-900	—	हां	—
24. मुख्य कलाकार	650-1200	हां	—	—
25. फोटोग्राफ अधिकारी	—तदैव—	हां	—	—
26. फोटोग्राफर	550-900	—	हां	—
27. तकनीकी सहायक (कृषि)	425-700	—	हां	—
28. तकनीकी सहायक (गृह विज्ञान)	—तदैव—	—	हां	—
29. कलाकार (वरिष्ठ)	550-900	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
30. कलाकार (कनिष्ठ)	425-700	—	हां	—

31. सहायक कलाकार (रिटार्चर)	—तदैव—	हां	—	—
32. हाफटोन इचर	425-600	हां		—
33. वेरी टाइप आपरेटर	425-700	हां	—	—
34. प्रेस आपरेटर	425-700	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
35. सहायक प्रेस आपरेटर	330-560	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
36. प्रोजेक्टर आपरेटर	425-700	हां	—	—
37. सहायक प्रोजेक्टर आपरेटर	330-560	—	हां	—
38. कैमरामैन-एवं-प्लेटमेकर	425-700	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
39. सहायक कैमरामैन-एवं प्लेटमेकर	330-560	—	हां	—
40. ग्राफोटाइप आपरेटर	—तदैव—	हां	—	—
41. केलीग्राफिस्ट	—तदैव—	—	हां	—
42. अनुवादक	—तदैव—	—	हां	—
43. आई. बी. एम. आपरेटर (वरिष्ठ)	330-560	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—
44. आई. बी. एम. आपरेटर (कनिष्ठ)	260-400	—	हां	—
45. मैकेनिक	380-560	—	हां	—
46. बढ़ई (ग्रेड–1)	320-400	हां	—	—
47. बढ़ई (ग्रेड-2)	260-350	—	हां	—
48. पेन्टर	—तदैव—	—	हां	—
49. ब्रोमाइड प्रिन्टर	260-350	—	हां	—
50. एड्रेसोग्राफ आपरेटर	260-400	हां	—	—
51. हेड बाइंडर	330-560	हां	—	—
52. पशुधन पर्यवेक्षक	260-350	—	हां	—
53. सूचना सहायक	—तदैव—	—	हां	
54. प्रदर्शिनी सहायक	425-700	हां	—	—
55. तकनीकी सहायक (अर्थशास्त्र)	—तदैव—		हां	—
56. माउंटर-एवं-फिनिशर		हां	—	—
57. प्रिन्टर	260-350	हां	—	—
58. इचर श्रेणी-2	—तदैव—	हां	—	—
59. डार्क रूम सहायक	210-290	—	हां	—
60. कम्पूटर	260-400	—	हां	—
61. पेपरमैन	225-308	हां	—	—
62. टिल्टर	210-290	—	हां	—
63. कैम्प पर्यवेक्षक	260-350	—	हां	—

64. ड्राईवर	260-350	—	हां	
65. स्कूटर ड्राईवर	260-350	—	हां	—
66. आपरेटर (सिल्क स्क्रीन)	425-700	हां	—	—
67. आपरेटर (फिल्म स्ट्रिप्स)	—तदैव—	—	हां	—
68. सहायक प्रोजेक्टर आपरेटर	330-560	—	हां	—
69. ग्रेनिंग आपरेटर	260-400	—	हां	—
70. पशुधन निरीक्षक	425-700	हां	—	—
71. सहायक प्रदर्शिनी अधिकारी (ग्रेड-1)	650-1200	हां	—	—
72. सहायक प्रदर्शिनी अधिकारी	550-900	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—

विवरण—2

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिनियुक्ति भरे गये सीधी भर्ती द्वारा तकनीकी पदों का ब्योरा

1. **प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती**

पदनाम	वेतनमान	पदों की सं०	भर्ती नियमों में प्रावधान
(क) संयुक्त निदेशक (विस्तार)	1300-50-1700रु०	1	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
(ख) फोटोग्राफर	550-900 रु०	1	सीधी भर्ती
(ग) तकनीकी सहायक (कृषि)	425-700 रु०	2	सीधी भर्ती

2. **सीधी भर्ती द्वारा भरे गये**

(क) संयुक्त निदेशक (विस्तार)	1300-50-1700 रु०	1
(ख) विस्तार अधिकारी	700-1300 रु०	1
(ग) वरिष्ठ अनुसंधान सहायक (महिला)	550-900 रु०	1
(घ) तकनीकी सहायक (गृह विज्ञान)	425-700 रु०	2
(ङ) सूचना सहायक	425-700 रु०	1
(च) पेपर-मैन	225-308 रु०	1

बंगलौर के लिए एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम

6406. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बंगलौर को ऋण देने का अनुरोध केन्द्र के पास लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस संबन्ध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई. एन. ए. कालोनी, नई दिल्ली में पटरी खोमचे वालों का पुनर्वास

6407. **श्री युवराज :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटरी खोमचा वालों का पुनर्वास करने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव है;

(ख) क्या पुलिस की सांठ गांठ से दिल्ली की आई. एन. ए. कालोनी के पटरी खोमचा वालों को काफी परेशान किया गया है;

(ग) क्या पटरी खोमचा यूनियन के अध्यक्ष ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को 8-10 साल पुराने रिकार्ड प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनकी आजीविका के लिए उचित व्यवस्था कब तक की जायेगी यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त)

(क) से (घ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केदार बाग, करमपुरा, नई दिल्ली में जल तथा सीवर की सुविधा

6408. **श्री दाजीबा देसाई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वार्ड नं० 89 करमपुरा, नई दिल्ली की नियमित कालोनी केदार बाग (मदन पार्क तथा चुन्नामल पार्क) में जल तथा सीवर की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) उसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार का विचार कब तक उनकी व्यवस्था करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बम्बई और पुणे में अस्थायी कनेक्शनों की जमा खातों की राशि का वापिस किया जाना

6409 **श्री आर. के. मेहलगी** क्या **संचार मन्त्री** अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन काटे जाने के बाद पड़ी उन जमा खातों की राशि के बारे में 30 नवंबर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1759 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्थायी टेलीफोन कनेक्शनों के बारे में बम्बई और पुणे के जमा-खातों की राशि के सभी 168 मामलों, 31 मार्च 1979 से पूर्व जैसा कि आश्वासन दिया गया है, को अंतिम रूप दे दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो कितने मामलों में धन राशि वापस की गई है और यह राशि कितनी है, और

(ग) अधूरे कार्य के क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय)

(क) और (ख) 167 मामलों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और तारीख 31-3-79 तक जमा राशि में से 80,986 रु. लौटाए जा चुके हैं।

(ग) पुणे टेलीफोन जिले में 978,70 रु. का एक मामला इसलिए अनिर्णीत पड़ा है, क्योंकि भूतपूर्व उपभोक्ता ने टेलीफोन उपस्कर नहीं लौटाए हैं। इस मामले में उपभोक्ता से लिखा पढ़ी चल रही है।

पंचवर्षीय योजना के दौरान डाक घरों और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

6410. **श्री अमर सिंह बी. राठवा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष रूप से बड़ौदा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में नये डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गांवों में नये डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

(ख) डाक

वर्ष 1979-80 से शुरू होने वाले अगले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बड़ौदा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में पांच डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है।

दूरसंचार

बड़ौदा जिले के आदि वासी क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था के निम्नांकित 13 प्रस्तावों की जांच की जा रही है :—

1—जाज	2—देहात	3—सैंदीवासन
4—रंगपुर (क्वांत)	5—रंगपुर (जोंज)	6—गध बोरीयच
7—अमरौली	8—पलासिन	9—गमोद
10—वजीरिया	11—सावली	12—बुंजेथा
13—अधर		

(ग) नये डाकघरों को खोलने के लिए अपनाए जाने वाले मापदण्ड विवरण एक में विस्तृत रूप से उल्लिखित हैं, साथ-साथ ग्रामों में खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन घरों का उल्लेख विवरण दो में दिया गया है।

विवरण एक

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए नए मानदंड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

(1)—सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर, और

(2)—पहाड़ी, आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर :

(1)—**सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर**

(i)—निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क)—प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमिटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो और

(ख)—प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत को कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(ii)—निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क)—उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए,

(ख)—प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग)—प्रस्तावित डाकघर से उसको अनुमानित लागत को कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2)—**पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर** :

(i)—निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क)—प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख)—प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत को कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(ii)—निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क)—उस गांव की आबादी 1000 या इससे अधिक होनी चाहिए,

(ख)—प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर नहीं होना चाहिए और

(ग)—प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

विवरण—दो

हानि पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति

स्थानों की श्रेणियाँ	सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने हेतु शर्तें
1—जिला मुख्यालय 2—उप मंडलीय मुख्यालय 3—तहसील मुख्यालय 4—उप तहसील मुख्यालय 5—ब्लाक मुख्यालय 6—ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या	घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्तों के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जाएगी।

अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।	
7—वे स्थानों जहां ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इन्चार्ज उपनिरीक्षक या उससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25%, पिछड़े क्षेत्रों में 15% और पर्वतीय क्षेत्रों में 10% होना चाहिए।
8—आम रास्ते से दूर के स्थान	(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 किलोमीटर से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए। (ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
9—पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि केन्द्र/सिंचाई/विद्युत परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्यशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
10—सभी अन्य स्थान	वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या घाटे के मामले में किराये और गारंटी के आधार पर

टिप्पणी :—जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों पर विचार करते समय किसी केन्द्रीय स्थान से 10 कि० मी० अर्ध व्यास के वृत्त में आये हुये सभी स्थानों को सम्मिलित जनसंख्या पर विचार करना चाहिये न कि केवल अकेले नगर या ग्राम के समूहों की जनसंख्या पर। इस छूट के अन्तर्गत कोई भी दो सार्वजनिक टेलीफोन घर 10 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं खोले जा सकते।

(3)—उपर्युक्त के बावजूद भी पोस्टमास्टर जनरलों को उक्त मानदंडों में से किसी में भी हर डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में छूट देने का अधिकार (आंतरिक वित्त सलाहकार के परामर्श से) एतद्द्वारा दिया जाता है।

(4)—मौजूदा फार्मूला के अनुसार कम से कम गारंटी राजस्व/आय को गणना को जाती रहेगी।

(5)—ये नए मानदण्ड इनके जारी होने की तारीख से लागू होंगे।

बेरावल, गुजरात में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

6411. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सोरठ चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री बेरावल; गुजरात ने 4 दिसम्बर; 1978 को निदेशक दूरसंचार (पश्चिम) अहमदाबाद तथा महाप्रबन्धक; दूरसंचार, अहमदाबाद को बेरावल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना करने के लिये कोई लिखित अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) बेरावल में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ; और

(घ) बेरावल के स्वचालित टेलीफोन केन्द्र पर कुल कितना व्यय करने का विचार है और कुल कितने टेलीफोन लगाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय बेरावल में 1200 लाइनों की क्षमता का एक करचल एक्सचेंज कार्य कर रहा है । 1099 कनेक्शन चालू हैं और 54 प्रतीक्षा सूची में हैं ।

(ग) श्री सोरठ चेम्बर आफ कामर्स ने बदली के लिए अनुरोध किया है । सरकार कर चल एक्सचेन्जों के बदले स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की बहुत इच्छुक है परन्तु स्वचल स्विचिंग उपस्कर की सीमित सप्लाई होने के कारण इसकी योजना बनाने में समर्थ नहीं हो सकी है । सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है । यह आशा की जाती है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान बेरावल जैसे स्थानों पर एक्सचेंजों के स्वचलीकरण का कार्य शुरू किया जा सकेगा ।

(घ) केवल आदि सहित स्वचल एक्सचेंज की लागत 7,000 रुपये से 10,000 रुपये तक प्रति लाइन आती है जो कि स्टेशन के आकार पर निर्भर करती है । जब संभव होगा बेरावल में एक स्वचल एक्सचेंज की योजना बनाई जायेगी ताकि स्टेशन की प्रत्याशित मांगों की पूर्ति की जा सके ।

प्राचीन मन्दिर के संरक्षण के बारे में सरकार की नीति

6412. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान जगन्नाथ का मंदिर एक आराध्य मंदिर है,

(ख) क्या यह भारत सरकार की प्राचीन परम्परागत नीति है कि आराध्य मंदिर में किसी प्रकार के निर्माण कार्य के सीधे ही हस्तक्षेप न किया जाए,

(ग) यदि हां, तो क्या आराध्य मंदिर के संरक्षण के लिए केवल वित्त और विशेषज्ञों की सहायता देना वांछनीय नहीं होगा जबकि उसे (सरकार को) संरक्षण और रख रखाव के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है, और

(घ) यदि उपर्युक्त सिद्धान्त के अन्तर्गत भगवान जगन्नाथ का मंदिर एक आराध्य मंदिर है, तो क्या इस समय चल रहे भारी और व्यापक मरम्मत कार्य में भारत सरकार ने उक्त सिद्धान्त का पालन किया था ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां ।

(ख), (ग) और (घ) प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 और तदधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी विशिष्ट प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जा सकता है और पुरातत्वीय सिद्धान्तों के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उसका उसी रूप में संरक्षण किया जा सकता है । फिर भी, जिन संरक्षित स्मारकों का धार्मिक प्रयोग हो रहा है उनके स्वीकृत प्रथागत और

धार्मिक कृत्यों तथा रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिए जाने के बाद ही पुरातत्व सर्वेक्षण उसके संरक्षण सम्बन्धी उपायों पर खर्च कर सकता है।

विट्ठल भाई पटेल हाउस की देखभाल

6413. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विट्ठलभाई पटेल हाउस और मावलंकर हाल की देखभाल, सफाई आदि पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया जाता है और इसमें कितने कर्मचारी श्रेणीवार तैनात है ;

(ख) क्या विट्ठलभाई पटेल हाऊस से सम्बन्धित स्टाफ क्वार्टरों की ऐसी हालत है कि न तो शौचालयों की सफाई की जाती है और न उनके अन्दर जाले निकाले जाते हैं तथा न उनमें सफेदी की जाती है तथा बत्तियां भी पूरे प्वाइन्टों पर नहीं लगायी जाती है तथा उपरोक्त क्वार्टरों को देख-भाल का खर्चा केवल कागजों पर ही दिया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यहां के अधिकारियों द्वारा अधिकतर दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को अपने घर के कार्यों के लिए भेज दिया जाता है और इन्हें अनेक वर्ष हो जाने के बाद भी स्थायी नहीं किया गया है; और

(घ) क्या सरकार इस बारे में उचित जांच करायेगी और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने तथा वहां सफाई आदि की उचित व्यवस्था करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) (i) रख-रखाव, सफाई आदि पर वार्षिक औसतन व्यय निम्नलिखित है :—

सिविल	2,92,574 रुपये
विद्युत	5,85,701 रुपये
उद्यान	13,950 रुपये
कुल	8,92,225 रुपये

(ii) कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। शौचालय ब्लाकों की सफाई हर रोज की जाती है तथा सफेदी आदि करते समय जालों को हटा दिया जाता है। सर्वेंट क्वार्टर भी मुख्य इमारत का अंग है तथा उनका रखरखाव वास्तव में अपेक्षित मानक के अनुसार किया जाता है। सीढ़ियों, शौचालयों, स्नानगृहों, आदि जैसे सामूहिक स्थानों पर बल्ब आवश्यकता पड़ने पर बदल दिए जाते हैं।

(ग) यह सत्य नहीं है। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर अल्पावधि के लिए रखा जाता है। इसलिए उन्हें नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या

सिविल		विद्युत		उद्यान	
1. कारपेन्टर	2	1. लिफ्ट आपरेटर	11	1. माली	2
2. मेसन	1	2. रेडियो मेकेनिक	1	2. चौधरी (दो मास के लिए)	1

3. पेंटर	1	3. मीटर रीडर	1
4. अपहोल्सटर	1	4. इलैक्ट्रीशियन	2
5. फिटर/एसिस्टेंट फिटर	2	5. वायर मैन	6
6. बेलदार	10	6. लिफ्ट मेकेनिक	1
7. स्वीपर	11	7. एसिस्टेंट वायरमैन	4
8. फराश	2	8. एसिस्टेंट पम्प आपरेटर	5
9. चौकीदार	4	9. एसिस्टेंट मेकेनिक	1
10. सीवरमैन	1	10. खलासी	6

वातानुकूलन

1. सर्विसमैन	1
2. सीनियर मेकेनिक	1
3. खलासी	2

डाक लेखन सामग्री के कारण हुई वित्तीय हानि

6414. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979 की पहली तिमाही के दौरान पूरे देश में पोस्टल आर्डर, अन्तर्देशीय पत्र; लिफाफे आदि की कमी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी के परिणामस्वरूप विभाग को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो हानि का सही अनुमान क्या है और इस कमी के क्या कारण हैं ?

संचार मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) कुछ डाकघरों में डाक टिकटों और डाक सामग्री की कुछ मदों की कमी रही ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राजस्व के हिसाब से कोई हानि नहीं हुई है । सचमुच कमी का कारण यह था कि भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक डाक सामग्री आदि की कुछ मदों के सम्बन्ध में मांग को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ रहा ।

प्राथमिकता के आधार पर होस्टल आवास का आवंटन

6415. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता के आधार पर अथवा जनरल पूल में होस्टल आवास का आबटन किस आधार पर किया जाता है, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1970-1979 में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको प्राथमिकता के आधार पर तथा जनरल पूल में होस्टल आवास मिला है और किस आधार पर तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ज्यादा जरूरतमन्द व्यक्तियों के मामलों में साहनुभूति पूर्ण रवैया अपनाया गया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकंदर बख्त) : (क) सामान्य-पूल तथा होस्टल दोनों में मृतक अधिकारी जो सामान्य पूल वास के दखल में था, के पात्र आश्रित को, मन्त्रियों इत्यादि के वैयक्तिक अमले, बीमारी के आधार पर तथा शरीरिक रूप से अपंग अधिकारियों तथा जिन अधिकारियों को अपने विभागीय पूल का वास खाली करना है तथा कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में गुणावगुण के आधार पर तदर्थ आवंटन किया जाता है। पहले सामान्यपूल के दखलकार कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा सेवानिवृत होने पर उनके पात्र आश्रितों को तदर्थ आवंटन किया जाता था, परन्तु इसको 1-5-1978 से बन्द कर दिया गया है।

(ख) दिल्ली में वर्ष 1970-79 (31-3-79 तक) के दौरान सामान्यपूल में निम्नलिखित तदर्थ आवंटन किये गये :—

	सामान्यपूल	होस्टल
1.		
(i) मृतक कर्मचारी के पात्र आश्रित	1,285	4
(ii) सेवानिवृत कर्मचारी के पात्र आश्रित	1,761	3
(iii) स्थानान्तरण कर्मचारी के पात्र आश्रित	128	1
2. वैयक्तिक अमला	551	4
3. विभागीय पूल खाली करने के लिए	487	1
4. बीमारी के आधार पर	2,448	39
5. अन्य	733	130
कुल	7,393	182

इसमें 1979 के दौरान टाइप vi, vii तथा viii में किये गये तदर्थ आवंटन सम्मिलित नहीं हैं जिसके ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रत्येक दु: सह मामले गुणावगुण के आधार पर फैसला किया जाता है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति

6416. **श्री श्यामलाल धुर्वे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में विशेष कार्य अधिकारी (प्रशिक्षण), जिससे भारतीय पूर्ति सेवा (जो एक इंजीनियरी सेवा है) के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की अपेक्षा की जाती है, के पद पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा का एक अधिकारी नियुक्त है, जिसने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में कभी क्रय अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है और विशेष कार्य अधिकारी (प्रशिक्षण) के पद पर भारतीय पूर्ति सेवा के एक अनुभवी क्रय अधिकारी नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) विशेष कार्य-अधिकारी (प्रशिक्षण) यद्यपि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के एक अधिकारी है, तथापि उन्हें क्रय-संबधी कार्य का पर्याप्त अनुभव है।

(ख) जी, नहीं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता को कायम रखा गया है, और भर्ती नियमों के अनुसार, भर्ती के एक स्रोत के रूप में; केन्दीय सचिवालय सेवा ग्रेड—I के अधिकारियों में से चयन करने की व्यवस्था है।

राजहमुंद्री स्थित हार्लिक्स संयंत्र के लिए औद्योगिक लाइसेंस में शर्त का खत्म किया जाना :

6417. **श्री किरित विक्रमदेव वर्मन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बीच लाइसेंसिंग समिति को हवाला न देते हुए "हार्लिक्स" हेतु राजहमुंद्री परियोजना के लिये हिन्दुस्तान मिल्कफूड मैन्युफैक्चर्सज लिमिटेड को जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंस में शर्त को खत्म करने के औचित्य के बारे में अथवा अन्यथा जांच की है :

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : लाइसेंस समिति के अनुमोदन के बिना मेसर्स हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैन्यूफैक्चर्स लि०, नाभा को औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के मामले में "हार्लिक्स" ब्राण्ड नाम सम्बधित शर्त समाप्त करने के औचित्य अथवा अनौचित्य की जांच की गई है। मामले के संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद शर्त समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। फिर यह सोचा गया कि जो पार्टी भारत में पहले से ही काम कर रही है, उसे विस्तार करने की अनुमति देते समय इस बात के लिए ज़िद करना अनुचित होगा कि बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के लिए पार्टी ब्राण्ड नाम का प्रयोग न करे, जिसका प्रयोग वह पहले कर रही थी। इस बात की दृष्टि में यह निर्णय किया गया कि औद्योगिक लाइसेंस से सम्बंद्ध शर्त हटा दी जाए। इस मामले की विधि कार्य विभाग की सलाह से भी जांच की गई है। सरकार को औद्योगिक लाइसेंस में फेर-बदल अथवा संशोधन करने का अधिकार है और कोई निर्णय लेने से पहले लाइसेंस समिति से सलाह ली जाती है। किसी विशेष मामले में ऐसी सलाह न लेने से सरकार द्वारा लिया गया निर्णय रद्द नहीं हो जाता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

6418. **श्री गिरधर गोमांगो** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने हेतु वर्ष 1978-79 में स्वैक्छिक संगठनों को मंत्रालय द्वारा कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी;

(ख) उन स्वैच्छिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस उद्देश्य से सहायता प्राप्त की है;

(ग) इनमें से कितने संगठनों ने वर्ष 1979-80 में सहायता के लिए आवेदन किया है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को आदिवासी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए संगठनों से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या आवेदन-पत्र भेजने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सूचित किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती रेणुका देवीबरकटकी) : (क) भारतीय भाषाओं (हिन्दी तथा संस्कृत को छोड़कर) को प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत बिभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को 1975-79 के दौरान 2,24,988.47 रु० की राशि मंजूर की गई है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) चार ।

(घ) उड़ीसा राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों को आदिवासी भाषाएं पढ़ाने के लिए एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्र० सं०	संगठन का नाम	मंजूर किया गया अनुदान
1.	50 वां अखिल भरतीय कन्नड़ सम्मेलन, नई दिल्ली ।	10,000/-
2.	सूर स्मारक मण्डल, आगरा	15,000/-
3.	डा० यू०वी० स्वामीनाथन पुस्तकालय मद्रास ।	687-50
4.	सचिव, प्रकाशन बोर्ड, गोहाटी	19,465-00
5.	निखिल भारत बंग साहित्य नम्मेलन, तिनसुखिया, आसाम ।	10,000-00
6.	मोतीलाल स्मारक सोसाइटी, लखनऊ	13,511.17
7.	बिहार बंगाली संघ, जमालपुर	2,000.00
8.	गालिब अकादमी, निजामुद्दीन	5,500.00
9.	लेखराज किशनचंद अजीज, शैक्षिक तथा साक्षरता न्यास, बम्बई ।	3,314.00
10.	तेलगु भाषा समिति, मद्रास	75,000.00
11.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	50,000.00
12.	श्री एस० चौधरी सम्पादक, कलकत्ता	10,510.00
13.	जन-जातीय भाषा तथा संस्कृति संस्थान, उड़ीसा, भुवनेश्वर ।	10,000.00
	जोड़	2,24,988.47

जनकपुरी, नई दिल्ली में डाक घर भवन

6419. **श्री महीलाल** : क्या **संचार मन्त्री** जनकपुरी में तार घर के बारे में 6 अप्रैल 1978 के अतसांकित प्रश्न संख्या 5382 के उतर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी नई दिल्ली ए-3 ब्लाक के शापिंग सेंटर में डाक घर भवन के लिए निर्धारित प्लाट का कब्जा ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसके कब लिए जाने के संभावना हैं, और

(ग) सरकार का विचार उक्त डाक घर भवन का निर्माण कब आरम्भ करने का है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक सीवर लाइन प्लाट से गुजरती है । प्लाट के मध्य में एक मेनहोल भी है । जब प्लाट से सीवर लाइन का रास्ता बदली कर दिया जाएगा और मेनहोल हटा लिया जाएगा तभी प्लाट का अधिग्रहण किया जाएगा । इस सम्बंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण आवश्यक कार्रवाई कर रहा है ।

(ग) ऊपर बताई गई बाधाएं जब दूर हो जाएंगी तभी प्लाट का अधिग्रहण किया जाएगा और इमारत बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी ।

नई दिल्ली नगरपालिका का पुनर्विकास योजनायें

6420. **श्री नाथूसिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा, गत छः महीनों के दौरान पटरियों, चौराहों, पार्कों आदि के पुनर्विकास की कितनी योजनायें क्रियान्वित की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा आगामी छः महीनों के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली कितनी योजनाएं तैयार की जानी हैं और इन आगामी छः महीनों की योजनाओं पर कितनी लागत अथवा खर्चे का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) पुनर्विकास तथा सजावट कार्यों की योजनाओं पर नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा गत छः महीनों के दौरान कितनी राशि खर्च की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कार्यान्वित की गई योजनाओं की संख्या इस प्रकार है :—

1. पटरियां	17
2. चौराहे	13
3. उद्यान	8

(ख) अब तक अनुमानित योजनाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

निर्माण कार्य	योजना की संख्या	अनुमानित व्यय (लाखों रुपयों में)
1. पटरियां	11	21.50
2. चौराहे	5	2.15
3. उद्यान	11	11.26

(ग) पिछले छः महीनों के दौरान किया गया खर्च इस प्रकार है :

1. पटरियां	17.12 लाख रुपये
2. चौराहे	3.92 लाख रुपये
3. उद्यान	1.93 लाख रुपये

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय प्लाटों का विकास

6421. **श्री राज केशरसिंह** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय प्लाटों का विकास करने और उनके लिए पजीकरण प्रारम्भ करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से कहने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कहां तक उचित है कि उपर्युक्त श्रेणियों के व्यक्ति उचित मूल्य पर अपने मकानों का निर्माण नहीं करें और दिल्ली विकास प्राधिकरण को फ्लेटों के लिए भारी धन राशि का भुगतान करते रहें;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि वे स्वयं ऐसे प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिये विदेशी स्रोतों से सहायता

6422. **श्री सुरेन्द्र भा सुमन** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान बड़ी तथा मध्यमसिंचाई योजनाओं के अधीन कितनी भूमि की सिंचाई की गई;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी स्रोतों से कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ग) वर्ष 1979-80 की सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 1977-78 और 1978-79 में बृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों द्वारा क्रमशः 1-4 मिलियन हैक्टेयर और 1.35 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया।

(ख) 1977-78 और 1978-79 के वर्षों में विश्व बैंक से जो सहायता प्राप्त हुई, वह इस प्रकार है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	(राशि-मिलियन अमरीकी डालरों में) 1977-78	1978-79
1.	गोदावरी बराज परियोजना (आन्ध्र प्रदेश)	12.825	4.026
2.	नागार्जुनसागर परियोजना (आन्ध्र प्रदेश)	2.247	12.547
3.	पेरियार वेगई परियोजना (तमिलनाडु)	....	1.974
4.	जयकवाडी परियोजना (महाराष्ट्र)	...	3.055
5.	उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना		2.037

(ग) 1979-80 के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आई० आई० टी० कानपुर के कर्मचारी

*6423. **श्री मनोहरलाल** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में आई० आई० टी० कानपुर के अनेक कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम और पद आदि क्या थे और उनके विरुद्ध क्या आरोप थे;

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में विभागीय कार्यवाही जैसे आरोप पत्र दिया जाना आदि का पालन किया गया था और यदि नहीं तो मनमानी सजा दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान संविधियों की संविधि संख्या 13 (3) के अनुसार, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को यह अधिकार है कि वह उन कर्मचारियों की सेवाएं, जो स्थायी नहीं हैं, एक महीने का नोटिस देकर अथवा उसके बदले में वेतन देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त कर सकता है ।

जिन कर्मचारियों को सेवा मुक्त/बरखास्त किया गया था उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अवगत करा दिया गया था और शासी बोर्ड द्वारा उन्हें सेवा से मुक्त/बरखास्त करने का निर्णय लिए जाने से पूर्व इस सम्बन्ध में गठित जांच समितियों द्वारा उन्हें विभागीय कार्यवाही पूरा अवसर दिया गया था ।

संविधियों के अनुसार, निलम्ब में से पूर्व आरोप-पत्र देना आवश्यक नहीं है । निलम्बित कर्मचारियों के मामले में या तो आरोप-पत्र दे दिए गए हैं या दिए जा रहे हैं । उन्हें विभागीय कार्यवाही में अपना बचाव करने का पूरा अवसर दिया जाएगा ।

विवरण

1. वे कर्मचारी जिनकी सेवाएँ संविधि 13 (3) के अंतर्गत समाप्त कर दी गई थी ।

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	पद	आरोप
1.	श्री वी०सी० गुप्त	कम्पाउंडर	रोगियों को गलत दवाइयां देना तथा उनके साथ अभद्र व्यवहार ।
2.	श्री सर्वेश कुमार	अवर श्रेणी लिपिक	अनाधिकृत अनुपस्थिति, आचरणहीनता, तथा आदेशों की अवज्ञा ।
3.	श्री एस० सी निगम	अवर श्रेणी लिपिक	अनाधिकृत अनुपस्थिति ।
4.	डा० एच०एस० लात्लक	चिकित्सा अधिकारी	एक रोगी को खाली पर्ची जारी करना तथा एक नर्स के साथ दुर्व्यवहार ।
5.	श्री फारस बहादुर	चौकीदार	अनाधिकृत अनुपस्थिति तथा शराब पीना और जुआ खेलना ।

2. वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं शासी बोर्ड के आदेशों के अन्तर्गत संविधि 13 (9) (VI) (VII) के अधीन समाप्त की गई/बरखास्त किया गया ।

1.	श्री बी० एल० शर्मा	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	आदेशों का उल्लंघन तथा भारी अवज्ञा ।
2.	श्री जे० एन० माट्टू	प्रिंसिपल, कैम्पस	दस्तावेजों में धोखाधड़ी शिक्षकों के

	स्कूल	साथ दुर्व्यवहार, सरकारी पत्र-व्यवहार को स्वीकार करने से इन्कार।

3. **कर्मचारी जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है।**

1. श्री एल० भी गुप्त	इंजन ड्राइवर	
2. श्री बदलू निशाद	-वही-	चौबच्चा (सम्प) कुंआ चलाने के लिए
3. श्री गणेश प्रसाद	-वही-	आदेशों की अवहेलना तथा कार्य से
4. श्री शम्भूनाथ	-वही-	अनाधिकृत अनुपस्थिति।
5. श्री के० एन० अवस्थी	-वही-	
6. श्री नन्दजीराम	-वही-	
7 श्री रामेश अवस्थी	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	आदेशों की अवज्ञा
8. श्री सी० एस० जोशी	अवर श्रेणी लिपिक	हस्ताक्षरों में हेराफेरी
9. श्री पी० एन० शर्मा	'मकैनिक ग्रेड सी'	आदेशों की अवज्ञा
10. श्री गिरिराज किशोर	रजिस्ट्रार	अपना कार्य करने में असफलता, आचरणहीनता तथा अनुशासनहीनता।

"पर्ल हरवेस्ट फार्म सीज नियर अंदमान" शीर्षक समाचार

6424. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोर्ट ब्लेयर से 24 फरवरी, 1979 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "पर्ल हारवेस्ट फार्म सीज नियर अंदमान" शीर्षक समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस क्षेत्र में मोतियों की वाणिज्यक क्षमता कितनी है; और

(घ) वहां उपलब्ध मोतियों को निकालने के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रतापसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के आसपास खाद्य ओइस्टर एकत्र करते समय समुद्र के किनारे (ब्लेयर रीफ रिजन) और रोस द्वीप के नजदीक एटलन्दा प्वाइंट आफ एबर्डीन जेटी से "पर्ल ओइस्टर" एकत्रित किए गए थे। कुछ नमूने उपयुक्त पहचान हेतु राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को भेजे गये हैं।

(ग) अभी अनुमान नहीं लगाया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना का प्रस्ताव

6425. **डा० पी० वी० पेरिथासामी :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सहकारिता के विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक और सहकारिता के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का है ;

(ख) क्या समूचे दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के लिए सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ;

(ग) क्या अधिक उन्नत सहकारी बैंकों के पास 200 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं, जिन्हें यह पता नहीं है कि इस धन का किस प्रकार निवेश किया जाये; और

(घ) बेकार पड़ी इतनी बड़ी राशि के निवेश मार्ग दर्शन करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) 9 से 11 मार्च, 1979 तक हुई 8 वां राष्ट्रीय सहकारी कांग्रेस ने सहकारी विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना तथा सहकारिता के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना करने की सिफारिश की है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने भी कार्यकारी विशेषज्ञ दलों को गठित किया है ताकि सहकारी विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक तथा सहकारिता के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों को तैयार किया जा सके। जब भारत सरकार को विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो उनकी जांच की जाएगी।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय कृषि बैंकर प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

(ग) व (घ) सामान्यता राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम उनकी जमा राशियों से अधिक होते हैं। अतः यह कहना उचित नहीं होगा कि अधिक उन्नत राज्यों में राज्य सहकारी बैंकों के पास अत्यधिक फालतू संसाधन बेकार पड़े हुए हैं। जब वसूलियां पूरी की जा सकती हों और अग्रिम अधिक न दिये जाते हों, तो बैंकों के पास अस्थायी फालतू निधियां हो सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को इसके द्वारा संस्वीकृत की गई ऋण सीमाओं के अनुसार प्राप्त करने की अनुमति केवल तब ही देता है यदि बैंक द्वारा सुरक्षित रखी गई नकद परिसम्पत्तियां उनकी कुल मांग तथा सामयिक देय ऋण के 35 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। भारतीय रिजर्व बैंक मांग तथा अल्पावधिक जमा राशियों के लिए फालतू संसाधनों हेतु प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक के लिए सीमाएं भी निर्धारित करता है।

जमा संसाधनों की उपलब्धता के कारण कृषि ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से रियायती पुनर्वित की अदायगी सीमित हो जाती है। जमा संसाधनों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले रियायती पुनर्वित्त को समुचित रूप से उपयोग में लाए जाने के उद्देश्य से हाल ही में यह निर्णय किया गया है कि राज्य सहकारी बैंकों को यह अनुमति दी जाए कि वे डेरी विकास निगमों, विपणन बोर्ड कृषि उद्योग निगमों आदि जैसे सरकारी और राज्य-प्रायोजित संगठनों को ऋण सुलभ करें। यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :—

(1) इस प्रकार के ऋण सहकारी सोसायटियों के अतिरिक्त स्रोतों के जमा संसाधनों से अधिक नहीं होंगे। (2) उधार लेने वाली संस्थाएं उन गतिविधियों के निकट सम्पर्क की होगी, जिनसे ग्रामीण उत्पादन, विधायन और विपणन को सुविधा प्राप्त होती है। (3) ऐसे प्रत्येक अग्रिम हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

बिहार के पूर्णियां जिले में कृषि विकास के लिए धन

6426. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के पूर्णिया जिले में कृषि विकास के लिये बिहार सरकार को विशेष धन देने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) : भारत सरकार ने बिहार में कृषि और ग्राम विकास के लिये कई योजनाएं मंजूर की हैं। पूर्णिया जिला भी इस प्रकार की योजनाओं के, जो कि इस पर भी लागू है, अंतर्गत लिया गया है। अतः बिहार के पूर्णिया जिला के कृषि विकास हेतु विशेष राशि देने के लिये बिहार सरकार ने भारत सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) तथा (ग) : बिहार के पूर्णिया जिले में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चालू हैं :—

(1) **समेदित ग्राम विकास कार्य-क्रम** :

पूर्णियां जिले में समेदित ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गहन विकास के लिये 15 खण्डों को चुना गया है। ये सभी खंड लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अधीन लाए गए क्षेत्रों से चुने जाते हैं। 1978-79 के दौरान प्रत्येक खंड के लिये 5 लाख रुपये की दर से आवंटन किया गया है।

(2) **तिलहन** :

पौध संरक्षण उपायों को करने और सरसों की खेती की उन्नत तकनीकों का प्रदर्शन करने में सहायता देने सम्बन्धी तिलहन की एक योजना पूर्णिया जिले में चालू है।

(3) **पटसन** :

गहन पटसन जिला कार्यक्रम के अधीन पूर्णिया एक जिले के रूप में चुना गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज, प्रदर्शन, पौध-संरक्षण और उपस्करों पर राज सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(4) **गन्ना** :

बिहार भी, गन्ना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है। इसमें पूर्णिया जिला भी शामिल है।

केरल में ऐतिहासिक इमारतों का परिरक्षण

6427. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने भारतीय पुरातत्व विभाग से पेशकश की है वह इस राज्य में बड़ी संख्या में विद्यमान ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण, सुरक्षण तथा जीर्णोद्धार का दायित्व स्वय ले सकती है।

(ख) यदि हां; तो इस प्रकार केरल सरकार के द्वारा प्रस्तावित इमारतों की सूची क्या है;

(ग) इन में से कितने स्मारकों के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पेशकश स्वीकार कर ली है और कितनों के बारे में पेशकश अस्वीकार कर दी है ; और

(घ) अस्वीकार करने के क्या आधार हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) : जी नहीं ।

(ख, ग और घ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

निवास स्थानों/निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे संसद सदस्य जिन्हें टेलीफोन प्राप्त नहीं है

6428 : **श्री श्रीकृष्ण सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से संसद सदस्यों को उनके निवास स्थानों/निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन नहीं लगाए गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ।

(ख) ऐसे संसद सदस्यों, विशेषतया बिहार के, की संख्या और नाम क्या हैं, जिनके सामान्य के निवास स्थानों/निर्वाचन क्षेत्रों में टेलीफोन नहीं लगाए गए हैं ; और

(ग) सरकार उन्हें तुरन्त टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) **जी** हां । ऐसे टेलीफोन नहीं लगाये जा सके क्योंकि ये लम्बी दूरी वाले कनेक्शन हैं जिनके लिए अधिक मात्रा में भंडार की आवश्यकता है और जिसकी सप्लाई में कमी है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) लाइन भंडारों की साधारणतया कमी है । विभाग, दूरसंचार कारखानों में इन मदों के लिए सभी संभव प्रयास कर रहा है तथा जहाँ आवश्यक है इनको दूसरे स्रोतों से खरीद भी की जाती है ।

क्रिकेट टेस्ट मैचों के खेल के घन्टे

6429. **डा० रामजी सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल के नाम पर क्रिकेट टैस्ट मैचों के परिणामस्वरूप देश में सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों तथा शिक्षा-संस्थानों में काम में होने वाली क्षति के बारे में सरकार ने कभी आकलन किया है ;

(ख) क्या, राष्ट्र की समय और शक्ति का यह अपव्यय नहीं है ;

(ग) क्या क्रिकेट साम्राज्यवादी उप-निवेशवाद की देन नहीं है, क्योंकि सोवियत संघ, चीन और अन्य समाजवादी देशों में क्रिकेट नहीं खेला जाता ; और

(घ) क्या इस खेल के लिए खेल के घण्टे निर्धारित करने की दृष्टि से भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड और अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्थान के साथ बात-चीत करके लोगों के हित में सरकार कोई समाधान निकालने का प्रयास करेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) यह एक दृष्टिकोण है ।

(ग) क्रिकेट में रुचि की किन्ही राजनीतिक-सामाजिक परिस्थितियों से जोड़ना कठिन होगा।

(घ) सरकार इस प्रकार के विचार-विमर्श की कोई आवश्यकता नहीं समझती।

"प्रोब अर्ज्ड इन्टू इल्लीगल कंस्ट्रक्शन इन कैपिटल" शीर्षक समाचार

6430. **श्रीबाला साहिब विखे पाटिल: श्री जी. वाई. कृष्णन: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 मार्च, 1979 के टाइम्स आफ इण्डिया (नई दिल्ली संस्करण) में, "प्रौब अर्ज्ड इन्टू इल्लीगल कस्ट्रक्शन्स इन कैपिटल"(राजधानी में अवैध निर्माणों के बारे में जांच का अनुरोध) शीर्ष समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राजधानी में अवैध वाणिज्यिक निर्माणों की जांच के लिए कोई जांच आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दरबख्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) मास्टर प्लान तथा भवन निर्माण उप-नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ स्थानीय निकायों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

वंशानुगत मछेरों को आरक्षण

6431. **श्री चित बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 20 किलोमीटर के अन्दर समुद्र तटीय उथले पानी में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए बराबर बढ़ते जा रहे अनुदेशों के कारण 65 लाख वंशानुगत मछेरों को उनके जीविकोपार्जन के एकमात्र साधन से वंचित किया जा रहा है,

(ख) उनकी जीविका-उपार्जन के लिये राज्य सरकारों को क्या परामर्श दिये गये है और उन्हें किस सीमा तक लागू किया गया है.

(ग) क्या सरकार का विचार मछेरों को सामाजिक-आर्थिक संरक्षण प्रदान करने तथा विषमत्स्य परिस्थिति की और मत्स्य जनन स्थलों के रक्षण के लिये भारतीय मात्स्यकी अधिनियम; 1897 में उपयुक्त संशोधन करने का है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। कुछ राज्यों से परम्परागत मछुओं तथा यंत्रीकृत नौकाओं के प्रचालकों के बीच झड़पें होने की सूचना मिली है।

(ख) तटीय राज्यों की राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई थी कि वे विभिन्न मत्स्यन जलयानों के लिए प्रचालय क्षेत्रों का सीमांकन कर दें ताकि यंत्रीकृत मत्स्यन नौकाएं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान तट से क्रमश: 5 किलोमीटर और 10 कि०मी० दूर मछली पकड़ सकें और 5 किलोमीटर तक का क्षेत्र एक मात्र परम्परागत मत्स्यन जलयानों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। राज्य सरकारें इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को संशोधन करके या बिना संशोधन किए अपना सकती हैं। सांविधिक आधार के अभाव में ऐसी समस्याओं वाली

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रशासनिक आदेश के जरिए प्रचालन क्षेत्रों का सीमा-निर्धारण किया है।

(ग) और (घ) जी नहीं। अधिक व्यापक कानून की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

नलकूप

6432. **श्री पी० एम० सईद : श्री० ए० आर० बद्री नारायण : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में 30,000 बड़े नलकूप चल रहे है,

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें प्राइवेट स्वामित्व वाले उथले नलकूप भी शामिल हैं,

(ग) वर्ष 1979 में प्रारम्भ किये गये नलकूपों की कुल संख्या कितनी है.

(घ) उनमें से कितने नलकूपों को चलाया गया, और

(ङ) वर्ष 1979 के दौरान कुल कितने नेलकूपों को चालू किया जाएगा,

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) इस समय देश में लगभग 30.000 बड़े नलकूप (सरकारी) हैं। वास्तव में कार्य कर रहे नलकूपों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) इन बड़े नलकूपों में गैर-सरकारी स्वामित्व के उथले नलकूप शामिल नहीं हैं।

(ग), (घ) तथा (ङ) वर्ष 1978-79 के दौरान 3.500 सरकारी नलकूप बेधने/विद्युतीकरण करने का लक्ष्य था। वास्तव में बेधित/विद्युतीकृत किए गए और चालू किए गए नलकूपों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारत सरकार मुद्रणालयों में रिवाइजरों के पद पर पदोन्नति

6433. **श्री नवाब सिंह चौहान:** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मुद्रणालयों की रीडिंग शाखाओं में कापी होल्डरों और रिवाइजरों की रीडरों के पद पर पदोन्नति के लिए अगस्त, 1976 में एक परीक्षा आयोजित की गई थी;

(ख) क्या प्रेस मार्गदर्शिका में स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुसार यह परीक्षा नहीं ली गई थी और 'डिकटेशन' तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों के बिना केवल प्रूफ रीडिंग में ही परीक्षा आयोजित की गई थी और उसके आधार पर परिणाम घोषित किया गया था;

(ग) अगर प्रश्नों के भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो पाठ्यक्रम के बाहर परीक्षा आयोजित करने के क्या कारण है;

(घ) क्या यह भी सच है कि परीक्षा में फेल होने वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी उन्हें प्राप्त अंकों का विवरण नहीं दिया गया ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस गोपनीयता के पीछे क्या रहस्य है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम-किंकर)

(क); (ख) तथा (ग) : रीडरशिप परीक्षा नियम, 1973 और अक्तूबर, 1975 में जारी की गई प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार रीडरशिप परीक्षा अगस्त, 1976 में 12 मुद्रणालयों में ली गई थी। नियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार, केवल प्रूफ को सही करने के बारे में उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) रीडरशिप परीक्षा नियमों में असफल उम्मीदवारों को अंकों से अवगत कराने की व्यवस्था नहीं है लेकिन अब उम्मीदवारों को अंकों से सूचित करने का निर्णय लिया गया है।

विट्ठल भाई पटेल हाउस तथा संसद सदस्यों के अन्य क्षेत्रों में गैर-मान्यता राजनैतिक दलों के पास आवास

6434. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि

(क) विट्ठल भाई पटेल हाउस तथा संसद सदस्यों के लिए निर्धारित अन्य क्षेत्रों में ऐसे यूनिटों का ब्यौरा क्या है जो भूतपूर्व तथा गैर-मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं। कार्यालयों के कब्जे में हैं,

(ख) आवासों पर उन्हें कब्जा बनाए रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) राजनैतिक, दलों और सामाजिक संस्थानों को ऐसे यूनिट आवंटित करने के नियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन पर किराये की राशि बकाया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त)

(क), (घ) तथा (ङ) : समाप्त हुए तथा अमान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के कार्यालय के कार्यकर्ताओं के दखल में सरकारी वास के बारे में सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध ब्यौरों का एक विवरण लोकसभा के पटल पर रखा है।

(ख) भाग (क), (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण की क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लिखित पार्टियों के जनता पार्टी में विलय हो जाने के कारण मामले को संसद में जनता पार्टी के साथ इस आशय से उठाया गया है कि जिनके पास उनकी पात्रता से अधिक वास है उसे वापस कर दें।

(ग) सामान्यतया, संसद में मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के स्टाफ को उनकी कुल संख्या के 33-1/3 प्रतिशत की सीमा तक सरकारी रिहायशी वास उपलब्ध कराया जाता है। मगर संसद में 50 सदस्यों से कम वाली राजनैतिक पार्टियों को जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मान्य हैं विट्ठलभाई पटेल हाउस में कमरों का एक सैट आवंटित किया जाता है। सामान्यतया उनको किया गया आवंटन एक डबल सूट अथवा दो सिंगल सूट होते हैं। मांग पर गैराज/सर्वेन्ट क्वार्टर भी, यदि उपलब्ध हों, आवंटित किए जाते हैं। समाज सेवी संस्थाओं को आवंटन गुणावगुण के आधार पर निश्चित किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	वास का विवरण	राजनैतिक पार्टी का नाम	(31-3-79 तक बकाया राशि) 28-3-79 की स्थिति तक	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	सूट नं० 1 वी० पी० हाउस सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 20	भारतीय क्रांति दल -वही-	7,211.56	अनुस्मारक भेज दिया

1	2	3	4	5
	वी० पी० हाउस	-वही-		गया ।
	सूट नं० 2 वी० पी० हाउस	-वही-	11,144.84	
	सर्वेन्ट क्वार्टर नं० 65 वी० पी० हाउस		18,356.40	
2.	सूट नं० 16 वी. पी. हाउस	सोसलिस्ट पार्टी	7,185.12	
	सूट नं. 17 वी. पी. हाउस	-वही-	6,209.25	-वही-
	सूट नं. 104, वी. पी. हाउस सर्वेन्ट क्वार्टर नं. 40	-वही-	11,981.94	
	वी. पी. हाउस	-वही-	25,376.31	
3.	सूट नं. 310 वी. पी. हाउस	सोसलिस्ट पार्टी (लोहियावादी)	3,440.60	-वही-
4.	सूट नं. 203 वी. पी. हाउस	स्वतंत्र पार्टी	6,832.46	-वही-
5.	सूट नं. 23 वी. पी. हाउस सर्वेन्ट क्वार्टर नं0 56	भारतीय जनसंघ	259.23	-वही-
	वी. पी. हाउस			-वही-
	सूट नं. 24 वी. पी. हाउस	-वही-	214.54	-वही-
			473.77	
6.	सूट नं. 219 वी.पी. हाउस	कांग्रेस (ओल्ड)	2,500.01	-वही-
7.	सूट नं. 418 और 501 वी. पी. हाउस	जनता पार्टी	93.28	-वही
	सूट नं. 507 वी. पी. हाउस	-वही-	4,047.49	-वही-
			4,140.77	
8.	सूट नं. 15 वी. पी. हाउस	डी. एम. के.	145.96	-वही-
9.	सूट नं. 119 वी. पी. हाउस	सी. पी. आई.	504.07	-वही-
	सूट नं. 201 वी. पी. हाउस	-वही-	305.60	-वही-
	सूट नं. 309 वी. पी. हाउस	-वही-	189.18	
			998.85	
10.	सूट नं. 14 वी. पी. हाउस	सी. पी. आई. (एम)	1,668.11	
11.	सूट नं. 513 वी. पी. हाउस	ए. आई. ए. डी. एम. के.	शून्य	

अतिरिक्त निर्माण के बारे में किरायेदार के अधिकार

6435. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में किरायेदार मकान मालिकों की अनुमति के बिना अपने आप मकानों

में अतिरिक्त निर्माण कर सकते हैं और यदि कोई किरायेदार निर्माण कराता है, तो उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करती है; और

(ख) क्या मकान मालिक ऐसी परिस्थिति में तथा किराया न दिये जाने पर मकान खाली करा सकता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) (क) जी, नहीं। यदि कोई निर्माण, पालिका उप-नियमों अथवा दिल्ली विकास अधिनियम के उप-बंधों के विरुद्ध किया जाता है तो सम्बंधित प्राधिकारी उन अधिनियमों के अधीन कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में ऐसी कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं है जिसके अधीन मकान मालिक द्वारा किरायेदार को बेदखल किया जा सके, यदि किरायेदार मकान मालिक की अनुमति के बिना अतिरिक्त निर्माण करता है। उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (क) के अन्तर्गत मकान मालिक किरायेदार को किराया भुगतान न करने के आधार पर बेदखल करा सकता है।

भाषाओं का विकास

6436. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्दू और सिंधी सहित हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये जनता शासन के गत दो वर्षों में क्या कार्यवाही की गई तथा क्या परिणाम निकले।

(ख) क्या सभी राज्यों में त्रि-भाषा फार्मूला प्रचलित था; यदि नहीं, तो दोषी राज्यों का नाम/के नाम क्या हैं तथा उन्हें इस दिशा में काम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान उर्दू तथा सिंधी सहित हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कई योजनाओं पर कार्य जारी रखा है। इन योजनाओं से इन भाषाओं को समृद्धि तथा विकास में सहायता मिली है।

(ख) तमिलनाडु, पाँडिचेरी तथा करइकल क्षेत्रों के अलावा सभी राज्य सरकारों द्वारा त्रिभाषा सूत्र मामूली संशोधन के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारों से इस सूत्र को कार्यान्वित करने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध की गई सभी सुविधाओं से लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।

विभिन्न अन्तराज्यीय जल विवादों के बारे में स्थायी तंत्र की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव

6437 **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न अन्तर्राज्यीय जल विवादों और मतभेदों पर विचार करने और निर्णय करने के लिये एक स्थायी अर्धन्यायिक तंत्र की स्थापना करने सम्बंधी एक अथवा इससे अधिक प्रस्तावों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य संकेत क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर सिद्धांत रूप से कोई नीति सम्बंधी निर्णय लिया है, और यदि हां, तो वह क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) पिछले कुछ समय से सरकार जल आयोजन के बारे में उपयुक्त संस्थापक प्रबंधों की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर विचार करती रही है, जिनमें राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करने, अन्तर्राष्ट्रीय जल-विवादों को सुलझाने के तरीकों के बारे में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव भी शामिल है। लेकिन इस बात को देखते हुए कि इसमें बड़े जटिल संवैधानिक और कानूनी मुद्दे और केन्द्र तथा राज्यों के बीच के सम्बंधों के नाजुक पहलू अंतर्ग्रस्त हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना करने के प्रस्ताव को फिलहाल छोड़ दिया गया है। यह महसूस किया जाता है कि सम्बंधित राज्यों की सहमति अनौपचारिक रूप से प्राप्त करके इस उद्देश्य को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है।

(घ) यह सवाल पैदा नहीं होता।

हलर (भूसी निकालने की मशीनों) के लिए लाइसेंस देना

6438. **श्री निर्मलचन्द जैन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि एक-डेढ़ वर्ष पूर्व जिन लोगों को हलरों के लिये लाइसेंस दिये गये थे उन्हें (विशेष रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में) इस आशय के नोटिस दिये जा रहे हैं कि इन हलरों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये और जब तक वे ऐसा नहीं करते उनके लाइसेंस निलम्बित रहेंगे; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि प्रारम्भ में, लाइसेंस प्राप्त करने के बाद उन लोगों ने बैंक ऋण आदि प्राप्त करके हलर लिये थे और अब उनका आधुनिकीकरण करने के लिए इन लोगों के पास पैसा नहीं है और उन्हें हलरों का चलाना बंद करना पड़ेगा तथा ऊपर से उन पर बैंक का ऋण भी है और यदि हां, तो इन लोगों को इन कठिनाइयों से बचाने के लिये सरकार का विचार क्या उपाय करने का है तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) :—मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों, जिन्हें हलर टाइप चावल मिल के नये यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई है को मिलिंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व अपने यूनिटों का आधुनिकीकरण करने हेतु नोटिस दिए गये थे। सिवनी जिले में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 67 है। वर्तमान हलर टाइप चावल मिलों के मामले में उन्हें जारी किये गये लाइसेंस और जो वैध हैं,, को आधुनिकीकरण का कार्य पूरा न कर पाने के कारण नहीं किया गया है।

(ख) ऐसे सभी व्यक्तियों को इस शर्त पर मिलिंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं कि आधुनिकीकरण का कार्य 31 दिसम्बर, 1979 तक पूरा हो जाना चाहिये। चावल के कम लागत के आधुनिकीकरण पर लगभग 10,000 रुपये बैठता है जिसके लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्त निभाव प्राप्त किया जा सकता है।

धान का निर्यात

6439. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को धान का निर्यात करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बंध में प्रत्येक राज्य के लिए क्या तथ्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा इस हेतु राज्यों के लिए कोई वित्तीय व्यवस्था की जाती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख) और (ग):— राज्य सरकारों से धान का निर्यात करने के बारे में अनुमति प्रदान करने के हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था । तथापि, कुछ राज्य सरकारों ने कुछ चावल निर्यात करने की अनुमति देने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया था । परीक्षण के तौर पर, राज्य की एजेंसियों के माध्यम से चावल का निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है और प्रत्येक राज्य सरकार, जो कि अपने स्टाक से चावल का निर्यात करने को इच्छुक होगी, के लिए 30,000 मीटरी टन चावल के निर्यात कोटे को अलग रख दिया गया है । राज्य सरकारों द्वारा चावल का निर्यात करने के बारे में भारत सरकार कोई वित्तीय प्रबंध नहीं कर रही है ।

कृषि उद्योग निगम को लाभ और घाटा

6441. **श्री लक्ष्मीनारायण नायक** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कृषि उद्योग निगमों के नाम क्या हैं, जो लाभ अर्जित कर रहे हैं और उन निगमों के नाम क्या हैं, जो घाटे में चल रहे हैं;

(ख) क्या इन कृषि उद्योग निगमों को हो रहे घाटे के कारणों के बारे में सरकार ने पता लगाया है; और

(ग) इन निगमों का हो रहे घाटे को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रतापसिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि उद्योग निगमों के लाभ हानि की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) निगमों को सलाह दी गई है कि वे अपने प्रत्येक चालू कार्य कलाप का गहराई से विश्लेषण करें ताकि हानियों के विशिष्ट कारणों का पता लगा कर उनके समाधान के लिए उपयुक्त उपाय किए जा सकें ; इसके अलावा उन्हें निम्नलिखित सलाह भी दी गई है :— (क) तदर्थ योजना के बजाय दीर्घकालीन, आत्मक्षम योजना के आधार पर कार्य करना (ख) वस्तु सूची, विविध ऋण तथा स्थापना की लागत के स्तरों पर कड़ा नियंत्रण रखना, (ग) पहले की अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग को बढ़ाना, तथा (घ) प्रशिक्षित और अनुभवी प्रबन्ध कर्मियों का एक संवर्ग तैयार करना ; इसके अतिरिक्त, उनके निदेशक मण्डलों में केन्द्रीय प्रतिनिधित्व के व्यवसायीकरण के भी उपाय किए गए हैं, ताकि पूर्वोक्त कार्य करने के लिए प्रबंधकों को बेहतर तरीके से सहायता दी जा सके ।

विवरण

क्रम सं०	निम्न के राज्य कृषि उद्योग निगम	लाभ (+) / हानि (—) लाख रुपए	
1.	राजस्थान	1975-76	(+) 12.97

		1976-77	(—) 19.41	
		1977-78	(—) 7.84	
2.	हिमाचल प्रदेश	1975-76	(+) 3.19	
		1976-77	(+) 2.20	
		1977-78	(+) 9.07	
3.	महाराष्ट्र	1975-76	(+) 101.35	
		1976-77	(+) 28.13	
		1977-78	(+) 29.80	
4.	गुजरात	1975-76	(—) 14.69	
		1976-77	(+) 22.95	
		1977-78	(+) 35.36	
5.	कर्नाटक	1975-76	(—) 149.10	
		1976-77	(—) 139.18	
		1977-78	(—) 110.54	
6.	तमिलनाडु	1975-76	(+) 13.92	अनुमानित लेखों को अभी
		1976-77	(+) 17.24	अंतिम रूप दिया जाना
		1977-78	(—) 32.83	है ।
7.	पश्चिम बंगाल	1975-76	(—) 110.54	अनुमानित लेखों को अभी
		1976-77	(—) 89.56	अन्तिम रूप दिया जाना
		1977-78	(—) 16.00	है ।
8.	उत्तर प्रदेश	1975-76	(—) 138.01	अनुमानित लेखों को अभी
		1976-77	(—) 108.09	अन्तिम रूप दिया जाना
		1977-78	(—) 101.76	है ।
9.	केरल	1975-76	(—) 2.75	अनुमानित, लेखों को अभी
		1976-77	(—) 9.16	अन्तिम रूप दिया जाना
		1977-78	(—) 18.48	है ।
10.	उड़ीसा	1975-76	(—) 15.48	अनुमानित, लेखों को अभी
		1976-77	(—) 19.55	अन्तिम रूप दिया जाना
		1977-78	(+) 2.00	है ।
11.	जम्मू व काश्मीर	1975-76	(—) 12.07	अनुमानित, लेखों को अभी
		1976-77	(—) 13.06	अन्तिम रूप दिया जाना
		1977-78	(—) 11.71	है ।
12.	हरियाणा	1975-76	(—) 39.69	अनुमानित, लेखों को अभी
		1976-77	(+) 14.22	अन्तिम रूप दिया जाना
		1977-78	(+) 3.17	है ।

13.	आन्ध्र प्रदेश	1975-76 (—)	74.30	अनुमानित, लेखों को अभी
		1976-77 (+)	18.00	अन्तिम रूप दिया जाना
		1977-78 (—)	10.00	है ।
14.	असम	1975-76 (—)	2.11	अनुमानित, लेखों को अभी
		1976-77 (+)	11.73	अन्तिम रूप दिया जाना
		1677-78 (+)	15.03	है ।
15.	बिहार	1975-76 (—)	6.17	अनुमानित, लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।
		1976-77		अभी अनुमान लगाया
		1877-78		जाना है और लेखा को अंतिम रूप दिया जाना है ।
16.	पंजाब	1975-76 (—)	59.35	अनुमानित, लेखों को अभी
		1976-77 (—)	32.00	अन्तिम रूप दिया जाना है ।
		1977-78		अभी अनुमान लगाया जाना है और लेखों को अंतिम रूप दिया जाना है ।
17.	मध्य प्रदेश	1975-76 (—)	36.03	अनुमानित, लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है
		1976-77		अभी अनुमान लगाया जाना
		1977-78		है और लेखों को अंतिम रूप दिया जाना है ।

नत्रजन तथा फास्फेट उर्वरकों की खपत

6442 **श्री अन्तराम जायसवाल :** क्या **कृषि और सिंचाइ मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि वर्ष 1960-61, 1975-76 तथा 1977-78 के दौरान नत्रजन तथा फास्फेट उर्वरकों का, अलग-अलग, राज्य वार खपत कितनी हुई ;

(ख) उपरोक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में नत्रजन तथा फास्फेट उर्वरकों की प्रति एकड़, अलग-अलग. खपत कितनी हुई; और

(ग) कृषि वर्ष 1960-61, 1975-76 तथा 1977-78 के दौरान 5 एकड़, 5 एकड़ से 10 एकड़ तक तथा 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले लोगों द्वारा राज्य वार रसायनिक उर्वरकों का कुल खपत का कितने प्रतिशत भाग प्रयोग में लाया गया ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रतापसिंह) : (क) एक विवरण 1 संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1960-61, 1975-76 तथा 1977-78 के दौरान प्रत्येक राज्य में नाइट्रोजन

तथा फास्फेट की प्रति हैक्टार खपत का एक विवरण—2 संलग्न है।

(ग) उर्वरकों की खपत के आंकड़े जोतों के आकार के अनुसार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 1976-77 के दौरान प्रत्येक राज्य के सम्बंध में 2 हैक्टार, 2-4 हैक्टार और 4 हैक्टार से अधिक की जोतों में खेती करने वाले किसानों द्वारा खपत किए गए रसायनिक उर्वरकों की प्रतिशतता का एक विवरण संलग्न है। यह प्रतिशतता राष्ट्रीय व्यवहारिक अर्थ अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर निकाली गई थी।

विवरण-एक

वर्ष 1960-61, 1975-76 तथा 1977-78 के दौरान नाइट्रोजन तथा फास्फेट उर्वरकों की राज्यवार खपत का विवरण

(हजार मीटरी टन)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1960-61*		1975-76		1977-78	
		एन.	पी.	एन.	पी.	एन.	पी.
1.	आंध्र प्रदेश	26.56	14.37	257.37	54.43	351.60	133.20
2.	केरल	6.37	1.47	31.66	14.33	37.06	16.17
3.	कर्नाटन	15.05	4.33	131.30	38.12	160.87	56.59
4.	तमिलनाड	24.67	7.97	199.64	44.08	265.67	73.01
5.	गुजरात	8.40	—	110.59	32.74	175.58	84.13
6.	मध्य प्रदेश	5.58	0.85	77.29	29.93	99.69	49.50
7.	महाराष्ट्र	25.26	11.83	168.05	36.11	228.00	71.00
8.	राजस्थान	2.48	026	62.35	14.71	90.16	17.80
9.	हरियाना	**	**	86.31	8.32	150.20	28.66
10.	पंजाब	7.30	0.49	231.78	53.29	319.94	104·19
11.	उत्तर प्रदेश	37.93	0.92	386.17	63.24	647.59	139.33
2.	हिमाचल प्रदेश	0.13	0.07	6.18	1.40	6.78	1.69
13.	जम्मू और कश्मीर	0.87		7.66	1.36	9.72	2.26
14.	असम	—	0.16	3.33	1.30	4.76	0.26
15.	बिहार	11.36	2.51	100.61	15.70	137.68	22.80
16.	उड़ीसा	4.49	0.39	37.04	9.04	45.77	11.99
17.	पश्चिम बंगाल	8.08	3.35	85.96	24.87	113.93	28.99
18.	मणिपुर	0.02	0.02	1.57	0.13	1.91	0.93
19.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	0.81	2.29	1.31	0.50
20.	नागालैण्ड	उ.न.	उ.न.	0.07	0.01	0.11	0.04
21.	त्रिपुरा	उ.न.	उ.न.	0.38	0-10	0-44	0-01
22.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0-06	00-3

*—वितरित उर्वरकों के आधार पर अनुमानित

**—पंजाब में शामिल किया गया है क्योंकि 1960-61 में हरियाणा पृथक राज्य नहीं था।

उ.न.—उपलब्ध नहीं।

विवरण—2

वर्ष 1960-61, 1975-76 तथा 1977-78 के दौरान प्रत्येक राज्य में नाइट्रोजन (एन) तथा फास्फेट (पी2 ओ5) की प्रति हैक्टार खपत का विवरण

(किलोग्राम/हैक्टार)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1960-61		1975-76		1977-78	
		एन.	पी.2ओ.5	एन.	पी2ओ.5	एन.	पी.2ओ.5
1.	आंध्र प्रदेश	2.25	1.22	19.86	4.20	27.13	10.28
2.	केरल	2.71	0-63	10.62	4.81	12.43	5.42
3.	कर्नाटक	1.42	0.41	11-77	3.42	14.42	5.07
4.	तमिलनाडु	3.37	1.09	27.59	6-09	36.72	10.09
5.	गुजरात	0.86	—	10.84	3.21	17.22	8.25
6.	मध्य प्रदेश	0.31	0.05	3.62	1.40	4.67	2.32
7.	महाराष्ट्र	1.34	0.63	8.55	1.84	11.59	3.61
8.	राजस्थान	0.18	0.02	3·63	0.86	5.25	1.04
9.	हरियाणा	×	×	15.83	1.53	27.55	5.26
10.	पंजाब	0.78	0.05	37.06	8.52	51.15	16.66
11.	उत्तर प्रदेश	1.75	0.04	16.72	2.74	28.04	6.03
12.	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.08	6.69	1.52	7.34	1.83
13.	जम्मू और कश्मीर	1.07	—	8.30	1.47	10.53	2.45
14.	असम	—	0.07	1.05	0.41	1.50	0.08
15.	बिहार	1.02	0.23	8.91	1.38	12.20	2.02
16.	उड़ीसा	0.69	0.06	4.79	1.17	5.92	1.55
17.	पश्चिम बंगाल	1.27	0.53	10.80	3.13	14.32	3.64
18.	मणिपुर	0.11	0.10	7.48	0.62	9.10	4.43
19.	मेघालय	उ.न.	उ.न.	3.99	1.43	6.45	2.46
20.	नागालैण्ड	उ.न.	उ.न.	0.61	0.09	0.96	0.35
21.	त्रिपुरा	—	—	1.00	0.26	1.15	0.03
22.	सिक्किम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

टिप्पणी :—

1. 1960-61 के आंकड़ों की गणना वितरित उर्वरकों के आधार पर की गई है।

2. गणना के लिए सम्बन्धित राज्यों में सकल बोए गए क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है।

3. 1977-78 में प्रति हैक्टार खपत की गणना के लिए 1975-76 के क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है क्योंकि उस वर्ष के क्षेत्र का अभी निर्धारण नहीं किया गया है।

×× = पंजाब में शामिल किया गया है क्योंकि 1960-61 में हरियाणा पृथक राज्य नहीं था।

विवरण—3

राज्यों में कुल खपत की प्रतिशतता के रूप में फार्म के आधार के अनुसार उर्वरकों (एन+पी2 ओ5+के2 ओ) की राज्यवार खपत का विवरण

(प्रतिशत आंकड़े)

राज्य	फार्म का आकार 2 हैक्टार से कम	2-4 हैक्टार	4 हैक्टार से अधिक	योग
1. आंध्र प्रदेश	27.0	27.4	45.6	100
2. केरल	93.8	3.5	2.7	100
3. कर्नाटक	37.9	30.6	31.5	100
4 तमिलनाडु	53.1	29.7	17.2	100
5. गुजरात	12.7	23.6	63.7	100
6. मध्य प्रदेश	10.9	23.6	65.5	100
7. महाराष्ट्र	19.6	19.5	60.9	100
8. राजस्थान	8.8	25.2	66.0	100
9. हरियाणा	6.2	21.6	72.2	100
10. पंजाब	7.5	29.5	63.0	100
11. उत्तर प्रदेश	30.8	36.4	32.8	100
12. हिमाचल प्रदेश	69.8	21.2	9.0	100
13. जम्मू और कश्मीर	72.8	23.7	3.5	100
14. असम	64.3	24.4	11.3	100
15. बिहार	38.6	29.2	32.2	100
16. उड़ीसा	33.9	37.6	28.5	100
17. पश्चिम बंगाल	58.5	31.9	9.6	100
18. मणिपुर	—	उ.न.	—	
19. मेघालय	—	उ.न.	—	
20. नागालैण्ड	—	उ.न.	—	
21. त्रिपुरा	—	उ.न.	—	
22. सिक्किम	—	उ.न.	—	

ग्रुप IV आवास समितियों से परिसरीय प्रभारों की वसूली

6443. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन : श्री निहार लास्कर** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप IV की आवास समितियों द्वारा, जिन्हें पीतमपुरा, रोहतक रोड तथा शाह-

दरा में भूमि आवंटित की गई है, दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिये जाने वाले पारिसरीय सेवा प्रभारों के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रुप I,II तथा III की समितियों से वसंत विहार, पंचशील, शान्ति निकेतन आदि में भी ऐसे प्रभार वसूल किए गये थे; और

(घ) यदि नहीं, तो ग्रुप IV की समितियों के प्रति, जिसके सदस्य सामान्यतया मध्य तथा निम्न आयवर्ग के हैं, भिन्न व्यवहार करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (घ) तक : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में बाल कल्याण कार्यक्रम

6444. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री निहार लास्कर : श्री पी एम सईद :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली प्रशासन ने इस बाल वर्ष में बाल कल्याण के लिये 77 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तैयार किये गये कार्यक्रमों और कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ग) इन योजनाओं से गरीब बालक किस प्रकार लाभान्वित होंगे; और

(घ) क्या बालकों को अधिक प्रतिभाशाली बनाने के लिये कुछ धन राशि खर्च की जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी नहीं ।

(ख) नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच, निवारात्मक टीके, मध्याह्न आहार, कार्यक्रम, स्कूली वर्दियों और पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क व्यवस्था, बच्चों हेतु योग्यता, छात्रवृत्तियां, नौकरी करने वाली माताओं के बच्चों के लिए क्रेश चलाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान तथा राज्य समेकित बाल विकास सेवाएं इन कार्यक्रमों में शामिल हैं ।

(ग) इनमें से अधिकांश योजनाएं समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ तैयार की गई हैं और सामाजिक तथा आर्थिक तौर पर पिछड़े क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं । समेकित बाल विकास सेवाओं और पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत पुनर्वास कालोनी जे० जे० कालोनी रहेंगी । जिनमें गरीब लोग ही अधिक संख्या में रहते हैं ।

(घ) विश्व बाल वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिभा वाले बच्चों को विशिष्ट छात्रवृत्तियां देने के प्रस्ताव पर दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका विचार कर रहे हैं ।

चीनी का अतिरिक्त भंडार बनाने के लिये प्रस्ताव

6445. **श्री के० ए० राजन** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी के वर्तमान 5 लाख अतिरिक्त भंडार को 10 लाख करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और कारण क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भान प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कालेजों के अध्यापकों के विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमानों के लिए अनुदान

6446. **श्री भारतसिंह चौहान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालेजों के अध्यापकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये वेतनमान देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुदान दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी राशि दी गयी और किन राज्यों ने इस राशि का उचित उपयोग किया है तथा कौन से राज्य ऐसा नहीं कर सके ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय और कालेजों में 1-1-1973 से सभी कार्यों पर शिक्षकों के वेतन मानों के परिशोधन की एक योजना स्वीकृत की थी । केन्द्रीय सरकार ने, राज्य विश्व विद्यालयों तथा उनसे सम्बन्ध कालेजों के शिक्षकों में इन परिशोधित वेतनमानों को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को 1-1-1973 से 31-3-79 तक की अवधि के होने वाले अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत तक को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया था ।

(ख) राज्य सरकारों को अनुदान तभी दिए जाते हैं जबकि वित्तीय सहायता के उनके प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाएं और उनके द्वारा व्यय की प्रगति की रिपोर्ट दे दी जाए । योजना के अंतर्गत 1978-79 के दौरान राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए हैं :—

	रुपए
1. आंध्र प्रदेश	1,50,00,000
2. असम	1,50,00,000
3. बिहार	1,50,00,000
4. गुजरात	20,000
5. हरियाणा	40,000
6. हिमाचल प्रदेश	2,50,00,000
7. महाराष्ट्र	2,50,00,000
8. नागालैंड	2,28,000
9. पंजाब	1,50,00,000

10. राजस्थान	75,00,000
11. तमिलनाडु	75,00,000
12. उत्तर प्रदेश	2,34,72,000
13. पश्चिम बंगाल	1,88,00,000

जिन राज्य सरकारों के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए हैं किन्तु जिन्होंने आगे वित्तीय सहायता जारी करने के लिए 1978-79 के दौरान किसी व्यय की सूचना नहीं दी है ; वे हैं मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा और त्रिपुरा । मध्य प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू तथा कश्मीर सरकार के प्रस्तावों को, जो केन्द्रीय योजना के अनुसार नहीं था, सहायता के लिए स्वीकार नहीं किया गया ।

छोटे किसान विकास एजेंसी, समिति कृषक विकास एजेंसी पर व्यय में कमी

6447 **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमान्त कृषक विकास एजेंसी तथा छोटे किसान विकास एजेंसी पर किए जाने वाले व्यय में चालू वर्ष में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए संस्थागत वित्त उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भान प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बच्चों के संरक्षण और उनकी उन्नति के लिए पाँच सूत्री योजना

6448. **श्री कुमारी अनन्तम** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री की पांच सूत्री योजना का ब्यौरा क्या है जिनमें बच्चों के संरक्षण और उनकी उन्नति के विशेष प्रयासों की व्यवस्था है; और

(ख) इस पांच सूत्री योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) (क) विश्व बाल वर्ष के अवसर पर राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधान मंत्री ने बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रयत्न करने की अपील की तथा निम्नलिखित बातों पर जोर दिया :

(1) प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय बाल कोष के लिए उदारता से दान दे ।

(2) स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय कार्य योजना में बताई गई बाल कल्याण स्कीमों को अपनाएं ।

(3) चिकित्सा व्यवसाय में लगे व्यक्ति सप्ताह में कम से कम तीन घंटे निकालकर स्वयंसेवी सुविधाएं दे जिनको प्राप्त नहीं हैं ।

(4) किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, व्यावसायिकों तथा अन्य लोगों के संगठन, राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए कम से कम एक स्कूल को अपनाकर बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं तथा

(5) लेखक और कलाकार हमारी भाषाओं में भारत की सांस्कृतिक परम्परा के बारे में बाल कक्षाओं को 100 पुस्तकें प्रकाशित करने में सहायता दें जिनमें से 25 पुस्तकें 1979 में प्रकाशित की जाए।

(ख) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और मुख्य स्वयसेवी संगठनों से अनुरोध किया है कि प्रधान मंत्री की अपील को कार्यान्वित करें।

लोक सभा सचिवालय को टाईप "सी" और "डी" आवासों का आवंटन

6449. **श्री राजे विश्वेश्वर राव :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सभा सचिवालय को 1977 तथा 1978 के दौरान अपने कर्मचारियों को आवंटन के लिये टाईप "सी" और "डी" के कितने क्वार्टर दिये जाने का विचार है; और

(ख) लोक सभा सचिवालय को 1979 के दौरान अपने कर्मचारियों को आवंटन के लिए टाईप "सी" और "डी" के कितने क्वार्टर दिये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) लोक सभा राज्य सभा सचिवालयों के स्टाफ की आवंटन के लिए इस अवधि के दौरान लोक सभा सचिवालय को टाईप "सी" के 42 क्वार्टर सौंपे गये हैं। कोई टाईप "डी" का क्वार्टर नहीं दिया गया था।

(ख) तथा (ग) : 1979 के दौरान जैसे ही नए क्वार्टर पूर्ण हो जाते हैं, सीमल बाग (डी० आई० जेड० क्षेत्र) में टाईप "डी" के 8 क्वार्टरों को सौंपे जाने का प्रस्ताव है। टाईप "सी" के क्वार्टर तब दिए जाएंगे जब लोक सभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ कर दिया जाता है और उन्हें पूर्ण कर लिया जाता है।

हुडको द्वारा प्राइवेट पार्टियों को ऋण

6450. **श्री एस० आर० रेड्डी : श्री पी० एम० सईद : श्री निहार लास्कर : श्री ए० आर० बद्रीनारायण :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आम जनता को बिक्री करने के लिए मकानों का निर्माण करने के लिए प्राइवेट पार्टियों को ऋण देने के बारे में आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) ने निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है और शर्तें क्या हैं जिससे ऋण का अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों के मकानों के लिए प्रमुख रूप से उपयोग किया जा सके और उन्हें मकान उचित लागत पर प्राप्त हो सकें ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी, हां।

(ख) हुडको द्वारा जिन शर्तों पर ऋण दिया जाएगा, वे इस प्रकार हैं :—

(i) ब्याज की कुल दर	14 प्र० श०
(ii) ऋण सहायता की सीमा	परियोजना लागत का 50 प्र० श०
(iii) पुर्नभगतान की अधिकतम अवधि	5 वर्ष

(iv) योजनाओं में निम्नतर लागत का घटक परियोजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों की कुल संख्या के 50 प्र० श० से कम नहीं जिनका कुर्सी क्षेत्र 40 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा और शेष का कुर्सी क्षेत्र 40 से 80 वर्ग मीटर होगा। 40 वर्ग मीटर तक के कुर्सी क्षेत्र वाले रिहायशी एककों के मामले में प्रति एकक का कुल बिक्री मूल्य 25,000 रुपये और 41 से 80 वर्ग मीटर के मध्य कुर्सी क्षेत्र वाले रिहायशी एककों के मामले में 45,000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिये।

वन सम्पदा

6451. **श्री दुर्गाचन्द** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन सम्पदा का अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) भारत में वन लगभग 750 लाख हैक्टार क्षेत्र में फैले हुए हैं जो कुल भूमि के क्षेत्र का 22.8 प्रतिशत है। योजना आयोग, भारत सरकार के वन संसाधनों के सर्वेक्षण से सम्बन्धित कृतक दल की 1972 की रिपोर्ट के अनुसार देश में वनों का अनुमानित स्टाक लगभग 24000 लाख घन मीटर है।

चीनी की कीमतों में बजट के बाद उतार-चढाव

6452 **श्री एस०एस० सोमानी** :क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी की कीमतों में बजट के बाद आये उतार-चढ़ाव के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रतापसिंह) : (क) से (ग) :— मार्च, 1979 के शुरू में चीनी के मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी गई थी। दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता और बम्बई के बाजारों में डी-30 ग्रेड की चीनी के थोक मूल्य 28-2-1979 को 220 रुपये से 230 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे थे लेकिन यह मूल्य बढ़कर 31 मार्च, 1979 को 254 से 285 रुपये प्रति क्विंटल हो गए हैं, मद्रास के बाजार में ई-30 ग्रेड की चीनी का थोक मूल्य जो कि 28-2-1979 को 220 रुपये प्रति क्विंटल था बढ़कर 31-3-1979 को 258 रुपये प्रति क्विंटल हो गया था। मूल्यों में इस बढ़ोतरी के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मूल्यों का पूर्व स्तर बहुत ही कम था और उद्योग की उत्पादन लागत के भारित औसत से नीचे था। सरकार मूल्यों पर अत्यधिक निगरानी रख रही है और यदि मूल्यों में बढ़ोतरी की

प्रवृत्ति बनी रहती है या मूल्य अनुपयुक्त समझे जाने वाले स्तरों पर पहुंच जाते हैं तो उपयुक्त उपचारी उपाय किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये रिहायशी मकान

6453. **श्री सूरजभान :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 प्रतिशत आरक्षण के बताने में जिन प्रत्याशियों ने जनता श्रेणी में अपने नाम वर्ष 1972 में पंजीकृत कराये थे उनकी उपेक्षा की जा रही है और गैर अनुसूचित जातियों के लोगों को, जिन्होंने वर्ष 1976 में पंजीकरण कराये, रिहायशी मकान दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकानों का कब्जा लेते समय 30 प्रतिशत राशि जमा करने और शेष राशि को 15 वर्षों में भुगतान करने की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये दी गई रियायत भी वापिस ले ली गयी है;

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विरोधी इस कार्यवाही के लिये उत्तरदायी प्राधिकारी कौन है;

(घ) क्या सरकार इस विषय में आवश्यक कदम उठायेगी कि जनता श्रेणी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वरिष्ठ प्रत्याशियों का अधिक्रमण न किया जाये और 30 प्रतिशत राशि जमा करने जैसी दूसरी रियायतें भी उनके लिये बहाल की जायें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। जनता फ्लैटों के आवंटों फ्लैटों की कीमत का भुगतान अभी भी इसी आधार पर करते हैं।

(ग), (घ) तथा (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

राजधानी में बच्चों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

6454 **श्री सुखेन्द्रसिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर राजधानी में बच्चों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां इसकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(ग) बच्चों के लिये अंन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के उद्देश्य क्या होंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमति रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर

6455. **श्री अहमद एम० पटेल** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों की पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची की कसौटी क्या है जिसे फरवरी, 1979 में जारी किया गया था;

(ख) क्या इस वरिष्ठतम सूची के अनुसार कनिष्ठ (जूनियर) सहायक इंजीनियर (सीधी भर्ती) कनिष्ठ इंजीनियरों के रैंक से सीधे नियुक्त किये गये सहायक इंजीनियरों से 14 वर्ष वरिष्ठ हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को अधीनस्थ समिति को यह प्रमाणित करना होता है कि भूतलक्षी प्रभाव से ऐसा आदेश जारी करने ; किसी अधिकारी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या वर्तमान मामले में ऐसा प्रमाण-पत्र रिकार्ड किया गया है तथा किस प्राधिकारी द्वारा;

(ङ) क्या इसमे अन्यथा वरिष्ठ सहायक इंजीनियरों पर प्रभाव पड़ेगा जो 1973 के बाद कार्यकारी इंजीनियरों के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं; और

(च) क्या पुनरीक्षित वरिष्ठता सूची के लागू होने से सेवा में आम कर्मचारियों में गम्भीर निराशा पैदा होगी, यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) भारत सरकार के दिनांक 31 मार्च, 1979 की अधिसूचना सं० जी० एस० आर० 281 के अनुसार ।

(ख) तथा (ग) : उपर्युक्त कसौटी के अनुसार; कुछ स्थानों पर अन्तिम वरिष्ठता सूची में, सीधे तौर पर भर्ती किये गये सहायक इंजीनियर पदोन्नत किये गये सहायक इंजीनियरों से वरिष्ठ बन जाते हैं और कुछ अन्य स्थानों पर सीधी भर्ती वाले, पदोन्नति वालों से कनिष्ठ हो जाते हैं ; इस प्रकार कोई भेदभाव नहीं हैं ।

(घ) एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कानूनी सलाह के अनुसार, अधीनस्थ विधानों पर समिति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, सरकार द्वारा उपर्युक्त (क) में उल्लिखित अधिसूचना के साथ जारी किया गया है ।

(ङ) तथा (च) : प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि 19 फरवरी, 1979 को जारी की गई वरिष्ठता सूची अन्तिम है और प्राप्त आपत्तियों पर विचार के फलस्वरूप उसे सही किया जा सकता है ।

छठी योजना के दौरान परती तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना

6457. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का कोई कार्यक्रम छठी योजना में शामिल किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों में कितनी अतिरिक्त भूमि में कृषि हो सकेगी ।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में क्षारीय मृदा का सुधार करने की केवल एक योजना है ।

(ख) लगभग 86,000 हैक्टार ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को देयसवारी भत्ता

6458. **डा० विजय मंडल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को एक महीने में तय की गई मील दूरी के विभिन्न स्तरों के लिये किस दर से सवारी भत्ता मिलता है;

(ख) क्या पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि तथा चालू वर्ष के लिये बजट प्रस्तावों में असाधारण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उक्त दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अत्यधिक यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें निम्न-लिखित दरों पर वाहन भत्ता दिया जाता है :—

सरकारी ड्यूटी पर औसतन मासिक यात्रा किलोमीटर	स्वयं की मोटरकार	वाहन के अन्य साधन
	(मासिक वाहन भत्ते की दर)	
	रुपये	रुपये
201 से 300 तक	150.00	52.50
301 से 450 तक	225.00	75.00
451 से 600 तक	262.50	90.00
601 से 800 तक	300,00	105.00
800 से अधिक	337.50	112.50

(ख), (ग) तथा (घ) वाहन भत्ते की उपर्युक्त दरें वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई हैं। चूंकि हाल ही में पेट्रोल की कीमत में और वृद्धि हो गई है, इसलिए इस मामले पर उक्त मंत्रालय के साथ कार्रवाई की जा रही है।

उदयपुर और जयपुर के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

6459. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर और जयपुर के क्षेत्र डायल घमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था कब आरंभ की जाएगी; और

(ख) इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) मार्च, 1981 तक।

(ख) उदयपुर को जयपुर ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव है। यह एक्स-चेंज लगाया जा रहा है और 1980 तक चालू हो जाने की आशा है। तदन्तर उदयपुर के लिए एस-टी-डी दी जा सकेगी।

सूखा क्षेत्र अध्ययन दल

6460 **श्री दौलतराम सारण** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल आयोग ने सूखा क्षेत्र अध्ययन दल की स्थापना कब की और इसका प्रयोजन तथा इसके सदस्यों के नाम क्या थे और यह अपना काम कब तक पूरा कर लेगा ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री(श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : सूखा प्रवण क्षेत्रों में नदी बेसिनों के अतिरिक्त जल संसाधनों का उपयोग करने की स्कीमों के सम्बन्ध में अन्वेषण और अध्ययन करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग में एक विशेष एकक की स्थापना की गई है। इस यूनिट के अध्यक्ष एक मुख्य इन्जीनियर हैं और उनके अन्तर्गत दो अधीक्षक इंजीनियर और 6 डिवीजन हैं। इस प्रस्ताव को सितम्बर, 1975 में मंजूरी दी गई थी। इस एकक द्वारा विभिन्न अध्ययन और अन्वेषण किए जा रहे हैं। और आशा है कि ये 1980-81 तक फील्ड कार्य पूरा हो जायेगा और एकक की रिपोर्ट 1981-82 तक तैयार हो जायेगी।

आदिवासी बालकों के लिए आश्रम की तरह रिहाइशी स्कूल

6461 **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में 12 मार्च, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर रिहायशी स्कूलों से भारी संख्या में आदिवासी बालकों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ दिये जाने को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाते समय आदिवासी क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं सहित केवल आश्रम की तरह के स्कूल और कालेज खोले जाने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो ये संस्थायें किन अवस्थाओं के लिए स्थापित की जायेंगी और प्राथमिक पूर्व, प्राथमिक, माध्यमिक स्कूल कितनी संख्या में होने चाहिएं और प्रस्तावित व्यावसायिक किस्म की अन्य संस्थाओं की कुल संख्या कितनी होगी; और

(ग) यदि नहीं तो अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त रिहायशी संस्थाएं स्थापित करने के मार्ग में कौनसी बाधाएं हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा. प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क), (ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यमान असन्तुलनों तथा असमानताओं के दूर करने के सामान्य प्रश्न पर विचार किया जायेगा। प्रारूप में यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों सहित, कमजोर वर्गों की समस्याओं का पता लगाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और ऐसे सभी लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों को पहले ही यह सुझाव दे दिया है कि वे अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उक्त प्रयासों के भाग के रूप में आश्रम-जैसे आवासीय स्कूल खोलें।

गेहूं की नई नस्ल

6462. **श्री पी० राजगोपाल नायडु** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिसार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की कोई नई नस्ल निकाली गयी है :,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है :,

(ग) क्या नई नस्ल का परीक्षण किसानों के खेतों में कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हाल ही में गेहूं की दो नई नस्लें डब्लू० एच० 147 और डब्लू० एच० 157 विकसित की हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अखिल भारतीय समन्वित गेहूं सुधार प्रायोजना द्वारा आयोजित प्रयोग में इन दोनों नस्लों की जांच की गयी थी। इन परीक्षणों के आधार मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कोटा और उदयपुर प्रभागों और उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जो उच्च उर्वर सिंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर डब्ल्यू. एच.147 को खेती के लिए रिलीज कर दिया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने हरियाणा राज्य के सूखे पश्चिम जिलों के लिए भी इस नस्ल की सिफारिश की है। डब्ल्यू एच 157 नस्ल हरियाणा के पूर्वी सिंचित जिलों यानी करनाल अम्बाला, कुरूक्षेत्र ओर सोनीपत में खेती के लिए रिलीज की गई थी।

(ग) ये नई नस्लें हरियाणा तथा मध्य भारत दोनों जगहों पर किसानों के खेतों में परखी गई हैं।

(घ) डब्ल्यू एच 147 तथा डब्ल्यू एच 157 दोनों नस्लें किसानों द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा वे लोकप्रिय हो रही हैं। गेंहूं की इन नस्लों की खेती के लिए भविष्य में अधिक क्षेत्र बढ़ाने की संभावना है।

सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और छोटे किसान विकास एजेंसी के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट

6463. **श्री दलपतसिंह परस्ते** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कहा है कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम और छोटे किसान विकास एजेंसी के कार्यकरण के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को अब तक कितना धन आवंटित किया गया है और वास्तविक लक्ष्यों की तुलना में प्रत्येक राज्य में धन का उपयोग करने में तथा उसके कार्य निष्पादन में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) क्या सरकार राज्यों के कार्य निष्पादन से संतुष्ट है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रतापसिंह) : (क) जी हां।

(ख) व (ग) विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं।

(घ) जी हां। कुल मिलाकर, राज्यों का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-4276/79]

काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न हुए रोजगार के अवसर और कार्यान्वित की गई योजनायें

6464. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री दुर्गाचन्द :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान "काम के बदले अनाज" कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के जरिए राज्य-वार कुल कितनें व्यक्तियों को (जन दिवसों के रूप में) रोजगार मिला;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1977-78और 1978-79 के वर्षों के दौरात कार्यान्वयन हेतु राज्य-वार कितनी योजनायें शुरू की गई हैं और वस्तुत: कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ग) वर्ष 1979-80 के लिए कार्यक्रम क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के माध्यम से सृजित रोजगार को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण एक संलग्न है ।

(ख) कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले दो वर्षों के दौरान कार्यान्वित योजनाओं के बारे में उपलब्ध राज्य-वार सूचना दर्शाने वाला विवरण-दो भी संलग्न है ।

(ग) वर्ष 1979-80 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम रूप से 1.5 मिलियन मीटरी टन खाद्यानों के उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । कार्य की अलग-अलग मदों के अंतर्गत शुरू की जाने वाली योजनाओं की संख्या राज्य-सरकार द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों पर निर्भर होगी । तथापि कुल उपयोग से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ढ़ाई कि० ग्राम की अनुमानित औसत दर के हिसाव से 600 मिलियन श्रम दिनों के अतिरिक्त रोजगार के पैदा होने की आशा है ।

विवरण—1

वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत पैदा किए गए रोजगार को दर्शाने वाला विवरण ।

राज्य	पैदा किया गया रोजगार (लाख श्रम दिन में)	
	1977-78	1978-79
1. आन्ध्र प्रदेश	–	49.392
2. असम	अप्राप्त	अप्राप्त
3. बिहार	14.76	77.720
4. गुजरात	—	37.760
5. हरियाणा	—	अप्राप्त
6. हिमाचल प्रदेश	0.70	1.205
7. कर्नाटक	5.02	0.868
8. केरल	21,43	11.682

9. मध्य प्रदेश	2,20,000 (व्यक्ति)	अप्राप्त
10. महाराष्ट्र	अप्राप्त	28,100
11. उड़ीसा	68,69	175,640
12. पंजाब	0,14	9,151
13. त्रिपुरा	अप्राप्त	अप्राप्त
14. उत्तर प्रदेश	58,19	27,953
15. राजस्थान	6,87	53,760
16 पश्चिम बंगाल	218,43	67,650
17. मिज़ोरम	—	0,011
योग	394.23	540.892

2,20,000 (व्यक्तियों की संख्या)

विवरण—2

1977-78 तथा 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं के बारे में राज्य-वार सूचना दर्शाने वाला विवरण

(4-4-79 की स्थिति)

राज्य का नाम	सृजित भौतिक परिसम्पत्तियां	
	1977-78	1978-79
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	—	1056 कि०मी० (बनाई गई सड़कें), 859 कि०मी० (बजरी बिछाई गई सड़कें), 311, 27 कि०मी० (पक्की की गई सड़कें) 292 सामु० वि० निर्माण-कार्य, 134 लघु सिंचाई कार्य—735 एकड़ क्षेत्र, 16 नए स्कूल भवनों का निर्माण तथा 154 की मरम्मत का कार्य।
2. असम	अप्राप्य	अप्राप्य
3. बिहार	510 कि०मी० सड़कें, 488हैक्ट० (लघु सिंचाई), 40 हैक्ट० (भू-संरक्षण) 2650 हैक्ट० बाढ़-सुरक्षा, भूमि-कार्य 418,60 लाख घन फुट।	2334 कि०मी० सड़कें, 12566 हैक्ट० लघु सिंचाई, 1200 हैक्ट० (बाढ सुरक्षा), 19 हैक्ट० (भू-संरक्षण), 1488,93 लाख (घन फुट) भूमि-कार्य, 1163 कि० मी० पौध-सुरक्षा तथा पौध-रोपण, 24,07 हैक्ट० नर्सरी, 365,32 कि०मी० की निराई, 200 हैक्ट० सिंचाई।

* 31-12-1979 को समाप्त होने वाली अवधि के सम्बन्ध में।

1	2	3
4. गुजरात	—	बृहत्, मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्यों के अंतर्गत 29488 हैक्ट० का रख-रखाव तथा मरम्मत, बृहद, मध्य तथा लघु सिंचाई कार्यों के अंतर्गत 96000 सें०मी० का खुदाई कार्य, 172092 से०मी० भूमि कार्य, 1356 कि०मी० में नए पौधे, 2319 हैक्ट० में नए पौधे, 927 कि०मि० तथा 4155 हैक्ट० पौधों का रख-रखाव, प्लान वीडिंग 1440 है, 1 लाख पौधों की भराई तथा 25 लाख पौधों को पानी देना, 135912 कि०मी० सड़क का रख-रखाव तथा सुधार, 1500 हैक्ट० में खेतों की नालियों का निर्माण-कार्य, 500 हैक्ट० में समतलीकरण का निर्माण-कार्य ।
5. हरियाणा	—	अप्राप्य
6. हिमाचल प्रदेश	रख-रखाव तथा नए कार्य के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए ।	17 रख-रखाव निर्माण कार्य तथा 18 नए निर्माण कार्य पूरे किए गए ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए ।
7. कर्नाटक	32 लघु सिंचाई कार्य, 1743 हैक्ट० पर 21 एककों में पौध-रोपण कार्य, 570 हैक्ट० पर पौध-रोपण का रख-रखाव, 1837 कि०मी० अग्नि सुरक्षा का रख-रखाव, अग्नि-सुरक्षा के लिए 210 हैक्ट० में अग्नि खाइयां 1000 हैक्ट० में खाई खोदना ।	44 लघु सिंचाई टैंकों की मरम्मत की जा रही है, सार्वजनिक निर्माण विभाग के निर्माण-कार्यों के रख-रखाव में खाद्यानों का उपयोग किया गया है । सूचना अधूरी है, 693,35 हैक्ट० में पौध-रोपण का रख-रखाव ।
8. केरल	1279 हैक्ट० में लघु सिंचाई, 504 हैक्ट० में बाढ़ सुरक्षा, 651 कि०मी० सड़क निर्माण, 12 हैक्ट० आई० आर०, 15 हैक्ट० भू-संरक्षण, 15 हैक्ट० में वनरोपण ।	बृहत् तथा सिंचाई निर्माण कार्यों के अंतर्गत 49 हैक्ट० भूमि को कृषि योग्य बनाया गया, 12 नवीनकरण कार्यों को पूरा किया गया तथा 97 निर्माण कार्य चल रहे हैं, 120 कि०मी० लम्बे गांवों को पूरा किया गया, 84,56 कि०मी० लम्बाई की सड़क पूरी की गई । सड़कों तथा राज्य के राज मार्गों के निर्माण कार्यों के अंतर्गत 93,27 कि०मी० लम्बी सड़क पूरी की गई तथा 59 सड़क निर्माण-कार्य चल रहे हैं ।

1	2	3
9. मध्य प्रदेश	244 सड़कें, 279 तालाब, 32 स्कूल भवन, 408 वनरोपण।	1662 स्थानीय विकास निर्माण कार्यों का रख-रखाव, 522 कमी वाले निर्माण-कार्य।
10. महाराष्ट्र	अप्राप्य	172 लघु सिंचाई तालाब, 412 अन्तः-स्रवण तालाब, 18 अन्य लघु सिंचाई निर्माण-कार्य पूरे किए गए, 2,55,000 हैक्ट० भूमि पर कण्टूर बांध बनाए गए, 1660 नाला बांध का निर्माण काय पूरा किया गया, 1990 कि०मी० लम्बी सड़कें पूरी की गई, बड़ी तथा मध्यम परियोजनाओं के क्षेत्र की 29,000 हैक्ट० भूमि का विकास पूरा किया गया।
11. उड़ीसा	17022 हैक्ट० में लघु सिंचाई 16400 हैक्ट० में बाढ़ सुरक्षा, 36 कि० मी० लम्बे तटबंधों की मरम्मत की गई, 18700 हैक्ट० भू-संरक्षण के लिए, 12-75 हैक्ट० इको-प्लांट, 11 खड्डे नियंत्रण कार्य, 53000 हैक्ट० भू-संरक्षण 70 हैक्ट० में काजू के पौधे लगाए जा रहे हैं, 22400 कि०मी० लम्बी सड़क की मरम्मत की गई, 260 कि०मी० नई सड़क का निर्माण किया गया, 140 हैक्ट० में शीघ्र उगने वाली प्रजातियां तथा प्राकृतिक संरक्षण।	1015 लघु सिंचाई परियोजना का रख-रखाव, 905301 घन मीटर भूमि कार्य, 3885 कि०मी० सड़क का निर्माण तथा रख-रखाव, 9988 एकड़ में काजू के पौधे, 32 एक्कों द्वारा 100 हैक्ट० में इको-प्लांट, 3 जल मार्ग तथा 130 नालियां, 344 स्कूल भवन, 24 तालाबों का नवीनकरण, 307 कुओं का निर्माण, 234,50 कि0मी० तट-बन्धों का रख-रखाव तथा मरम्मत।
12. पंजाब	600 वर्ग फीट कंकरीट पटरी, 730 वर्ग फीट ईंट की पटरी, 1072 आर एफ टी० एस० ड्बल्यू पाइप क्षेत्र	38 हैक्ट० एस सी निर्माण कार्य, 124, 22 कि०मी० भूमि का विकास, पी. ड्बल्यू डी० बी० एण्ड आर, 26,90 प्रतिशत, 43,47 प्रतिशत पी. ड्बल्यू

1	2	3
	11 आर एफ टी. आर. सी. सी. पाइप सीवर, 505 फीट लम्बी जल आपूर्ति पाइप लाइन।	डी. (आर. ड्बल्यू. एस.) 262,65 मीटरी टन।
13. त्रिपुरा	अप्राप्य	अप्राप्य
14. उत्तर प्रदेश	723 कि. मी में भूमि कार्य 54 कि. मी. खरंजों के किनारे पर ईंट, वनरोपण 75 हैक्ट., 2121 कि. मी. सड़क-निर्माण तथा अन्य रख-रखाव के निर्माण कार्य।	315 कि. मी. भूमि निर्माण कार्य, 94 कि. मी. सड़क के किनारे पर ईंट, 989, 28 कि. मी. सम्पर्क सड़कें, 1800 हैक्ट, के पौध-रोपण।
15. राजस्थान	31 लघु सिंचाई निर्माण कार्य पूरे किए गए, 151-00 हैक्ट. में लघु सिंचाई, 3900 हैक्ट. में वन-पुर्न-स्थापन कार्य, 457 कि. मी. सड़कें।	अप्राप्य
16. पश्चिम बंगाल	42137 हैक्टे लघ सिंचाई 826 वर्ग कि. मी. बाढ़ बचाव, 462 हैक्टेयर भू-संरक्षण, 18,346 कि. मी. सड़क निर्माण, प्राथ-मिक स्कूल भवन 935।	11658 कि. मी. लम्बी सड़कों में सुधार, नई योजनाओं द्वारा तथा पुरानी योजनाओं में सुधार करके बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई के अन्तर्गत 20130 हैक्टेयर को लाभ पहुंचा, 453 कि. मी. लम्बे तटबन्धों में सुधार, 660 हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य घनाया गया, 905 स्कूल तथा सामु-दायिक भवनों में सुधार किया गया।
17. मिजोरम	—	13 स्कूल भवनों तथा 3 मेला पुलों का निर्माण, 25 सार्वजनिक भवनों का निर्माण, 21 खेल-कूद के मैदानों, 14 तालाबों का निर्माण तथा एक दस्तकारी केन्द्र, 8 कि. मी. लम्बी नई सड़क का निर्माण।

टिप्पणी—वर्ष 1977-78 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम को आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा तथा मिजोरम की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया था।

देहातों में गरीबों का कारण आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का अभाव

6465. **श्री डी. डी. देसाई** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खाद्य तथा कृषि संगठन के प्रतिवेदन में बताया गया है कि देहातों में गरीबी का मुख्य कारण आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का छोटे किसानों तक न पहुंचना है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) जी, हां। तथापि, यह कृषि उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण करने के बारे में विश्व व्यापी विचार है।

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किये हैं :—

(1) लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और समेकित ग्राम विकास जैसे ग्राम विकास के केन्द्रीय क्षेत्र के विशिष्ट कार्यक्रम में वे विशेष घटक शामिल हैं, जिनसे आशा है कि वे छोटे किसानों को आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण करने में सहायता करेंगे :

(2) नई प्रौद्योगिकी अथवा पैकेज प्रणालियों के प्रदर्शन के लिए आदानों की लागत, जिसकी सीमा 200 रु० प्रति प्रदर्शन रखी गई है, का व्यय लघु कृषक विकास एजेंसी और समेकित ग्राम विकास की धनराशि से वहन किया जाता है। सूखा प्रवण क्षेत्रों में यह सहायता 500 रुपए प्रति हैक्टार तक दी जाती है।

(3) कुएं नलकूपों आदि जैसे लघु सिंचाई कार्यों, मृदा संरक्षण, भूमि सुधार, उन्नत कृषि उपस्करों, खत्तियों फास्फेट-युक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के बारे में छोटे किसानों को पूंजी लागत की 25 प्रतिशत की दर से और सीमान्त किसानों की 33.33 प्रतिशत की दर से राज सहायता उपलब्ध है। परन्तु लघु कृषक विकास एजेंसी में आदानों के लिए राज-सहायता केवल छोटे किसानों को उपलब्ध है।

(4) तथापि, प्रयोगशाला के परिणामों और किसानों के खेतों में निष्पादन के मध्य हमेशा अन्तर रहता है। प्रौद्योगिकी के इस अन्तर को कम करने के लिए, राजस्थान के चम्बल और राजस्थान नहर क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के चम्बल क्षेत्र में और आन्ध्र प्रदेश के कमाण्ड क्षेत्रों में (जहां कि इसी आधार पर खरीफ 1974 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू की गई थीं) प्राप्त अनुभव के आधार पर विकसित "प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली" नामक एक स्वीकृत कृषि विस्तार कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इस पद्धति के अनुसंधान-वैज्ञानिकों तथा फील्ड-कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क की व्यवस्था है, जिससे फील्ड की समस्याओं का साथ-साथ समाधान सुनिश्चित हो सकेगा तथा अनुसंधान ज्यादा व्यावहारिक और क्षेत्रोन्मुखी हो सकेगा। खेतों में कर्मचारियों के आने-जाने के लिए विशेषकर उप-प्रभागीय स्तर पर यातायात की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और इनकी असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में क्रियान्विति की जा रही है। अन्य राज्यों के साथ बात-चीत चल रही है और आशा है उनको इस पद्धति के अन्तर्गत शामिल कर लिया जायेगा।

उपर्युक्त पद्धति के अंतर्गत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए कृषि प्रौद्योगिकी का नियमित स्थानान्तरण करना शामिल है।

(3) छोटे किसानों को कृषक प्रशिक्षण फील्ड प्रदर्शनों, कृषक फील्ड दिवसों, विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के दौरों और रेडियों सहित बहु-माध्यम से जानकारी सम्बन्धी सहायता देने के माध्यम से कृषि प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण किया जा रहा है।

धान का वसूली मूल्य

6467 **श्री राजकृष्ण डान** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि धान का वसूली मूल्य सामग्री तरीकों और धान के उत्पादन के लिए उपयोग में लाये गये माध्यम पर निर्भर होनी चाहिए;

(ख) सरकारी फार्मों में धान की प्रति क्विंटल लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों से लिये जाने वाले धान का वसूली मूल्य कितना है; और

(घ) किसानों से लिये जाने वाले धान के वसूली मूल्य में असंगतता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सामग्री, तरीकों और उपयोग में लाये गए माध्यम तथा उसकी लागत प्रत्येक राज्य में, राज्य के अन्दर प्रत्येक क्षेत्र में तथा प्रत्येक किसान के मामले में भिन्न-भिन्न होती है। धान की मोटी किस्म के लिए वसूली मूल्य का सुझाव देने से संबंधित प्रश्न पर विचार करते समय, कृषि मूल्य आयोग, उत्पादन लागत के आंकड़ों, इनपुट्स के मूल्यों में परिवर्तनों, प्रतियोगी फसलों के मूल्यों में परिवर्तनों, सामान्य मूल्य स्तर पर वसूली मूल्यों का सम्भावी प्रभाव और उत्पादकों के लिए उपयुक्त मार्जिन सहित सभी संगत बातों को ध्यान में रखता है। धान की अन्य किस्मों के मूल्य प्रत्येक राज्य में विभिन्न किस्मों के मूल्य में रूढिगत अन्तर को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। समर्थन मूल्यों की घोषणा करने से पूर्व, राज्य सरकारों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है और उनकी राय को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) संभवतया यह भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे फार्म के संदर्भ में है। सूरतगढ़ और सरदारगढ़ (राजस्तान) के केन्द्रीय राज्य फार्म में, जहां पर छोटे-छोटे क्षेत्रों में धान पैदा की जा रही है, वहां पर 1977 में धान को प्रति क्विंटल उत्पादन लागत का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	के० रा० फा० सूरतगढ़	के० रा० फा० सरदारगढ़
1977	76.00 रु०	73.15 रु०

(ग) 1978-79 के लिए मोटी किस्म की धान की वसूली मूल्य 55/—रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और धान की अन्य किस्मों के वसूली मूल्य को 1977-78 खरीफ विपणान मौसम के लिए निर्धारित किए गए वसूली मूल्यों से 8/—रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है।

(घ) ऊपर (क) में उल्लिखित स्थिति की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

20 किलोमीटर के क्षेत्र में चलने वाली मत्स्य नौकाएं

6468. **श्री के० टी० कौसलराम** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये अपेक्षित उपकरणों से रहित ऐसी नौकाओं की संख्या कितनी है जिनका आयात करने की सरकार ने अनुमति दी है;

(ख) क्या परम्परागत मछुओं के स्थान पर इन नौकाओं का तट से 20 किलोमीटर की दूरी तक मछली पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है;

(ग) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने धमकी दी है कि यदि उनको भी तट से 20 किलोमीटर के भीतर मछली पकड़ने की अनुमति न दी गईतो वे मत्स्य उद्योग छोड़ देंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं ; छोटे यंत्रीकृत तथा गैर-यंत्रीकृत नावों के कार्यक्षेत्र के परे गहरे समुद में मछली पकड़ने वाले सभी जलयानों को कार्य करना होता है ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कोई सूचना प्राप्त नहीं की है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

राजस्थान के अश्रावग्रस्त जिले

6469. **श्री हीराभाई : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में वर्ष 1978-79 में रबी फसल पर ओला वृष्टि होने तथा खरीफ की फसलों पर अतिवृष्टि होने के कारण राज्य के कुछ भागों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो कितने और किन-किन जिलों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लोगों को राहत देने की व्यवस्था की है और यदि हां, तो कितने लोगों को राहत दी जा रही है तथा कितनी दी जा रही है और क्या इस सम्बन्ध में विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या अकाल कानून के अन्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित होते ही किसी भी तरह की वसूली रोक दी गई है और यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1978-79 में राजस्थान के 24 जिलों की 91 तहसीलों के 4390 ग्राम बाढ़ अतिवृष्टि और अपर्याप्त वर्षा से खरीफ फसलों की क्षति होने के कारण अभाव की परिस्थितियों से प्रभावित हुए घोषित किए गए हैं ।

ओला वृष्टि के कारण कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़, गंगानगर, सीकर, झुनझुन, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, सवाई, माधोपुर, जयपुर और अलवर जिलों के 655 ग्रामों में फसलों के प्रभावित होने की भी सूचना मिली है ।

(ख) 1978-79 के दौरान अभाव की परिस्थितियों से प्रभावित होने के रूप में घोषित किए गए 24 जिलों के नाम ये हैं—अजमेर; जयपुर, भरतपुर, सीकर, झुनझुन, टोंक, कोटा, बूंदी झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डुंगरपुर; भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़; बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागोर और पाली ;

(ग) राज्य सरकार ने सभी प्रभावित जिलों में "काम के बदले अनाज" कार्य-क्रम के अधीन योजनायें शुरू की गई हैं, जहां लोग प्रतिदिन 5 किलोग्राम गेहूं की मजदूरी की दर से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं । जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागोर, बीकानेर, चुरू और

जालौर के जिलों को पेयजल की सप्लाई करने के लिए 70 रोड वाटर टैंकर भी आवंटित किए गए हैं। बाड़मेर में पेयजल की सप्लाई रेल बोर्न टैंकरों से भी की जा रही है।

ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में जिन परिवारों की 75 प्रतिशत या इससे अधिक फसलें ओलावृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनको प्रति परिवार एक क्विंटल की दर पर मुफ्त राहत दी जा रही है। सभी प्रकार की राहत कितने व्यक्तियों को दी जा रही है उनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है।

(घ) सरकार ने राज्य अकाल संहिता तथा राजस्थान पट्टेदारी कानून के अधीन अभाव की परिस्थितियों से प्रभावित घोषित किये गये सभी ग्रामों में 30-9-79 तक भूमि राजस्व तथा सरकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दी है। इन क्षेत्रों में सहकारी समितियों से प्राप्त अल्पकालीन ऋण को मध्यावि ऋण के रूप में भी परिवर्तित किया जा रहा है। सरकार ने रबी में ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में भू-राजस्व की वसूली भी स्थगित की है और अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदलने की अनुमति दी है।

भारतीय खाद्य निगम पर किसानों को देय बकाया राशि

6470. **श्री के० राममूर्ति** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक भारतीय खाद्य निगम पर किसानों को देय राशि, राज्यवार, कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ख) क्या इस बात का ध्यान रखते हुए कि एक वर्ष में धान का उत्पादन दुगना हो गया है भारतीय खाद्य निगम ने धान खरीद केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानुप्रताप सिंह) (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे खरीदे गए खाद्यान्नों के लिए निगम को किसानों को कोई भी राशि देनी नहीं है।

(ख) समर्थन मूल्य के अधीन धान की वसूली करने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विभिन्न राज्यों में क्रय केन्द्र स्थापित किए हैं। जब कभी आवश्यक हुआ तब राज्य सरकारों के परामर्श से अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोले जायेंगे।

सुवर्ण रेखा परियोजना

6471 **प्रो० समरगुह** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार राज्यों ने बाढ़ नियन्त्रण तथा सिंचाई कार्यों हेतु काफी समय से विचाराधीन पड़ी सुवर्णरेखा परियोजना को अंतिम रूप से तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लम्बी अवधि से प्रतीक्षित इस परियोजना को क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) सुवर्ण रेखा खरकई बेसिन के जल संसाधनों के समुपयोजन के बारे में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मुख्य मन्त्रियों के बीच 7-8-1979 को एक करार हुआ है।

(ख) सुवर्ण रेखा बहुप्रयोजनों परियोजना में निम्नलिखित कार्यों की परिकल्पना की गई है—

(i) चान्दोल के निकट सुवर्ण रेखा नदी पर एक चिनाई बांध ।

(ii) सुवर्ण रेखा को सहायक नदी खरकई पर इचा के निकट एक मिट्टी का बांध ।

(iii) दो बराज-एक सुवर्ण रेखा पर गालूडोह के निकट और दूसरा खरकई पर मूरा के निकट ।

(vi) दोनों बांधों और दोनों बराजों को नहर प्रणाली ।

129 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस स्कीम पर प्रति वर्ष 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई, बिहार के क्षेत्रों में आद्योगिक और पेय जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की नियमित सप्लाई और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बाढ़-नियन्त्रण कार्य करने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) बिहार सरकार ने आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है । मार्च, 1979 के अन्त तक लगभग 11 करोड़ रुपये व्यय हुआ है । बिहार सरकार ने वर्ष 1979-80 में इस परियोजना के लिए 8 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है ।

चम्बल घाटी में केन्द्रीय कृषि फार्म

6472. **श्री अर्जुनसिंह भदौरिया** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल घाटी क्षेत्र में केन्द्रीय राजकीय कृषि फार्म की स्थापना करने की दृष्टि से वहां कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) (क) से (ग) : मध्य प्रदेश सरकार के सुझाव के अनुसार भारतीय राज्य फार्म निगम ने मुरेना (6460 हैक्टार) और बिलासपुर (5050 हैक्टार) जिलों में सर्वेक्षण किया था । उनमें से राज्य फार्म की स्थापना के लिए कोई भी स्थान उचित नहीं पाया गया था ।

मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि के कारण फसल को पहुंची क्षति का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय दल

6473 **श्री हरिविष्णु कामत** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के हशिंगाबाद जिले में भयंकर ओलावृष्टि के कारण फसलों को पहुंची क्षति का अनुमान लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई केन्द्रीय दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार से भी प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(घ) उपरोक्त प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला): (क) जी नहीं। राज्य सरकार ने किसी केन्द्रीय दल के दौरे के लिए नहीं कहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का मुफ्त वितरण करने के लिए, निःशुल्क राहत मांगी थी। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को एक हजार मीटरी टन गेहूं दिया जा चुका है।

औद्योगिक समूह ओखला, दिल्ली में उद्योगों का स्थानान्तरण

6474 **श्री निहार लास्कर : श्री आर० बी० स्वामी नाथन** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पहाड़गंज, पहाड़ी धीरज, सदर बाजार जैसी सघन आबादी वाले क्षेत्रों में चल रहे उद्योगों को स्थानान्तरित करने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या उपरोक्त क्षेत्र में उद्योगों के मालिकों को उक्त क्षेत्रों से इन उद्योगों की स्थानान्तरित करने के लिए औद्योगिक समूह ओखला, आदि में औद्योगिक प्लाट दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन उद्योगों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है यद्यपि उनको प्लाट आवंटित किए हुए अनेक वर्ष हो गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों की संख्या और नाम क्या हैं; और

(च) उनके इन क्षेत्रों से उन प्लाटों को स्थानान्तरित न होने के कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में अब तक ऐसे उद्योगों के लिए 4699 आबन्टन किए गए हैं ;

(ग) जी, हां।

(घ) यह अंशतः सत्य है।

(ङ) तथा (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस बारे में अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

शरणार्थियों का दण्ड कारण्य से मारीचझापी जाना

6475. **श्री सुशीलकुमार धारा** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल के कुछ शरणार्थी जो दण्डकारण्य में बस गये थे मारीचझापी चले गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने वहां कोई लघु उद्योग स्थापित कर लिया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री : (क) जी हां ;

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

आसाम में भूमि जल के बारे में विश्व बैंक का प्रतिवेदन

6476 **श्री वेदव्रत बरुआ** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल ने आसाम में भूमि--जल क्षमता का अध्ययन करने के लिये 1975-76 में इस राज्य का दौरा किया था,

(ख) क्या उक्त दल ने दल के विचार में विश्व के भूमि-जल के एक-एक विशालतम भण्डार का कुछ भी उपयोग न किये जाने पर आश्चर्य प्रकट किया था .

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रतिवेदन का कोई अध्ययन किया है और क्या राज्य सरकारों ने दल के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कोई सुझाव अथवा अनुरोध केन्द्र सरकार के पास भेजे हैं. और

(घ) क्या इस प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही करने का विचार किया गया है;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) (क) से (घ) तक : सामग्री एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

6477 **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में स्थित वर्तमान टेलीफोन एक्सचैंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रायोगिक आधार पर इसके कार्यकरण से सन्तुष्ट है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्यप्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन

6478 **श्री टी० ए० पै** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि मध्यप्रदेश में सोयाबीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन की संभाव्यता है तथा इस संदर्भ में कठिनाई केवल विपणन की है ; और

(ख) इस कठिनाई को दूर करने तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) जी हां।

(ख) देश में सोयाबीन के विपणन की समस्या से निपटने के उद्देश्य से, जिसमें मध्यप्रदेश भी शामिल है जहां इस फसल के अन्तर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, भारत सरकार ने 1978-79 के लिए 175 रु० प्रति क्विंटल का साहाय्य मूल्य निर्धारित किया है और इसकी खरीद का कार्य राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को सौंप दिया है। नाफेड ने 1978-79 के दौरान मध्य प्रदेश में 63,839 मीटरी टन सोयाबीन की खरीद की है जो राज्य में सोयाबीन के कुल अनुमानित उत्पादन का लगभग 34 प्रतिशत है।

उल्लिखित मंडी साहाय्य के अलावा भारत सरकार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत सोयाबीन विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को निम्नलिखित सहायता भी प्रदान कर रही है :—

(1) बीज उत्पादन के विभिन्न चरणों तथा इसके वितरण पर राजसहायता देना,

(2) आधे हैक्टर के लिए पर्याप्त नई किस्म के बीजों से युक्त मिनीकिटों का निःशुल्क वितरण करना,

(3) खेती की वैज्ञानिक विधियों के अपनाने को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए राज सहायता देना, तथा

(4) विस्तार कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को व्यवस्था करना।

खेलकूद के लिए राष्ट्रव्यापी योजना

6479 : **श्री मुकुन्द मंडल** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेलकूद में युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खेलकूद के संबध में सरकार का क्या उद्देश्य है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धन्ना सिंह गुलशन) (क) से (ग) : खेल एक ऐसा कार्यकलाप है जो संविधान की राज्य सूची में आता है। खेलों का प्रतियोगी पहलू राष्ट्रीय खेल संघों/संस्थाओं के हाथ में है जो राजनीतिक वाणिज्यक अथवा सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वायत्त निकाय है। तथापि, इन सांविधानिक सीमाओं के अन्दर तथा खेलों के लिए उपलब्ध राशि के अन्दर, सरकार कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करती आ रही है जिनका उद्देश्य खेलकूद में युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देना है। इनमें शामिल हैं :—

(I) खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना,

(II) ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम,

(III) राज्य अथवा निचले स्तरों पर ऐसे ही समारोह के बाद महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन, और

(IV) उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान करना। राज्य सरकारों से, स्कूलों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाने की सम्भावना पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार एक नई राष्ट्रीय खेल नीति तैयार करने के संबंध में विचार कर रही है तथा इस प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय खेल परिषद् से उन रूपरेखाओं की सिफारिश करने का अनुरोध किया गया है जिनके अनुसार यह नीति तैयार की जाए।

बक्सर कोलाबार परियोजना

6480 **श्री रामानन्द तिवारी** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के भोजपुर जिले में गंगा की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ वर्ष पूर्व बक्सर-कोलाबार परियोजना आरम्भ की गई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके आरम्भ से अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) और (ख) : 35.67 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली बक्सरकोयलवार स्कीम में गंगा के दक्षिणी किनारे पर 96 किलोमीटर, सोन और गंगा के संगम कोयलवार तक सोन के पश्चिमी किनारे के साथ 11 किलोमीटर गंगी (पूर्वी) के दोनों किनारों के साथ 38 किलोमीटर और गंगी (पश्चिमी) के दोनों किनारों के साथ 20 किलोमीटर लम्बे तटबंधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है और इससे 79.000 हैक्टेयर क्षेत्र के लाभान्वित होने की आशा है। इस स्कीम का क्रियान्वयन बिहार सरकार द्वारा चरणबद्ध आधार पर किया जा रहा है। इस स्कीम पर कार्य 1973-74 में आरम्भ हुआ था और धनराशि के उपलब्ध होने पर उक्त कार्य के 1979-80 के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा थी। लेकिन धनराशि की कमी के कारण और 1975 में पटना के जलमग्न हो जाने के परिणामस्वरूप पटना बाढ़ सुरक्षा वर्क्स को प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिए जाने की आवश्यकता के कारण इस स्कीम पर मार्च, 1978 तक लगभग 500 लाख रुपये की धनराशि ही खर्च की जा सकी। 1978-79 के दौरान इस स्कीम पर 1 करोड़ रुपये के व्यय होने की प्रत्याशा है। 1979-80 के दौरान राज्य सरकार ने इस स्कीम के लिए 225 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

हाप की खेती

6481 : **श्री गंगा सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हाप की प्रति एकड़ उपज कितनी है :

(ख) क्या भारत में इसकी घरेलू मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त हाप उत्पादित किये जा रहे हैं : और

(ग) क्या सरकार का विचार हाप की खेती को प्रोत्साहन देने का है और यदि हां, तो किस ढंग से,

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) इस समय हाप की खेती मुख्यत: जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में और प्रयोगात्मक आधार पर उत्तर प्रदेश में की जा रही है। चूंकि इसकी खेती देश में हाल ही में शुरू की गयी है, अत: हाप की प्रति एकड़ उपज के कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, हाप उत्पादन के कुछ तदर्थ अनुमानों के अनुसार 1978-79 के दौरान जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में क्रमश: 1000 क्विंटल और 15 क्विंटल उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) हाप के विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। तथापि, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में हाप की खेती को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस दिशा में उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार है :— (1) अनुसंधान को बढ़ाना (2) उचित व्यवस्था तथा खेती की प्रणालियां शुरू करना एवं हाप का परिसंस्करण करना। हिमाचल प्रदेश सरकार निवेश की आरंभिक लागत पर 50 प्रतिशत राज सहायता और हाप परिसंस्करण/निर्जलीकरण उपकरणों आदि पर शतप्रतिशत राजसहायता भी दे रही है।

नर्मदा नदी के शुष्क हो जाने की संभावना

6482 **श्री एफ० पी० गायकवाड़** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नर्मदा नदी के उदगम स्थल पर इसके शुष्क हो जाने की संभावना के बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुण्ड का स्रोत, विन्धाचल पर्वतश्रेणी में अमर कटक पहाड़ियों में नदी का उद्गम स्थल है, अंचल में बड़े पैमाने पर निर्बनीकरण और बाक्साइट के लिये खनन के कारण उत्पन्न परिस्थितिकीय असमानता के कारण सूख रहा कहा जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि अमरकंटक विकास प्राधिकरण बाक्साइट खनन को सीमित करने विन्धय पठार में खेती, नलकूपों को खुदाई रोकने और मिले जुले वनों के बड़े पैमाने पर रोपण के प्रश्न पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

जनजाति क्षेत्रों में तार तथा टेलीफोन सुविधाओं का बढ़ाया जाना

6483 **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजाति क्षेत्रों में तार तथा टेलीफोन सुविधायें बढ़ाने का है ;

(ख) क्या इस संबंध में उदार नीति बरती जायेगी ताकि कम आबादी वाले और कम दूरी पर स्थित गांवों में यह सुविधा पहुंच सके ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख)—जी हां, इस संबंध में पहले से ही उदार नीति अपनायी गई है ।

(ग) जन जाति क्षेत्रों में तार और टेलीफोन सुविधाओं का विस्तार बिना किसी हानि की सीमा तथा न्यूनतम राजस्व की बिना किसी शर्त के किया जाएगा बशर्ते कि एक बड़े केन्द्रीय ग्राम को 10 कि०मी० की अरीय दूरी में आने वाले ग्रामों के समूह की जनसंख्या 2,500 या अधिक हो लेकिन एक दूसरे से 10 कि०मी० अरीय दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन घर इस आधार पर नहीं खोले जा सकते ।

सार्वजनिक टेलीफोन घरों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केन्द्रीय ग्राम का निर्धारण करते समय निम्न क्रम मे वरीयता दी जायेगी :

(क) जनजाति विकास खण्ड मुख्यालय ।

(ख) वे स्थान जहां एल०ए०एम०पी०एस० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं, और

(ग) वे केन्द्र जिन्हें स्थानीय जनजाति विकास विभागों द्वारा ग्राम उद्योगों के विकास और या सघन कृषि विकास हेतु सिंचाई परियोजना के लिए चुना है ।

अमृतसर-लुधियाना और लुधियाना-दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

6484 **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अमृतसर-लुधियाना और लुधियान-दिल्ली के बीच सीधी टेलीफोन सेवा कब तक आरम्भ हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : लुधियाना से अमृतसर के बीच पूर्ण कालिका (एक तरफा) सीधी टेलीफोन सेवा और लुधियाना से दिल्ली के बीच (एक तरफा) रात्रि कालीन सीधी टेलीफोन सेवा पहले से ही उपलब्ध है। वापसी पूर्ण कालिक सीधी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था वर्ष 1980 के मध्य तक हो जायगी।

रेगिस्तान के विकास के लिए राजस्थान को अल्प संसाधन

6485 **श्री राम किशन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दो वर्षों में राजस्थान को किस सीमा तक संसाधन उपलब्ध कराये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार को 974·13 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता सुलभ की गई है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में परिवीक्षाधीन अधिकारी

6487 **श्री टी०एस० नेगी : श्री श्यामलाल धुर्वे: क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की भारतीय सप्लाई सेवा के अधिकारियों को बाद की प्रत्येक पदोन्नति के समय परिवीक्षाधीन रखा जा रहा है जो भारतीय सप्लाई सेवा (श्रेणी-एक) नियम, 1961 के नियम 13 और 14 अद्यतन संशोधित रूप में, और गृह मन्त्रालय के द्वारा का० ज्ञा० सं० 44/1/59/एस्टेब्लिशमैंट्स (ए०) दिनांक 15 अप्रैल, 1959 द्वारा जारी पेपर आन प्रावेशन के नियम 1 (7) का उल्लघंन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) अधिकारियों को परिवीक्षाधीन रखने से संबंधित भारतीय सप्लाई सेवा नियमों के नियम 13 का संबंध सेवा के ग्रेड 3 में केवल सभी भर्ती से है। नियम 14 का संबंध सेवा में पदोन्नति से है।

सेवा के अनुबन्धों के अनुसार क्योंकि किसी निम्नस्तर की सेवा में किए गए कार्य के निष्पादन से ही किसी कर्मचारी के उच्च स्तर की सेवा के लिए कार्य-क्षमता का अनुमान लगाया जा सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि किसी उच्च स्तर की सेवा में स्थायी करने से पहले उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन कर लिया जाये", और किसी सेवा में पदोन्नत तथा नये भर्ती हुए सभी अधिकारियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाना चाहिए। तदनुसार, अधिकारियों को बाद की प्रत्येक पदोन्नति के समय परिवीक्षाधीन रखा जाता है।

महाराष्ट्र के लोहा गांव में डाक घर की इमारत का गिर जाना

6488 : **श्री केशवराव धोडगे : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मराठवाडा क्षेत्र के नांदेड जिले में कांधार तालुके के लोहा गांव में डाकघर को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया गया है;

(ख) इस इमारत की मरम्मत के लिए क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इस इमारत के सामान की चोरी की जा रही है; और

(घ) सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) लोहा स्थित डाकघर को एक किराये की इमारत में तारीख 1-4-74 को स्थानांतरित कर दिया गया था।

(ख) विभागीय इमारत काम करने लायक नहीं रह गई है और इसको दुबारा मरम्मत कराने के प्रश्न को लेकर जांच की जा रही है।

(ग) इस पुरानी इमारत के सामान की चोरी की बाबत कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) उपर्युक्त 'ग' को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स का बन्द होना

6489. **श्री वयालार रवि** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में दिसम्बर, 1974 में चालू किया गया अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स एक्सचेंज बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां,, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसके सुचारु रूप से कार्यकरण के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरिप्रसाद साय) (क) जी हां। वर्ष 1974 मेंअन्तरिम उपाय के बतौर एक 50 लाइनों वाला अर्ध-स्वचल 'अन्तर्राष्ट्रीय टेलेक्स एक्सचेंज खोला गया था और अब उसे बन्द कर दिया गया है।

(ख) सभी सर्किटों को अब जनवरी, 1978 में बम्बई में चालू किए गए सम्पूर्ण स्वचल टेलेक्स एक्सचेंज को अन्तरित कर दिया गया है।

(ग) यह नया एक्सचेंज संतोषजनक कार्य कर रहा है।

मेहसाना, गजरात में सहकारी दुग्ध समितियों के लिए टेलीफोन कनेक्शन

6490. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जिला मेहसाना के गांवों की सहकारी दुग्ध समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए राशि जमा करायी है;

(ख) उन सहकारी दुग्ध समितियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन तारीखों को अपेक्षित राशि जमा करायी ; और

(ग) क्या उक्त दुग्ध सहकारी समितियों को 31 मार्च, 1979 तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

साक्षरता स्कूल चलाने के लिए कर्नाटक द्वारा मांगी गई सहायता

6491. **श्री पी०के०कोडियन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंग के रूप में राज्य में साक्षरता स्कूल चलाने का काम करने वाले स्वैच्छिक एजेंसियों/संगठनों को वित्तीय अनुदानों के रूप किसी सहायता मांगी है;

(ग) इनमें से प्रत्येक एजेंसी/संगठन द्वारा राज्य में कितने साक्षरता स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन सभी स्कूलों में निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक एजेंसी/संगठन को अब तक कुल कितनी सहायता दी जा चुकी है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) : विवरण—1 तथा विवरण—2 संलग्न हैं :—

विवरण—1

प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयं सेवी एजेंसियों के लिए सहायता की योजना सीधे ही शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों की सिफारिशों के आधार पर स्वयं सेवी एजेंसियों को इस योजना के अंतर्गत/ राशि प्रदान की जाती है संस्था प्रौढ़ साक्षरता इस योजना के अंतर्गत कोई भी प्रौढ़ साक्षरता स्कूल नहीं चलाया जाता है। ऐसे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को आयोजित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, जिन्हें पढ़ने वालों की सुविधानुसार प्रतिदिन लगभग दो घंटे के लिए अंशकालिक आधार पर चलाया जाता हैं। प्रत्येक केन्द्र में 30 प्रौढ़ों को दाखिल करने की संभावना होती है।

2. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा सिफारिश की गई स्वैच्छिक एजेंसियों की सूची केन्दों की संख्या तथा वर्ष 1978-79 में अनुमोदित वित्तीय सहायता की राशि विवरण—1 में दी गई है।

विवरण—2

क्रमांक	संगठन का नाम	अनुमोदित परियोजना	स्वीकृत अनुदान की राशि
1.	समाज सेवा गिल्ड,, किस्तु ज्योति कालेज बंगलौर	30 केन्द्र	49,500
2.	मैसूर समाज विद्या केन्द्र, मागडी	30 केन्द्र	49,500/-
3.	बंगलौर बहुउद्देशीय समाज सेवा सोसायटी बंगलौर	30 केन्द्र	49,500/-
4.	अंकल जैसूर शैक्षिक तथा धर्मस्व सोसायटी बंगलौर	30 केन्द्र	49,500/-
5.	दि पूना जेसूर स्कूल सोसायटी जेवियर प्रशिक्षण कालेज, बेलगांव	60 केन्द्र	98,200/-
6.	जनसेवा विद्या केन्द्र, चन्नमहली	60 केन्द्र	98,200/-

1	2	3	4
7.	वाणि मित्र केन्द्र, बंगलौर	60 केन्द्र	98,200/-
8.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ धारवाड़*	60 केन्द्र	98,200/-
9.	-वही- बंगलौर*	60 केन्द्र	98,200 -
10.	श्री भवानी शिक्षा सोसायटी, मागडी बंगलौर	विचाराधीन है	
11.	कर्नाटक स्वास्थ्य संस्थान, बेलगांव	-वही-	
12.	राष्ट्रोत्थान परिषद, कैम्पगोदानगर	-वही-	
13.	ग्रामीण शिक्षा अनुसंधान केन्द्र, बोकार्ण	-वही-	
14.	कर्नाटक शिशु कल्याण राज्य परिषद, बंगलौर	-वही-	
15.	विधाता शिक्षा सोसायटी, अनेकल	-वही-	
16.	सर्वोदय विद्यापीठ, विजयनगर	-वही-	
17.	हावेरी तलुक, खादी व ग्रामोद्योग सहकारिता सोसाइटी लिमि० तोटाडे येलापुर डाकघर, नालोगोल	-वही-	
18.	केन्द्रीय कामनगर शिक्षा संस्थान	-वही	
19.	कर्नाटक हिन्दु कृषि कार्मिक मंडली रामनगर, बंगलौर	-वही-	
20.	कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद, मैसूर	-वही-	
21.	भारत सेवक समाज, बेलगांव	भारत सेवक समाज के कार्यों की जांच करने वाले कपूर जांच आयोग की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लिए जाने के पश्चात ही इन आवेदन पत्रों पर विचार किया जायेगा।	
22.	भारत सेवक समाज, बंगलौर		

टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र

6492. **श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन लाइन के लिए मंजूरी हेतु अनेक आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार, अब तक कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं और कब से; और

(ग) इस गतिरोध को कब और कैसे दूर किया जाएगा ?

संचार राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां।

* इन संगठनों को अनुदान प्रमुख निकाय, अर्थात भारतीय आदिम जाति सेवक संघ नई दिल्ली के माध्यम से स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूह में मत्स्य निगम

6493. **श्री रेणुपददास :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अंदमान निकोबार प्रशासन द्वारा तैयार किये गये उस प्रस्ताव की स्थिति क्या है जिसके अन्तर्गत मत्स्य निगम का गठन किया जाएगा तथा जिसका उद्देश्य पकड़ी गई मछली का उपयोग करने और उसका निर्यात करने, जो आर्थिक, सक्षमता का सूचक है, के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रतापसिंह) : अंदमान प्रशासन ने 10.96 करोड़ रुपये की लागत से एक मात्स्यकी विकास निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव भेजा था । प्रस्ताव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के आठ जलयान तथा तेरह यंत्रीकृत नौकाओं के बेड़े की व्यवस्था करने का विचार था । अंदमान में अवसंरचनात्मक सम्बन्धी कम सुविधाओं तथा अपर्याप्त संगठन के सदर्भ में योजना पर विचार-विमर्श करते समत प्रस्ताव में कुछ मुद्दे उठाए गए । अंदमान प्रशासन से और अधिक सूचना प्राप्त की जा रही है । यह मामला अभी विचाराधीन है ।

क्षय रोग और कैन्सर से पीड़ित कर्मचारियों को सरकारी आवास

6494. **श्री सन्तोष राव गोड़े** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) कितने कर्मचारियों को क्षय रोग और कैंसर के आधार पर क्वार्टर आवंटित किये गये हैं ।

(ख) कितने आवेदन-पत्रों पर क्षय रोग और कैंसर के आधार पर क्वार्टरों के आवंटन हेतु अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनको अस्वीकार किये जाने का क्या कारण है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान, क्षय रोग तथा कैंसर रोग के आधार पर 182 कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किए गए थे ।

(ख) वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान, क्षय रोग तथा कैंसर रोग के आधार पर तदर्थ आवटन के लिये 417 आवेदन पत्र अस्वीकार किए गये थे ।

(ग) उन्होंने क्षय रोग तथा कैंसर रोग के आधार पर तदर्थ आवंटन करने के संबंध में निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं किए ।

गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यानों के मूल्य

6495. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण : श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री पी०एम० सईद :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्न और मोटे अनाजों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को किस प्रकार रोकने का प्रस्ताव है;

(ग) मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों में कितनी वृद्धि हुई है और उनमें हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) 17 मार्च, 1979 को धान्यों के थोक मूल्यों के अखिल-भारतीय सूचकांक 157.3 था जो मार्च, 1976 में 145.3 के तदनुरूपी सूचकांक की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है। तथापि, मार्च, 1977 के तदनुरूपी सूचकांक की तुलना में नवीनतम सूचकांक में 1·4 प्रतिशत की गिरावट नजर आई है।

(ग) 1976-77 के दौरान धान्यों के मूल्यों में जो वृद्धि हुई थी वह मुख्यतः 1976-77 में उत्पादन में गिरावट की वजह से हुई थी।

(घ) विभिन्न राज्यों में, मार्च, 1979 के अन्त में चावल, गेंहूं ज्वार और मक्का के थोक मूल्यों और 1976 के मार्च के अंत में और 1977 के मार्च के अंत में इनके उतार-चढ़ाव को प्रदर्शित करने वाले विवरण संलग्न हैं। उनको देखने से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों की तुलना में अधिकांश राज्यों में सभी धान्यों के मूल्यों में सामान्यतः गिरावट हुई है और इस समय मूल्य उचित स्तर पर हैं।

विवरण

थोक मूल्य

(रुपए प्रति क्विंटल)

राज्य	31 मार्च, 1979 को थोक मूल्यों का स्तर	31 मार्च, 1979 को निम्न तारीखों के स्तर की तुलना में नवीनतम थोक मूल्यों में उतार-चढ़ाव	
		31-3-77	31-3-76
(1)	(2)	(3)	(4)
		चावल	
आन्ध्र प्रदेश	110-160	(—) 8-50	मिश्रित
असम	170-180	( ) 8-15	(+) 5-40
बिहार	150-200	(—) 10-15	(+) 5-34
गुजरात	160-305	(+) 10-25	(+) 10-35
हरियाणा	142-175	—	(—) 25
हिमाचल प्रदेश	163	(+) 8	—
कर्नाटक	140-238	(—) 5-23	मिश्रित
केरल	162-203	(—) 10-60	(—) 55-86
मध्य प्रदेश	130-180	(—) 2-25	(+) 3-20
महाराष्ट्र	172-185	(—) 20-38	(—) 30
उड़ीसा	140-167	(—) 1-28	(+) 2-26
पंजाब	144-430	मिश्रित	(+) 12-182

1	2	3	4
तमिलनाडु	130-167	(—) 5-30	(+) 13-18
उत्तर प्रदेश	143-430	(+) 2-50	(+) 13-72
पश्चिमी बंगाल	162-217	(—) 7-23	(+) 17-40
दिल्ली	162	(—) 18	(+) 17
	गेहूं		
बिहार	140	(—) 10	(—) 22
गुजरात	135-138	(+) 5-14	(+) 22-31
हरियाणा	134-144	(+) 4-12	(+) 14-30
कर्नाटक	185	(—) 30	( ) 15
महाराष्ट्र	140-145	(—) 2	(+) 10-11
पंजाब	116-131	(—) 6-7	(—) 1-11
राजस्थान	130-145	मिश्रित	(+) 23-31
उत्तर प्रदेश	113-145	(—) 1-22	(+) 10-37
दिल्ली	131-133	(—) 29	—
	ज्वार		
आन्ध्र प्रदेश	70-85	(—) 33	(—) 11-20
गुजरात	113	—	(—) 12
कर्नाटक	100-104	(—) 6-30	(—) 23-25
हरियाणा	—	—	—
मध्यप्रदेश	90	(+) 12	(—) 10
महाराष्ट्र	105-140	(+) 5-10	(—) 5-10
राजस्थान	110-120	(—) 4-10	(+) 16-50
तमिलनाडु	83-102	(—) 15-41	(—) 14-22
उत्तर प्रदेश	88-107	मिश्रित	(+) 13-37
	बाजरा		
आन्ध्र प्रदेश	85	(—) 31	(+) 10
गुजरात	104-115	(—) 1-5	(+) 15-19
हरियाणा	72	(—) 18	—
मध्य प्रदेश	91	(—) 12	(+) 8
महाराष्ट्र	80-100	(—) 7-25	(—) 15
कर्नाटक	60-95	(—) 25-48	(—) 6-15
राजस्थान	95-100	(+) 3	(+) 20-30
तमिलनाडु	84-90	(—) 21-45	(—) 9-12
उत्तर प्रदेश	72-85	(—) 10-22	मिश्रित
दिल्ली	95	(—) 10	(+) 21
	मक्का		
आन्ध्र प्रदेश	83-95	(—) 17-21	(+) 10

1	2	3	4
बिहार	125-139	मिश्रित	(+) 37-50
गुजरात	112	(—) 1	(+) 37
कर्नाटक	92	(—) 20	—
पंजाब	106-108	(—) 3-28	(+) 32
राजस्थान	98	(—) 5	(+) 31
उत्तर प्रदेश	95-110	मिश्रित	(+) 25-35
मध्य प्रदेश	118	(+) 18	(+) 33

राष्ट्रीय शहरी-करण नीति

6496. **श्री अमर राय प्रधान : क्या निर्माण और आवास तथा** पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय शहरी-करण नीति में अब तक क्या प्रगति हुई हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) योजना आयोग द्वारा नगर विकास पर गठित कार्यकारी दल विचारार्थ विषय के अन्तर्गत संदर्भित राष्ट्रीय नगरी करण नीति और नगर विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहा हैं। कार्यकारी दल की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है। सरकार द्वारा नीति निर्धारण करने में इन सिफारिशों पर विचार किया जाएगा।

बड़े शहरों में श्रमजीवी लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण

6497. **श्री लालजी भाई** : क्या **निर्माण और आवस तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भिन्न भिन्न राज्यों के बड़े शहरों में श्रमजीवी लड़कियों के लिए होस्टल बनाने का है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के बड़े शहरों में कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल बनाए जाने का प्रस्ताव नहीं है। समाज कल्याण विभाग की एक योजना है जिसके अन्तर्गत कार्यरत महिलाओं के लिए होस्टल बनाने होस्टलों में विस्तार करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुमानित लागत के 75 प्र०श० तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना 1972-73 से चल रही है तथा विभिन्न स्वच्छिक संगठनों के लिए अभी तक 178 होस्टलों की मंजूरी दी गई है।

नई दिल्ली, होटल जनपथ के सामने की मस्जिद

6498. **श्री एफ०एच० मोहसिन : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में होटल जनपथ के सामने की मस्जिद वेस्टर्न कोर्ट टूटी-फूटी हालत में है,

(ख) क्या नमाजियों ने इस मामले के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है,

(ग) क्या 20 अगस्त, 1978 को मस्जिद का एक हिस्सा गिर गया जिससे इमाम और उसकी पुत्री घायल हो गये, और

(घ) यदि हां, तो क्या शीघ्र ही मरम्मत की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन में ऐसे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । तथापि, दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस संबंध में दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) दिल्ली वक्फ द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुख्य प्रार्थना-हाल के समीप की दीवारें तथा छत पिछली बरसात में गिर गई थी और इस की पुष्टि बोर्ड के स्टाफ द्वारा 21 अगस्त, 1978 को की गई थी । तथापि, इमाम और उनकी पुत्री को चोट लगने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(घ) दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सूचित किया है कि भूमि और विकास कार्यालय से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए जाने के बाद वे मरम्मत (पुर्ननिर्माण) का कार्य करेंगे ।

छोटे तथा मध्य वर्ग के किसान परिवारों के शिक्षित युवकों को अनुदान

6499. **श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे तथा मध्य वर्ग के किसान परिवारों के शिक्षित युवकों को कृषि के काम में लाई जाने वाली मशीनों की खरीद के लिए अनुदान देने का है, और

(ख) क्या सरकार का विचार जापान की नवीन प्रौद्योगिकी के आधार पर विद्युत चालित हलों का निर्माण करके, जो जापान में बहुत प्रभावी सिद्ध हुए हैं और उन पर कम से कम लाभ लेकर किसानों को यह विद्युत-चालित हल उपलब्ध करने का है जिससे कि शिक्षित युवक हस्तचालित मशीनों के साथ काम कर सक ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । तथापि क्षेत्र कार्यक्रमों के अधीन लघु और सीमांत कृषकों को, उनकी आयु और शिक्षा पर ध्यान दिये बगैर थिरेशर, पम्पसेट, हल आदि जैसी छोटी मशीनों एवं उपकरणों की खरीद के लिये राज सहायता दी जाती है ।

(ख) पावर टिलरों के मूल्य में कमी करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

समाज के कमजोर वर्गों के लिये वर्ष 1979-80 के दौरान मकानों का निर्माण

6500. **श्री बीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 1979-80 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों, हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए मकान निर्माण करने की योजना आरम्भ करने का है और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या और देश के प्रत्येक राज्य में इस कार्य पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जायेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) आवास राज्य का विषय होने के कारण आवास संबंधी सभी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है । राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता आवास सहित उनके सभी राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है जो उनके किसी योजना परियोजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से सम्बद्ध नहीं

होती है। राज्य सरकारें अपनी अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार अपने अपने प्लान योजनाओं पर जिसमें ग्रामीण आवास भी शामिल है, समेकित सहायता का उपयोग करने में स्वतंत्र हैं। पंचवर्षीय योजना (1978-83) के प्रारूप में केवल मात्र ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हरिजनों और आदिवासियों के लिए मकान बनाने के लिए कोई केन्द्राय योजना/केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना नहीं है। किन्तु उन्हें आवास के क्षेत्र में सामान्य कार्यक्रमों मे लाभ उठाना है।

पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालयों का विभाजन से पहले और बाद में खर्च

6501. **श्री फिरंगी प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में विभाजन से पहले पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालयों पर कितना खर्च हुआ था और उनके विभाजन के बाद उन पर वर्ष-वार और सर्किलवार कितना खर्च हुआ है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : वांछित सूचना, स्थिति स्पष्ट करने वाली टिप्पणी सहित अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दी गई है।

प्रश्न में पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालयों का द्विभाजन से पूर्व और बाद के व्यय की बाबत पूछा गया है। यह पूर्णरूपेण स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में पूछा गया द्विभाजन का संबंध भूतपूर्व पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय के कार्यात्मक द्विभाजन से है जो पोस्ट मास्टर जनरल, डाक और जनरल मैनेजर, दूरसंचार के रूप में तारीख 1-9-74 से किया गया था अथवा इसका संबंध अभी हाल में तारीख 1-4-76 से लेखा और लेखा कार्य रूप में सर्किल कार्यालयों के द्विभाजन से है। जहां तक अनुमान है यह प्रश्न अभी हाल में हुए लेखाओं के विभागीकरण से संबंधित है। इस संबंध में प्रसंगवश यह कहना है कि विभागीयकरण से पहले भी लेखा की लागत यद्यपि मूलरूप से अलग-अलग बुक की जाती थी परन्तु अन्तिम साल से लेखा संबंधित डाक तार शीर्ष के अन्तर्गत हिसाब में ली जाती थी। फिर भी, उपरोक्त दोनों स्थितियों में हुए व्यय के आंकड़े क्रमशः संलग्न विवरण पत्र 'क' और 'ख' में दिए गए हैं।

1978-79 के दौरान स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंज

6502. **श्री बलवन्त सिंह रामवालिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79 में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए ;

(ख) उनमें से ग्रामीण एक्सचेंजों की संख्या कितनी है ;

(ग) वर्ष 1978-79 में पंजाब और हरियाणा में कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए ; और

(घ) पंजाब और हरियाणा में 1979-80 में ऐसे कितने एक्सचेंज खोलने की योजना हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) (ख) (ग) और (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

ऊँचे ग्रेड में पदोन्नति के लिए टी०ई०एस० द्वितीय श्रेणी के संवर्ग में स्थायीकरण

6503. **श्री बालक राम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी०ई०एस० प्रथम श्रेणी (वर्ग क) के पदों पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों को विचार जोन में लाने हेतु टी०ई०एस० द्वितीय श्रेणी (वर्ग ख) के संवर्ग में स्थायीकरण एक अनिवार्य अर्हता है,

(ख) यदि हां, तो क्या टी०ई०एस० द्वितीय श्रेणी (वर्ग ख) के अधिकारियों के बारे में इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद उक्त संवर्ग में स्थायीकरण के लिए विचार किया जा रहा है,

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और एक अभ्यर्थी को स्थायी घोषित करने के बारे में न्यूनतम अवधि कितनी निर्धारित की हुई है, और

(घ) क्या 3 वर्ष की संतोषजनक सेवा वाले व्यक्तियों के बारे में टी०ई०एस० प्रथम श्रेणी (वर्ग क) के लिए विचार किया जाएगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) स्थायी रिक्तियों के होने पर तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'बी' के अधिकारियों क स्थायी किए जाने के लिए मामलों पर विचार किया जाता है । इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है कि वे अधिकारी जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, उनके मामले पर स्थायी किए जाने के लिए विचार नहीं किया जा सकता और न इसी बात की गारंटी है कि उन मामलों में जब कि अधिकारी तीन वर्ष की सेवा पूरी कर लेते हैं, स्वतः स्थायी किए जाने के लिए उन पर विचार किया ही जाएगा । स्थायीकरण का स्थायी रिक्तियों की उपलब्धि से ही सीधा संबंध है ।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) में स्पष्टीकरण को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

महिला कल्याण संगठनों को अनुदान

6505. **डा० बापू कालदाते** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम में महिला कल्याण संगठनों को अनुदान दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978 के दौरान ऐसे संगठनों को दिये अनुदानों, उनके नामों, राशि तथा जिन कार्यक्रमों/कार्यों के लिए अनुदान दिये गये उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार में गेंहूँ की क्षति

6506. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय गेंहूं का कितना स्टाक उपलब्ध है ;

(ख) क्या वर्षा के कारण, विशेषकर इस वर्ष बिहार में आयी बाढ़ के कारण कुछ गोदामों में गेंहूं की क्षति हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) पहली मार्च, 1979 को भारतीय खाद्य निगम के पास गेंहूं की कुल मात्रा लगभग 57.8 लाख मीटरी टन थी ।

(ख) और (ग) 1978-79 के दौरान विभिन्न राज्यों में भारी वर्षा, तूफानों, बाढ़ों आदि से प्रभावित गेंहूं की कुल 2.60 लाख मीटरी टन की मात्रा में से लगभग 6.7 हजार मीटरी टन

की मात्रा बिहार क्षेत्र में प्रभावित हुई थी । प्रभावित स्टाक की सफाई का कार्य प्रगति पर है और वास्तव में क्षतिग्रस्त या मानव उपभोग के आयोग्य हुई मात्रा का पता सफाई कार्य पूरा हो जाने के बाद लगेगा ।

पाक अधिकृत काश्मीर से जम्मू आये शरणार्थियों को सम्पत्ति अधिकार देना

6507. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जालन्धर से प्रकाशित होने वाले दिनांक 23 जनवरी, 1979 के दैनिक 'वीर प्रताप' के पष्ठ 5 पर छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार विस्थापित व्यक्तियों की मांगों की लगातार उपेक्षा कर रही है और यदि उन्हें स्थायी आधार पर शीघ्र पुनः नहीं बसाया गया तो उनकी कार्यवाही समिति असहयोग आन्दोलन आरंभ करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो भारत के विभाजन के समय पाक अधिकृत काश्मीर से जम्मू आये अभागे विस्थापित व्यक्तियों को अब तक स्थायी आधार पर पुनः न बसाने अर्थात् उन्हें सम्पत्ति का अधिकार न देने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क) जी हां ।

(ख) इन भूमियों की स्थिति के संदर्भ में विस्थापित व्यक्तियों को, निजी जोत के अधीन भूमियों के बारे में, दखलकारी काश्तकार के अधिकार देने के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा राज्य भूमि सुधार अधिनियम में उपयुक्त तथा संभव व्यवस्था की गई है और विस्थापित व्यक्ति पट्टेदारी की सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं और उसके बदले में ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा सरकार से किसी प्रकार की अनुमति लिए बिना बिक्री द्वारा हस्तान्तरण, दान या भूमियों के सम्बन्ध में दखलकारी काश्तकार के अधिकारों का विनिमय कर सकते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य का पुनर्विलोकन

6508. **श्री अनन्तदवे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निर्धारित और अनिर्धारित कार्य का संचालन बिना किसी विनियम के कर रहा है और इस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है जिससे योजना आयोग को अपनी राशि का आवंटन पुनरीक्षित करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इसके कार्य का और व्यर्थ दी गई राशि का पुनर्विलोकन करने के लिए 12 सदस्यों की एक समिति नियुक्त की है; और

(ग) यदि हां तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) आयोग के अधिकारों और कार्यों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में उल्लेख किया गया है । आयोग के कार्य को सुचारू रूप से तथा बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए आयोग ने नवम्बर, 1956 में यह तय किया कि इसके अध्यक्ष को इसके अधिकारों के

प्रयोग करने के लिए इस प्रावधान के साथ प्राधिकृत किया जाए कि इस प्रत्यायोजन के अनुसार उसके द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को सूचनार्थ प्रस्तुत की जाएगी। विनियम बनाने के लिए प्रावधान करने की व्यवस्था को, जिसके अंतर्गत आयोग के अधिकार इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा अन्य अधिकारियों को सौंपे जा सकें, जून, 1972 में एक संशोधन के माध्यम से अधिनियम में समाविष्ट किया गया था। तथापि, इस प्रावधान के अन्तर्गत अभी तक कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं। आयोग द्वारा इसके सांविधिक अधिकार के प्रयोग और क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च शिक्षा के लिए निधियों के बीच कोई संबंध नहीं है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, अक्टूबर, 1978 में सरकार ने यह निर्देश दिया था कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग को अपने कार्य-क्रमों का तथा अपनी सांविधिक जिम्मेदारियों को निभाने में इन कार्यक्रमों के प्रभाव का व्यापक पुनरीक्षण करना चाहिए ताकि उन योजनाओं का पता लगाया जाए जो वृत्तावर्ती हों और जिन्हें बन्द किया जा सके तथा आयोग को अपने कार्यों के निपटान से संबंधित नियम बनाने चाहिए जिसमें आयोग को सौंपे गए अधिकारों और कार्यों का उल्लेख हो। इसके अनुसरण में, आयोग ने दो समितियों का गठन किया है ; एक समिति का गठन वर्तमान कार्यक्रमों के पुनरीक्षण के लिए किया गया है तथा एक अन्य समिति का गठन आयोग के कार्यों के संबंध में नियम बनाने के लिए किया गया है।

(ग) दोनों समितियों का कार्य चल रहा है।

दालों के उत्पादन में कमी

6509. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वर्ष 1960-61 तथा 1976-77 के बीच दालों के उत्पादन में 0.63 प्रतिशत की वार्षिक दर से कमी आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि 90 प्रतिशत गरीब लोगों को दालों से अच्छी मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला): (क) जी हां, 1960-61 से 1976-77तक की अवधि के दौरान दलहनों के उत्पादन की दर में गिरावट आई, अर्थात (—) 0,63 प्रतिशत वार्षिक की दर से गिरावट आई। तथापि, 1967-68 से 1977-78 तक की अवधि के दौरान उत्पादन दर में वृद्धि हुई और यह वृद्धि (+) 0.20 प्रतिशत वार्षिक हुई।

(ख) देश में दलहन के उत्पादन में वृद्धि लाने के, लिए सघन उपाय किए जा रहे हैं। इनमें फास्फेटपूरक उर्वरकों का वर्धित प्रयोग, रिजोबियम कल्चर एवं वनस्पति संरक्षण उपाय तथा बहु—फसली एवं अंत: फसली पद्धतियों के माध्गम से अल्पावधि दलहन फसलों को आरम्भ करना शामिल है। बीज संवर्धन कार्यक्रम को सुचारु एवं सुदृढ़ करने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं ताकि दलहन के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाया जा सके। प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए, चने, अरहर तथा मसूर के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से तथा मूंग, उरद तथा लोभिया के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से राज—सहायना प्रदान की जा रही है। दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन उपायों हेतु सहायता, दलहन विकास से सम्बन्धित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए चने का, जो दलहन के कुल उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत है, न्यूनतम समर्थन

मूल्य 1976-77 में 95 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1977-78 में 125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया और 1978-79 के दौरान इसमें और वृद्धि करके इसे 140 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। पहली बार, चालू वर्ष के दौरान अरहर तथा मूंग के समर्थन मूल्य क्रमश: 155 रुपए प्रति क्विंटल तथा 165 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।

देहातों में मकान बनाया जाना

6510. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को मकान सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये चालू वर्ष 1979 में पूरे देश में सरकार का कितना व्यय करने का विचार है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई ब्यौरेवार योजना प्रस्तुत की है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में मकान सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कराने और राज्य के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखते हुए गंगा द्वारा भूमि के कटाव से प्रभावित लोगों के लिये विशेष धनराशि नियत करने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिये बिहार राज्य को कितनी धन राशि देने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री [श्री सिकन्दर बख्त) : (क) राज्य क्षेत्र और केन्द्रीय क्षेत्रों दोनों के लिए ग्रामीण आवास सहित आवास हेतु वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिये प्रत्याशित व्यय 154.31 करोड़ रुपये है।

आवास का विषय राज्य क्षेत्र में होने से केन्द्रीय वित्तीय सहायता आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए "समेकित ऋणों" और "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती हैं। राज्य सरकारें अपनी-अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी अपनी प्लान स्कीमों पर जिसमें ग्रामीण आवास भी शामिल हैं, समेकित सहायता का उपयोग करने में स्वतंत्र हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के अलग से आंकड़े उपलब्ध नही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी. नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोल मार्किट क्षेत्र, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों (पुराने बने) का रख रखाव

6511. **श्री लाखन लाल कपूर :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल मार्किट क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों (पुराने बने) में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को कोई किराया नहीं देना पड़ता ;

(ख) यदि सरकार ऐसे अलाटियों से सामान्य किराया वसूल करती है तो क्या सरकार अच्छी मरम्मत करके इन क्वार्टरों का ठीक रख रखाव करने के लिए बाध्य नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वार्षिक मरम्मत इसलिए नहीं की जाती कि ये क्वार्टर गिराये जाने वाली सूची में हैं;

(ब) क्या विलसन स्कवेयर में यहां तक कि स्नानागार और शौचालयों की दीवारों में पक्का सीमेंट नहीं लगाया गया है और छतों का प्लास्टर गिरता है जो अलाटियों के लिए खतरा है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अधिकारियों और संसद सदस्यों के एक दल द्वारा इन क्वार्टरों का निरीक्षण करने का है ताकि सही तथ्यों का पता लग सके और अलाटियों के दुखों को सुना जा सके ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गोल मार्किट क्षेत्र के सभी सरकारी मकानों के अलाटियों से नियमों के अनुसार सामान्य लाइसेंस फीस वसूल की जाती है सिवाए श्रेणी—IV के पुराने कुछ कर्मचारियों के मामले के अलावा जो किराया मुक्त निवास के आवंटन के पात्र हैं अथवा ऐसे अन्य कर्यचारियों के अलावा जो अपनी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार ऐसी रियायत के पात्र है।

(ख) इन क्वार्टरों का उपयुक्त रख-रखाव किया जा रहा है।

(ग) इन क्वार्टरों की सालाना मरम्मत की जाती है।

(घ) विल्सन स्कवेयर सहित डी० आई० जैड० क्षेत्र में कहीं भी स्नानागृहों तथा शौचालयों की दीवारों पर सीमेंट के मसाले के डाडो नहीं लगाए गए हैं। प्लास्टर के गिर जाने की शिकायतों को दूर किया जाता है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। विभागीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्वार्टरों का निरीक्षण किया जाता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास

6512. **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1978 से 31 दिसम्बर, 1980 तक के आवंटन वर्ष के लिए सरकारी आवास प्राप्त करते हुए कितने कर्मचारियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1976, 1977 और 1978 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारियों को टाइप—ए, टाइप—बी और टाइप—सी के क्वार्टर दिए गए हैं; और

(ग) क्या दिल्ली स्थित कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार की सेवा में 31 दिसम्बर, 1971 तक भर्ती किए गए इन श्रेणियों के कर्मचारियों को, जो टाइप—ए, टाइप—बी और टाइप—सी के क्वार्टर लेने के अधिकारी हैं, वर्ष 1980 तक क्वार्टर दे दिए जाएंगे;

(घ) क्या उनके लिए आवास के आवंटन में कोई आरक्षण है, यदि हां, तो कितनी; और

(ङ) आगामी वर्ष के दौरान उपरोक्त टाइप के आवास के अधिकारी इन कर्मचारियों के लिए आवास की कमी दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से आरक्षित कोटे में केवल ए, बी, सी तथा डी आवंटनार्थ पृथक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन टाइपों के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों की संख्या 33426 है। सामान्य कोटे के लिए 5579 अनुसूचित जाति के तथा 502 अनुसूचित जनजाति के।

उपर्युक्त में लगभग 15,000 आवेदन जोकि बाद में प्राप्त किए गए और जिन्हें छांटा जा रहा है, शामिल नहीं हैं ।

(ख) :

टाइप	1976	1977	1978
ए	121	47	40
बी	225	54	66
सी	84	32	35

(ग) तथा (घ) : दिल्ली में सामान्य पूल वास के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को टाइप ए तथा बी में स्पष्ट रिक्तियों का 10 प्रतिशत तथा टाइप सी और डी में रिक्तयों का 5 प्रतिशत आवंटनार्थ आरक्षित है । फिर भी इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं होगा कि 1980 तक सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों जिनकी अग्रता तारीखें दिसम्बर, 1971 तक की है को रिहायशी वास दे दिया जाएगा ।

(ङ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वास की कमी को सहल करने के लिए सामान्य पूल में ए, बी, सी और डी टाइप के 15300 आवासों के निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम सरकार ने चालू किया है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों की ऊंची दरों पर बिक्री

6513. **श्री रामसागर : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इतनी ऊंची दरों पर प्लाटों की नीलामी आम जनता को मकान उपलब्ध कराने की नीति के अनुकूल है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के गत तीन वर्षों में केवल पूंजीपतियों को ही प्लाट बेचे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों में प्रति मीटर अधिकतम, न्यूनतम और औसत विक्रय मूल्य क्या रहा ; और

(घ) क्या सरकार की दृष्टि से यह मूल्य आम आदमी की क्रय शक्ति के अनुपात में है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (घ) भारत सरकार के आदेशों के अनुसार इस क्षेत्र में 200 वर्ग गज से अधिक के भू-खण्डों को सामान्यतया सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाता है । आम आदमी के लिए 200 वर्ग गज से कम के छोटे छोटे भूखण्ड पूर्व निर्धारित दरों पर दिए जाते हैं जो नीलाम की दरों से कहीं अधिक कम हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान नीलाम किए गए कुल क्षेत्र के लिए औसतन दर उच्चतम दर और निम्नतर दरों का विवरण—

	19976-77	1977-78	1978-79
1. नीलाम किए गए भू-खण्डों की कुल संख्या	206	223	515

2. नीलाम किए गए भूखण्डों का कुल क्षेत्र (वर्गमीटरों में)	43967.888	58026.883	125153.60
3. प्राप्त कुल राशि	10931700 रु०	13427300 रु०	30575700रु०
4. वर्ष के दौरान प्राप्त उच्चतम दर प्रति वर्ग मीटर	505.61 रु०	658.79 रु०	1113.10 रु०
5. वर्ष के दौरान प्राप्त निम्नतर दर प्रति वर्ग-मीटर	103.59 रु	109.72 रु०	92.59 रु०
6. वर्ष के दौरान प्राप्त औसतन दर प्रति वर्ग-मीटर	248.63 रु0	231.40 रु०	244.31 रु०

दिल्ली विकास प्राधिकरण की लारेंस रोड़ वैल्फेयर फेडरेशन के प्रति भेदभाव पूर्ण नीति

6514. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लारेंस रोड वेल्फेयर फेडरेशन ने लारेंस रोड रिहायशी कम्पलक्स के कम्यूनिटी हाल में 2 अक्तूबर, 1978 को गांधी जयंती समारोह मनाए जाने की अनुमति न दिए जाने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोष व्यक्त किया है;

(ख) क्या यह सच हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा विभिन्न सम्बद्ध संगठनों को विभिन्न अवसरों पर कम्यूनिटी हाल का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी और उनसे कोई शुल्क नहीं लिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में लारेंस रोड वेल्फेयर एसोसिएशन के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि किसी संगठन को लारेंस रोड पर स्थित कम्यूनिटी हाल को नि:शुल्क इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई थी ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांवों में विकास योजनाएं

6515. **श्री युवराज** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक 10 व्यक्तियों में 8 व्यक्ति गांव में रहते हैं;

(ख) क्या विकास योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों के स्तर को ऊंचा करना है;

(ग) क्या विकान योजनाओं से मुख्यतया लाभ भूस्वामी अथवा सम्पन्न कास्तकारों को मिला है;

(घ) क्या भूमिहीन अथवा कम भूमि वाले लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ; और

(ङ) यदि हां, तो गांवों के सुनियोजित विकास के लिए पर्याप्त ससाधनों की व्यवस्था करने और उपलब्ध भूमि का बड़े पैमाने पर वितरण करने के लिए कब तक कानूनी और प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) जी हां, लगभग इतने ही ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह दर्शाने वाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि विकास योजनाओं से अपेक्षाकृत केवल बड़े किसानों को ही लाभ पहुंचा है । ग्राम विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम पता लगाए गए लक्षित वर्गों अर्थात छोटे किसानों, सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का उत्थान करने के लिए मुख्यरूपक से निर्दिष्ट है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गेहूं, पटसन और धान उत्पादकों को दी गई राजसहायता

6516. **श्री राज कृष्ण डान:** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गेहूं, पटसन और धान उत्पादकों को वर्ष 1975-76, 1976-77. 1977-78 और 1978-79 के दौरान पृथक-पृथक रूप से कुल कितनी राज सहायता दी गई ?

(ख) क्या सरकार को पता है कि अधिकांश धान और पटसन किसान गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं : और

(ग) यदि हां, तो निर्धन किसानों-जो देश की सच्ची धरोहर हैं—की आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार ने क्या कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं,

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) गेहूं, पटसन और धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादकों को सीधे कोई राज-सहायता नहीं दी जाती । तथापि केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों के अन्तर्गत कृषि और ग्राम विकास के सम्बन्ध में प्रारम्भ किये गये विभिन्न कार्यक्रम कृषक समाज को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं । लघु तथा सीमांत कृषक विकास एजेंसी सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास और मरुभूमि विकास कार्यक्रम जैसे विशेष विकास कार्यक्रम गरीब कृषकों के लाभ के लिए प्रारम्भ किये हैं । इन कार्यक्रमों के तहत लघु सिंचाई कार्यों, उर्वरकों, मृदा और जल संरक्षण, दुधारु पशुओं भेड़ों, बकरियों, सूअरों, कुक्कुटों आदि के वितरण; बागवानी, मात्स्यिकी, रेशम उत्पादन तथा फार्म वानिकी जैसी कई मदों पर राज-सहायता दी जा रही है । राजसहायता का आम पैटर्न इस प्रकार है :—

1. छोटे कृषकों के लिए (जिनके पास 1 से 2 हैक्टार तक की जोतें हैं)	25 %	अनुसूचित जनजातियों
2. सीमान्त कृषकों के लिए (जिनके पास 1 हैक्टार से कम की जोतें हैं)	33·33%	के कृषकों के लिए राज-सहायता की दर

3. सामुदायिक निर्माण कार्यों के लिए (जल विकास व्यवस्था के साथ सिंचाई)	50 प्रतिशत	को हाल ही में बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) और (ग) :

धान और पटसन उगाने वाले अधिकांश कृषकों के पास छोटी जोतें हैं। उनमें से बहुत से कृषकों को अभी उन्नत टैक्नोलोजी तथा विभिन्न सहायक सुविधाओं का प्रयोग भी करना है। अतः सरकार विस्तार सेवाओं का जाल फैलाकर उन्नत टैक्नोलोजी को लोकप्रिय बनाने और सिंचाई जैसी सहायक सुविधाओं को विकसित करने में उनको सहायता देने के लिए प्रयास कर रही है। उन्नत बीज, उर्वरक, वनस्पति रक्षण सामग्री और ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। गहन पटसन विकास कार्यक्रम, चावल का सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम और चावल, गेहूं और कदन्न के लिए मिनिकिट कार्यक्रम आदि जैसे कई कार्यक्रम कृषकों को उन्नत टैक्नोलोजी के बारे में जानकारी देने तथा उन्हें उन्नत प्रणालियां अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में लघु कृषक विकास एजेंसी जैसे ग्रामीण विकास सम्बंधी विशेष कार्यक्रम कार्यरत हैं, वहां इन कार्यक्रमों में छोटे तथा सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिए विशेष जोर दिया गया है ताकि उनकी उत्पादन सम्बंधी टैक्नोलोजी में सुधार लाया जा सके और उनके लिए ऐसी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके जिससे उन्नत टैक्नोलोजी अपनाने में सहायता मिल सके।

सिंथेटिक्स रेजिन के लिए निर्यात आदेश

6517. **श्री कुमारी अनन्तम :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल-रेजिन, गोंद तथा आवश्यक तेलों के सम्बंध में विकास समिति द्वारा गठित उप-समिति ने क्या सिफारिश की है ;

(ख) क्या यह सच है कि चीड़-गोंद रेजिन के उपयोग और वाणिज्यिक विदोहन के लिए वैज्ञानिक नीति के अभाव में और लघु उत्पाद के रूप में इमारती लकड़ी के गलत वर्गीकरण के कारण सिंथेटिक्स रेजिन के लिए निर्यात क्रियादेश की पूर्ति नहीं हो रही है, और

(ग) इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता पैदा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक : अपेक्षित जानकारी सबंधित वाणिज्य, औद्योगिक विकास और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालयों से एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संग्रहालयों से चोरी गए प्राचीन दुर्लभ चित्र (पेंटिंग)

6518. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : श्री श्रीकृष्णसिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि भारतीय संग्रहालयों से चुराए गए प्राचीन दुर्लभ चित्र (पेंटिंग) कुछ यूरोपीय देशों में बेचे जा रहे हैं अथवा उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या लन्दन में बरामद ऐसी एक पेंटिंग चंडीगढ़ संग्रहालय को पुलिस विभाग के माध्यम से प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इन चित्रों (पेंटिग) की चोरी रोकने और चुराये गये चित्रों को बरामद करने के सम्बंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जहां तक केन्द्रीय संग्रहालयों का संबंध है, सरकारी संग्रहालय तथा कला वीथि चंडीगढ़ से 1970 में 102 लघु चित्रों (पेंटिगस) की चोरी की रिपोर्ट मिली थी। एक चित्र केन्द्रीय जांच ब्यूरो के इंटरपोल प्रभाग के जरिए 10-10-1978 को पुनः प्राप्त हो गया था।

(ग) पुरावस्तु तथा कला निधि अधिनियम 1972 द्वारा पुरावस्तुओं के निर्यात व्यापार को नियंत्रित किया गया है और इसमें पुरावस्तुओं को तस्करी और धोका-धड़ी से उनके व्यापार को रोकने, तथा उनके अनिवार्य अधिग्रहण की व्यवस्था की गई है। चोरियों को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ हैं :—संग्रहालयों, महत्वपूर्ण मंदिरों और पुरातत्वीय महत्व के स्थानों के लिए सुरक्षा उपाय, पुरावस्तुओं की चोरी से संबंधित सूचना के नियमित तथा तत्काल प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए विशेष कक्ष, ताकि पुरावस्तुओं की तस्करी को रोकने के लिए सीमा शुल्क चौकियों पर विशेष जांच पड़ताल सुनिश्चित की जा सके।

सांस्कृतिक सम्पदा के गैर-कानूनी आयात, निर्यात और स्वामित्व के स्थानांतरण के उपायों से सम्बंधित नवम्बर, 1970 में यूनेस्को के 16 वें महा सम्मेलन द्वारा पारित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (कंवेंशन) का अनुसमर्थन कर दिया गया है।

औद्योगिक कर्मचारियों में निरक्षरता

6519. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **शिक्षा,समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मुख्य औद्योगिक नगरों में औद्योगिक कर्मचारियों में व्याप्त निरक्षरता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है।

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनकी आयुवर्ग का ब्यौरा क्या है और औद्योगिक कर्मचारियों में व्याप्त निरक्षरता की समस्या का मुकाबला करने के बारे में सरकार की क्या प्रभावी नीति है; और

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये कोई धनराशि आवंटित की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा०प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) : ऐसे उद्योगों/प्रतिष्ठानों का पता लगाने के उद्देश्य से जहां अधिकांश निरक्षर श्रमिक काम कर रहे हैं श्रम मंत्रालय के केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय केन्द्रों में औद्योगिक एककों से प्रारंभिक पूछ ताछ की है और ऐसे निरक्षर श्रमिकों के रजिस्टर बनाए हैं। इन निरक्षर श्रमिकों के लिए बोर्ड ने 2 अक्तूबर, 1978 से 41 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र आरम्भ किए हैं (39 क्षेत्रों में प्रत्येक में एक-एक और बम्बई क्षेत्र में दो)। 1979-80 के दौरान इस कार्यक्रम को विस्तृत करने का प्रस्ताव है। इस योजना के लिये श्रम मंत्रालय की वर्ष 1979-80 की योजना में 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि 1978-79 के दौरान 50,000 रुपये का प्रावधान किया गया था।

औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा भी श्रमिक विद्यापीठों और श्रमिक सामाजिक शिक्षा संस्थानों के माध्यम से प्रदान की

जाती हैं। बम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर और नागपुर में ऐसे पांच संस्थान पहले ही से कार्य कर रहे हैं। जमशेदपुर, कलकत्ता और बंगलौर के लिए तीन नए श्रमिक विद्यापीठ स्वीकृत किए गए हैं। 1978-79 के दौरान इस योजना के लिए 20 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। 1979-80 के दौरान 37.15 लाख रुपे (17.15 लाख रुपये योजनेतर और 20 लाख रुपये योजनागत) का प्रावधान किया गया है।

मैसर्स कैडवरी (आई) लिमिटेड द्वारा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन

6520. **श्री श्रीकृष्ण सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण मैसर्स कैडवरी (आई) लिमिटेड को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या सरकार को इस बीच उसके सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(घ) क्या सरकार ने कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) : कम्पनी को कारण बताओ नोटिस 13 सितम्बर, 1978 को जारी किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

भुवनेश्वर में सुरंग का पता लगना

6521. **श्री सरत कार** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में हाल ही में 4 मीटर लम्बी, 2 मीटर चौड़ी तथा 1.5 मीटर ऊंची एक भूमिगत सुरंग का पता लगा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) : जी नहीं। तथापि, वहां पर प्राकृतिक लैटराइट मिट्टी में बना एक गड्ढा मिला है।

(ख) यह गड्ढा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। भुवनेश्वर उप-खण्ड के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक-अभियन्ता के अनुसार यह गड्ढा लगभग 9.14 मीटर × 4.57 मीटर का है।

ग्रामीण आवास

6522. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में और अच्छी किस्म के मकानों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएँ हैं;

(ख) देश में ग्रामीण आवास का कार्य करने वाले निकायों के नाम क्या हैं और उनकी कार्यकारी पूंजी और नीतियां क्या हैं; और

(ग) गांवों में आवास की निरन्तर उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं जबकि नगरों में आवास को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जा रहा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास, ग्रामीण आवास सहित राज्य क्षेत्र में आता है। राज्यों को ग्रामीण आवास सहित राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता "समेकित ऋण" तथा "समेकित अनुदान" के रूप में राज्यों को दी जाती हैं जो किसी परियोजना, आयोजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से सम्बद्ध नहीं होती। राज्य सरकारें इस समेकित सहायता को अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। केन्द्र स्तर पर, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन तथा केन्द्रीय भवन अनसंधान संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी किस्म के मकानों के निर्माण के लिए बहुत से डिजाइन निकाले तथा परिचालित किए हैं जो कि स्थानीय उपलब्ध भवन निर्माण सामग्री तथा निर्माण तकनीकियों के परिष्कृत प्रयोग के इस्तेमाल से कम कीमत में बनाए जा सकते हैं।

(ख) ग्रामीण आवास परियोजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा नामित अभिकरणों यथा, आवास बोर्ड, ग्रामीण आवास बोर्ड, जिला बोर्ड, पंचायत, ताल्लुक बोर्ड, आदि के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। उनके पूंजी तथा नीति के विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ग्रामीण आवास की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और यह पंचवर्षीय योजना 1978 -83 के प्रारूप में प्रतिबिम्बित हैं जिसमें 500 करोड़ रुपयों का एक प्रावधान मात्र ग्रामीण आवास के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। 1978 के दौरान, पहली बार, सामान्य बीमा निगम ने राज्य सरकारों के लिए 14 करोड़ रुपये का एक ऋण भी ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए नियत किया है। 1977-78 से आवास तथा नगर विकास निगम ने भी ग्रामीण आवास योजनाओं को वित्तीय सहायता देना प्रारम्भ कर दिया है।

वर्ष 1979-80 में चालू की जाने वाली नयी कृषि परियोजनायें

6523. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1979-80 में देश में कौन सी सिंचाई परियोजनायें चालू की जायेंगी;

(ख) इनमें से प्रत्येक योजना पर कुल कितना व्यय होगा और इनसे सिंचाई के क्षेत्र में कितनी कृषि भूमि को लाभ होगा; और

(ग) क्या ये परियोजनायें निर्धारित तारीखों की चालू हो सकेंगी ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) राज्यों की 1979-80 की योजनाओं के विभिन्न सैक्टरों के परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विदेशों में निर्मित अतिरिक्त पुर्जों की खरीद

6524. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपों में अण्डमान लोक निर्माण विभाग के भण्डारों में करोड़ों रु० के मूल्य के विदेशों में निर्मित अतिरिक्त पुर्जे पड़े हैं; ये वर्षवार

कब खरीदे गए थे और उन पर कितना विदेशी मुद्रा व्यय हुआ और गत तीन वर्षों में कितने एवं किस मूल्य के अतिरिक्त पुर्जे उपयोग में लाए गए; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार अलग अलग कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रंग रोगन तथा हथौड़े उपयोग में लाए गए और अण्डमान और निकोबार द्वीपों में अण्डमान लोक निर्माण विभाग के भण्डारों में कितना स्टाक है तथा किस किस वर्ष में कितना सामान खरीदा गया?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अण्डमान लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के लिए समान वेतनमान

6525. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान लोक निर्माण विभाग में गैर डिप्लोमाधारी जूनियर इंजीनियरों को कम वेतनमान दिया गया है जिससे समान कार्य के लिए समान वेतनमान के सिद्धान्त में भेदभाव उत्पन्न हुआ है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन गैर डिप्लोमाधारियों को जूनियर इंजीनियरों के रूप में किस प्रकार भर्ती किया गया था;

(ख) क्या सरकार सभी जूनियर इंजीनियरों के लिए एक समान वेतनमान बनाकर उपरोक्त भेदभाव/असंगति को दूर करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के ऐसे कोई अलग अलग वेतनमान हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) (क), (ख तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा के लिये समिति

6526. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपों में स्कूलों में असन्तोषजनक परिणामों का पता है और यह कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति संगठित की गई थी, यदि हां तो अण्डमान और निकोबार द्वीपों की यात्रा करने वाली समिति के सदस्य कौन-कौन हैं उनकी यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या समिति संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिनिधि सभा, मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति से मिली थी; और

(ग) क्या समिति ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क), (ख) और (ग) : सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के कुछ स्कूलों के खराब परीक्षा परिणामों से अवगत है । शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा एक समिति का

गठन किया गया था, जिसने 12 से 18 सितम्बर, 1978 तक इस द्वीप समूह का दौरा किया ताकि इस द्वीपसमूह की स्कूली शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन मौके पर किया जा सके। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे :—

1. डा० आर०पी०सिंघल,
   अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
2. श्री गिरधारी लाल,
   उप सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
3. श्री बलदेव महाजन,
   आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन

समिति के दौरे के कार्यक्रम की एक प्रति संलग्न है (विवरण 1).

यह समिति 12 सितम्बर, 1978 को मुख्य आयुक्त की सलाहकार समिति से मिली थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की कुछ मुख्य मुख्य सिफारिशें संलग्न हैं (विवरण-2)। इस समिति की रिपोर्ट मुख्य आयुक्त, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

विवरण—1

समिति का दौरा कार्यक्रम

दिनांक	समय	कार्यक्रम
12. 9. 78	08.00 बजे	आई० ए० सी उड़ान द्वारा पोर्ट ब्लेयर आगमन।
	10.30 बजे	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूहों के मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव से भेंट।
	11.30 बजे	पोर्ट ब्लेयर के टी० टी० आई० (शिल्प अध्यापक कार्यशाला) का निरीक्षण।
	12.30 बजे	पोर्ट ब्लेयर स्थित शिक्षा निदेशालय और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अधिकारियों से भेंट।
	14.00 बजे	कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल पोर्ट ब्लेयर का दौरा।
	15.00 बजे	मत्स्य उद्योग संग्रहालय और कोष्ठीय जेल का निरीक्षण।
	16.00 बजे	मानव विज्ञान संग्रहालय का निरीक्षण।
	17.00 बजे	सी० सी० ए० सी० और एच० एम० ए० सी० (सर्किट हाउस) के सदस्यों से भेंट।
	17.30 बजे	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूहों के शैक्षिक संघों के सदस्यों से भेंट (सर्किट हाउस)।

दिनांक	समय	कार्य-क्रम
12-9-78	18.30 बजे	पुस्तकालय संघ के सदस्यों से भेंट (सर्किट हाउस)।
	19.00 बजे	केन्द्रीय विद्यालय पोर्ट ब्लेयर के प्रिंसिपल और स्टाफ से भेंट (सर्किट हाउस)।
13-9-78	09.15 बजे	प्राथमिक स्कूल, भाटुबस्ती का दौरा।
	10.00 बजे	भू संरक्षण फार्म, सिप्पीघाट का दौरा।
	12.00 बजे	मिडिल स्कूल, फेंरारगंज का दौरा।
	14.30 बजे	प्राथमिक स्कूल, शैथांखारी का दौरा।
	17.00 बजे	सर्किट हाउस में अण्डमान तथा निकोबार के शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमण्डल से भेंट।
	18.30 बजे	टी० टी० आई० में 'नव परिमल' आद्वारा 'हिन्दी दिवस' समारोह।
14-9-78	09.30 बजे से	मुख्य सचिव से भेंट।
ओनम की छुट्टी	11.00 बजे तक	
	11.30 बजे	रोज द्वीप का दौरा।
	17.00 बजे	कुटीर उद्योग एम्पोरियम का दौरा।
15-9-70	09.00 बजे	बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पोर्ट ब्लेयर का दौरा।
	10.30 बजे	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप के मुख्य आयुक्त से भेंट।
	11.30 बजे	बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल पोर्ट ब्लेयर के कर्मचारियों से भेंट।
	12.10 बजे	माडल प्राथमिक स्कूल पोर्ट ब्लेयर का दौरा।
	12.30 बजे	केन्द्रीय विद्यालय पोर्ट ब्लेयर का दौरा।
	14.00 बजे	केन्द्रीय विद्यालय, पोर्ट ब्लेयर के छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम।
	15.00 बजे	सरकारी हाई स्कूल, हाडो का दौरा।
	23.00 बजे	एम० वी० कोंदुल द्वारा रंगत के लिए प्रस्थान।
16-9-78	06.00 बजे	आगमन रंगत (मिडिल अण्डमान द्वीप)
	09.00 बजे	जूनियर बेसिक स्कूल रंगत का दौरा।
	10.00 बजे	उपशिक्षा अधिकारी, रंगत से भेंट।
	10.30 बजे	उच्चतर माध्यमिक स्कूल, रंगत का दौरा।
	11.30 बजे	स्कूल के अध्यापकों से भेंट।
	12.30 बजे	मिडिल स्कूल वकुलतला का दौरा।

दिनांक	समय	कार्य क्रम
16 9 78	16.00 बजे	अण्डमान तथा निकोबार अध्यापक संघ की रंगत शाखा के प्रतिनिधिमडल से भेंट।
	17.00 बजे	सांत्री तथा जनता पार्टी कार्यकर्त्ताओं के प्रधान से भेंट।
	17.30 बजे	स्थानीय अधिकारियों तथा सी० सी० ए० सी० सदस्यों से भेंट।
	18.00 बजे	डी० एम० के० पार्टी के नेता श्री कुन्दा-स्वामी से भेंट।
	18.30 बजे	प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र पाली उनायन समिति रंगत का दौरा।
17. 9. 78	08.45 बजे	प्राथमिक स्कूल पंचवटी का दौरा।
	09.30 बजे	सीनियर बेसिक स्कूल, सी० एफ० ओ० नाला का दौरा।
	10.30 बजे	सरकारी हाई स्कूल, स्वदेश नगर का दौरा।
	11.30 बजे	मिडिल स्कूल, बिलीग्राइड का दौरा।
	12.00 बजे	जूनियर बेसिक स्कूल कोरांग नाला का दौरा।
	12.30 बजे	जूनियर बेसिक स्कूल, बसन्तीपुर का दौरा।
	14.30 बजे	प्राथमिक स्कूल मायाबुंदर का दौरा।
	15.30 बजे	उच्चतर माध्यमिक स्कूल, मायाबुन्दर का दौरा।
	16.30 बजे	अराजपत्रित अधिकारी संघ, रंगत ब्रांच के प्रतिनिधि मंडल से भेंट।
	17.00 बजे	स्थानीय प्रतिनिधियों से भेंट।
	17.30 बजे	रंगत के लिए प्रस्थान।
	19.30 बजे	रंगत आगमन
	22.00 बजे	एम० वी० कोंडुल द्वारा पोर्ट ब्लेयर के लिए प्रस्थान।
18. 9. 78	05.00 बजे	पोर्ट ब्लेयर आगमन।
	09.30 बजे	कारमेल कान्वेंट स्कूल, पोर्ट ब्लेयर का दौरा।
	10.30 बजे	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूहों के मुख्य आयुक्त से विचार-विमर्श का अंतिम दौरा।
	11.30 बजे	शिक्षा निदेशक, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह से भेंट।

दिनांक	समय	कार्यक्रम
18 9 78	12.30 बजे	राजकीय कालेज, पोर्ट ब्लेयर का दौरा।
	18.00 बजे	टी० टी० आई० पोर्ट ब्लेयर में स्थानीय स्कूल छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम।
	20.00 बजे	राजकीय आवास में मुख्य आयुक्त द्वारा रात्रि भोज।
19. 9. 78	09.00 बजे	आई० ए० सी० उड़ान द्वारा कलकत्ता के लिए प्रस्थान।

विवरण— 2

विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का सारांश।

1. संघ शासित क्षेत्र, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में स्कूल शिक्षा के स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से जिन प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वे निम्नलिखित हैं :—

1. भावी विकास के लिए आयोजना।
2. अध्यापकों के लिए रिहायशी आवास और स्कूल भवन।
3. पाठ्य-पुस्तकों की सप्लाई।
4. भाषाओं का अध्ययन तथा शिक्षा का माध्यम।
5. अध्यापकों की भर्त्ती, प्रशिक्षण, सेवा शर्तें मूल्यांकन पर्यवेक्षण और निरीक्षण।
6. छात्रों का मूल्याँकन तथा स्तरोन्नति नीति।
7. सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, खेल-कूद सहपाठ्यचर्या कार्यकलाप।
8. छात्र सेवाएं।
9. प्रशासनिक ढांचा।

2. विस्तार की एक निश्चित योजना के अनुसार भविष्य में स्कूलों का खोलना नियमित किया जाना चाहिए।

3. संसाधनों के समुचित उपयोग के हित में यही होगा कि कम दाखिले वाले स्कूलों को आने वाले वर्षों में विकसित किया जाए और उनके पड़ोस में कोई नया स्कूल न खोला जाए।

4. एक जूनियर बेसिक स्कूल में, कार्यालय और भंडार सुविधाओं के लिए अतिरिक्त स्थान सहित कम से कम 5 कक्षा होने चाहिएं तथा मुख्य भूभाग से भर्ती किए गए अध्यापकों तथा अंतद्वीपीय रंगरुटों के लिए आवासीय स्थान होना चाहिए।

5. नई कक्षा खोलने की स्वीकृति प्रदान करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक माध्यम के कम से कम 20 छात्र इसमें दाखिल हों।

6. एक जूनियर बेसिक स्कूल का दर्जा बढ़ा कर उसे सीनियर बेसिक स्कूल बनाने के सम्बन्ध में विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कक्षा vi में कम से कम 25 छात्र दाखिल हों। यदि आवश्यक हो तो एक से अधिक जूनियर बेसिक स्कूल को सीनियर बेसिक स्कूल की पोषक संस्थाओं के रूप में कार्य करना चाहिए।

7. वर्तमान दाखिल छात्रों तथा छात्रों द्वारा तय की जाने वाली दूरी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन स्कूलों की वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण करने की संभावना पर भी विचार कर सकता है।

8. छठी योजना के दौरान स्कूल भवनों अतिरिक्त प्रयोगशालाओं तथा कक्षा कमरों के

निर्माण के लिए एक विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। स्कूलों के लिए अनिवार्य फर्नीचर तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। छठी योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए कम से कम 75 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि बजट में प्रत्येक वर्ष रखी जानी चाहिए।

9. पात्र शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था के अभाव की समस्या; जो शिक्षकों के उत्साह को प्रभावित कर रही है और जिससे स्कूलों में शिक्षा के स्तरों पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और शिक्षकों के लिए स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माणार्थ छठी योजना में काफी और बड़ी व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षकों के आवासों के सम्बंध में इस समय बकाया पड़े हुए कार्य को छठी योजना के अन्त तक अवश्य ही पूरा कर दिया जाना चाहिए।

10. छठी योजना के दौरान और बड़े बजट आवंटन के परिणामस्वरुप निर्मित आवास, विशेषकर ऐसे आवास जो स्कूल परिसरों में बनाए जाएं, केवल शिक्षकों को आवंटन के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए।

11. I से viii तक की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में बार-बार परिवर्तन नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन कक्षाओं के लिए, रा०शै०अनु०प्र० प० द्वारा पाठ्य-पुस्तके प्रकाशित की गई है, अतः इन कक्षाओं के लिए रा० शै० अनु० प्र० प० की वर्तमान पाठ्य-पुस्तकें अगले पाँच वर्षों के लिए लगाई जानी चाहिए।

12. I से V तक की कक्षाओं की पुस्तकों का अनुवाद उन विभिन्न भाषाओं में कराया जाना चाहिए जिनका प्रयोग द्वीपों में शिक्षा माध्यम के रूप में किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए शिक्षा निदेशालय में एक पाठ्य-पुस्तक कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। इस कक्ष को इन पुस्तकों के विभिन्न भाषाओं में समय पर अनुवाद तथा मुद्रण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

13. रा०शै० अनु० प्र० प० की पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में कराने के प्रस्ताव से न केवल विभिन्न राज्यों से पाठ्य-पुस्तकों की सप्लाई प्राप्त करने में होने वाला विलम्ब ही टलेगा बल्कि इससे पाठ्चर्या स्तरों की एकरूपता सुनिश्चित हो सकेगी जिसका इस समय अभाव है। पाठ्य-पुस्तक सेल को सहायक शिक्षा निदेशक की हैसियत के एक अधिकारी के अधीन रखा जाना चाहिए और उसकी सहायता के लिए अपेक्षित स्टाफ होना चाहिए।

14. मुख्य भू-भाग से द्वीप समूह में अंग्रेजी और हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों को शीघ्र सप्लाई करने के उद्देश्य से दिल्ली से सप्लाई प्राप्त करने तथा इसे कलकत्ता से द्वीप समूह में भिजवाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरुरत है।

15. स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकों के कुछ सैट स्कूल पुस्कालयों में उपलब्ध किए जाने चाहिए तथा कक्षा में अध्यापन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक शिक्षक के पास सम्बन्धित पाठ्य-पुस्तकें होनी चाहिए।

16. प्रशासन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे स्कूलों के मुख्याध्यापक पोर्ट-ब्लेयर स्थित पुस्तक भण्डार से पाठ्य-पुस्तकों के अपेक्षित सैट प्राप्त कर सके तथा जो छात्र पाठ्य- पुस्तकों की निःशुल्क सप्लाई के पात्र नहीं हैं; उनको पाठ्य-पुस्तकें अदायगी करने पर समय पर दे सके।

17. मुख्य आयुक्त तथा सचिव दल की सिफारिशों और इस तथ्य को, कि वर्तमान व्यवस्था प्रति-उत्पादक सिद्ध हुई है और शिक्षा के स्तरों में गिरावट आई है, ध्यान में रखते हुए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा माध्यय के लिए निम्नलिखित व्यवस्था सुझाई जाती है ;

(क) जूनियर बेसिक स्तर

(क) I से V तक की कक्षा का विषय होने के अतिरिक्त हिन्दी या मातृ-भाषा को शिक्षा का माध्यम बने रहना चाहिए ।

(ख) जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अंग्रेजी नहीं है; वहाँ हिन्दी तथा अंग्रेजी का शिक्षण कक्षा III से जारी रखा जा सकता है ।

(ग) जहां शिक्षण का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा हो वहां छात्र को कक्षा I से एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा अंग्रेजी के अध्ययन का विकल्प भी दिया जा सकता है ।

(ख) सीनियर बेसिक/माध्यमिक स्तर

त्रि-भाषा सूत्र अपनाया जाना चाहिए । इस सूत्र के अन्तर्गत छात्र मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी का अध्ययन कर सकता है । केन्द्रीय बोर्ड की पाठ्यचर्या के अनुसार कक्षा viii के अन्त में कोई एक भाषा छोड़ दी जाए । लेकिन इस स्तर पर शिक्षण का माध्यम या तो हिन्दी होना चाहिए या अंग्रेजी ।

(ग) उच्चतर माध्यमिक स्तर

छात्र कोई तीन भाषाओं का अध्ययन कर सकता है, अर्थात् मातृभाषा, हिन्दी अथवा अंग्रेजी दो भाषाओं के रूप में—एक का कोर स्तर पर और दूसरी का वैकल्पिक स्तर पर जैसा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या में निर्धारित किया गया है । शिक्षण का माध्यम या तो हिन्दी होना चाहिए या अंग्रेजी ।

18. मौजूदा शिक्षकों के लिए, जो न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं करते, निर्धारित अर्हताएं प्राप्त करने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ।

19. हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण दे रहे प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक पूर्ण अर्हताप्राप्त हिन्दी शिक्षक होना चाहिए ।

20. शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए प्रशासन को शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों में शिक्षकों की कमी की संख्या का पता लगाने के पश्चात् शिक्षकों की अपेक्षित संख्या में भर्ती के लिए जोरदार प्रयास करना चाहिए । जहां तक संभव हो अधिक से अधिक शिक्षकों की भर्ती स्थानीय रूप से होनी चाहिए लेकिन यदि योग्य शिक्षक उपलब्ध न हों तो प्रशासन को मुख्य भूभाग से अच्छे शिक्षकों को भर्ती करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए । यदि सीधी भर्ती के माध्यम से पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध न हों तो कमी वाली श्रेणियों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3-4 वर्ष की अवधि के लिए शिक्षकों की सेवाएं प्राप्त की जानी चाहिए ।

21. घटिया स्तरों का प्रमुख कारण है, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा शिक्षकों का समीक्षात्मक मूल्यांकन न किया जाना। शिक्षकों की ओर से बेहतर व्यवसायिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहनों और दण्डों की एक प्रणाली होनी चाहिए।

22. यदि आवश्यक हो तो पदोन्नति के नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वरिष्ठता ही पदोन्नति का मानदण्ड न हो, और यह मानदण्ड वरिष्ठता एवं योग्यता हो। और उच्च पदों के लिए पदोन्नति चयन के सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात् पात्रता की शर्त पर मुख्य बल योग्यता पर ही दिया जाना चाहिए।

23. उन शिक्षकों के मामलों पर विचार करने के लिए जिनका कार्य कुछ वर्षों से औसत से भी नीचे रहा है पुनरीक्षण बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।

24. विभिन्न वर्गों के शिक्षकों के लिए अनुस्थापन की व्यवस्था करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण सस्थान पोर्ट ब्लेयर को बहुत ज्यादा सहयोग देना चाहिए। जो शिक्षक पाँच वर्ष या उससे अधिक की सेवा कर चुके है उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होने चाहिए। क्योंकि छात्रों का निष्पादन विशेष रूप से अंग्रेजी और गणित में बहुत खराब था, अतः इन विषयों के विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रमों को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

25. ग्रीष्मकालीन अवकाश के आरंभ और समापन की तारीखें पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए और जहाजरानी प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाना चाहिए कि यात्रा कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते समय इन तारीखों को ध्यान में रखें।

ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति पर मुख्य भूभाग में ही टिके रहने की प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए वं मारी के आधार पर अवधि बढ़ाने वाले शिक्षकों क लिए एक प्राइवेट चिकित्सक की बजाय इस स्थान के सिविल सर्जन अथवा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की देरी से वापसी को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए और इस अवधि का अनिवार्य रूप से बिना वेतन अवकाश मानना चाहिए।

26. शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हाल ही में की गई सिफारिशों के अनुसार कक्षा I तथा II में कोई विद्यार्थी नहीं रोका जाना चाहिए और कक्षा III और इससे ऊपर के लिए औपचारिक परीक्षाएँ की जानी चाहिए। तथापि, प्रत्येक शिक्षक को कमजोर छात्रों का पता लगाना चाहिए और उसके लिए उपयुक्त उपचारी शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। कथा V और VIII के अंत में आयोजित मौजूदा सामान्य परीक्षाओं की और अधिक वास्तविक तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए ताकि बहुत कमजोर छात्रों को स्कूली शिक्षा के अगले स्तर में जाने से रोका जा सके।

27. स्तरों में एकरूपता सुनिश्चत करने के लिए उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के वरिष्ठ अध्यापकों आचार्यों और संबंधित उप-शिक्षा अधिकारियों की एक नामिका प्रत्येक शिक्षा जिले में स्थापित की जानी चाहिए जो परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की नमूना जांच कर सके।

28. द्वीप समूह में शैक्षिक स्तरों में सुधारके लिए शिक्षा स्तूप के आधार अर्थात् प्रारम्भिक शिक्षा को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

29. शिक्षा निदेशालय द्वारा उन स्कूलों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यता है,

जिन्होंने अच्छे परिणाम नहीं दिखाए हैं, ताकि बड़ी संख्या में छात्रों की अनुत्तीर्णता दूर की जा सके। इन स्कूलों के शिक्षकों और प्रमुखों को भी यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार की स्थितियों के लिए उनसे पूछा जा सकता है।

30. सामाजिक तौर पर लाभदायक रचनात्मक कार्य की नई धारणा को ध्यान में रखते हुए आगे उपयुक्त कार्यक्रम विकसित करने होंगे। शिक्षा निदेशालय को पहले कदम के रूप में सामान्य कोर कार्यक्रमों का पता लगाना चाहिए। जो कि सभी स्कूलों द्वारा अपनाए जा सकें।

31. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पता लगाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी शिक्षा देने के प्रबन्ध किए जाने चाहिएँ।

32. खेल और शारीरिक शिक्षा पर अधिक व्यय किया जाना चाहिए क्योंकि वर्तमान प्रबन्ध अपर्याप्त हैं। जूनियर बेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में खेलों और शारीरिक शिक्षा का प्रावधान है ही नहीं—खेलों, शारीरिक शिक्षा और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों के लिए कम से कम एक घंटा अलग रखा जाना चाहिए।

33. स्थानीय परिवहन प्राधिकारियों के सहयोग से परिवहन प्रणाली को अधिक उपयोगी बनाया जाए और भीड़ के समय से बचने के लिए स्कूल का समय समायोजित करके जब भी आवश्यक हो बसों के विशेष ट्रिपों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

34. प्रभावी पर्यवेक्षण और निरीक्षण के लिए प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी कम से कम शिक्षा अधिकारी/सहायक शिक्षा निदेशक के पद का होना चाहिए और इस कार्यकर्त्ता को 1200-1600 रूपए का वेतनमान मिलना चाहिए।

35. निदेशक की सहायता के लिए 1300-1700 रु० के वेतनमान में उप-निदेशक, के एक पद का सृजन किया जाना चाहिए।

36. शिक्षा निदेशक का वेतनमान बढ़ाकर 1500-1800 रु० कर देना चाहिए ताकि प्रतिनियुक्ति के आधार पर कोई उपयुक्त अधिकारी आकर्षित हो सके।

लद्दाख में महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति

6527. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख में महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कैसी है;

(ख) भारत में महिलाओं की रोजगार संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार भारत में महिलाओं के लिये एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि 1961 और 1971 के बीच अनेक आधुनिक शहरी उद्योगों में जैसे खनन, मशीनरी, बिजली उपकरणों, चिकित्सा एवं वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में तथा व्यापार एवं बैंकिंग में महिला कामगरों की संख्या 6 से 10 गुणा बढ़ गई है। परन्तु उसी

दशक में बागवानी, पशुपालन, बालाहार तैयार करने, डेरी तथा पटसन उद्योगों जैसे कुछ क्षेत्रों में महिला कार्य दल में गम्भीर कमी हुई है। सुनियोजित क्षेत्र के हाल के उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि यद्यपि पूरे रोजगार में महिलाओं का हिस्सा बहुत कम है परन्तु हाल के वर्षों में इसमें धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। 1971 में 11 प्रतिशत से बढ़कर 1977 में 12 प्रतिशत हो गया है।

(ग) महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें उनकी शिक्षा की विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम और प्रारम्भिक शिक्षा को अधिक व्यापक बनाने के कार्यक्रम में महिलाओं की शिक्षा की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। दूसरे कार्यक्रम हैं : प्रौढ़ महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा प्रौढ़ महिलाओं की कार्यात्मक साक्षरता। चिकित्सा सम्बंधी तथा पैरा-मेडिकल शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी महिलाएँ भाग लेती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूपों के लिए केन्द्रीय भूमि-जल बोर्ड की उपलब्धियां

6528. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप प्रदान करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को वर्ष-वार क्या उपलब्धियां हुई और तत्संबंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों में तीन वर्षों में (वर्षवार) कितने नलकूप उपलब्ध कराने का विचार है और आसाम के खालपाड़ा जिले के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे नलकूप उपलब्ध कराये जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 (फरवरी, 1979 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों में अलग-अलग श्रेणियों में खोदे गये नलकूपों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण दिया गया है।

(ख) अगले 3 वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में 135 वेध-छिद्र करने का प्रस्ताव है जिनका वर्ष-वार अनन्तिम ब्यौरा इस प्रकार है : 1979-80 में 38; 1980-81 में 57 तथा 1981-82 में 40। इनमें से 6 वेध-छिद्र असम के गोलपाड़ा जिले में किये जायेंगे। इन स्थानों की वास्तविक स्थिति के बारे में निश्चारण. जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के आधार पर किया जाएगा।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1976-77			1977-78			1978-79 (फरवरी 79 तक		
		ईबी	आबी	एसएच	ईबी	आबी	एसएच	ईबी	आबी	एसएच
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	उत्तर प्रदेश	14	22	1	13	7	—	5	5	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	27	8	1	7	8	1	18	4	3
3.	तमिल नाडु	31	13	1	22	30	—	14	23	4
4.	कर्नाटक	5	24	—	19	30	2	45	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	केरल	1	—	—	—	—	—	6	3	—
6.	बिहार	13	2	—	9	4	3	8	7	—
7.	उड़ीसा	4	—	1	3	—	—	1	1	—
8.	पश्चिम बंगाल	1	1	—	2	—	—	3	—	—
9.	राजस्थान	9	14	6	8	17	1	18	27	1
10.	गुजरात	1	4	—	1	13	11	—	—	—
11.	जम्मूतथा कश्मीर	6	2	2	7	4	—	4	3	—
12.	हिमाचल प्रदेश	3	—	—	2	—	—	1	—	—
13.	पंजाब	7	15	3	12	41	3	8	13	1
14.	हरियाणा	11	52	—	14	34	9	6	6	—
15.	असम	3	—	1	21	10	1	14	2	—
16.	त्रिपुरा	1	1	—	2	—	—	6	1	—
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	2	—	—
18.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैण्ड	6	2	—	3	1	—	—	—	—
20.	मध्य प्रदेश	26	16	2	15	5	—	26	47	—
21.	महाराष्ट्र	17	6	—	22	7	—	25	13	—
22.	पाण्डेचेरी	6	2	—	2	3	1	—	—	—
23.	दिल्ली	1	2	1	—	—	—	—	—	—
24.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	अरुणाचलप्रदेश	—	—	—	2	1	1	—	—	—
26.	दादरानगरहवेली	7	—	—	5	1	—	—	—	—
27.	मिज़ोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	200	186	19	191	216	33	210	157	9

ई० बी० : समन्वेषी वेध-छिद्र

ओ० बी० : पर्यवक्षी वेध-छिद्र

एस० ए एच : स्लिम-होल

प्रमुख फसलों की खेती की लागत की योजना के लिये केन्द्रीय सहायता और उसकी उपलब्धियां

6529. **श्री अहमद हुसैन : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख फसलों को कितनी खेती की लागत की योजना के अंतर्गत गत 3 वर्षों में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा कृषि विद्यालय को दी गई सहायता की प्रकृति एवं ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये राज्य सरकारों की भूमिका क्या है और पूर्वोत्तर प्रदेश की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा गत 5 वर्षों में वर्ष-वार कितनी धन राशि का आवंटन किया गया ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय में अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा समन्वित प्रमुख फसलों की खेती की लागत विषयक व्यापक योजना एक केन्द्रीय प्लान योजना है जिसके लिए वित्तीय सहायता पूरी तरह से केन्द्रीय निधि से दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत, मुख्य नमूनों (वृहत आकार के नमूने के साथ) के बारे में वर्षानुवर्ष आधार पर प्रत्येक राज्य में बारम्बारता के आधार पर लागत के अध्ययन किये जाते हैं और इसके बाद पुनरावृत्ति नमूने (अपेक्षाकृत छोटे आकार के साथ) किये जाते हैं। दो राज्यों (जहां कि इस कार्य का उत्तरदायित्व कुछ कृषि महाविद्यालयों पर है) को छोड़कर अधिकांश राज्यों में लागत के अध्ययनों का क्षेत्रीय कार्य कृषि विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है। इन केन्द्रों को योजना की क्रियान्वयन एजेंसियों के नाम से जाना जाता है।

क्रियान्वयन एजेंसियों को इन अध्ययनों का आयोजन करने के लिए सहायक अनुदान दिए जाते हैं। 1978-79 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त की गई सहायक अनुदान की राशि का ब्यौरा विवरण 1 में दिया गया है। जहां तक इन केन्द्रों द्वारा खेती/उत्पादन अध्ययनों की लागत के रूप में उपलब्धियों का सम्बंध है, उनके बारे में 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान किए गए/किए जा रहे अध्ययनों की संख्या विवरण-2 में दी गई है।

(ख) योजना के क्रियान्वयन अथवा उसके लिए वित्तीय सहायता देने के कार्य में राज्य सरकारों का सहयोग नहीं लिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की राज्य सरकारों द्वारा निधि के आवंटन से संबंधित जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण I

(लाख रुपये)

क्रम संख्या	राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.93	2.88	4.19
2.	असम	2.71	4.91	3.95
3.	बिहार	2.79	2.88	2.70
4.	गुजरात	3.75	4.41	7.21
5.	हरियाणा	1.83	2.14	2.27
6.	हिमाचल प्रदेश	2.19	2.29	3.41
7.	कर्नाटक	3.44	3.34	2.50
8.	केरल	2.28	2.42	2.00
9.	मध्य प्रदेश	3.10	3.33	3.00
10.	महाराष्ट्र	3.44	3.86	3.86
11.	उड़ीसा	3.83	2.70	1.57
12.	पंजाब	2.08	2.25	1.79
13.	राजस्थान	3.60	3.47	4.00

क्रम संख्या	राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
14.	तमिलनाडु	3.28	3.11	3.30
15.	उत्तर प्रदेश	4.94	5.20	4.99
16.	प० बंगाल	3.64	3.67	4.00
17.	आन्ध्र प्रदेश (वी०एफ०सी० तम्बाकू का विशेष अध्यन)	2.67	2.72	3.05
	योग्य	52.50	55 58	57.79

विवरण 2

1976-77 से 1978-79तक की अवधि के दौरान लागत अनुमानोंके सृजना की व्यापक योजना के अंतर्गत किए गए लागत अध्ययन

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
अन्ध्र प्रदेश	मूंगफली	गन्ना	गन्ना
	धान	कपास	धान
	कपास	धान	कपास
असम	पटसन	धान	सरसों
	धान	पटसन	धान, पटसन
बिहार	गन्ना	गन्ना	मक्का
	धान	धान	गन्ना
	गेहूं	गेहूं	गेहूं
गुजरात	ज्वार	बाजरा	मूंगफली
	बाजरा	मूंगफली	बाजरा
	कपास	कपास	
हरियाणा	गेहूं	धान, गेहूं	चना, गेहूं
हिमाचल प्रदेश	आलू	आलू	मक्का
	मक्का	मक्का	आलू
कर्नाटक	मूंगफली	मूंगफली	ज्वार
	कपास	कपास	मूंगफली
	रागी	रागी	
केरल	नारियल	धान	धान
मध्य प्रदेश	ज्वार	ज्वार	चना
	धान	धान	तुर
	चना	गेहूं	ज्वार
महाराष्ट्र	बाजरा	ज्वार	प्याज
	कपास	गन्ना	ज्वार
	गन्ना	कपास	कपास

राज्य	1976-77	1977-78	1978-79
उत्तर प्रदेश	जौ	गेहूं	गेहूं
उड़ीसा	धान	धान	पटसन
	मूंगफली	पटसन	धान
पंजाब	मक्का	मक्का	धान
	गेहूं	गेहूं	गेहूं
राजस्थान	ज्वार	जौ	बाजरा
	मक्का	मक्का	जौ
	चना	बाजरा, चना	
तमिलनाडु	ज्वार	धान	मूंगफली
	धान	ज्वार	कपास, धान
	कपास	कपास	
	गन्ना	जौ	
	धान	गन्ना, धान	
पश्चिम बंगाल	धान, पटसन	पटसन, धान	धान; पटसन
	गेहू	गेहूं	
आन्ध्र प्रदेश (वी०एफ०सी० तम्बाकू का विशेष अध्ययन)	वी०एफ०सी० तम्बाकू	वी०एफ०सी० तम्बाकू	वी०एफ०सी० तम्बाकू

"अनाज बचाओ योजना" के अंतर्गत अधिक प्रशिक्षण शिविर

6530. **श्री अहमद हुसैन :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "अनाज बचाओ" योजना के अंतर्गत किसानों को सुरक्षित स्थानों पर खाद्यान्न भण्डारण के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों में प्रशिक्षण देने हेतु हाल में देश में प्रशिक्षण शिविर स्थापित किये हैं तथा कुछ और स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक खोले गये प्रशिक्षण शिवरों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक शिविर द्वारा कितने किसानों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में आसाम में उक्त प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए इस योजना का वहां तक विस्तार करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आसाम में 1979 के दौरान जिला-वार किन-किन स्थानों पर ऐसे शिविर खोले जायेंगे ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) "अन्न सुरक्षा अभियान" की योजना के अधीन देश के विभिन्न स्थानों पर इस समय 17 दल कार्यरत हैं। खाद्यान्नों का भण्डारण करने की वैज्ञानिक तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए, ये दल दो प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं अर्थात [1] किसानों, व्यापारियों और सरकारी समितियों के प्रतिनिधियों के लिए वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसमें प्रति व्यक्ति 100/—रुपये का वजीफा देने की व्यवस्था है और [2] ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों आदि के लिए

गैर-वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम । "अन्न सुरक्षा अभियान" के अधीन आयोजित किए गए प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित किए गए किसानों आदि की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ)—गोहाटी में 1978 से ही एक अन्न सुरक्षा अभियान दल तैनात है । खानापाड़ा [गोहाटी] में स्थित किसान प्रशिक्षण केन्द्र में मार्च, 1979 में 50 किसानों ने एक वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया है । वर्ष के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से विभिन्न स्थानों पर और अधिक प्रशिक्षण शिविर गठित किए जाएंगे ।

विवरण

"अन्न सुरक्षा अभियान" योजना के अधीन आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षित किसानों आदि की संख्या बताने वाला विवरण—

क्रम सं०	अ० सु० अ० दल का स्थान	विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या						
		चौथी योजना			पांचवीं योजना		1978-79 [फर, 79 तक]	
		I	II	III	I	II	III	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9] [10]
		1969-70 के दौरान शुरू हुआ						
1.	मुख्यालय नई दिल्ली	452	—	—	—	—	—	— —
2.	बम्बई [अब पुणे]	—	5029	1168	3157	6488	300	1298 2468
3.	पटना	—	23383	1111	1975	6998	350	367 1546
		1973-74 के दौरान शुरू हुआ						
4.	गाजियाबाद	—	88	1177	943	5997	330	448 1410
5.	हैदराबाद	—	226	1239	1205	12125	491	381 2112
6.	भोपाल	—	59	1221	1785	2879	347	473 333
7.	मद्रास	—	151	1200	4105	6011	350	231 1196
		1976-77 के दौरान शुरू हुआ						
8.	चण्डीगढ़	—	—	606	1229	1485	355	216 530
9.	लखनऊ	—	—	444	667	4492	299	417 1091
10.	उदयपुर		—	422	924	2889	261	270 1221
11.	कलकत्ता	—	—	392	778	2874	248	161 961
12.	भुवनेश्वर	—	—	400	436	1902	400	268 1180
		1978-79 के दौरान शुरू हुआ						
13.	अहमदाबाद	—	—		—	—	—	— —
14.	गोहाटी	—	—	—	—	—	—	— —
15.	बंगलौर	—	—	—	—	—	—	— —
16.	रायपुर [उप दल]	—	—	—	—	—	50	201 95
17.	त्रिवेन्द्रम [उप दल]	—	—	—	—	—	50	— —
18.	वाराणसी [उप दल]	—	—	—	—	—	49	— 37
	जोड़	452	28936	9380	17204	54140	3880	4731 14160

I. तीन सप्ताह की अवधि के वृत्तिक प्रशिक्षण शिविर ।

II. लगभग एक सप्ताह की अवधि के गैर-वृत्तिक शिविर ।

III. 2-3 दिन की अवधि के गैर-वृत्तिक प्रशिक्षण शिविर ।

उर्दू में शिक्षा देने वाले स्कूलों/संस्थानों की संख्या में कमी

6531. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उर्दू भाषा में शिक्षा देने वाले स्कूलों/संस्थानों की संख्या में कमी होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के तत्सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उर्दू को लोकप्रिय बनाने और शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्रों में इसे इसका उचित स्थान दिलाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) तथा (ख) : शिक्षा मुख्यतः एक राज्य विषय है तथा स्कूलों में उर्दू के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है ।

(ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, उर्दू की प्रोन्नति के लिए कई कदम उठाए गए हैं । सरकार ने उर्दू की प्रोन्नति के लिए ब्यूरो स्थापित किया है जो शैक्षिक साहित्य प्रकाशित करता है । जिसमें विश्वविद्यालीय स्तर की पुस्तकें स्कूली पाठ्य पुस्तकें, अनुपूरक रीडर तथा अन्य प्रकार का साहित्य शामिल है । क्योंकि सुलेखन उर्दू पुस्तक निर्माण का एक अभिन्न अंग है, अतः 3 सुलेखन केन्द्र स्थापित किए गए हैं और 2 उर्दू अकादमियों को उनके सुलेखन केन्द्रों के लिए सहायता दी जाती है । प्रकाशन कार्यक्रम के अतिरिक्त गैर-उर्दू भाषा लोगों को पत्राचार पाठ्यक्रमों को माध्यम से उर्दू पढ़ाने की एक योजना तैयार की गई है । भारत सरकार राष्ट्रीय पुस्तक उपन्यास तथा साहित्य एकादमी एवं उर्दू की प्रोन्नति के कार्य में लगे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की सहायता भी कर रही है । राष्ट्रीय पुस्तक उपन्यास विभिन्न विषयों पर उर्दू की पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है । साहित्य एकादमी ने भी कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें साहित्य तथा सामान्य पुस्तकें शामिल हैं तथा विख्यात उर्दू लेखकों को पुरस्कार दिए हैं । भारत सरकार द्वारा सोलन तथा पटियाला में स्थापित किए गए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उर्दू के शिक्षक तैयार करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ।

खेती के लिए तटीय क्षेत्रों का सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता

6532. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में खेती प्रयोजनों के लिए तटीय भूमि का सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता मे एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1978 तक वित्तीय पूंजी निवेश और वास्तविक उपलब्धियों के रूप में कितनी प्रगति हुई है और चालू वर्ष के दौरान प्रत्याशित प्रगति क्या है और वर्ष 1979-80 के लिये कितनी धन राशि का प्रावधान है और राज्यवार किन-किन योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है और इसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं:

(घ) विषय-सूची और योजना आदि की वित्तीय प्रशासनिक पद्धति और अन्य प्रोत्साहनों के बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ङ) इस समस्या को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने के लिए अब तक कितनी तकनीकी/वित्तीय विदेशी सहायता मांगी गई और कितनी उपलब्ध कराई गई और तत्सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री गुरजीतसिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) तक प्रश्न ही नहीं होता ।

रूई के विकास के लिए योजनायें

6533. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूई के विकास और देश के सूखे क्षेत्रों में विशेष रूप से रूई के उत्पादन में सुधार करने के लिए कोई विशेष योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र से सहायता प्राप्त योजना, उद्देश्य केन्द्रीय और परियोजना स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध और सहायता के ढांचे, धन राशि के प्रावधान और गत तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य और इसकी तुलना में परियोजना में क्षेत्रवार उपलब्धियों वर्ष 1979-80 के लिए कार्यक्रम का परियोजनावार और क्षेत्रवार, ब्यौरा क्या है और तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के शुरू करने के बाद परियोजना कार्यान्वयन के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई है और ऐसे उद्देश्यात्मक समीक्षा से निकली महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां/प्रकट हुई बातें क्या हैं और नीति सम्बंधी ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम करार/प्रशासनिक और परिचालनात्मक प्रबंध, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, परियोजना में काम करने वाले प्रशिक्षण संबंधी किए गए अन्य निर्णय/परिवर्तन क्या हैं; और

(घ) ऐसी परियोजनाओं के लिये उपलब्ध कराई गई और उपयोग में लाई गई विदेशी सहायता कितनी है और विदेशी एजेंसियों द्वारा सहायता दी गई परियोजनाओं और विशेष रूप से महाराष्ट्र के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रतापसिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1971-72 में चलाए गए केन्द्रीय प्रायोजित सघन कपास जिला कार्यक्रम को 16 वारानी जिलों सहित 24 सक्षम जिलों में कार्यरूप दिया जा रहा है जिसका लक्ष्य उन्नत पैकेज पद्धतियों को अपनाकर कपास के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करना है । योजना के अंतर्गत भारत सरकार, वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि कपास के मूल और आधारी बीज में वृद्धि करने हेतु कर्मचारियों पर आने वाली लागत आकस्मिक व्यय, प्रमाणिकृत कपास बीजों पर मिलने वाली राज सहायता, वनस्पति रक्षण उपकरणों, हवाई छिड़काव संबंधी प्रचालनात्मक शुल्क, प्रदर्शन और

कास्तकारी व्यय की पूर्ति हो सके। योजना का कार्यान्वयन राज्य द्वारा किया जा रहा है अतः प्रशासन का भार भी उन्हीं पर है। गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत निर्मुक्त की गयी राशि तथा 1979-80 के लिये की गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

वर्ष	निर्मुक्त की गयी राशि (लाख रुपए)
1976-77	244.47
1977-78	400.20
1978-79	502.50
1979-80 (परिव्यय)	600.00

गत तीन वर्षों के दौरान योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत प्राप्त वास्तविक उपलब्धि, तथा 1979-80 के लिये निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, हां, अनेक मूल्यांकन सर्वेक्षण किये गये हैं तथा अध्ययनों से प्रकट होता हैं कि सिंचित और वर्षा पर आश्रित क्षेत्रों में प्रगति की प्रवृत्ति अच्छी रही है। वित्तीय शक्तियों या प्रशासनिक व्यवस्था के मामले में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई है क्योंकि राज्य स्वयं ही क्रियान्वयन एजेंसियां हैं।

(घ) भारत सरकार पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में विश्व बैंक के ऋण सहायता से एक समेकित कपास विकास परियोजना को भी चला रही है जिसकी अनुमानित लागत 28.8 करोड़ रु० बैठेगी जिसमें से विश्व बैंक ने 14.4 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है इसमें विदेशी मुद्रा की पूरी लागत और स्थानीय लागत का 21 प्रतिशत अंश शामिल है। परियोजना महाराष्ट्र के अमरावती जिले में चालू है। परियोजना कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से कृषकों को आदानों के पैकेज की वित्तीय व्यवस्था के लिए अल्पकालीन ऋण तथा ओटाई और कपास बीज परिसंस्करण सुविधाओं के आधुनीकरण आदि के लिए धन प्रदान करती है।

विवरण

योजना का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के तहत हुई प्रगति								
	उपलब्धि 1976-77			उपलब्धि 1977-78			उपलब्धि 1978-79		लक्ष्य 1979-80
	उन्नत बीज	उर्वरक	वनस्पति रक्षण उपाय (कुल क्षेत्र)	उन्नत बीज	उर्वरक	वनस्पति रक्षण उपाय (कुल क्षेत्र)	उन्नत बीज	उर्वरक	वनस्पति रक्षण उपाय (कुल क्षेत्र)
क—क्षेत्र									
1. विद्यमान समेकित कपास विकास परियोजना को चालू रखना (000 हैक्टार)									

(क) सिंचित कार्यक्रम	323	631	3227	334	636	2741	358	622	2568	685
(ख) वर्षा पर आधारित कार्यक्रम	239	224	406	599	448	1016	635	532	979	660
	562	855	3633	933	1084	3757	993	1154	3547	1345

2. समेकित कपास विकास परियोजना का नई सिंचाई परियोजनाओं तथा गैर परम्परागत क्षेत्रों में विस्तार करना (000 हैक्टार)

(ग) नई सिंचाई वाली परियोजनाएं	234	234	1959	262	262	2502	253	251	1956	350
(घ) गैर परम्परागत क्षेत्र	11	11	59	9.2	9.2	85.2	9	4	24	30
	245	245	2018	271.2	271.2	2587.2	262	255	1980	380

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
(ख) कपास पर हवाई छिड़काव (000 हैक्टार)	—	373.2	380	465
(ग) संकर कपास के बीजों का उत्पादन (हैक्टार में)	1017	2344	2506	2850
(घ) कपास के मूल और आधारी बीज का उत्पादन (हैक्टार में)				
मूल	70.1	72.2	77.5	75.25
आधारी	1047.6	772.8	761.9	858
(ङ) वर्गीकरण करने वाले केन्द्रों की स्थापना (संख्या)	25	27	33	36

नजफगढ़ नाले पर पुल

6536. **श्री दाजीबा देसाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य कार्यकारी पार्षद के साथ हाल में हुई दिल्ली प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय किया गया है कि नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण करने का कार्य केवल नगर निगम द्वारा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) मदन पार्क, जयदेव पार्क और अन्य कालौनियों को जोड़ने की दृष्टि से दिल्ली में स्वतंत्र भारत मिल के पीछे नजफगढ़ वाले पुल का निर्माण किए जाने की मांग के बारे में दिल्ली नगर निगम द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वे नजफगढ़ नाले पर रोड़ नं० 34 के क्रासिंग पर पुल बनाने का कार्य प्रारम्भ कर रहे हैं। यह पुल रोड नं० 34 के दूसरे गाड़ी मार्ग के लिए इसी स्थल के पुल के डिजाइन की तरह दिल्ली प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा प्रदत्त "कूप नीव" के आधार पर बनाया जायेगा।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि प्रश्न के इस भाग में वर्णित स्थल पर पुल बनाने के लिए उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

कविता कालौनी, नांगलोई, दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय

6537. **श्री वाजीवा देसाई :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वार्ड संख्या 37 में नांगलोई के निकट कविता कालोनी के पश्चिम में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक शौचालय कालोनी के बहुत निकट निर्मित किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कविता कालौनी के निवासियों को बहुत असुविधा होती है;

(ख) क्या कालोनी के प्रतिनिधि गत छह वर्षों से इस स्थान से इन शौचालयों को हटाने के लिए मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक हटाया नहीं गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस स्थान से इन शौचालयों को हटने का है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कविता कालौनी एक अनधिकृत कालौनी के रूप में बनाने से पहले इस क्षेत्र में जे० जे० कालोनी नांगलोई के लिए सैप्टिक टैंक सहित सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था।

(ख) 1 अप्रैल, 1978 से अर्थात इस कालोनी को दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित करने के पश्चात दिल्ली नगरनिगम के संबंधित विभाग को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) इन शौचालयों के हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वे जे० जे० कालौनी, नांगलोई में दी गई मूलभूत सुविधाओं का एक अंग है।

जूनागढ़ जिले में बंथलो में टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब

6538. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जिला पंचायत कार्यालय; बांधकाम समिति, जूनागढ़ ने जूनागढ़ जिले बथलो जिले नगर में नए टेलीफोन कनेक्शन देने में देरी करने के बारे में 8 फरवरी, 1979 को उन्हें शिकायत भेजी है; यदि हां तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) बंथली नगर में कितनी टेलीफोन क्षमता का बोर्ड है तथा इसमें अब तक कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; 15 फरवरी, 1979 को टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन-पत्र कब से लम्बित थे और आवेदनकर्ताओं के क्या नाम हैं; और

(ग) यह आवेदन पत्र लम्बित रहने के क्या कारण हैं, आवेदनकर्ताओं ने इसके लिए कितनी रकम दी है तथा कब से और उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (नरहरि प्रसाद साय) (क) जी, हां। बंथली एक्सचैंज द्वारा टेलीफोन कनेक्शन की मंजूरी में हुई देरी के बारे में शिकायत की गई थी।

(ख) और (ग) बंथलो एक्सचैंज को क्षमता 200 लाइनों की है जिनमें से 113 कनेक्शन चालू हैं। 15-2-79 को प्रतिक्षा सूची में 5 ऐसे आवेदक थे जिन्होंने 1000/- रुपये अग्रिम जमा करा रखे थे। विवरण अनुबंध में दिया गया है। गढ़ iv के अतिरिक्त अनुबंध में दिए गए सभी मामले निपटा दिए गए हैं, क्योंकि पार्टी ने अनुपूरक मांग पत्र का भुगतान नहीं किया था।

विवरण

तारीख 15-2-1979 को बंथलो एक्सचैंज की प्रतीक्षा सूची की स्थिति

क्रम सं०	पार्टी का नाम	पंजीकरण की तारीख
1.	शिवलाल मंच्छलाल शिवसागर रेस्टोरेंट	20-5-1978
2.	श्री भवानी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज	20-5-1978
3.	वल्लभ नाथ भाई भट	20-5-1978
4.	पटेल केशवलाल जेठा भाई	18-9-1978
5.	वम्जा छगनलाल केशवजी	3-11-1978

जामनगर को टेलेक्स द्वारा अहमदाबाद टेलीफोन केन्द्र के साथ जोड़ना

6539. **श्री धर्मसिंह पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में जामनगर सिटी को टेलेक्स द्वारा अहमदाबाद टेलीफोन केन्द्र से जोड़ने तथा जामनगर के माईक्रोवेव केन्द्र को ब्राड कनेक्शन के साथ जोड़ने का प्रस्ताव था और क्या ये दोनों कार्य पूरे कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और क्या उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) ये दोनों कार्य कब तक पूरे किए जाएँगे ?

संचार राज्यमंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : टेलेक्स (क) टेलीफोन एक्सचेंज के साथ टेलेक्स एक्सचेंज को जोड़ना संभव नहीं है। फिर भी फिलहाल जामनगर टेलेक्स और अहमदाबाद टेलेक्स को सीधे जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

माइक्रोवेव (क) राजकोट और जामनगर के बीच 300 चैनलों की नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली कार्य कर रही है। आगे राजकोट कोएक्सिएल प्रणाली के जरिए अहमदाबाद मे जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद-राजकोट कोएक्सिएल और राजकोट-जामनगर के बीच वर्तमान प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से ब्राडबैंड माइक्रोवेव प्रणाली को मंजूरी दे दी गई है। इन प्रणालियों पर कार्य चल रहा है।

(ख) ये प्रणालियां लगाई जा रही है।

(ग) अहमदाबाद-राजकोट सैक्शन में रिपीटर स्टेशन का कार्य तथा राजकोट में टर्मिनल स्टेशन का कार्य प्रगति में है। इन मार्गों पर रेडियो उपस्कर सप्लाई किए जाने की प्रतीक्षा है।

(घ) अहमदाबाद-राजकोट और राजकोट-जामनगर के बीच ब्राड बैंज माइक्रोवेव प्रणाली चालू योजना अवधि के दौरान उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

भायावदर, राजकोट के मुख्य बाजार में स्थित पुराने डाक घर में तार घर

6540. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकोट जिले में भायावदर के मुख्य बाजार में पुराने डाकघर में तार घर स्थापित करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं जबकि वहां तार की लाइनें मौजूद हैं;

(ख) क्या पुराने डाकघर में तारघर भी कार्य करना शुरू कर देगा जैसा कि लोगों की इच्छा है ; और

(ग) क्या यह सच है कि भायावदर रेलवे स्टेशन रोड के पीछे की स्ट्रीट के अन्दर के भाग में जो नया मकान बनाया गया है वह अच्छा और मजबूत नहीं है और यदि हां, तो यह मकान कब और कितनी कीमत पर बनाया गया ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) और (ख) भायावदर स्थित पुराने डाकघर भवन में 15 फरवरी 1979 से टी०एस०ओ० काम कर रहा है और यहां पर तार सुविधायें उपलब्ध हैं ।

(ग) जी नहीं, इस भवन का निर्माण हाल ही में कम लागत निर्माण योजना के अन्तर्गत लगभग 60,000 रुपये की लागत से किया गया और फरवरी 1979 में इसका अधिग्रहण किया गया ।

नवानगर वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, जामनगर की ओर से अभ्यावेदन

6541. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवानगर वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, जामनगर, का एक **प्रतिनिधि मंडल** 2 दिसम्बर, 1978 को राजकोट में मंत्री महोदय से मिला था और उसने एक **अभ्यावेदन प्रस्तुत** किया था और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) अभ्यावेदन में सूचीबद्ध मांगों के सम्बन्ध में मांग-वार अब तक क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है और यदि कार्यवाही नहीं की गयी है, तो वह कब और कैसे करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) (क) और (ख) जी हां मांग का ब्यौरा और प्रत्येक मांग की वर्तमान स्थिति सभा पटल पर रखी जा रही है ।

विवरण

नवानगर वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, जामनगर की मांगों का ब्यौरा और प्रत्येक मांग की वर्तमान स्थिति ।

(1) **अहमदाबाद के लिये सीधी टेलीफोन सेवा—**

जामनगर और अहमदाबाद के बीच सीधी टेलीफोन सेवा की योजना पहले से बनी हुई है । चूँकि वर्तमान माध्यम अपर्याप्त है, अतः अधिक क्षमता वाली प्रणाली में इसकी बदली करके इसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है । चालू योजना अवधि के दौरान विस्तार की आशा है ।

(2) **जामनगर टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार—**

एक्सचेंज विस्तार कार्य 1981 तक पूरा हो जाने की आशा है । सप्लाई की जाने वाली कुछ मदों पर पाबंदी होने की वजह से इसमें शीघ्रता होने की संभावना नहीं है ।

(3) **अहमदाबाद टी ए एक्स से जामनगर के लिए टी ए एक्सकनेक्शन**

इसकी योजना पहले से ही है और उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिक क्षमता वाले माइक्रोवेव प्रणाली की स्थापना के साथ इसकी व्यवस्था की जायेगी।

(4) **चालू माइक्रोवेव प्रणाली का चौड़ी पट्टी वाली माइक्रोवेव प्रणाली में परिवर्तन**

इसकी योजना पहले से ही है और चालू योजना अवधि के दौरान इसकी आशा की जाती है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से महाराष्ट्र सरकार को ऋण

6542. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छह सिंचाई परियोजना अर्थात् भीमा, कृष्णा, करणी, अपर वर्धा और अपर पेन्नोंग योजनाओं के लिए सहायता या ऋण प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेगी; और

(ख) क्या विश्व बैंक की सहायता अथवा ऋण से उड़ीसा राज्य में कोई सिंचाई परियोजना क्रियान्वित की जा रही है अथवा निकट भविष्य में क्रियान्वित की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व बैंक के 1980 के वित्तीय वर्ष (जुलाई 1979 से जून 1980 तक) के ऋण कार्यक्रम में महाराष्ट्र संयुक्त परियोजना के लिए, जिसमें राज्य की छः सिंचाई परियोजनाएँ नामशः भीमा, कृष्णा, वारण, कुकाडी, अपर पेनगंगा और अपर वर्धा शामिल हैं, ऋण-सहायता देना शामिल है। परियोजना-रिपोर्ट मैसर्स जल और विद्युत विकास सलाहकार सेवाएँ (भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा तैयार की जा रही है और इसका मूल्यांकन विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। परियोजना को तैयार करने का पर्याप्त कार्य पहले ही हो चुका है और चालू वर्ष में सहायता के लिए बातचीत होने की संभावना है।

उक्त संयुक्त परियोजना की संघटक भीमा परियोजना पर आई०एफ०ए०डी० की धन राशि में से सहायता देने के लिए अलग से विचार किये जाने की संभावना है जिसके लिए विश्व बैंक के साथ संयुक्त परियोजना के लिए की जाने वाली बातचीत के साथ साथ बातचीत होने की संभावना है।

(ख) उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की क्रियान्विति के लिए 58 मिलियन डालर को ऋण-सहायता के बारे में विश्व बैंक के साथ अक्तूबर, 1977 में एक करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस स्कीम में लगभग 15 मध्यम परियोजनाएं शामिल हैं और इन परियोजनाओं की कुल लागत 81 मिलियन डालर होगी। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 6.7 मिलियन डालर मूल्य के भूमि-चकबंदी कार्य और 4.1 मिलियन डालर मूल्य के आन-फार्म विकास कार्य शामिल हैं। मूल्य-वृद्धि को शामिल करके परियोजना की कुल लागत का अनुमान 116 मिलियन डालर (104.4 करोड रुपए) लगाया गया है। यह करार 1983-84 तक लागू रहेगा। उड़ीसा की मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में हुए करार के अतिरिक्त, विश्व बैंक अपने भावी ऋण-कार्यक्रम में उड़ीसा संयुक्त परियोजना (जिसमें संभवतः दो परियोजनाएँ नामशः उड़ीसा की रेंगाली सिंचाई परियोजना और महानदी बराज परियोजना शामिल होंगी) और स्वर्ण रेखा

परियोजना जो उड़ीसा तथा बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना है, को ऋण-सहायता देने पर विचार कर सकता है। इस संबंध में प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है।

समान भूमि सुधार कानून

6543. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार सब राज्यों में समान भूमि सुधार कानून लागू करने का है;

(ख) क्या परिवार परिभाषा के मामले में, सरकार का विचार समस्त देश में एक परिभाषा रखने का है; और

(ग) क्या सरकार उड़ीसा की परिवार सम्बन्ध परिभाषा को अन्य राज्यों के समान बनाने के लिये कठोर कार्यवाही करेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सभी राज्यों में सामान्य रूप से राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कृषि जोतों के संबंध में जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानून बनाये गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में की गई सिफारिश के अनुसार कानून के अन्तर्गत निर्धारित जोत की अधिकतम सीमा केवल 5 सदस्यों के परिवार पर लागू होती है तथा 'परिवार' शब्द की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसमें पति, पत्नि तथा नाबालिग बच्चे शामिल हैं।

(ग) उड़ीसा के कानून के अन्तर्गत 'परिवार' की परिभाषा में राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों में दिए गए सुझाव की तुलना में कुछ कठोरता है। कुछ अन्य राज्य भी इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों से भिन्न रहे हैं। राज्य सरकारों को अपने कानूनों में अधिक कठोर प्रावधान रखने की छूट थी। उड़ीसा सरकार ने इस शब्द की परिभाषा में एक संशोधन करने का सुझाव दिया था तथा भारत सरकार ने उन्हें सलाह दी थी कि निलम्बित पड़े हुए मामलों को निपटाने के संबंध में यह उचित नहीं होगा तथापि, भारत सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि यदि राज्य सरकार भावी अधिग्रहणों के मामलों के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप इस शब्द की फिर से व्याख्या करें।

लघु सिंचाई तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति

6544. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने लघु सिंचाई तथा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए भरसक प्रयास करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है; और

(ख) यदि इस वर्ष का कार्यक्रम पूरी तरह तथा सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो जाये तो भारत में कितने अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री ने सितम्बर, 1978 में हुई लघु सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों के अखिल भारतीय सम्मेलन की सिफारिशें हाल ही में सभी मुख्य मंत्रियों को भेजी हैं और

उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया है। इन सिफारिशों में लघु सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन् के लिए भरसक प्रयास करने पर बल दिया गया है।

(ख) 1978-79 के दौरान, लघु सिंचाई योजनाओं से 14.5 लाख हैक्टार सिंचल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सर्जन करने का लक्ष्य है।

डाक तार विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

6545. **श्री आर०के० महालगी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में विभिन्न सिफारिशें की थी; और

(ख) किन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है तथा अपना लिया गया है तथा किन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और क्यों ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) प्रशासनिकसुधार आयोग ने, डाक-तार विभाग के लिए, संगठनात्मक व्यवस्था, डाक-तार बोर्ड का पुनर्गठन, वित्त और लेखा, क्षेत्रीय संगठन, भण्डार और उपस्कर, कार्मिक तथा जन-सम्पर्क के सिलसिले में 34 सिफारिशें की हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में स्थिति बताने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4279/79]

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालोजी, कानपुर के प्रिंसिपल का वेतनमान

6546. **श्री मनोहर लाल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर (कैम्पस स्कूल) के प्रिंसिपल के पद के साथ सम्बद्ध पुराना वेतनमान 550-900 रुपये था जब इस पद पर कोई व्यक्ति पदस्थ था और जिसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गई थीं, और क्या इस पद पर नियुक्त नई महिला प्रिंसिपल की 200 रुपये के प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त 1100-1600 रुपये का वेतनमान दिया जा रहा है;

(ख) क्या वह इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलोजी एक्ट तथा संविधियों के उपबन्धों के विरुद्ध हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर परिसर स्कूल के प्रिंसिपल के पद का वेतनमान 550-900 रुपये हैं। शासी बोर्ड ने वित्त समिति की सिफारिश पर 550-900 रु० के पद के स्थान पर 1100-1600 रु० के वेतनमान में प्रिंसिपल के एक अस्थाई पद का सृजन किया और उस पर श्रीमती राहा (वर्तमान पदधारी) को नियुक्त किया इस समय उन्हें कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जा रहा है। प्रतिनियुक्ति भत्ते का प्रश्न केन्द्रीय विद्यालय संगठन के परामर्श से विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कैम्पस स्कूल की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

कानपुर सैन्ट्रल स्कूल में मिलाने का प्रस्ताव था और क्योंकि श्रीमती राहा काफी लम्बे समय से परवर्ती संस्थान से सम्बद्ध रही हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शासी बोर्ड ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन से यह अनुरोध करने का निर्णय किया कि उन्हें कैम्पस स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में प्रतिनियुक्त कर दिया जाए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन सहमत हो गया और उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर कैम्पस के प्रिंसिपल के रूप में दो वर्षों के लिये प्रतिनियुक्त कर दिया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जालसाजी और अंकों को मिटाने संबंधी कथित मामले

6547. **श्री मनोहर लाल** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जालसाजी और अंकों को मिटाने संबंधी कुछ मामले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के प्रशासन के ध्यान में आये और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस मामले में प्राधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं तो इस पर की गई कार्यवाही और उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने सूचित किया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा में जालसाजी और अंकों को मिटाने का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को प्रति नियुक्ति पर जाने के लिए नियम

6548. **श्री मनोहर लाल : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए क्या नियम हैं;

(ख) क्या नियमों के अनुसार उच्च वेतनमान वाले व्यक्ति कम वेतनमान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जा सकते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय संस्थान की श्रीमती ए० राहा उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट नियमों का उल्लंघन करके भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में प्रतिनियुक्ति पर आई हैं; और

(घ) यदि हां, तो नियमों के इस उल्लंघन के क्या कारण हैं तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस मामले में अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर भारत सरकार के नियमों का पालन करता है।

(ख) जी हाँ। बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पद के वेतन की अधिकतम सीमा मूल वेतन तक सीमित हो।

(ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के शासी बोर्ड ने, वित्त समिति की सिफारिशों के आधार पर 550-900/-- रुपये के वेतनमान में प्रिंसिपल के पद के बदले में श्रीमती राहा के लिए 1100-1600 रुपये के वैयक्तिक वेतनमान में प्रिंसिपल के एक अस्थाई पद का सृजन किया तथा उन्हें उस पद पर नियुक्त किया।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीम में काजू के बारे में गोष्ठी

6550. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में हाल में कोई अन्तर्राष्ट्रीय काजू गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने भाग लिया और काजू जर्मप्लाज़ा बागान में सुधार करने के लिए क्या सुझाव दिये गये ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानुप्रताप सिंह) (क) जी हां, श्रीमान। काजू पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कोचीन में दिनांक 12 से 15 मार्च, 1979 तक आयोजित हुई थी।

(ख) आतिथेय देश का अतिरिक्त, आस्ट्रेलिया, इंडीनेसिया, इटली, मेलेसिया, नीदरलैंड्स, फिलीपीन, स्पेन, श्रीलंका, सूरिनाम, स्विटजरलैण्ड, कीनिया, यूनाटेड किंगडम और जाम्बिया के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।

इस संगोष्ठी ने काजू के जनन द्रव्य के एकत्रीकरण, संरक्षण, श्रेणीकरण और मूल्यांकन की समस्या का अध्ययन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय समिति के गठन की सिफारिश की थी जिसमें भारत, श्रीलंका, मलेसिया, ब्राजील, कीनिया और रायल ट्रापिकल, इंस्टीट्यूट, एम्सटर्डम के प्रतिनिधि रहेंगे। संगोष्ठी ने यह भी निर्णय किया कि काजू के जनन-द्रव्य को एकत्रित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पौध अनुवंशिक स्रोत ब्यूरो शीघ्रातिशीघ्र एक अन्तर्राष्ट्रीय दल के ब्राजील (जिसे काजू की जन्मभूमि माना जाता है) के दौरे की व्यवस्था करें। इसने यह भी निश्चय किया कि जनन-द्रव्य के आदान प्रदान के लिए काजू पैदा करने वाले विभिन्न देशों में उपलब्ध काजू आनुवंशिक सामग्री के बारे में एक मूल्यांकन किया जाय।

एन० एफ० सी० इंस्ट्क्टरों की वरिष्ठता

6552. **श्री आर०एल० कुरील** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** एन० एफ० सी० इंस्ट्क्टरों की वरिष्ठता सूची के बारे में 17 जुलाई, 1978 के तारांकित प्रश्न सख्या 173 के (ग) भाग के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि एन० एफ० सी० इंस्ट्क्टरों की अंतिम वरिष्ठता की सूची में उन एन०एफ०सी० इंस्ट्क्टरों के नाम भी शामिल है किये गये थे जिन्हें 1 नवम्बर, 1972 को शिक्षा निदेशालय में खपाया नहीं गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या वरिष्ठता सूची को अंतिम सूची के रूप में माना जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो शिक्षा मंत्रालय का विचार इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी) (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, 26-4-76 को शिक्षा निदेशालय के द्वारा जारी की गई वरिष्ठता सूची अंतिम है, क्योंकि जब वह सभी स्कूलों में परिचालित की गई थी तो किसी भी अनुदेशक से सूची के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक के लिये पृथक पुरातत्वीय सर्वेक्षण सर्किल

6553. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कर्नाटक के लिये एक पृथक् पुरातत्वीय सर्वेक्षण सर्किल बनाने का निर्णय किया था जो पहले उस सर्किल का एक भाग था जिसमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सम्मिलित थे;

(ख) क्या स्मारकों के परिरक्षण के महत्व को देखते हुए तथा इन दोनों राज्यों में अधिक योजनाबद्ध तरीके से सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के लिए एक पृथक् पुरातत्वीय सर्वेक्षण सर्किल स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सर्किल को आवंटित धनराशि तथा गत तीन वर्षों में केरल और तमिलनाडु में खर्च की गई राशि का अनुपात क्या है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) सितम्बर, 1974 में सरकार ने बंगलौर में मुख्यालय की स्थापना के साथ रायचूर, गुलबर्ग और बीदर जिलों को छोड़कर कर्नाटक के सम्पूर्ण प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को शामिल करते हुए एक नये मंडल (वर्तमान 10 मंडलों के अतिरिक्त) बनाने का निर्णय लिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) संरक्षणाधीन स्मारकों और स्थलों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कार्यभार की युक्तिसंगत व्याख्या के अतिरिक्त राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने और स्मारकों के पर्यवेक्षण एवं रख-रखाव में सुविधा की दृष्टि से विभिन्न मंडलों के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का पुन-र्नसीमांकन किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सभी राज्यों में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की देखभाल करता है। सर्वेक्षण के मंडलों के पुर्नसीमांकन का अभिप्राय राज्य की परिसीमाओं को महत्व देना नहीं है क्योंकि सभी राज्यों का अपना-अपना पुरातत्वीय विभाग है।

(घ) फिलहाल दक्षिणी मंडल में केरल और तमिलनाडु सहित पांडिचेरी और कराइकल आते हैं तथा इसका मुख्यालय मद्रास में है। इस मंडल में पिछले तीन वर्षों में स्मारकों के संरक्षण

के लिए संरचनात्मक मरम्मत कार्यों, रासायनिक संरक्षण तथा बागवानी प्रक्रियाओं पर निम्न-लिखित रूप से धनराशि आवंटित और खर्च की गई है :—

वर्ष	मंडल के लिए बजट आवंटन	स्मारकों की मरम्मत और रख-रखाव पर किया गया व्यय
1976-77	33,65,000	18,28,516.00
1977-78	39,75,000	23,00,419.69
1978-79	46,00,000	7,30,511.31 (जनवरी, 1979 तक)

पंजाब में चावल का न उठाया जाना

6554. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त एक लाख टन से भी अधिक चावल जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये हैं मिलों द्वारा पंजाब में उठाया नहीं जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्य मंत्री के आदेशों तक का पालन नहीं किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की है कि मंत्रियों के आदेशों का पालन किया जाये ; और

(ङ) पंजाब से चावल न उठाने का राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क)से(ङ) तक : पंजाब सरकार ने चावल मिल मालिकों पर चावल संबंधी लेवी लगाई है जोकि मोटे तथा मध्य किस्म के मामले में 80 प्रतिशत और बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्मों के लिए 30 प्रतिशत है। चावल मिल मालिक भारतीय खाद्य निगम को यह लेवी देते हैं। 4 अप्रैल, 1979 को भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 15.51 लाख मीटरी टन लेवी चावल लिया है जो कि मिल मालिकों द्वारा खरीदे गये धान के आधार पर उनसे वास्तव में मिलने वाले 13.17 लाख मीटरी टन लेवी चावल की मात्रा से अधिक है। चावल मिल मालिकों ने भारतीय खाद्य निगम को अपने शेयर से अधिक स्टाक देने की स्वयं पेशकश की है। लेकिन भण्डारण सुविधाओं की कमी और पंजाब से बाहर रेल से स्टाक भेजने में कठिनाई के कारण भारतीय खाद्य निगम मिल मालिकों द्वारा पेश की गई अतिरिक्त मात्रा को स्वीकार नहीं कर सका है। पंजाब सरकार से यह अनुरोध किया गया था कि वे अपने खाली भण्डारण स्थानों को भारतीय खाद्य निगम को दे दें ताकि भारतीय खाद्य निगम अतिरिक्त मात्रा को स्वीकार कर सके। यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था और वे भारतीय खाद्य निगम को तत्काल एक लाख मीटरी टन क्षमता का खाली भण्डारण स्थान और कुछ समय बाद अन्य एक लाख मीटरी टन क्षमता का स्थान उपलब्ध करने के लिए तैयार हो गये हैं। भारतीयखाद्य निगम से कहा गया है कि वे मिल मालिकों द्वारा पेश किए गये चावल की अतिरिक्त मात्रा उतनी ही ले जिसके लिए पंजाब सरकार अतिरिक्त भण्डारण स्थान देने के लिए राजी हो। भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्य मंत्रियों के आदेश का अनुपालन न करने का प्रश्न ही नहीं

उठता । केन्द्रीय सरकार को चावल के न उठाने से राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र

6555. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए बहुत से आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए कितने-कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं ;

(ग) प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज के संबंध में इन विचाराधीन आवेदन-पत्रों के लिये टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी कब तक दी जायेगी ;

(घ) आगामी दो वर्षों में एक्सचेंजों के विकास का कार्यक्रम क्या है ; और

(ङ) दिल्ली में टेलीफोन सेवाओं में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या विशेष कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : 1-3-1979 का एक्सचेंज क्षेत्रवार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदन-पत्रों की संख्या तथा टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था का अस्थायी कार्यक्रम विवरण में दिया गया है ।

(घ) आगामी 2 वर्षों अर्थात् 1979-80 और 1980-81 के लिए तैयार किये गए विकास योजना-कार्यक्रम निम्नप्रकार है :

विस्तार एक्सचेंज	मार्च, 1979 के दौरान पहले से चालू	जिनके चालू करने की योजना है	
		1979-80	1980-81
1—ओखला	1700लाइनें (5300-7000)		
2—शहादरा	1600 लाइनें (2400-4000)		
3—शक्तिनगर	—	1000 लाइनें एम०	
4—गाजियाबाद II	—	2000 लाइनें एम०	
5—तीस हजारी	—	10000 लाइनें एम०	
6—राजौरी गार्डन	—	10000 लाइनें एम०	
7—राजौरी गार्डन—II	—	6000 लाइनें एम०	
8—चाणक्यपुरी	—	500 लाइनें (6200-6700)	
9—नेहरू प्लेस	—	400 लाइनें (2000-2400)	
10—जनकपुरी	—	1200 एम०	
11—फरीदाबाद	—	—	900 लाइनें (2000-3900
12—नेहरू प्लेस	—	—	10000 ला
13—करोलबाग	—	—	10000 ला
14—अलीपुर	—	100	—
15—बादली	—	200	—

(ङ) आगामी वर्षों में नई लाइनें चालू होने के साथ दिल्ली के बहुत से टेलीफोन एक्सचेंजों में जहां उपस्कर पर बहुत अधिक भार पड़ रहा है, काफी हद तक दबाव कम हो जायेगा। इससे टेलीफोन सेवा में सुधार आयेगा।

विभिन्न एक्सचेंजों के बीच जंक्शन लाइनों में वृद्धि की जा रही है, विशेषकर गाजियाबाद और फरीदाबाद को पहधुरीय केबल का प्रयोग करके। उपभोक्ताओं को संतोषजनक और दोष रहित टेलीफोन सेवा प्रदान करने के लिए निम्न अन्य कदम उठाये गए हैं :

1—भूमिगत केबुलों का दाबीकरण।

2—जेली भरे वितरण केबुलों का प्रयोग।

3—बेहतर कार्य को सुनिश्चित करने के लिए क्रासबार एक्सचेंजों में सुधार।

4 प्रत्येक क्षेत्र के अध्यक्ष के बतौर क्षेत्र प्रबन्धक सहित चार क्षेत्रों का गठन।

विवरण

स्तर/एक्सचेंज	आवेदन पत्रों की संख्या जो 1-3-79 को बकाया है	1-3-79 को प्रतीक्षा-सूची का सम्भावित निपटान सूचित करने वाली अन्तरिम समय अनुसूची।		
		अपना टेलीफोन योजना	विशेष	साधारण
1	2	3	4	5
20-पूर्वी शहादरा	698	मध्य 1981	1-4-82	1-4-82
21-शहादरा	3480	1-4-80	31-12-83	31-12-83
22-तीस हजारी	5062	31-12-79	30-6-80	30-6-80
74-शक्तिनगर	2567	31-12-79	30-6-80	31-12-80
26-27-दिल्ली गेट	3979	1-4-80	1-4-80	1-10-81
37-सचिवालय	364	30-6-80	30-6-80	30-6-80
38-राजपथ	789	निकट भविष्य में कोई संभावना नहीं		
4-कनाट प्लेस	कोई नहीं	पहले से ही चालू है		
31, 32, 34, 35 जनपथ	कोई नहीं	पहले से ही चालू है		
511, 52 ईदगाह	5366	31-12-79	30-4-80	31-12-80
56, 58, 59 करोलबाग व राजौरी गार्डन	7922	31-12-81	30-4-82	31-12-82
61, 62, 69 जोरबाग	1157	पहले ही निपटायी जा चुकी है।		31-12-81
63 ओखला	1308	30-12-79	31-3-80	31-12-80
68 नेहरु प्लेस	1081	31-1-80	31-12-82	31-12-82
65-66 हौजखास	1663	पहले ही निपटायी जा चुकी है।		31-12-82
67 चाणक्यपुरी	634	पहले ही निपटायी जा चुकी है।	31-3-80	31-12-83

39 दिल्ली छावनी	1448	1-6-82	31-12-82	31-12-83
801-अलीपुर	22	31-12-80 तक		
802-बादली	154	-वही-		
81-फरीदाबाद	1076	31-12-81	31-12-81	31-12-82
82-बदरपुर	92	31-3-80	31-3-80	31-3-80
83-बहादुरगढ़	94	31-12-79	31-12-82	31-12-82
85-गाजियाबाद	2144	30-6-82	—	31-12-83
87-नांगलाई	92	निपटाई गयी	—	31-12-82
88-बल्लभगढ़	434	30-6-82	30-6-82	30-6-82
86-नजफगढ़	23	निपटाई गयी	—	31-12-83
89- नरेला	16	निपटाई गयी	निपटाई गयी	31-12-82
803-जनकपुरी	827	1-4-81	1-4-81	31-12-83
कुल योग	45,196			

गन्दी बस्तियों को हटाया जाना

6556. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में किन क्षेत्रों को गन्दी बस्ती उन्मूलन क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र को गन्दी बस्ती उन्मूलन क्षेत्र किस तिथि को घोषित किया गया ;

(ग) गत दो वर्षों में किन क्षेत्रों में गन्दी बस्तियां हटाकर उनका विकास किया गया ;

(घ) इस मामले में अब तक कार्यवाही न करने के क्या कारण है : और

(ङ) इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) संलग्न विवरण के अनुसार ।

(ग) तथा (घ) : पिछले दो वर्षों के दौरान किसी गन्दी बस्ती को हटाया नहीं गया था । तथापि, निम्नलिखित क्षेत्रों को पिछले दो वर्षों के दौरान विकासित किया गया था :—

1. सराय खलील (दिल्ली विकास प्राधिकरण की उच्च आय वर्ग आवास योजना)

2. अमृतकौर पुरी (32 टेनामेन्ट) ।

3. सराय फूस (96 टेनामेन्ट) ।

(ङ) मौजूदा नीति यह है कि गन्दी बस्तियों को हटाए जाने की अपेक्षा उनमें सुधार करने/उनका विकास करने पर बल दिया जाए यदि उन्हें हटाया जाना आवश्यक न हो ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4279/79]

चीनी का उत्पादन और आवश्यकता

6559. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 में चीनी का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) वर्ष के दौरान देश की आवश्यकता कितनी थी ;

(ग) कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद कितनी चीनी फालत रह जाती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रायय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख), (ग) **और** (घ) :—चीनी वर्ष 1978-79 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 22 मार्च; 1979 तक लगभग 43.3 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन हुआ था। अस्थायी रूप से अनुमान लगाया मया है कि पूरे मौसम के दौरान 65 लाख मी० टन चीनी का उत्पादन होगा। आशा है कि चीनी वर्ष 1978 79 के दौरान आन्तरिक खपत और निर्यात के लिए लगभग क्रमश: 58 लाख मी० टन और 8.50-लाख मी0 टन चीनी की निकासी होगी, चीनी की कुल निकासी लगभग 66-67 लाख मी० टन बैठती है। आशा है कि 1978-79 मौसम के अन्त में पिछला बचा स्टाक लगभग 32 लाख मी० टन बैठेगा।

बीज उत्पादन लक्ष्य

6560. **श्री के० लकप्पा** : **क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम का 1978 के लिए बीज उत्पादन लक्ष्य कितना है।

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं :

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक

खरीफ, 1978 तथा रबी-ग्रीष्म, 1978-79 के लिए 6.49.122 क्विंटल बीजों के उत्पादन का लक्ष्य था। इसकी तुलना में कुल 511906 क्विंटल का उत्पादन होने की आशा है। प्रजनक तथा आधारी बीजों की कमी और कुछ फसलों व किस्मों के लिए उत्पादकों की अच्छी प्रतिक्रिया न होना कम उत्पादन के मुख्य कारण है।

काजू बागान का क्षेत्र

6561. **श्री जी० भुवारहन** : **क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में काजू बागान का कुल क्षेत्र कितना है तथा राज्यवार इसके आंकडों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) देश में काजू के बागान का विकास करने के लिए वर्ष 1979-80 में कितना धन व्यय किया जायेगा ; उसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) देश में काजू बागान के अंतर्गत कितना क्षेत्र है, इसके बारे में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, तदर्थ अनुमान के अनुसार देश में 1977-78 के दौरान इसके अंतर्गत कुल 4.21,040 हैक्टार क्षेत्र था। राज्यवार आंकड़ों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) 1979-80 के दौरान देश में काजू विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुमानित रूप से 121 लाख रुपये की राशि व्यय करने का प्रस्ताव है, जिसमें केन्द्र और राज्य का अनुपात 50:50 का होगा।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कर्नाटक काजू विकास निगम, जिसकी स्थापना राज्य में सरकारी भूमि में काजू विकास की देखरेख के लिए की गयी है, की शेयर पूंजी में भी हिस्सा ले रही है। इस योजना के लिये 1979-80 के केन्द्रीय बजट में 22 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। राज्यवार आंकड़े विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

राज्य	क्षेत्र (हैक्टार में) 1977-78	प्रस्तावित राशि 1979-80 (लाख रुपये में)
केरल	1,19,305	63.842
तमिलनाड	93,460	5.519
आन्ध्र प्रदेश	25,100	12.448
कर्नाटक	35;975	10.057
महाराष्ट्र	79,808	2.766
उड़ीसा	24,487	19.046
पश्चिम बंगाल	1,506	0.586
त्रिपुरा	753	—
गोवा	39,317	6.766
पाण्डिचेरी	329	—
कुल	4,21,040	121.030 या 121,0

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कृषि जोतों में खड़े वृक्षों का हटाया जाना

6562 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि भू-धृति विनियम के अधीन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृषि जोतों में खड़े वाणिज्यिक वृक्षों को, यदि दखलकारी अधिकारी के बाद पांच वर्षों के भीतर न हटाया गया, तो वे भूमि के मालिक किसानों की सम्पत्ति बन जायेगी यदि हां, अंडमान द्वीपों में (ग्राम वार) ऐसे वृक्षों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या वन अधिकारी विधि की अनभिज्ञता का लाभ उठाकर किसानों के, विशेषकर नार्थ अंडमान में, कृषि जोतों से ऐसे वृक्ष जबरदस्ती हटा देते हैं;

(ग) यदि हां, तो उन ग्रामों के नाम क्या हैं जहां से वन विभाग ने वृक्षों को हटा दिया है और क्या इन ग्रामों में दखलदारी के अधिकार 6 वर्षों से अधिक समय से दिये जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने जानबूझ कर कानून का उल्लंघन किया है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भान प्रताप सिंह) : (क) से (घ) तक : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अधिकारियों की मुअत्तली

6563. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 फरवरी, 1979 के "हिन्दुस्तान समाचार" में प्रकाशित समाचार सही है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और दो कार्यकारी अधिकारियों, जिनके खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रिपोर्ट दर्ज कराई है को मुअत्तल नहीं किया गया था जब कि मार्च, 1978 में छह कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था और इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ख) उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजन समिति प्रतिवेदन

6564. **श्री एडआर्डो फैलीरो : श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रो० सतीशचन्द्र, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राजन समिति के प्रतिवेदन में लिखी बातों का पता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) क्योंकि राजन समिति की रिपोर्ट जो कि गोपनीय किस्म की है, अभी तक सरकार के विचाराधीन है अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के वक्तव्य पर सरकार की प्रतिक्रिया बताने का प्रश्न नहीं उठता ।

वक्फ भूमियों के अवैध कब्जे के मामले

6565. **श्री श्रीमती मोहसिनया किदवई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश पर्यन्त न्यायालयों में वक्फ भूमि के अवैध कब्जे के बारे में हजारों मामले अनिर्णीत हैं; और

(ख) यदि हां, तो मामले में अंतिम निर्णय कब तक किए जाने की आशा है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री : (क) जी हां ;

(ख) इन मामलों का फैसला न्यायालयों द्वारा यथा समय किया जायेगा ।

प्रौढ साक्षरता स्कूल चलाने के लिए उड़ीसा द्वारा मांगी गई सहायता

6566. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के भाग के रूप में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता स्कूलों को चलाने में लगे स्वयंसेवी संगठनों और एजेंसियों के लिए वित्तीय अनुदान के रूप में कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) साक्षरता स्कूल चलाने के लिए वित्तीय अनुदान देने के प्रयोजन से राज्य सरकार ने किन-किन स्वयंसेवी संगठनों अथवा एजेंसियों के नाम मंजूर किए हैं अथवा उनके नाम की सिफारिश की है;

(ग) इनमें से प्रत्येक संगठन द्वारा राज्य में इस समय कितने स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन सभी स्कूलों द्वारा कल कितने प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर किया जा रहा है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक संगठन को साक्षरता स्कूल चलाने के लिए अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा०प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना का संचालन सीधे ही शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है तथा इसके अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की सिफारिश पर धन उपलब्ध किया जाता है। इस तरह के कोई प्रौढ़ साक्षरता स्कूल इस योजना के अंतर्गत नहीं चलाए जाते। अनुदान प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के आयोजन के लिए दिए जाते हैं, जो कि पढ़ने वालों की सुविधानुसार प्रति दिन लगभग दो घंटे के लिए अंशकालिक आधार पर चलाए जाते हैं। प्रत्येक केन्द्र में 30 प्रौढ़ों को दाखिल करने की आशा क जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश की गई स्वैच्छिक एजेंसियों की एक सूची, केन्द्रों की संख्या तथा 1978-79 के दौरान मंजूर की गई वित्तीय सहायता की राशि संलग्न अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम	अनुमोदित परियोजना	मंजूर किए गए अनुदान की राशि
1	2	3	4
1.	उड़ीसा राष्ट्र भाषा परिषद, पुरी	20 केन्द्र	रु० 24,150.00
2.	उत्कल नव जीवन मण्डल, अंगुल	30 केन्द्र	रु० 38,600.00
3.	प्रगति बहु-उद्देशीय स्वत: रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र, शहीद नगर।	30 केन्द्र	रु० 46,255.00
4.	जन-कल्याण समिति, कुजंग, कटक।	30 केन्द्र	रु० 49,500.00
5.	श्री वीर हनुमान ग्राम मंगल परिषद, सुंदरग्राम, कटक।	विचाराधीन	
6.	जन कल्याण समिति, जयपुर	-वही-	
7.	उत्कलमणि खादी ग्रामोद्योग संघ, बोलगारिन, जिला पुरी।	-वही-	
8.	खिरदेश्वर जुबक संघ, कानपु जिला बालासौर।	-वही-	
9.	गेलादेवी जुबक सघ, सुंदरपतना, नाहरकंठ	-वही-	
10.	जयचंदी युवक संघ, जमसूली, बालासौर।	-वही-	
11.	लोहिया अकादमी ट्रस्ट, भुवनेश्वर।	-वही-	
12.	श्री क्षेत्रा चुंतन चक्र, बोलगोंडी स्ट्रीट पुरी।	-वही-	
13.	श्री जगन्नाथ नैश विद्यालय तथा प्रौढ़ शिक्षा मंडल, पुरी।	-वही-	
14.	ग्रामासरी, भुवनेश्वर।	-वही-	

1	2	3	4
15.	भारतीय ग्रामीण 'महिला संघ, उड़ीसा शाखा ।	विचाराधीन	
16.	कटक जिला महिला विकास समिति, अंदरपुर, कटक ।	-वही-	
17.	जागेश्वरी प्रौढ़ शिक्षा समिति, कल्याणपुर, कटक ।	-वही-	
18.	जागेश्वरो पालीमंगल क्लब, बेनागांव, पुरी ।	-वही-	
19.	तिपती रामचंदी महिला समिति, कृष्णाप्रसाद ब्लाक, पुरी ।	-वही-	
20.	नंदीघोष युवा संगठन, बोलगढ़ ब्लाक, पुरी ।	-वही-	
21.	राष्ट्रीय समाज कल्याण तथा समाज विज्ञान संस्थान, सूर्यनगर, भुवनेश्वर ।	-वही-	
22.	जगुलर, पथागर, डिनाइली ।	-वही-	

प्रौढ़ शिक्षा स्कूल चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा मांगी गई सहायता

6567. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **शिक्षा,समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा स्कूल चलाने के कार्य में लगी स्वयंसेवी एजेंसियों अथवा संगठनों को वित्तीय अनुदान के रूप में देने के लिए हिमाचल प्रदेश द्वारा कितनी सहायता मांगी गई है;

(ख) राज्य सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा स्कूल चलाने हेतु वित्तीय अनुदान देने के लिए किन-किन स्वयंसेवी एजेंसियों तथा संगठनों को अनुमोदित किया है अथवा उनकी सिफारिश की है;

(ग) इन संगठनों में प्रत्येक संगठन द्वारा इस समय कितने स्कूल चलाए जा रहे हैं और इन सभी स्कूलों से कुल कितने लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) उक्त प्रौढ़ शिक्षा स्कूल चलाने के लिए इनमें से प्रत्येक संगठन को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (घ) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए सहायता की योजना सीधे ही शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों की सिफारिशों के आधार पर स्वयं सेवी एजेंसियों को इस योजना के अंतर्गत राशि प्रदान की जाती है । इस योजना के अंतर्गत कोई भी प्रौढ़ साक्षरता स्कूल नहीं चलाया जाता है । ऐसे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को आयोजित करने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, जिन्हें पढ़ने वालों की सुविधानुसार प्रदिदिन लगभग दो घंटे के लिए अंशकालिक आधार पर चलाया जाता है । प्रत्येक केन्द्र में 30 प्रौढ़ों को दाखिल करने की संभावना होती है ।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1977-78 तथा 1978-79 में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को चलाने के लिए वित्तीय सहायता हेतु किसी भी स्वैच्छिक एजेंसी के परियोजना प्रस्ताव की सिफारिश नहीं की थी ? तथापि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत तिलोनिया (जिला अजमेर) स्थित समाज कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र की राज्य शाखा ने वित्तीय सहायता हेतु वर्ष 1977-78 में मंत्रालय को सीधे

आवेदन पत्र भेजा था। इस संगठन को 560 केन्द्र चलाने के लिए 77,200 रुपए का अनुदान मंजूर किया गया था। यह एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन होने के नाते उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार आवेदन पत्र राज्य सरकार के माध्यम से भेजने की जरूरत नहीं थी।

पंजाब द्वारा प्रौढ़ साक्षरता स्कूल चलाने के लिये सहायता का अनुरोध

6568. **श्री पी० के० कोडियान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में राज्य में प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता केन्द्र चला रही ऐच्छिक एजेंसियों को वित्तीय अनुदान देने के रूप में कितनी सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) राज्य सरकार ने साक्षरता स्कूल चलाने के लिए किन ऐच्छिक एजेंसियों अथवा संगठनों को वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है;

(ग) इस नमय ऐसे प्रत्येक संगठन द्वारा कितने प्रौढ़ साक्षरता स्कूल चलाए जा रहे हैं और इसमें कुल कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं; और

(घ) साक्षरता स्कूल चलाने के लिए इन प्रत्येक संगठनों को अब तक कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) से (घ) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता की योजना का संचालन सीधा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है और स्वैच्छिक एजेंसियों को धन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की सिफारिश पर दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रौढ़ साक्षरता का कोई स्कूल नहीं चलाया जाता। अनुदान, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के आयोजन के लिए दिए जाते हैं जो पढ़ने वालों की सुविधा के अनुसार, प्रतिदिन लगभग दो घटे के लिए अंशकालिक आधार पर चलाए जाते हैं। प्रत्येक केन्द्र में 30 प्रौढ़ों के दाखिल किए जाने की सम्भावना है।

1978-79 के दौरान पंजाब सरकार ने शहीद काशीराम शैक्षिक न्यास, खरड़ द्वारा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के संचालन के लिए प्रस्तुत वित्तीय सहायता हेतु एक आवेदन पत्र भेजा था। इस संगठन को 60 केन्द्रों की एक परियोजना चलाने के लिए 98200 रु०को अनुदान मंजूर किया गया था।

1977-78 के दौरान समाज कार्य तथा अनुसंधान केन्द्र तिलोनिया अजमेर की राज्य शाखा ने जो पंजाब में कार्य कर रही है वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र सीधा मंत्रालय को प्रस्तुत किया था और 60 केन्द्रों की एक परियोजना स्वीकृत की गई थी जिसके लिए 77,200 रु० का अनुदान था। एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन होने के नाते आवेदन पत्र का उस समय के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से भेजा जाना जरूरी नहीं था।

ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अर्ध रोजगार का सर्वेक्षण किया जाना

6569. **डा० बसन्त कुमार पंडित श्री ए० के० राय** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगेकि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और अर्ध रोजगार का अनुमान लगाने के लिए अनेक सर्वेक्षण किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण कब किए गए और उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या अन्य स्वतंत्र संगठनों ने भी ऐसे सर्वेक्षण किए हैं; और

(घ) क्या इन सर्वेक्षणों से विरोधाभासी अनुमान प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो 10 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और अर्द्ध रोजगार समाप्त करने हेतु सरकार के कार्यक्रम बनाने के लिए आंकड़े एकत्र करने का नया और आसान तरीका निकालने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रतापसिंह) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों दोनों में रोजगार तथा बेरोजगारी का मूल्यांकन करने के लिए विगत में अनेक सर्वेक्षण किए हैं।

(ख) इस प्रकार के सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा मई 55- सितम्बर 55 की अवधि के अन्तर्गत अपने 9 वें दौर से लेकर जुलाई 77—जून 78 की अवधि के अंतर्गत 32 वें दौर तक किए गए थे। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष समय-समय पर प्रकाशित उनकी सदृश सर्वेक्षण रिपोर्टों में उपलब्ध है।

(ग) किसी अन्य संगठन द्वारा रोजगार तथा अन्य रोजगार संबंधित कोई अन्य व्यापक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण किया गया प्रतीत नहीं होता है।

(घ) जी नहीं। तथापि, यह भी कहा जा सकता है कि तुलनात्मक आधार पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रोजगार और बेरोजगारी के बारे में वार्षिक सर्वेक्षण को आरम्भ करने हेतु राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन से अनुरोध किया गया है केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास क्षेत्र आयोजन हेतु चुने हुए नमूना खण्डों में खण्ड स्तरीय आंकड़े एकत्र करने का प्रस्ताव है ; क्षेत्र-आयोजन हेतु न चुने गए नमूने के खण्डों में वार्षिक सर्वेक्षणों को योजना मूल्यांकन संगठन के माध्यम से कराए जाने की संभाव्यता भी विचाराधीन है। विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की योजना स्कीमों के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से सृजित रोजगार सम्बंधी आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, इन स्रोतों से अब तक प्राप्त आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं। आंकड़ों को ठीक करने के लिए प्रयास किए जा रहे है।

भारतीय समुद्री सीमा में विदेशी मत्स्य ट्रालरों का संचालन

6570. **डा० बसन्त कुमार पंडित : श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मत्स्य ट्रालर भारतीय समुद्री सीमा में गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं; यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है और वर्ष 1978 में इस प्रकार के कितने मामले नोटिस में आए और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने विदेशों से यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं को खरीदने का निर्णय किया है; यदि हां, तो वर्ष 1978 के दौरान कितनी नौकाएं खरीदी गई हैं और किन-किन देशों से; और

(ग) क्या भारत में जहाज निर्माण उद्योग द्वारा ट्रालर निर्मित किये जा सकते हैं; यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रयास किए गए हैं और भारत की मत्स्य सम्पदा का विदोहन करने के लिये सामान्य रूप से सरकार की नीति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) जी, हां। 1978 में विदेशी ट्रालर द्वारा भारतीय समुद्री सीमा में गैर-कानूनी तौर पर मछली पकड़ने की पांच घटनाएं जानकारी में आयीं थीं, जिनमें से चार ताइवान के ट्रालर और एक बर्मा का ट्रालर था। दो मामलों में ट्रालरों को भारतीय सीमा में लाया गया और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया; दो मामलों में जलयान पकड़ में आने से पहले ही बचकर निकल गये और एक मामले में विदेशी नागरिकों से पूछताछ की गयी।

(ख) जी, हां। 1978 के दौरान भारत सरकार द्वारा नीदरलैंड से एक मात्स्यकी सर्वेक्षण जलयान खरीदा गया है। इसके अतिरिक्त, प्राइवेट मत्स्यन कम्पनियों ने 1978 के दौरान 12 मत्स्यन जलयान (10 मेक्सिको से और 2 जापान से) आयात किए।

(ग) जी, हां। भारत में दो बड़े, 21 मध्यम 12 छोटे शिपयार्ड हैं जो ट्रालरों का निर्माण कर सकते हैं। सरकार ने ट्रालर निर्माण उद्योग के विकास के लिए एक संभावित योजना तैयार की है। इस समय गोवा, शिपयार्ड में, जिसे नार्वे की सहायता से सुदृढ़ किया गया है, 6 मत्स्यन जलयानों का निर्माण किया गया है।

सरकार की नीति यह है कि देशी निर्माण को प्रोत्साहन देकर, विदेशों से खरीद करके तथा किराये पर प्रचालन या सयुक्त उद्यम के आधार पर भारतीय मत्स्यन जलयानों की एक मात्र आर्थिक क्षेत्र में ही शीघ्र ही भर मार हो जाए।

कृषि श्रमिकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण

6571. **श्री के० प्रधानी : निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने गत दो वर्षों के दौरान गांवों में कृषि श्रमिकों तथा भूमिहीन श्रमिकों के लिए बनाए गए मकानों की सख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) आवास राज्य क्षेत्र में है, केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित दो ग्रामीण आवास योजनाएं क्रमशः 1957 तथा 1971 में आरभ की थी।

(I) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम, तथा

(II) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थलों का प्रावधान,

गत दो वर्षों में ग्रामीण आवास परियोजना के अंतर्गत बनाये गये मकानों की संख्या उपलब्ध नहीं है ; तथापि इस योजना के आरम्भ होने के समय से लेकर 31-3-79 तक राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 67,083 मकान बनाए गए हैं। राज्यवार स्थिति का एक विवरण संलग्न है (विवरण —1) 31-12-78 तक राज्य सरकारों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों/श्रमिकों के लिए आवास स्थल योजना के लागू करने के समय से 76,54,409 भूमिहीन परिवारों को निशुल्क आवास स्थानों का आवटन किया गया है। राज्यवार स्थिति का एक विवरण संलग्न है (विवरण—2) गृह-स्थलों पर बनाये गये मकानों के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) आवास सहित राज्य क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्यों को "समेकित ऋणों" तथा "समेकित अनुदानों" के रूप में दी जाती है। तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यताएं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार उसका उपयोग करने में स्वतंत्र हैं। राज्यों द्वारा लाभ भोगियों को दी गयी वित्तीय सहायता के संबंध में ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। 1977-78 से आवास तथा नगर विकास निगम ने भी ग्रामीण आवास योजना को वित्तीय सहायता देना आरम्भ कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किसी अभिकरण द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चलाये जा रहे आवास परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत तक हुडको ऋण सहायता देता है, बशर्ते कि प्रत्येक मकान की लागत 4000 रुपये से अधिक न हो। हुडको ने अभी तक ग्राकीण क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 1,17,787 मकान बनाने के लिए 17.03 करोड़ रुपये की 15 ग्रामीण आवास योजनाएं मंजूर की हैं। 1978 के दौरान राज्य सरकारों ने पहली बार सामान्य बीमा निगम से ग्रामीक आवास योजना तथा वार्षिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए मकान बनाने के लिए 14 करोड़ रुपये के ऋण का नियतन प्राप्त किया है।

विवरण—1

31-3-1979 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	पूर्ण हुए आवासों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	4754
2.	असम	1
3.	बिहार	131
4.	हरियाणा	298
5.	हिमाचल प्रदेश	428
6.	जम्मू और कश्मीर	—
7.	गुजरात	1786
8.	कर्नाटक	7827
9.	केरल	7296
10.	मध्य प्रदेश	2539
11.	महाराष्ट्र	10341
12.	मणिपुर	74
13.	उड़ीसा	6736
14.	पंजाब	2556
15.	राजस्थान	3125
16.	तमिलनाडु	8161
17.	त्रिपुरा	519
18.	उत्तर प्रदेश	3273
19.	पश्चिम बंगाल	3652
संघ राज्य क्षेत्र		

1.	दिल्ली	2615
2.	गोवा दमन और द्वीव	454
3.	लक्षद्वीप	39
4.	पाण्डिचेरी	478
	कुल	67,083

विवरण—2

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	आवास स्थल आवंटित किए गये परिवारों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	8,52,471
2.	असम	49,056
3.	बिहार	7,15,000
4.	गुजरात	3,90.647
5.	हरियाणा	2,17,701
6.	हिमाचल प्रदेश	4,549
7.	जम्मू और कश्मीर	5,275
8.	कर्नाटक	7,89,973
9.	केरल	90,000
10.	मध्य प्रदेश	7,56,975
11.	महाराष्ट्र	3,63,000
12.	उड़ीसा	1,62,171
13.	पंजाब	2,95,503
14.	राजस्थान	8,54;023
15.	तमिलनाडु	5,23,076
16.	त्रिपुरा	38,307
17.	उत्तर प्रदेश	12,36,139
18.	पश्चिम बंगाल	2,82,961
संघ राज्य		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3,926
2.	चण्डीगढ़	51
3.	दादरा और नागर हवेली	715
4.	दिल्ली	11,800
5.	गोवा दमन और द्वीव	1,595
6.	पाण्डिचेरी	9,495
	कुल	76,54,409

कृषि के सुधरे हुए तरीकों को जनजाति भूमि पर उपयोग में लाया जाना

6572. **श्री के० प्रधानी** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के विभिन्न सुधरे हुए तरीकों को कुछ जनजाति भूमि पर उपयोग में लाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां। ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित आठ केन्द्रीय क्षेत्र की प्राद्योगिक आदिवासी क्षेत्र विकास परियोनाओं जो (1) आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला, (2) बिहार के सिंहभ्म जिला, (3) मध्य प्रदेश के दन्तवाड़ा तथा (4) बस्तर जिले की कोंटा तहसीलों, और उड़ीसा के (5) गंजम, (6) कोरापुट, (7) क्योंझर तथा (8) फूलबेनी जिलों में स्थित है, में इन आदिवासी विकास एजेंसियों के प्रारम्भ से अर्थात 1971 से 78 (दिसम्बर 1978 तक) के वर्षों में 9.49 लाख एकड़ भूमि को सुधरी कृषि तकनीकों के अन्तर्गत लाया गया है।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	राज्य	आदिवासी विकास एजेंसियों के प्रारम्भ से लेकर दिसम्बर, 1978 तक सुधरी तकनीकों के माध्यम से कृषि के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र (एकड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	45,261
2.	बिहार	319,856
3.	मध्य प्रदेश	66,116
4.	उड़ीसा	517,972
	योग	949,205

उच्च तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन

6574. **श्री सरत कार** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों में उच्च तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए हैं ताकि इसको अविलम्बनीय राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु और अधिक संस्थान आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : चौथी पंच वर्षीय योजना के आरंभ से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख जोर कोटि और स्तरों के सुधार पर दिया जाता रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान भी यही

दृष्टिकोण रहा है । इस नीति के परिणाम स्वरुप, तत्कालिक किस्म की राष्ट्रीय जरूरतों को जो नीचे दी गई है पूरा करने के लिए कोटि सम्बंधी पहलू के बारे में कई परिवर्तन लागू किए गए हैं :—

(I) तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाओं का सुधार ।

(II) विभिन्न कोटि सुधार योजनाओं के माध्यम से शिक्षण स्टाफ का विकास ।

(III) प्रौद्योगिकी की उभरती हुई अभिवृत्तियों को देखते हुए उद्योग की जरूरतों के अनुकूल डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों का विविध-करण ।

(IV) कोटि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यकचर्या विकास केन्द्रों के माध्यम से पाठ्यचर्या का सुधार ।

(V) तकनीकी संस्थाओं और उद्योग के बीच निकटतम सहयोग का विकास ।

(VI) प्रशिक्षुता अधिनियम के अधीन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के डिप्लोमाधारियों और स्नातकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाओं का विस्तार ।

(VII) चुनिन्दा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं के कारगर सहयोग के माध्यम से औद्योगिक अनुसंधान का विकास ।

(VIII) विभिन्न उपायों द्वारा तकनीकी सस्थाओं के कारगर प्रबंध का विकास ।

जहां तक और अधिक तकनीकी संस्थाओं की जरूरत का सम्बंध है तकनीकी शिक्षा सम्बंधी कार्यदल जिसका गठन हाल ही में राष्ट्र की जरूरतों की वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण करने तथा वर्तमान कार्यक्रमों के पुर्नअनुस्थापन और सुधार सुझाने के लिए किया गया है, का विचार है कि सभी स्तरों पर अर्थात इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के डिप्लोमा डिग्री और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वर्तमान वार्षिक दाखिला क्षमता पर्याप्त है । कार्यदल ने आगे सिफारिश की है कि अतिरिक्त जनशक्ति की जरूरतों को प्रणाली की कार्य कुशलता और कारगरता को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने फरवरी, 1978 में हुई अपनी पिछली बैठक में इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । तदनुसार छठी योजना अवधि में सामान्यत: कोई नई तकनीकी संस्था शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है ।

आदिवासियों को आवंटित भूमि

6575. **श्री सरत कार** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में आदिवासियों को, राज्यवार, खेती के लिये आवंटित भूमि का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उससे कितने व्यक्ति, राज्यवार, लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) :

आदिवासियों को खेती के लिए आवंटित भूमि में राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अकृष्य भमि तथा जोत की अधिकतम सीमा से अधिशेष भूमि शामिल है । केन्द्र सरकार अकृष्य भूमि के वितरण के कार्य की देखरेख नहीं करती है । 1977 तथा 1978 के दौरान आदिवासियों को जोत

की अधिकतम सीमा से अधिशेष भूमि के वितरण से संबंधित उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

आदिवासियों को आवंटित की गई जोत की अधिकतम सीमा से अधिशेष भूमि

(एकड़ क्षेत्र)

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1977 तथा 1978 के दौरान वितरित क्षेत्र	
	वितरित क्षेत्र	**लाभानुभोगियों की संख्या**
1. आन्ध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	15.365
2. असम	5.053	2.498
3. बिहार ×	उपलब्ध नहीं	3.993
4. गुजरात	शून्य	शून्य
5. हरियाणा	शून्य	शून्य
6. हिमाचल प्रदेश	10	12
7. जम्मू तथा कश्मीर	—	—
8. कर्नाटक ×	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं × ×
9. केरल	1.462	1.778
10. मध्य प्रदेश	18.166	7.774
11. महाराष्ट्र ×	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं × ×
12. मणिपुर	शून्य	शून्य
13. उड़ीसा	18.766	13.041
14. पंजाब	शून्य	शून्य
15. राजस्थान	1.887	589
16. तमिलनाडु	3	9
17. त्रिपुरा	82	84
18. उत्तर प्रदेश	—	—
19. पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं	3.877
20. दादरा तथा नगर हवेली	3.164	1.399
11. दिल्ली	शून्य	शून्य
22. पांडिचेरी	शून्य	शून्य
योग	48.593	49.419

× राज्य सरकारों ने 1977 तथा 1978 के दौरान आदिवासियों को वितरित क्षेत्र के संबंध में सूचना नहीं दी है । तथापि, आदिवासियों को जोत की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित कानूनों के अंतर्गत आवंटित अधिशेष भूमि का कुल क्षेत्र निम्नवत् है :—

आन्ध्र प्रदेश	40.058 एकड़
बिहार	14.837 एकड़

कर्नाटक	20.722 एकड़
महाराष्ट्र	50.156 एकड़
	योग 1.25.773 एकड़

"काश्मीर मेल वॉकस इन विंकिंग" शीर्षक से समाचार

6576. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त : श्री मुख्तियार सिंह मलिक : श्री जी० एम० बनातवाला : श्री शंकरसिंह जी वाघेला :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 11 मार्च 1979 में "काश्मीर मेल वॉकस इन विंकिंग" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार को देखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की हैं; और

(ग) क्यादेश से इस बुराई को समाप्त करने के लिए कदम उठाए गये हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी हां ।

(ख) इस समाचार के प्रकाशित होने के पश्चात् कोई जांच नहीं की गई है; किन्तु दिल्ली पुलिस ने बड़े होटलों में काल-गर्ल दुरव्यवसाय के बारे में कुछ पूछताछ की है ।

(ग) स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 को लागू किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार राज्य सरकारों पर जोर डालती रही है । कुछ समय पूर्व ही इस अधिनियम का संशोधन किया गया है । तो भी इस अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ही "कॉल-गर्ल्स" के बारे में कार्यवाही करनी होगी ।

वर्ष 1978-79 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खोले गए डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

6577. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष 1978-79 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यवार, कितने नए डाकघर खोले गए हैं;

(ग) चालू वर्ष 1978-79 में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में राज्यवार कितने नए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये हैं; और

(घ) चालू वर्ष 1978-79 में ओ-वाई-टी योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र अभी लम्बित पड़े हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) (ख) (ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

×× जोत की अधिकतम सीमा सबंधी संशोधित कानूनों के अंतर्गत अधिशेष भूमि के आदिवासी आवंटियों की कुल संख्या कर्नाटक में 3873 तथा महाराष्ट्र में 15.192 है । 1977 तथा 1978 के दौरान लाभानुभोगियों की अलग अलग संख्या राज्य सरकारों द्वारा नहीं दी गई है ।

'नेशनल रीमोट सेंसिंग एजेंसी' के अन्तर्गत महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का शामिल किया जाना

6578 **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल रीमोट सेंसिंग एजेंसी' शीर्ष के अन्तर्गत कार्यक्रम कर्नाटक में और कन्या कुमारी से रत्नागिरी तक की तटवर्ती पट्टी में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के पिछले अध्ययन पर आधारित है ;

(ख) क्या सरकार इस कार्यक्रम में अन्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विशेषकर पश्चिम महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय जल आयोग ने कर्नाटक के सूखा प्रभावित क्षेत्रों तथा कन्याकुमारी से रत्नागिरी तक की तटवर्ती पट्टी के पश्चिमी घाट क्षेत्रों के दो प्रायोगिक अध्ययन राष्ट्रीय रीमोट सेंसिंग एजेंसी को सौंपे थे ताकि उस सीमा का अध्ययन किया जा सके जहां तक सिंचाई के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों को राहत सुलभ करने हेतु रीमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। कर्नाटक के क्षेत्रों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इसकी जांच की जा रही है।

(ख) व (ग) राष्ट्रीय रीमोट सेंसिंग एजेंसी को पहले सौंपे गए अध्ययनों के परिणामों का विश्लेषण करने के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अन्य क्षेत्रों जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र भी शामिल है, के लिए इसी प्रकार के अध्ययन शुरू किए जाने की सम्भाव्यताओं पर विचार किया जाएगा ।

बम्बई-पूना क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रह निर्माण

6579. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-पूना क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए, विशेषकर कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्ष 1979-80 में कितने मकान बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है ; और

(ख) उनके निर्माण पर कितना व्यय किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) : बम्बई में सामान्य पूल के 3550 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं तथा 300 और क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया जाना है। टाइप "डी" के 140 क्वार्टरों/अपार्टमेंटों के अतिरिक्त, अन्य सभी क्वार्टर कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवंटित करने के लिए है जिनका वेतन 999/—रुपये या इससे कम है। 1979-80 के दौरान, 830 क्वार्टर पूरे होने की आशा है तथा बम्बई में सामान्य पूल के क्वार्टरों के निर्माण पर 307.65 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

राष्ट्रीय बीज निगम

6580. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकार राष्ट्रीय बीज निगम, विशेषकर बेहतर किस्म के बीजों के उत्पादन और विपणन और अन्य सम्बन्धित पहलुओं में इसके योगदान के बारे में पुनरीक्षण तथा सुधार/पुनर्गठन करने संबंधी एक प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा पुनरीक्षण कराने के लिए इस संबंध में की गयी कार्यवाही अथवा की जाने वाली कायवाही के स्वरूप सम्बंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1979-80 में किये गये उपबंध का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में राज्यवार कितना आवंटन किया गया और राष्ट्रीय बीज निगम का वास्तविक कार्यकरण कैसा रहा ; और

(घ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम विभिन्न स्तरों के संगठन के कार्मिकों के लिए और अन्य राज्य बीज निगमों के लिए 1979-80 में बीज उत्पादन और विपणन के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चला रही है और इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में वर्ष-वार हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और उसकी तुलना में आने वाले वर्षों में उसकी क्या आवश्यकता है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) चूंकि राष्ट्रीय बीज निगम परियोजनाओं को राज्यवार आधार पर क्रियांवित नहीं करता, अतः इसका प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) जी हां : गत तीन वर्षों के दौरान इसने ऐसे 10 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 218 व्यक्ति शामिल हुए । इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की संख्या	शामिल व्यक्तियों की संख्या
1976-77	4	77
1977-78	2	51
1978-79	4	90

प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई है और इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

परिवहन में काराकुल भेड़ के मर जाने के लिये मुआवजा

6581. **श्री बसन्त साठे** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्रालय ने रूस सरकार से उपहार के रूप में प्राप्त काराकुल भेड़ के वर्ष 1974 में परिवहन के दौरान मर जाने के लिए राज्य व्यापार निगम से मुआवजे की मांग की है और दावों के निपटारे के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को 8 मार्च और 21 मार्च, 1979 के 'दिस फोर्टनाइट' में 'फ्यूरर ओवर शीप' शीर्षक से प्रकाशित कहानी की जानकारी है :,

(ग) यदि हां, तो इससे की गई विभिन्न गम्भीर टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और मामले के टिप्पणीवार तथ्य क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों में वर्षवार अनुसंधान प्रयोजनों के लिये कितनी भेंड़ों का आयात किया

गया और इन पर कितनी लागत आई तथा आयातित भेडों को अपनाने के बारे में इन अनुभवों के क्या परिणाम रहे और इस बारे में गत दो वर्षों में सरकार ने क्या नीति तैयार की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) :—सूचना एकत्रित की जा रही हैं और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

खारी भूमि का क्षेत्र और उसका खेती के लिये उपयोग

6582. **श्री छीतूभाई गामित**: क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में (राज्यवार), खारी भूमि का 'हैक्टेयरों में' क्षेत्र कितना है :

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये कोई योजना बनाई है : और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुइ है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार राज्यवार आंकड़े नीचे दिये गए हैं :—

राज्य	(क्षेत्र लाख हैक्टार में)
हरियाणा	1.00
पश्चिम बंगाल	11.00
उड़ीसा	1.06
पाण्डिचेरी	0.01
गुजरात	12.14
आंध्र प्रदेश	2.00
तमिलनाडु	1.06
बिहार	
पंजाब	
उत्तर प्रदेश	आंकड़े एकत्र किए जा
केरल	रहे हैं ।
दिल्ली	
मध्य प्रदेश	
कर्नाटक	
महाराष्ट्र	
राजस्थान	

(ख) लवणीय मृदा अकृष्य होना आवश्यक नहीं है । इस मृदा की उत्पादकता सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

आदिवासियों के समुदाय और संस्कृति का विकास

6583. **श्री छीतूभाई गामित : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी बहुल प्रत्येक राज्य में आदिवानियों के समुदाय और संस्कृति का

विकास और सुधार करने वाले संगठनों के नाम क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : यद्यपि आदिवासी बहुल राज्यों में कार्यरत संगठनों के लिए ही कोई योजना नहीं है, तथापि संस्कृति विभाग निष्पादन, रूपकर तथा साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र के पुस्तकालयों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक संगठनों को विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संस्कृति विभाग निष्पादन और रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां भी प्रदान करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलना

6584. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **सिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अधिक ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने के प्रयास में नगरीय क्षेत्रों के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में नये विश्वविद्यालय खोलने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) यदि उपरोक्त (क) के बारे में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) महात्मा गांधी के स्वप्न को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय खोलने के लिए अब तक विस्तृत योजनाएँ न बनाए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके स्थानों के चयन का मुख्य दायित्व संबंधित राज्य सरकारों का होता है। तथापि, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि पिछड़े क्षेत्रों को छोड़कर कोई भी नयी संस्था सामान्यतः तब तक स्थापित नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि शैक्षिक आधारों पर उनकी आवश्यकता स्पष्ट रूप से निर्धारित न हो जाए और उनके समुचित विकास के लिए संसाधनों की भी उपलब्धि सुनिश्चित न हो। केन्द्रीय सरकार के पास इस समय कोई नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उच्चतर शिक्षा का विकास विशेषकर मेडिसिन जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में उनके प्रयोग के लिए पर्याप्त अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ और विकसित करके उस पर और अधिक ध्यान देकर शिक्षा के आधार को विकसित करने के लिए अब प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके।

कोसी परियोजना का निर्धारित समय से पीछे रहना

6585. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 200 करोड़ रुपये की लागत वाली कोसी बहुप्रयोजनीय परियोजना का कार्य-निष्पादन निर्धारित समय से बहुत पीछे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति पर काबू पाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) कोसी परियोजना

के क्रियान्वयन में विलम्ब हो गया है। इसका अधिकांश कारण कोसी क्षेत्र का विशेष स्वरूप है। नदी में गाद की मात्रा काफी होने के कारण, नहर प्रणाली में काफी गाद आ जाती है। जमीन बड़ी रेतीली है (क्योंकि यह कोसी के भूतपूर्व नदी- तल अथवा खादिर में है) और उत्तर बिहार के शेष भाग के विपरीत बड़ी ऊबड़-खाबड़ है तथा कई स्थानों पर नीचे धँसी हुई है तथा यहां जल-निकास बड़ा धीमा है। कमान क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा बारहमासी जल के अन्तर्गत है। जल-निकास समस्या का हल अंशतः स्थानीत स्थलाकृतिक स्थिति के कारण और अंशतः जनता द्वारा जल-निकास कार्यों के लिए भूमि के उपयोग का विरोध करने के कारण कठिन हो गया है। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार इस परियोजना की विशेष समस्याओं से परिचित है। बिहार सरकार से कहा गया है कि वह वर्तमान प्रणाली की कमियों का गहराई से अध्ययन करके और विभिन्न जल-निकास मार्गों (आउटलेट) के अन्तर्गत सिंचाई कमानों की व्यापक समीक्षा करके कोसी नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण की स्कीम तैयार करे। इस आधुनिकीकरण की स्कीम में पर्याप्त जल-क्षमता की व्यवस्था के लिए नहरों का पुनर्निर्माण और अतिरिक्त लघु जल-मार्गों का निर्माण, प्रपातों जलसेतुओं, साइफनों, जल-निकासों (एस्केप) आदि जैसी चिनाई संरचनाओं का पुनर्निर्माण/व्यवस्था, द्वारों द्वारा नियंत्रित स्थाई जल-निकास की व्यवस्था, नहर प्रणाली का लाईनिंग कार्य, कमान में पर्याप्त जल की निकासी और भूगत तथा भूतल जल के संयुक्त उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई क्षमता के उपयोग में वृद्धि करने के लिए, राज्य सरकार की अपनी कमान क्षेत्र संगठनों को सुदृढ़ करना होगा ताकि भूमि सुधार, भूमि की चकबंदी, भूमि समतलन, क्षेत्रीय चैनलों, क्षेत्रीय नालियों आदि तथा कृषि विस्तार सेवाओं सहित बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अनुमति

6586. **श्री श्यामलाल धुर्वे : श्री श्याम सुन्दर दास :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के जूनियर शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के खाली स्थानों पर सीधी भर्ती के लिए अनुमति दी थी जबकि 1 नवम्बर, 1972 को अपने नियन्त्रण में लिए गए 339 में से 327 एन०डी०एस०प्रशिक्षकों को अभी तक नियमित किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी): (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन ने कनिष्क शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रिक्त स्थानों पर सीधी भर्तीकरने के लिए अनुमति नहीं मांगी है तथापि दिल्ली प्रशासन की कार्यकारी परिषद् ने अपनी 23 अगस्त, 1978 की बैठक में यह निर्णय लिया है कि कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की उपलब्ध रिक्तियों का 50% एन०एफ०सी०/एन०डी०एस० अनुदेशकों को खपाने के लिए निर्धारित रहेगा तथा शेष 50% रिक्तियाँ सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ताकि रोजगार को तलाश कर रहे अर्हता प्राप्त कनिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापकों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जा सके।

शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत संस्थानों का प्रचार ढांचा

6587. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अन्तर्गत संस्थानों के नाम क्या है;

(ख) उनके प्रचार ढांचों का ब्यौरा क्या है तथा इन सस्थानों की संस्थान वार प्रचार की नीति क्या है तथा गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार, प्रचार पर कितना व्यय किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, इन संस्थानों ने विज्ञापनों के लिए किन दैनिक समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का उपयोग किया;

(घ) छोटे और मध्यम भाषाई दैनिक समाचार-पत्रों में प्रचार करने के संबध में इन संस्थानों के दृष्टिकोण का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रतापचन्द्र चन्द्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निर्माण और आवास मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रम

6588. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों और विभिन्न प्राधिकरणों के नाम क्या है;

(ख) इन एककों और प्राधिकरणों के प्रचार ढांचों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में वर्षवार एककों और प्राधिकरणों ने एककवार और प्राधिकरणवार कितनी धनराशि खर्च की;

(ग) गत तीन वर्षों में इन प्राधिकरणों और एककों ने प्राधिकरणवार एककवार किन किन दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का उपयोग किया; और

(घ) सरकारी नीति की क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है और छोटे और मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों द्वारा इन प्राधिकरणों और एककों को प्राधिकरणवार और एककवार कितनी सहायता दी गई ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) इस मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा अन्य प्राधिकरण हैं :—

(i) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड।
(ii) हिन्दुस्तान प्रीफैब लि०।
(iii) आवास तथा नगर विकास निगम।
(iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण।
(v) दिल्ली नगर कला आयोग।
(vi) जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण का केन्द्रीय बोर्ड।

(ख), (ग) तथा (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों में प्रचार ढांचे में परिवर्तन

6589. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अर्न्गत सरकारी उपक्रमों के नाम क्या है;

(ख) इन एककों के एककवार प्रचार ढाँचे और नीति का ब्यौरा क्या है और प्रचार पर गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) इन एककों ने एककवार गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने दैनिक समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये;

(घ) क्या इन एककों ने महानगरों में प्रचार किये जाने के दृष्टिकोण के बारे में कोई अध्ययन किया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एककवार ग्रामोन्मुख प्रचार दृष्टिकोण अपनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद साय) : (क) संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम नीचे लिखे गए हैं :

(1) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर ।

(2) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास ।

(3) टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली ।

(ख) से (ङ) : जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

राज्यों में शिक्षा की 10+2 प्रणाणी

6590. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश भर में शिक्षा प्रणाली में एकरूपता न होने के कारण विद्यार्थियों को बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) देश में किन-किन राज्यों में 10+2 प्रणाली लागू कर दी गई है;

(ग) जिन राज्यों में यह प्रणाली लागू कर दी गई है उनके शिक्षाविदों के विचार क्या है और शेष राज्यों में इसे लागू न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) शिक्षा के पश्चात् युवकों को आत्म-निर्भर बनाने के विचार से शिक्षा-प्रणाली में क्या परिवर्तन किए गए हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) : जी, हाँ ।

(ख) : विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा का नया ढाँचा लागू करने से सम्बन्धित स्थिति निम्नलिखित हैं :—

(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहाँ स्कूली शिक्षा का 10+2 ढांचा है ।

(1) आन्ध्र प्रदेश
(2) असम
(3) बिहार
(4) गुजरात
(5) जम्मू एवं काश्मीर
(6) कर्नाटक

(7) केरल
(8) महाराष्ट्र
(9) मणिपुर
(10) मेघालय × ×
(11) नागालैण्ड × ×
(12) उड़ीसा
(13) सिक्किम
(14) तमिलनाडु
(15) त्रिपुरा
(16) उत्तर प्रदेश
(17) पश्चिम बंगाल
(18) अरुणाचल प्रदेश
(19) अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह
(20) चंडीगढ़
(21) दादरा और नगर हवेली
(22) दिल्ली
(23) गोवा, दमन और दीव
(24) लक्षद्वीप
(25) मिजोरम × ×
(26) पांडिचेरी

(2) 1979-80 से 10+2 ढाँचा लागू करने वाले संभावित राज्य :—
(1) हरियाणा
(2) मध्य प्रदेश
(3) पंजाब

(3) जिन राज्यों ने सिद्धांत रूप में नई प्रणाली अपनाना स्वीकार कर लिया है, लेकिन अभी अन्तिम तिथि निर्धारित की जानी है :—
(1) हिमाचल प्रदेश
(2) राजस्थान

(ग) नई शिक्षा प्रणाली पर शिक्षा-शास्त्रियों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों के विभिन्न मंचों पर पूर्ण रूप से विचार-विमर्श किया जा चुका है। भारत के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सम्मेलन ने पूरे देश में एक जैसी शिक्षा-प्रणाली लागू करने से सम्बन्धित सिफारिशों का समर्थन किया है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन ने छठी योजना के अन्त तक सभी राज्यों/सघ शासित क्षेत्रों में नई प्रणाली अपनाने का संकल्प किया है।

(घ) उच्चतर माध्यमिक अर्थात् जमा दो स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करना नई

× ×इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 10 वर्षीय स्कूल के बाद दो वर्षीय पूर्व-विश्वविद्यालय है।

शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। यह प्रणाली छात्रों को अधिक रोजगार योग्य बनाने अथवा स्व-रोजगार में लगाने के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा समाज के लिए उपयोगी उत्पादक कार्य माध्यमिक स्तर के छात्रों और उच्चतर माध्यमिक स्तर के शैक्षिक क्षेत्र के छात्रों के लिए एक अनिवार्य विषय है।

कृषि उत्पादों का मूल्य सूचकांक

6591. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 को आधार वर्ष मानकर कृषि उत्पादों के मूल्य सूचकांक और कृषि आदानों के थोक सूचकांक में कृषि वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में हुई वृद्धि के क्या आँकड़े हैं ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीतसिंह बरनाला) : वर्ष 1970-71 (अप्रैल-मार्च) को आधार वर्ष मानकर इस समय सरकार विभिन्न जिन्सों के थोक मूल्यों के अखिल भारतीय सूचक अंकों को संकलित कर रही है। कृषि वर्ष 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 (जुलाई 1978 फरवरी, 1979) के लिए कृषि जिन्सों तथा बिभिन्न कृषि आदानों के थोक मूल्यों के सूचकांकों के साथ-साथ आधार वर्ष की तुलना में उनमें जो वृद्धि हुई, वह संलग्न विवरण में दे दी गई है।

1967-68 को आधार वर्ष मानते हुए, विवरण में दी गई बिभिन्न मदों के लिए तुलनात्मक आधार पर सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

थोक मूल्यका अखिल भारतीय सूचकांक

(औसत कृषि वर्ष)

(आधार 1970-71 = 100)

जिन्स	1976-77	1977-78	1978-79 जुलाई-फरवरी	आधार वर्ष 1970-71 की तुलना में वृद्धि (+) गिरावट (—) की प्रतिशतता		
				1976-77	1977-78	1978-79
कृषि जिन्स	165.4	173.5	172.0	(+) 65.4	(+) 73.5	(+) 72.0
कृषि आदान						
डीजल आयल	213.9	214.7	216.4	(+)113.9	(+)114.7	(+)116.4
लुबरीकेटिंग आयल	314.2	313.0	309.4	(+)214.2	(+)213.0	(+)209.4
बिजली	174.2	188.9	209.8	(+) 74.2	(+) 88.9	(+)109.8
ट्रैक्टर	202.4	205.5	221.0	(+)102.4	(+)105.5	(+)121.0
कृषि पौवरा	217.4	234.6	252.0	(+)117.4	(+)134.6	(+)152.0
सीमेंट	174.2	180.1	197.1	(+) 74.2	(+) 80.1	(+) 97.1
पिग आइरन	181·6	182.3	188.8	(+) 81.6	(+) 82.3	(+) 88.8
उर्वरक	183.5	176.8	175.9	(+) 83.5	(+) 76.8	(+) 75.9
कीटनाशी औषधियां	232.6	231.8	238.4	(+)132.6	(+)131.8	(+)138.4

1978-79 के दौरान राज्यों की सिंचाई सुविधाएं

6592. **श्री यमुनाप्रसाद शास्त्री** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 28 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी की गई बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के, राज्यवार, नाम क्या है तथा छोटी सिंचाई योजनाओं से प्रत्येक राज्य में कितने हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : जिन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को 1978-79 में काफी हद तक पूरा कर दिया गया है, उनका ब्यौरा विवरण एक में दिया गया है। 1978-79 में सिंचाई क्षमता को सम्भावित उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण दो में दिया गया है।

विवरण—1

राज्य	1978-79 में काफी हद तक पूर्ण हुई सिंचाई परियोजनाओं का नाम	
	बृहद	मध्यम
1.	2.	3.
आन्ध्र प्रदेश	—	गांदीपालेम
		उकाचट्टीवागु
		कोनम
		मल्लूरूवागु
		पट्टेरू चरण-एक
		कोठापल्ली लिफ्ट
		पेद्दावागु जलाशय
		गुंडालवागु
		मट्टोगेड्डा
		मुक्कमोमिदो
असम	—	सुकला
गुजरात	उकई	सरस्वती
	कक्रापार	फोफाल
		रावल
		वंकलेश्वर में
जम्मू और कश्मीर	तवी लिफ्ट	रणबीर नहर का पुनर्रुपण
मध्य प्रदेश	बार्णा	बरुनदी (चरण एक)
		उमरार नाला
		मेहरोई
महाराष्ट्र	—	सूकी
		बोरी
		बासप्पावाडी

1	2	3
		वातेफाल पाइडाग सखालीनाला

विवरण—2

('000' हैक्टेयर)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1978-79 में अतिरिक्त क्षमता	
		वृहद तथा मध्यम	लघु
1.	आन्ध्र प्रदेश	182	50
2.	असम	30	55
3.	बिहार	105	225
4.	गुजरात	85	32
5.	हरियाणा	40	34
6.	हिमाचल प्रदेश	—	3.0
7.	जम्मू और कश्मीर	—	6.5
8.	कर्नाटक	57	40
9.	केरल	26	7
10.	मध्य प्रदेश	145	85
11.	महाराष्ट्र	110	40
12.	मणिपुर	10	2
13.	मेघालय	—	4
14.	नागालैंड	—	4
15.	उड़ीसा	60	95
16.	पंजाब	25	42.5
17.	राजस्थान	50	25
18.	सिक्किम	—	1
19.	तमिलनाडु	2	29
20.	त्रिपुरा	—	2.5
21.	उत्तर प्रदेश	330	570
22.	पश्चिम बंगाल	91	120
	कुल राज्य	1348	1442.5
	संघ राज्य क्षेत्र	—	6.5
	कुल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1348	1449
	अर्थात	1350	1450
	व्यास यूनिट एक	—	

पंजाब
(हरियाणा और राजस्थान के साथ संयुक्त परियोजना)

1	2	3
राजस्थान	—	दाइया सिंचाई
		झालोल
उत्तर प्रदेश	—	रामगंगा घाटी
		दालमाऊ पम्पड नहरचरण-दो
		किशनपुर पम्पड नहर
		औगौसी पम्पड नहर तथा
		यमुना पम्पड नहर
		देवकाली पम्पड नहर चरण-एक

चीनी उद्योग में सुधार के लिये विशेषज्ञ समिति

6593. **श्री आर०वी० स्वामीनाथन: श्री पी०एम० सईद: श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग के कार्यकरण की जांच करने, और उत्पादन लागत के लिये नियमों का सुझाव देने और प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने चीनी उद्योग में सुधार करने के लिये ऐसी ही समितियां नियुक्त करने के निदेश राज्य सरकारों को दिये हैं ;

(ग) यदि हां तो कितनी राज्य सरकारों ने इसका उत्तर दिया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार भी ऐसी समितियां नियुक्त कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क), (ख), (ग)और(घ): यह ज्ञात हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार चीनी उद्योग के कार्यकरण की जांच करने और उपयुक्त उत्पादन लागत तथा इन्वैंटरी संबंधी नियमों और प्रक्रिया में सुधार करने के उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए शीघ्र ही विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी। तथापि, ऐसी समितियों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार ने किसी को ऐसे कोई भी अनुदेश नहीं दिए हैं। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार की समिति की नियुक्ति करने की परिकल्पना नहीं कर रही है।

प्रमाणित बढ़िया किस्म के रोगमुक्त बीज के लिये विश्व बैंक से ऋण

6594. **श्री आर०वी०स्वामीनाथन : श्री एम०वी०चन्द्रशेखर मूर्ति** क्या **कृषि और सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने प्रमाणित बढ़िया किस्म के रोगमुक्त बीज का उत्पादन करने के लिये केन्द्रीय सरकार को ऋण देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में हरियाणा राज्य को 20 करोड़ रुपये दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में गोदामों का निर्माण करने के लिए भी ऋण दिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। ऋण करार पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं।

(ख) तथा (ग) : विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना में हरियाणा का हिस्सा केवल 6.57 करोड़ रुपए हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज उत्पादन के विस्तृत तन्त्र के विकास के लिये सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें गुण नियन्त्रण, बीज प्रमाणीकरण, परिसंस्करण' प्रशिक्षण और प्रजनक, आधारी एवं प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन आदि सहित बीज उद्योग के सभी पहलू शामिल हैं। इस कार्यक्रम में हिसार फार्म की अतिरिक्त जल की सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए नहर का फिर से बनाना भी शामिल है।

(घ) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण भण्डारागारों के निर्माण के लिये विश्व बैंक का ऋण राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के माध्यम से दिया जा रहा है।

कीटनाशी दवाओं के खुदरा मूल्य में कमी

6595. **श्री आर०के० महालगी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेस्टीसाइडज एसोसियेशन आफ इन्डिया द्वारा हाल ही में आयोजित एक गोष्ठी का उद्घाठन करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार कीटनाशी उद्योग पर कर भार को कम करने पर विचार कर सकती है बशर्ते कि ऐसा विशिष्ट आश्वासन हो कि इससे कीटनाशी दवाइयों के खुदरा मूल्यों में तदनुरूप कमी हो, और

(ख) कीटनाशी उद्योग से इस पेशकश के प्रति प्राप्त हुई प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां

(ख) पेस्टीसाइडज आफ इंडिया ने एक प्रस्ताव भेजा है, जिसकी जांच की जा रही है।

केरल में ईंधन (फायर वुड) की बिक्री के कारण हुई हानि की जांच

6596. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक श्री जी०एम० बनातवाला श्री शंकरसिंह जी बाघेला** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को, सरकार द्वारा सुस्थापित उद्योगपतियों के साथ 35 रुपये प्रतिटन (प्रचलित बाजार दर 200 रुपये) ईंधन (फायर वुड) बेचने के लिए किये गये पंचवर्षीय संविदे के बाद, लगभग 15 करोड़ रुपये की हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। केरल राज्य सरकार ने मेसर्स वेस्टर्न इन्डिया प्लाईवुड लि०, बालियापटनम, कन्नानौर को प्रति वर्ष 55,000 मीटरी टन ईंधन की विभिन्न प्रकार की लकड़ी सप्लाई करने के लिए जनवरी, 1979 में उक्त कम्पनी से करार किया था। यह करार तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित अधिष्ठापित क्षमता पर आधारित जायजे और उत्पादन को प्रतिवर्ग 7500 मीटरी टन से बढ़ाकर 25,000 मीटरी टन करने हेतु सामग्री की उपलब्धि की शर्त पर पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। ईंधन की लकड़ी का मूल्य 25 रु० प्रति मीटरी टन निर्धारित किया गया है तथा इससे राज्य सरकार

को कोई हानि नहीं होती है क्योंकि निर्धारित मूल्य सामन्ती दर का लगभग दो गुना है और कम्पनी दुरूह वन क्षेत्रों में दूरस्थ "कोप" स्थलों से प्रत्यक्ष रूप से ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है।

(ख) चूंकि राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद निर्धारित मूल्य पर ईधन की लकड़ी सप्लाई करने का निर्णय लिया था, अतः यह प्रश्न ही नहीं होता।

महाराष्ट्र में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

6597. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में नये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी योजनाएं आरम्भ की गई हैं ;

(ख) राज्य में कितनी योजनाओं को मंजूरी दी जानी है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1979-80 में महाराष्ट्र राज्य की इस योजना हेतु कुल कितना परिव्यय रखा गया ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) 1978-79 के दौरान महाराष्ट्र में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु 127 खण्ड चुने गये थे। खण्ड योजनाएं, जिनमें कृषि तथा इससे सम्बद्ध गतिविधियों के क्षेत्र की स्कीमें भी शामिल हैं, कार्यक्रम के अन्तर्गत चुने गए इन सभी खण्डों के बारे में संस्वीकृत की गई थीं।

(ग) 1979-80 के दौरान समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय रखे जाने की संभावना है।

माडर्न बेकरीज द्वारा डबल रोटी बनाने के संयंत्र लगाया जाना

6598. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने माडर्न बेकरी (इण्डिया) लिमिटेड से कहा है कि वह डबल रोटी बनाने के और संयंत्र न लगाये ; और

(ख) यदि हां; तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) :— दिसम्बर, 1977 में घोषित सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार, बेकरी उद्योग को लघु क्षेत्र में विकास के लिए आरक्षित किया गया है। अतः माडर्न बेकरीज (इंडिया) लि० सामान्यतया डबल रोटी के बड़े पैमाने पर कोई संयत्र स्थापित नहीं कर सकती है।

इंडियन कौंसिल आफ वर्ल्ड एफेअर्स को अनुदान का भुगतान

6599. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इण्डियन कौंसिल आफ वर्ल्ड एफेअर्स सप्रू हाऊस लाइब्रेरी को अब तक स्वीकृत अनुदान की राशि न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : 1978-79 के दौरान 1.00 लाख रु० के नियमित सहायता अनुदान के अतिरिक्त भारतीय विश्व कार्य परिषद पुस्तकालय को 3.00 लाख रु० का अतिरिक्त तदर्थ सहायता अनुदान भी दिया गया था।

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की आश्रम प्रणाली

6600. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह बात सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली है कि आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा की आश्रम-प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने उक्त सिद्धांत स्वीकार कर लिया है और इस सम्बन्ध में उन राज्यों की नीतियां क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्यों में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : उप-योजना क्षेत्रों वाले अधिकांश राज्यों ने आदिवासियों के लिए आश्रम जैसे आवासीय स्कूल खोलना, सिद्धांत रूप में मान लिया है । राज्य सरकारों द्वारा ये स्कूल, धन उपलब्ध होने पर ही स्थानीय आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुसार खोले जाते हैं ।

विवरण

उत्तर में यह बताया गया कि 94 प्रत्यायित प्रैस संवादाता प्रेस पूल आवास के दखलकार थे और 7 साधारण पूल आवास के दखलकार थे । वास्तव में इन 94 में से 3 प्रैस संवाददाता अर्थात् श्री और ए.जी. जार्ज (परिशिष्ट क में क्र०सं० 12), श्री ए०एन० सात्विक (क्र० सं० 37) श्री एस०के० बोस (क्र०सं० 68) ने पहले ही आवास खाली कर दिया था । श्री जे० एम० देव (क्र०सं०87) ने उन्हें आवंटित प्रैस पूल आवास को स्वीकार नहीं किया था । एक अतिरिक्त प्रैस संवाददाता, श्री एस० वेंकटेश प्रैस पूल आवास के दखलकार थे किन्तु उत्तर बनाते समय उन्हें नहीं गिना गया था । इस प्रकार कुल मिलाकर 91 प्रैस संवाददाता प्रैस पूल आवास के दखलकार थे ।

2. साधारण पूल में, तीन और प्रत्यायित प्रैस संवाददाता अर्थात् श्रीमती लता भाटिया, श्री एन० श्रीनिवासन० और श्री ए०के० किदवई भी साधारण पूल आवास के दखलकार हैं । कुल मिलाकर 10 प्रत्यायित प्रैस संवाददाता साधारण पूल आवास के दखलकार थे ।

3. असुविधा हुई, इसके लिए भारी खेद है ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 4687 दिनांक 28-8-1978 में शुद्धि करने वाला विवरण

काफी समय बाद उत्तर में भूल का पता लगा और विभिन्न रिकार्डों के संदर्भ में तथा संबंधित व्यक्ति से स्थिति सत्यापित करनी पड़ी इसलिए विवरण निर्धारित समय सीमा के भीतर पटल पर नहीं रखा जा सका ।

अल्प सूचना प्रश्न 3 के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री ज्योतिर्मय बसु :—आज की सूची में सम्मिलित अल्प सूचना प्रश्न के बारे में हमें कोई सूचना नहीं दी गई हैं । मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर बुधवार या गुरूवार को विचार किया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारे लिए आप ही अध्यक्ष हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों पर सभा में विचार नहीं किया जाता ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगु सराय) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सभा को सूचित

गया जाना चाहिए था कि अन्य सूचना प्रश्न नहीं लिया जाएगा। आमतौर पर ऐसी स्थिति में अल्पसूचना प्रश्न की इजाजत दी जाती है। प्रश्नकाल निलम्बित किया जाता है। ऐसे वृतान्त हैं जब ऐसी स्थिति में अल्पसूचना प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। सभा को यह जानने का अधिकार है कि अल्पसूचना प्रश्न पूछने का अधिकार क्यों छीना गया। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। अल्पसूचना प्रश्न को किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। इसे अगर आज नहीं लिया जाता तो परसों लिया जाना चाहिए क्योंकि परिचालनार्थ कुछ समय की जरूरत होगी। यहां पर दो बातें हैं जैसाकि पहले हुआ प्रश्नकाल निलम्बित किए जाने पर भी अल्प सूचना प्रश्न लिया गया था। यदि इसे आज स्थगित किया जाता है तो परिचालन के लिए एक दिन का समय देकर इसे यहां शीघ्र लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय ने विचार किया है और मुझे बताया गया है कि इसे अस्थायी तौर पर सोमवार के लिए दर्ज किया गया है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए अस्थायी तौर पर कहा। इस पर अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। आपने जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें निर्णय करते वक्त ध्यान में रखा जाएगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : अन्यथा अध्यक्ष महोदय को 'अल्प सूचना प्रश्न' नाम ही समाप्त कर देना चाहिए।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन अधिसूचना

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चाय, काफी अथवा रबड़ बागानों अथवा कृषकों को बेचे जाने वाले कतिपय प्रकार के उर्वरकों के प्रतिटन अधिकतम मूल्य के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 218 (ङ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी 4255/79

राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद समिति पटियाला की वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का वर्ष 1976-77 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन आदि।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल कूद संस्थानों सम्बन्धी समिति, पटियाला के वर्ष 1977-78 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त समिति के कार्यकरण की समीक्षा सम्बन्धी एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4256/797]

(2) (एक) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम; 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1976-77 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपर्युक्त लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (दिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 4257/79)

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम और सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तगत निम्मलिखित अधिसूचनाओं (दिन्दी तथा अंग्रेगी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (छठा संशोधन) नियम, 1979, जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 499 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1979 जो दिनांक 31 मार्च 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 500 में प्रकाशित हुय थे ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 4258/79)

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कारण) की एक-एक प्रति:-

(एक) पोलिप्रोपीलीन स्टेपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क से छूट की अवधि 30 सितम्बर, 1979 तक बढ़ाये जाने के बारे में अधिसूचना सख्या सा०सां० नि० 497 जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) पोलिप्रोपिलीन कते सूत पर उत्पादन शुल्क से छूट की अवधि 30 सितम्बर, 1979 से बढ़ाये जाने के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि०498 जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) मुफ्त वितरण के लिये कतिपय तैयार अथवा परिरक्षित खाद्य पदार्थों के उत्पाद शुल्क से छूट की अवधि 30 अप्रैल 1979 तक बढ़ाये जाने के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 299 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 4259/79)

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) लोहे और इस्पात के भारी पिघलन अपशिष्ट को 31 मार्च, 1980 तक उस पर उद्ग्रहणीय मूल तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 315 (ङ)और 316 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) क्रूप मैन लाइट मैटल फ्लोट ब्रिज के विनिर्माण के लिये जिगों, फिक्सचरों और गेजों आदि को मूल और अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट की अवधि 31 मार्च, 1980 तक बढ़ाये जाने के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 317 (ड.) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) बख्तरबन्द गाड़ियों के लिए आरमर प्लेटों को मूल सीमा शुल्क से छूट की अवधि 31 मार्च, 1981 तक बढ़ाये जाने के बारे में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 318 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) बख्तरबन्द गाड़ियां के निर्माण के लिए आयात की गई कतिपय वस्तुओं को समूचे और अतिरिक्त सीमा शुल्क से 31 मार्च, 1981 तक छूट देने के बारे में सा० सां० नि० 319 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) भारी, मध्यम और हल्की व्यवसायिक मोटरगाडियों और ट्रैक्टरों के पुर्जे, रबड़ टायरों और ट्यूबों को उन पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से जो मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक हो तथा उन पर लगने वाले ससस्त अतिरिक्त और उपषंगी सीमा शुल्क से 30 सितम्बर, 1979 तक छूट दिये जाने के बारे में सा० सां० नि० 320 (ङ) और 321 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) डी० डी० टी० के फार्मूलेशन को उस पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क के उतने भाग से जो मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक हो तथा उस पर लगने वाले समस्त अतिरिक्त और उपषंगी सीमा शुल्क से 31 मार्च, 1981 तक छूट दिये जाने के बारे में सा० सां० नि० 322 (ङ) और 323 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सोयाबीन खली/खाद्य पर समूचे निर्यात शुल्क से छूट की अवधि 31 मार्च, 1980 तक बढ़ाये जाने के बारे में सा० सां० नि० 324 (ङ) जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में सा० सां० नि० 325 (ङ) जो दिनांक 1 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सख्या एल०टी० 4260/79)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम के अधीन अधिसूचनाएं और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित इस्पात पिंडों पर मूल शुल्क लगाये जाने के बारे में अधिसूचना संख्या 156/79-सी ई जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित इस्पात पिंडों पर शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 18 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या 148/77-सीई के संशोधन के बारे में अधिसूचना संख्या 157/79-सीई जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित इस्पात पिंडों पर शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 18 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या 149/77-सीई के संशोधन के बारे में अधिसूचना संख्या 158/79-सीई जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा तैयार किए गए अर्ध निर्मित इस्पात और कतिपय इस्पात उत्पादों के लिए मूल शुल्क के बारे में अधिसूचना संख्या 159/79-सीई जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित विनिर्दिष्ट लोहा अथवा इस्पात के उत्पादों पर मूल उत्पाद शुल्क की वर्तमान दरों में वृद्धि के बारे में दिनांक 18 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या 153/77-सीई के संशोधन के बारे में अधिसूचना संख्या 160/79-सीई जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) लघु इस्पात संयंत्रों द्वारा निर्मित लोहा और इस्पात के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 18 जून, 1977 की अधिसूचना संख्या 152/77-सीई के संशोधन के बारे में अधिसूचना संख्या 160/79-सीई जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के संबंध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 4260/79)

लोक लेखा समिति

121 वाँ प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्णदत्त (दमदम) : मैं वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) से सम्बंधित आस्थियों के गलत मूल्यांकन के लोक लेखा समिति के 29 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 121 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

30 वां प्रतिवेदन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : मैं पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालल (पुनर्वास विभाग) दण्डकारण्य परियोजना—अधिवासियों को छोड़कर चले जाना (1978) पर प्राक्कलन समिति का 30 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं "सरकारी उपक्रम—उत्पादन/कारबार के आरंभ में विलम्ब, क्षमता का क्रम उपयोग तथा सम्बन्धित मामले"—पर सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति का 28 वां प्रतिवेदन और उससे सम्बंधित समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

10 वाँ प्रतिवेदन

श्री छीतुभाई गामित (माण्डवी) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बंधी समिति का 10 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

18 वाँ प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बंधी समिति का 18 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सँस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

11 वां प्रतिवेदन

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बंधी समिति का 11 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

समितियों के निर्वाचन के लिये प्रस्ताव

प्राक्कलन समिति

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से (1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से (1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए प्राक्कलन समिति के लदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रियातथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक लेखा समिति

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1979 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्स यह है :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करतो है कि राज्य सभा 1 थई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की लोक

लेखा समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के साथ सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री ज्योतिर्मय बसु · मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि इस सभा के सदस्ल लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 31? (ख) के उपनियम(1)द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1979 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धों समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामधन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्गों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1979 से आरम्भ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रामधन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1979 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 1979 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 1980 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामले

(1) कम्पनियों के बड़े-बड़े पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले भारी वेतनों के बारे में मामले :

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : पिछले साल नवम्बर के दौरान कम्पनी कार्य विभाग द्वारा बड़ी कम्पनियों के शीर्ष कर्मचारियों का वेतन 1.32 लाख रुपए प्रति वर्ष तक सीमित करने के लिए मार्ग निर्देशी सिद्धान्त जारी किए गए थे। बहरहाल, 7 मार्च, 1979 के 'इक्नोमिक टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बड़ी कम्पनियां इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अवहेलना कर रही हैं और शीर्ष कार्यकारियों को अत्याधिक वेतन दे रही हैं। कम्पनियों के शीर्ष कार्यकारियों को दिए जाने वाले आश्चर्यजनक वेतन और भत्तों का अनुमान एक लिमिटिड कम्पनी के प्रबन्धक के लिए प्रस्तावित निम्नलिखित परिलब्धियों के आधार पर लगाया जा सकता है।

(क) प्रति माह 5000 रुपये का समेकित वेतन।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम्पनी को होने वाले लाभ का एक प्रतिशत जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 349 में उल्लिखित रीति के अनुसार परिकलित की जाएगी। परन्तु इसकी उच्चतम सीमा 12000 रुपए प्रति वर्ष या वार्षिक वेतन का आधा में से जो भी कम होगी, होगी।

(ग) किराया मुक्त सुसज्जित रिहायशी आवास या यदि उसके पास अपना आवास है तो

उसे प्रति पूर्ति के रूप में एक राशि दी जाएगी जिसकी गणना सभी सुविधाओं, जैसे गैस, पानी, बिजली, वातानुकूल, गेसर्स, रिफ्रेजेरेटर आदि देने और उसके रख-रखाव आदि पर होने वाले खर्चों के आधार पर तथा चौकीदार, माली और घरेलू नौकरों पर होने वाले खर्चों के आधार पर की जाएगी।

(घ) एक कार, जिसका पूरा खर्च कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। उपरी खर्चे भी दिए जाएंगे और एक ड्राइवर जिसका प्रयोग वे अपने प्रयोग तथा कम्पनी के प्रयोग के लिए पूर्णतया कर सकेंगे।

(ङ) वर्ष में एक बार उसके तथा उसके परिवार (पत्नी और आश्रित बच्चे) को देश में कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए पूरा यात्रा व्यय कम्पनी द्वारा दिया जाएगा। परन्तु शर्त यह रहेगी कि उसे केवल वास्तविक किराया ही दिया जाएगा।

(च) आवास पर टेलीफोन, किराया भार सहित टेलीफोन का सारा खर्चा कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा।

(छ) प्रत्येक वर्ष में 11महीने की सेवा के पश्चात् एक महीने की वेतन सहित विशेष छुट्टियां चार महीने की छुट्टियां एकत्रित की जा सकती हैं। बाकी बची छुट्टियों के बदले में पैसा नहीं मिलेगा।

(ज) उसके तथा उसके परिवार (पत्नि तथा आश्रित बच्चों) के लिए चिकित्सा सुविधाएं जिनमें अस्पताल में भरती कराने तथा नर्सिंग होम के खर्चे, इलाज व्यय, सर्जिकल व्यय, यात्रा प्रभार आदि भी सम्मिलित होंगे और इसका पूरा व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए उसे प्रति वर्ष एक महीने के वेतन के बराबर से अधिक की धन राशि नहीं दी जाएगी। वह इस राशि को तीन वर्षों तक एकत्र कर सकते हैं।

बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित भविष्य नीधि, वार्द्धक्य और सेवानिवृति के लाभ। परन्तु इस शर्त के अधीन कि उपर्युक्त निधियों में कम्पनी अंशदान आय कर अधिनियम, 1961 और उसकी नियमावली में निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा।

(झ) कम्पनी के नियमों के अनुसार उपदान, परन्तु यह राशि प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए आधे महीने के वेतन से अधिक नहीं होगी। यह अधिकतम 30,000 रुपये या 15 महीने वेतन के बराबर में से जो भी कम होगी, होगी।

(ञ) कम्पनी लागत पर निजी दुर्घटना बीमा। बीमे का प्रीमियम 100 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(ट) उपर्युक्त पारिश्रमिक जिनमें परिलब्धियां और सुविधाएं सम्मिलित हैं, दिए जाएंगे, भले ही वर्ष के दौरान पर्याप्त लाभ न हुआ हो।

(ठ) यदि किसी भी कारण करार के समाप्त होने से पूर्व उसका कार्यकाल समाप्त किया जाता है तो वह शेष अवधि के लिए क्षतिपूर्ति मांग सकता है। या क्षति पूर्ति के रूप में तीन वर्षों का लाभ मांग सकता है। इसकी गणना पिछले तीन वर्षों या उस तारीख से जिस तारीख से उसे पद मुक्त किया गया है, पिछली अवधि के दौरान अर्जित पारिश्रमिक के औसत के आधार पर की जाएगी।

एक ऐसे देश में जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना हो और जिसके लोगों का

अधिकांश प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहता हो, उस देश में शीर्ष कार्यकारियों को ऐसी बड़ी-बड़ी राशियां अब भी प्राप्त की जा रही है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या की ओर गम्भीरता से ध्यान दे और कम्पनियों द्वारा उनको पिछले वर्ष नवम्बर में जारी किए गए मार्गोदर्शी सिद्धान्तों का पालन करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए ।

(दो) गैर मशीनी क्षेत्र में बनने वाली दियासलाइयों की कीमत में वृद्धि और राजस्थान में दियासलाई का उत्पादन करने के कुटीर एकक स्थापित करने की आवश्यकता

श्री श्यामसुन्दर लाल (बयाना) : गैर यन्त्र चालित क्षेत्र माचिसों का 95 प्रतिशत उत्पादन, जो कि मध्यम और कुटीर उद्योग में होता है, अकेले तमिलनाडु में होता है । इसके श्रमिकों में 12 वर्ष से कम आयु के 45 प्रतिशत बच्चे हैं । ये सभी कम्पनियां या तो स्वामित्व वाली हैं या साझेदार वाली ।

माचिसों की कुल मांग का 68 प्रतिशत तमिलनाडु के गैर-यंत्र चालित क्षेत्र द्वारा पूरा किया जाता है और 2700 कुटीर यूनिट इन मध्यम स्तर के यूनिटों पर, जो कि मांग के 10 प्रतिशत की पूर्ति करता है, आश्रित है ।

यह क्षेत्र प्रत्येक बच्चे की 3 से 6 रुपये प्रतिदिन तक की मजदूरी देता है और यह तथ्य से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र की कुल मजदूरी 6 करोड़ रुपये है और यंत्रचालित क्षेत्र की कुल मजदूरी 8 करोड़ रुपये है जबकि पहले वाला क्षेत्र 68 प्रतिशत और दूसरा क्षेत्र मांग का 28 प्रतिशत पूर्ति करता है ।

वर्ष 1979-80 में गैर-यंत्रचालित क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क की वृद्धि के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । इस क्षेत्र ने माचिसों की कीमत बढ़ा दी और इससे उन्हें 15 करोड़ रुपने की अतिरिक्त आय होगी । वे न केवल सार्वजनिक वित्त में होने वाली कानूनन वृद्धि को रोकते हैं, बल्कि आम आदमी को भी लूटते हैं विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जिनके लिए जलाने का एकमात्र साधन दियासलाई है । यह भी उल्लेख करना चाहिए कि बिजली अभी ग्रामीण क्षेत्रों के 30 प्रतिशत लोगों के पास ही पहुंची है ।

गैर-यंत्र-चालित क्षेत्र 17 धनी परिवारों के हाथ में है । उनके धन में वृद्धि मानवता की मासूम कलियों के पसीने और खून पर हुई है । इन कलियों का इन लोनों द्वारा शोषण किया जाता है । इन लोंगों ने अपना अलग ही औद्योगिक साम्राज्य बनाया हुआ है । जिसके चारों ओर 5 किलोमीटर लम्बी कानूनी दीवार है, जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता । मैं माननीय उद्योग मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन लोगों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उनका कौन से कदम उठाने का विचार है । माचिसों के उत्पादन के लिए कुटीर यूनिट राजस्थान में स्थापित किए जाए जहां कि कच्चा माल उपलब्ध होता है ।

(तीन) तीन आणविक संयंत्रों में काम करने से उत्पन्न जोखिम को कम करने और आणविक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में खतरों से बचने के लिए की गई कार्यवाही

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमोगाओ) : हैरिसबर्ग (अमेरिका) में स्थित परमाणु शक्ति

रिएक्टर में विकीरण के रिसने का (रेडीएशन लीक) का 28 मार्च, 1979 को पहली दफा पता चला। और कुछ ही दिनों में उस विकिरण स्तर का पता उस स्थान से 300 किलोमीटर की असाधारण ऊंचाई पर चला। इस दुर्घटना से न केवल उस स्थान विशेष पर खतरा पैदा हुआ है बल्कि इससे व्यापक खतरा पैदा हो गया है। निकट की नदी का पानी दूषित हो सकता है और रेडियो धर्मिता आयोडीन मिलों में पहले ही आ चुकी है। पड़ौस की तत्काल प्रभावित होने वाली जन संख्या को यह स्थान खाली करने के लिए कह दिया गया है और पेन्सलवेनिया के निकट कई राज्यों को सामान्य चेतावनी दे दी गई है। यद्यपि आपातकालीन उपाय किए जा रहे हैं परन्तु वैज्ञानिक रन-अवे रिएक्टर की समस्याओं को हल नहीं कर सके हैं। विभिन्न सरकारों ने यह देखने के लिए अमरीकी प्राधिकारी इस खतरे का किस प्रकार सामना करते हैं। अपने प्रेक्षक पेनसील-वेनिया भेजा।

हैरिसवर्ग की घटना कोई अलग नहीं है। स्वीडिश स्टेट पावर बोर्ड ने गोटनवर्ग के निकट रिंगहाल-5 में स्थित परमाणु शक्ति सयन्त्र को वाष्प जेनेरेटर में लीक के कारण 3-4-79 को बन्द कर दिया था। दक्षिण कोरिया का परमाणु शक्ति संयन्त्र ने रेडियो एक्टिव जल के रिसने के कारण 27 मार्च से कार्य करना वन्द कर दिया है।

कार्लसरब (पश्चिमी जर्मनी)का परमाणु सयन्त्र मशीनों के फेल होने के कारण एकदम बन्दकर देना पड़ा।टोकियो के उत्तर-पूर्व के लगभग 100 किलोमीटर दूर टोकियो में स्थित परमाणु ईंधन परिष्करण सयन्त्र पर रख-रखाव का कार्य करते हुए दो मजदूर 4 अप्रैल को रेडियो धर्मिता दूषण के शिकार हो गए। आणविक दुर्घटना का अर्थ है घातक विकिरणों का फैल जाना जिसका प्रभाव काफी दूर-दूर तक और पीढ़ियों तक होता है अतः इन दुर्घटनाओं को अन्य औद्योगिक दुर्घटनाओं के समान नहीं समझा जा सकता है।

अतः मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे आणविक संयन्त्रों पर ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में सदन में वक्तव्य दे।

(चार) दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों द्वारा हड़ताल

डा० लक्ष्मीनारायण पांडे (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के शिक्षकों द्वारा चलाई जा रही हड़ताल के कारण स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि परीक्षाओं को स्थगित करना पड़े और इसका असर कई लाख विद्यार्थियों पर पड़ेगा, यद्यपि प्रशासन द्वारा इस हेतु प्रयत्न भी किये गये कि हड़ताल समाप्त हो, पर उसका कोई परिणाम अभी तक नहीं निकला है। दिल्ली के स्कूली शिक्षकों की 21 मार्च से चल रही हड़ताल के साथ ही 10 वीं तथा 12 वीं कक्षाओं के बहिष्कार के कारण पढ़ाई एक दम ठप्प है। दिल्ली प्रशासन ने अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा कार्यकताओं की सहायता से परीक्षाओं की व्यवस्था की है, किन्तु इनके बारे में भी भारी शिकायतें हैं। हड़ताल का वातावरण बना रहने से भी पढ़ाई अस्तव्यस्त है तथा जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं हैं, वे भी कार्य करने में प्रायः असमर्थ हैं। स्थानीय परीक्षाओं के लिए समस्त कार्यक्रम, प्रश्न पत्र, उनकी जांच तथा अन्य व्यवस्था, आदि के बारे में जो कार्यवाही होनी चाहिए, उसका भी नितान्त अभाव है। यदि शिक्षकों की हड़ताल शीघ्र नहीं टूटी, तो परीक्षायें स्थगित कराई जाने की स्थिति आ सकती है। बोर्ड की परीक्षाओं की भांति स्थानीय परीक्षाओं का कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों और अभिभावकों द्वारा भी सम्भव प्रतीत नहीं होता है। एक लाख से ऊपर परीक्षार्थियों की परीक्षा लेना, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच व परिणाम समय पर निकालना, आदि, महत्वपूर्ण कार्य हैं जो

किसी सुव्यवस्था के अभाव में सम्भव नहीं हैं। सभी चाहते है कि हड़ताली शिक्षक हड़ताल वापस लें, इस हेतु विभिन्न व्यक्तियों, सांसदों द्वारा भी हड़ताली शिक्षकों को काम पर आने की अपील की गई है और उसका परिणाम भी अब तक प्रायः नगण्य है। ऐसी दशा में समय से पूर्व योग्य कदम उठाना आवश्यक है जिससे कि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर बुरा असर न पड़े। मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी शीघ्र ही उचित कदम उठायेंगे।

(पांच) मैसर्स आर्मस्ट्रांग स्मिथ लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा कर्मचारियों को वेतन न दिये जाने का समाचार

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दरा (दुर्गापुर) : महोदय, बेलापुर, सुगर एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज जिसका मुख्य कार्यालय 12/14 वीर नरीमन रोड, बम्बई में है, की एक नियन्त्रक कम्पनी आर्म्सस्ट्रांग स्मिथ लि० के संचालक मंडल के अध्यक्ष और कलकत्ता कार्यालय के शाखा प्रभारी ने कलकत्ता स्टाफ को वेतन का भुगतान कई महीनों से बन्द कर रखा है। अतः महगाई के इन दिनों में कर्मचारियों को अपना अस्तित्व बनाए रखना काफी कठिन हो गया है। इन कर्मचारियों और मजदूरों के परिवारों की भूखों मरने की नौबत आ गई है। प्रशासन में विद्यमान कुप्रबन्ध और कदाचारों के कारण ही ऐसी नाजुक स्थिति आ खड़ी हुई है। कर्मचारियों के विरुद्ध षडयन्त्र पिछले वर्ष दिसम्बर में ही आरम्भ हो गया था। यद्यपि कर्मचारी प्रबंधकों को सहयोग देने और परिश्रम करने को तैयार हैं।

इस कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने पिछले जनवरी मास में यह आश्वासन दिया था कि कम्पनी के सुचारु कार्यचालन के लिए कम्पनी उचित कदम उठाएगी और कर्मचारियों को वेतन भी देगी। परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इसके विपरीत यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि कम्पनी बंद हो सकती है और मजदूरों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ भूखा मरने के लिए सडक पर छोड़ दिया जाएगा।

अतः मैं मंत्री महोदय को इस मामले में कारगर हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं और उनसे सदन में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं ताकि मजदूरों के दिमाग में समाया हुआ भय दूर किया जा सके तथा उन्हें भूखों मरने से बचाया जा सके।

(छः) महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले एक गाँव में नव बौद्धों पर कतिपय सशस्त्र लोगों द्वारा आक्रमण का समाचार

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मैं रूल 377 के द्वारा लोक-महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी अनुमति से यहां पर इंसाफ़ के लिए उठा रहा हूं।

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग में औरंगाबाद जिले के अंबल ताल्लुके में ढाकेफल गांव में तारीख 6-4-79 को नवबौद्ध समाज पर हथियार बंद लोगों ने लाठी-काठी शस्त्रों से खुलेआम हमला करके दो नव-बौद्ध लोगों को मार डाला है और कई लोग घायल हुए हैं। यह भीषण हमला होने से दलित और बौद्ध समाज में घबड़ाहट फैल गई है। नव-बौद्ध समाज को संरक्षण देने में शासन असमर्थ रहा है। परिस्थिति विस्फोटक है। नव-बौद्ध समाज में असंतोष फैला हुआ है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे नव-बौद्ध दलित समाज को संरक्षण देने में फौरन कार्यवाही करके इंसाफ़ दें।

(सात) मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों से धन एकत्र करने के आरोप की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच को, जिसका पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने सुझाव दिया है, स्वीकार करने से मध्य प्रदेश सरकार के इन्कार का समाचार

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खजीलाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्नलिखित लोक महत्व के विषय पर अपना बयान पढ़ता हूं :

तारीख 7 अप्रैल, 1979 दिन शनिवार को स्टेट्समैन, नई दिल्ली में प्रकाशित एक समाचार से यह ज्ञात होता है कि माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक मंत्री, नागर विमानन एवं पर्यटन, भारत सरकार ने अपने तथा पद के सम्मान एवं मर्यादा की रक्षा के लिए तथा जन मानस में किसी प्रकार की भ्रांति न हो, इसके लिए जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो की मांग की थी, उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने अस्वीकृत कर दिया है। इस प्रकाशित समाचार के अनुसार श्री संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति ने मंत्री महोदय के नाम का उपयोग कर बहुत सी धन राशि इकट्ठा करने का प्रयत्न किया था या इकट्ठा किया भी था, ऐसा अभियोग उस पर लगाया गया है। मामले की पुष्टि के लिए मंत्री महोदय के लेटरहेड आदि की चर्चा की गई है और यह भी कहा गया है कि अभियुक्त ने ऐसा वक्तव्य पुलिस को दिया था जिसका उसने बाद में खण्डन किया, जिससे मंत्री महोदय के ऊपर कलंक या लांछन की छाया पड़ती है। भारत सरकार के किसी मंत्री के ऊपर लांछन सारे सदन एवं देश के लिए विचारणीय विषय बन जाता है और अगर मंत्री महोदय ने स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाने का सुझाव दिया था तो यह सरकार, सदन एवं हमारी परम्पराओं की गरिमा के अनुरूप था।

जिसको प्रदेश की सरकार को अनिवार्यतः मान लेना चाहिए था। मैं समझता हूं कि सारा सदन मंत्री महोदय के सुझाव की सराहना करेगा और साथ ही साथ सरकार से आग्रह करेगा कि वह दृढ़तापूर्वक मंत्री महोदय के सुझाव को मानने के लिए राज्य सरकार को सलाह दे। यह हर प्रकार से सार्वजनिक महत्व का विषय है। अतः सरकार शीघ्र इस पर कोई वक्तव्य देकर स्थिति को साफ करे।

अनुदानों की माँग, 1679-80 (कृषि और सिंचाई मंत्रालय)

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस दिन बक्सर कोइलवर तट बंध परियोजना की चर्चा कर रहा था। यह परियोजना 107 किलोमीटर लम्बी, गंगा नदी के दाएं छोर पर चल रही है। इससे 80 हजार हैक्टेअर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। पांच वर्षों के अन्दर, यानी 1978 तक इस स्कीम को पूरा हो जाना चाहिए था किन्तु दुर्भाग्य है कि अभी तक इस से एक-चौथाई भी काम नहीं हो पाया है। इस इलाके को हर वर्ष बाढ़ से 40-45 करोड रुपये की क्षति होती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि एक-दो वर्षों के अन्दर इसको पूरा कर दे ताकि लोगों को शीघ्र फायदा पहुंच सके और वहां काफी मात्रा में उपज हो सके।

इस इलाके में जहां बांध बन रहा है, वहां सिंचाई का अभाव हो जाएगा। इसलिए सरकार से मेरा यह भी आग्रह है कि इस गंगा नदी में जो अथाह जल प्रवाहित हो रहा है उसका सदुपयोग किया जाए। बक्सर से कोइलवर, फिर म्नेर से पटना तक तट बंध बनाया जा रहा है। गंगा और रेलवे लाइन के बीच की भूमि में गंगा नदी में हाई पावर पम्पिंग सैट लगा कर पानी लिया

जा सकता है और वहां अच्छी सिंचाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए कोई समुचित और शीघ्र व्यवस्था करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फसल बीमा के बारे में कहना चाहता हूं। जब तक फसल बीमा की योजना लागू नहीं होती है तब तक किसानों को अपार क्षति होती रहेगी। इस वर्ष भी उत्तर भारत में आलू, चना, अरहर, मसूर को वर्षा, ओले एवं लाही से काफी क्षति हुई है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसानों को लाभ पहुंचाने का और क्या उपाय बच जाता है? यही उपाय है कि फसल बीमा लागू हो और शीघ्र लागू हो। खुशी की बात है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से इसके सम्बंध में बातचीत कर रही है। यह भी खुशी की बात है कि गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा उगायी जाने वाली कपास की फसल बीमा योजना चालू की गयी है और इसको वहां लागू करने के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस योजना से 632 एकड़ क्षेत्र में लगभग 51 गांवों को लाभ पहुंच रहा है। इसी तरह से सरकार से मैं यह भी आग्रह करूंगा कि फसल बीमा को सारे देश में अति शीघ्र भी लागू करे। यह भी खुशी की बात है कि 1978 के प्रथम 9 महीनों में लगभग साढ़े आठ लाख पशुओं का बीमा किया गया है। यह उत्साहवर्धक बात है। लेकिन यह सिर्फ एक इलाके में, एक क्षेत्र में ही हुआ है। इसको सारे भारत में लागू करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आलू के सम्बंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। वर्षा, लाही और ओले के बावजूद इस देश में आलू की उल्लेखनीय उपज हुई है। आलू इतना सस्ता हो गया है कि किसानों का खर्च भी पूरा नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आलू की कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बिहार में 35 से 40 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में 35 से 40 रुपये प्रति क्विंटल है। किसान को आलू की खेती में जो खर्च पड़ता है वह 50 रुपये से 55 रुपये पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय बताइये कि आलू की खेती से किसान को क्या लाभ होगा? इस से इतनी क्षति हो रही है कि वह आगे आलू की खेती करना नहीं चाहता है।

आलू को सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड-स्टोरेज चाहियें, जो कि भारत सरकार के कृषि विभाग के जिम्मे है।

मैं बिहार का उदाहरण देता हूं। वहां 315 कोल्ड-स्टोरेज हैं; जिनकी क्षमता सिर्फ 3 लाख टन रखने की है। खेती लगभग 4 लाख एकड़ में हो रही है। इस वर्ष पैदावार 18 से 20 लाख टन हुई है। जहां 3 लाख टन आलू रखने की क्षमता है वहां पैदा हुआ है 20 लाख टन तो बताइये कहां रखा जायेगा? आलू सड़ेगा, और निश्चित रूप से सड़ रहा है। मेरा यह आग्रह है कि सरकार इसके सम्बंध में कुछ उपाय करे। उपाय क्या हो सकते हैं? कोल्ड स्टोरेज बनवाने के लाइसेंस धड़ल्ले से दिये जायें; इससे सरकार को इसमें कोई क्षति नहीं होगी।

दूसरे इस पर समर्थन मूल्य निर्धारित कीजिये। मुझे उस दिन सुनकर बहुत दुःख हुआ जिस दिन योजना की बहस पर प्रधान मंत्री कह रहे थे कि अब समर्थन मूल्य अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, उसकी कीमत अधिक नहीं बढ़ेगी। कारखानों द्वारा उत्पादित चीजों के मूल्य बढ़ गये हैं लेकिन अभागे किसानों द्वारा उत्पादित फसल की कीमतें घट रही हैं।

तीसरा उपाय है एक्सपोर्ट का। मेरा कहना है कि आलू का निर्यात कीजिये, इसकी बहुत देशों को जरूरत है। अभी आप बहुत थोड़ा सा निर्यात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट के लिये प्राइवेट

व्यापारियों को भी ठीक कीजिये, जैसे भी हो और जो कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहे, उनको आप लाइसेंस की छूट दीजिए। अथवा एक एक्सपोर्ट का विंग बनाइये, जो यही ऐसी चीजों के निर्यात का धंधा करे।

ईख की कीमत जो मिल-मालिक किसानों को समय पर नहीं देते है, उसके सम्बंध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। शुगर अंडरटेकिंग बिल अभी स्वीकृत हुआ है। उसके अनुसार सरकार चाहती है कि किसानों को लाभ पहुंचाया जाये, लेकिन क्या इस एक्ट से किसानों को पूरा लाभ पहुंच सकेगा ? नहीं। इस कानून के अन्दर आप मिल-मालिकों को 10 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं। अगर 10 प्रतिशत तक किसानों का बाकी रहेगा, तो सरकार उस पर कार्यवाही नहीं करेगी। मान लीजिये कि एक शुगर फैक्टरी 1 करोड़ रुपये की ईख खरीदती है, यदि वह 10 लाख रुपया किसानों का रख ले, या समय पर नही दे तो आप कोई कार्यवाही उस पर नहीं करेंगे क्या यह अन्याय नहीं है ?

अभी 2 अरब रुपया किसानों का मिल-मालिकों के यहां बाकी है, यह क्या कम आश्चर्य की बात है ? दुःख की बात है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल हैं, उसमें किसानों को खर्चा अधिक पड़ता है जिसके कारण वह ईख की खेती बन्द कर देना चाहते हैं। वह दूसरे तरह की उपज करना चाहते हैं। मेरा आग्रह है कि एक दूसरा बिल लाइये, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके और समय पर ईख की कीमत मिल सके।

हम लोग गुजरात में गये थे दुग्ध सहकारी समितियों को देखने के लिए। वहां नियम यह है कि शाम को दूध बेचिए और सुबह को पैसे ले लीजिए और सुबह दूध बेचिए, शाम को पैसे ले लीजिए। क्या ईख उपजाने वाले किसानों के साथ यह नियम लागू नहीं हो सकता है ? क्या मिल मालिक इस तरह पैसा नहीं दे सकते हैं ? क्या सरकार इन्हें निश्चित समय पर कीमत चुकाने के लिए क्या इस पर कार्यवाही नहीं करेगी ?सरकार को इस बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि किसानों को समय पर पैसा मिल सके।

रांची में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लाह के अनुसंधान के विषय में अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां जो अनुसंधान होता है, उससे वहां पर लाह की खेती करने वाले छोटे लोगों, गिरिजनों और आदिवासियों, को कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि इस अनुसंधान-कार्य से उन्हें अपनी खेती का उत्थान करने में कोई सहायता नहीं मिल रही है। हम सरकार से यह आग्रह करेंगे कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे वे लोग इस अनुसंधान-कार्य से लाभ उठा सकें।

लाह के बाजार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे देशों का लाह हमारे देश के लाह की निस्बत सस्ता है। इस लिए आई० सी० ए० आर० को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम खर्च में लाह का ज्यादा उत्पादन हो सके। उदाहरण के लिए थाईलैंड का लाह बहुत ही सस्ता है। हम अपने लाह को विदेशों में भेजते है, जबकि अपने यहां उसकी जरूरत है। लेकिन यहां पर उसका उपयोग नहीं हो पाता है। लाह का उपयोग रेलवे कोचिज, जहाज, पेंट, वारनिश, विद्युत के सामान और खाद के कारखाने में हो सकता है। लेकिन सरकारी विभाग इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी जगह दूसरी चीजों का व्यवहार करते हैं जो ज्यादा मंहगे हैं। इसलिए सरकार से आग्रह है कि वह इस ओर शीघ्र ध्यान दें।

दलाल और मिडिलमैन लाह की खेती करने वालों से लाह ले लेते हैं और बाजार में

अधिक दाम पर बेचते हैं। इसलिए सरकार को लाह की खेती करने वाले छोटे छोटे लोगों, आदिवासियों को इन दलालों से छुटकारा दिलाना चाहिए। यदि पुरजोर ढंग से काम हो तो छोटा नागपुर के आदिवासियों का कल्याण हो जायेगा।

श्री ए० के० साहा (विष्णुपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने कृषि मत्रालय की सरकारी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि खाद्यानों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में एक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इससे हमारी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ होगी। इसमें कोई संदेह नही कि खाद्यानों के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। वर्ष 1977-78 के दौरान देश में 125.6 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ और सरकार को आशा है कि 1978-79 में ये आंकड़े इससे अधिक होंगे। यह भी बात जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि सरकार ने खाद्यानों का आयात बन्द कर दिया है और आज उसके पास स्टाक में 19 मिलियन टन खाद्यान है जनता सरकार ने वायदा किया था कि वे ग्रामीण लोगों और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की उन्नति के लिए काम करेंगे।

यह ऐसा हो जाता तो यह एक सराहनीय बात थी परन्तु मैं देखता हूं कि वे इस दिशा में उस गति से कार्य नहीं कर रहे जिस गति से उन्हें करना चाहिए था। मुझे इसलिए यह कहना पड़ा है कि देश में खाद्यानों के उल्लेखनीय उत्पादन के बावजूद ग्रामीण लोगों का भाग्य उससे कोई संवरा नहीं है। हमारे देश के लगभग 80% लोग गांवों में रहते हैं और वे कृषि पर आश्रित हैं। यदि हम इस स्थिति की वास्तविकता का विश्लेषण करे तो हमें पता चलेगा कि इस उल्लेखनीय उत्पादन के परिणाम स्वरूप ग्रामीण निर्धनों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। क्योंकि ग्रामीण लोगों का जीवन और अर्थव्यवस्था भूमि वितरण प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है। पिछले वर्ष भारत सरकार द्वारा वर्ष 1978-83 के लिए जारी किए गए छटी योजना के प्रलेख में कई गलतियों को और भूतकाल की असफलताओं को स्वीकार किया है। इस प्रलेख में भावी आर्थिक दशा का उज्वल चित्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सरकार जब वास्तविक नीतियों और कार्यक्रमों पर आती है तो हमें यह जानकर बड़ी निराशा होती है कि यह सरकार पिछली सरकार की भांति उन्हीं पुराने तरीकों को अपना रही है और उनका दृष्टिकोण लगभग वही है। सरकार की नीतियों में और कार्यक्रमों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। जिससे सरकार देश के उज्वल और खुशहाल बनाने के भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और परिणाम स्वरूप हमें निर्धनता पांव जमाती लगती है और विषमताएं निर्बाध बढ़ती जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान बजट में सरकार ने 665 करोड़ रुपये के कर लगाए हैं और इनमें से 90 प्रतिशत अप्रत्यक्ष कराधन से सम्बधित हैं और 1300 रुपए का घाटा दिखाया गया है। इन परिस्थितियों में इस बात पर जोर देने की आवश्यता नहीं है कि वर्ष के करों का सारा बोझ आम आदमी पर पड़ेगा और इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मेरे विचार में इस उपाय का तत्काल परिणाम यह होगा कि बेरोजगारी में वृद्धि हो जायेगी और गांवों में रहने वाले कृषि योग्य भूमि के मालिकों और कृषि पर आश्रित लोगों को अपनी भूमि बेचनी पड़ेगी और कृषिहीन श्रमिकों में शामिल होना पड़ेगा। ग्रामीण लोगों की ऋणग्रस्तता भी बढ़ जायेगी। वास्तव में हमारे देश के सारे किसान ऋण ग्रस्तता के बोझ के नीचे कराह रहे हैं : वर्ष 1951-52 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण उधार का सर्वेक्षण किया था। उस

समय उन्होंने ग्रामीण लोगों पर 750 रुपये के ऋण का अनुमान लगाया था। दस वर्ष पश्चात् 1961-62 में बैंक ने एक और सर्वेक्षण किया और 2400 करोड़ रुपये की ऋण ग्रस्तता का पता लगाया। यद्यपि मेरे पास अद्यतन आंकड़े नही है परन्तु मुझे कोई सन्देह नहीं कि समस्या उसी प्रकार गम्भीर बनी हुई है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ये आंकड़े अब 6000 करोड़ रुपये तक पहुंच गए होंगे। इससे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार गरीब लोगों का शोषण महाजनों द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु दूसरी तरफ ऋण ग्रस्तता का बोझ भी बढ़ गया है। इस स्थिति का परिणाम यह भी रहा है कि भूखे और कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। अन्य देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत आधे से भी कम है। हम प्रतिवर्ष 6.2 किलो खाते हैं जबकि यूरोपीयन लोग 37 किलो प्रति वर्ष खाते हैं और अमेरिकन 42 किलो प्रतिवर्ष खाते हैं। खाद्यान्नों के उल्लेखनीय उत्पादन के बावजूद अन्नों और दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1978 में 472.6 ग्राम प्रति दिन थी और 1961 में यह 480.2 ग्राम से कम थी और दालों की 468.7 थी। दूसरे शब्दों में एक भारतीय 17 वर्ष पहले जितना खाता था अब उसका दुगुना खाता है। चीनी के बहुत अच्छे उत्पादन के बावजूद हम केवल 14 किलो चीनी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खा रहे हैं। यह मात्रा अन्य देशों के लोगों द्वारा खाई जा रही मात्रा का आधा है। यह तस्वीर का एक पक्ष है। अब हम इसकी दूसरी तरफ देखते है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि बेरोजगारों और ऋण ग्रस्तता का बोझ बढता जा रहा है। इसके साथ-साथ ग्रामीण में एक ओर निराशाजनक बात यह चल रही है कि भूमि कुछ ही लोगों के हाथों में इकट्ठी होती जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 20 वर्ष पहले जहां भू-मालिकों के 5 प्रतिशत लोगों के पास कृषि योग्य 35 प्रतिशत भूमि थी, वहीं कृषि गणना के अनुसार 4 प्रतिशत बड़े भूधरों के पास अब भी 31 प्रतिशत भूमि है। जबकि किसानों में से 70 प्रतिशत के पास एक एकड़ के कम भूमि है। भूमि वितरण से सम्बन्धित आंकड़ों की अपेक्षा शायद सम्पति वितरण के आंकड़े अधिक महत्वपूर्ण हैं जिससे स्पष्ट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पतियों पर कुछ ही लोगों का अधिकार है जिसका अर्थ है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर कुछ ही लोगों का अधिकार हैं। इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1971-72 में सर्वेक्षण किया था। उसके प्रतिवेदन के अनुसार ऊपर के 9 प्रतिशत ग्रामीण भूधरों के पास 50,000 से ही सम्पत्ति है। ऊपर 10 प्रतिशत के पास कुल के आधे से भी है और नीचे के 20 प्रतिशत ग्रामीण घरानों के पास केवल 1000 रुपये तक की ही सम्पति है जो कि कुल ग्रामीण सम्पति का केवल 1 प्रतिशत है। इन आंकडों से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के किस प्रकार धनी और धनी तथा निर्धन और निर्धन होते जा रहे हैं। आर्थिक शक्ति के इस प्रकार केन्द्रित होने के साथ-साथ निर्धनता और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 1961 में 2200 लाख से बढ़कर 1970 में 2500 लाख और 1976 में 3750 लाख हो गई हैं। छठी योजना के प्रलेख में भी यह स्वीकार किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 2900 लाख है इनमें 1600 लाख लोग तो राष्ट्रीय निर्धनता आंकड़ों का 75% से कम अर्जित कर रहे हैं। अर्थात जीवित रहने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पा रहे हैं।

यद्यपि भारतीय खाद्य निगम और कृषि मूल्य आयोग ने कृषि फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया है फिर भी उसका लाभ उत्पादकों को नहीं प्राप्त हो रहा। सरकारी ऐजेंसियां कृषिकों

मे सीधे पूरी फसल खरीदने में समर्थ नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप मध्यस्थ लोग बीच में आ रहे हैं और काफी बड़ा मुनाफा उनकी जेबों में जा रहा है अन्यथा यही मुनाफा कृषकों को मिलता आज जब कृषक अधिक उत्पादन करता है उसे अधिक उत्पादन करने का दण्ड यह मिलता है कि उसे भारतीय खाद्य निगम और कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से कहीं कम कीमत पर अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। कुछ देर पहले एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आलू की फसल अत्याधिक होने के कारण आलू 30 से 40 पैसे प्रति किलो तक बिक रहा है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में पटसन 178 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित मूल्य के स्थान पर 50 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। कपास भी 400 रुपये के निर्धारित मूल्य की तुलना में 250 रुपये में बिक रहा है बिचौलिये भारी मुनाफा कमा रहे हैं। उर्वरकों, कीटनाशकों और डीजल की लागत पिछले कुछ वर्षों में क्रमशः 60%, 40% और 90% बढ़ गई है लेकिन यह वृद्धि सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न फसलों के मूल्य के अनुरूप नहीं है। जब कृषक बाजार में रोजमर्रा की वस्तुए खरीदने जाता है तो उसे यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि बाजार में हर चीज के दाम बहुत बढ़े हुए हैं। इसलिए भारत में कृषकों को दोहरी हानि हो रही है एक तो उन्हें अपने उत्पाद का कम मूल्य प्राप्त हो रहा है और दूसरे अन्य वस्तुओं के लिए उन्हें अधिक दाम देना पड़ रहा है।

उपरोक्त समस्या का हल आमूल भूमि सुधार प्रणाली शुरू करके किया जा सकता है। छठी योजना के पत्रों में भी यह सुझाव दिया गया है। अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन के दलनश्रेब भारत का दौरा किया तो उसकी भी यही राय थी। हाल ही में उप प्रधान मंत्री श्री चरणसिंह ने उड़ीसा के किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि वह गांव वालों के कानूनों पर बल न दे 1969 में महालानोनिस समिति ने यह अनुमान लगाना यदि अधिकतम सीमा 20 एकड़ निर्धारित की जाती है तो 6 करोड़ 30 लाख एकड़ भूमि वितरण के लिए उपलब्ध होगी। अधतन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 46 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है जोकि देश की कुल खेतीयोग्य भूमि का 1 प्रतिशत है। इससे सरकार की भूमि सुधार के प्रति वचनबद्धता स्पष्ट है। जैसा कि मैंने पहले कहा उड़ीसा और गुजरात में जनता सरकार ने विद्यमान अधिनियम के सापेक्ष प्रगतिशील उपबंधों को फिरसे प्रचलित करने की कोशिश की है।

मैं अपना राज्य पश्चिम बंगाल के सम्बध में कुछ शब्द कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं। इस वर्ष जैसाकि आप सब जानते हैं बड़ी भयंकर बाढ़ आई और हम यह महसूस करते हैं कि यह दामोदर घाटी परियोजना और अपर कांसाबती परियोजना की दोषपूर्ण आयोजना का परिणाम है। बांकुरा मेरा निर्वाचन क्षेत्र एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है और लोगों की विशेषकर खेतहरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कांसाबती नदी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश निचली कांसाबती परियोजना के 7 जल कपाटों में से केवल 1 जलकपाट तैयार किया जा रहा है और चार कपाट अभी और बनाने हैं। अतः मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार से बातचीत करनी चाहिए और इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराना चाहिए इससे न केवल बांकुरा की भूमि उपजाऊ होगी अपितु इससे बाढ़ों की रोकने में भी सहायता मिलेगी।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कृषि मंत्रालय और उस मंत्रालय के माननीय मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं। आज 32 वर्षों के पश्चात् किसानों की उन्नति और ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति की चिन्ता उनके दिलो दिमाग में है तथा उनके प्रयास भी सराह-

नीय हैं कि किस तरीके से सिंचाई को बढ़ावा दें; किस प्रकार से वे बीज की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे और किस तरीके से काम के बदले अनाज की योजना चला कर उन्होंने देहातों में बेकारी और गरीबी को दूर करने की चेष्टा की। इसके साथ ही पैदावार को बढ़ाने के लिये जो नानाप्रकार की योजनायें चालू कीं-उन सब के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाता, वार्षिक रिपोर्ट मेरे सामने हैं--जो बहुत प्रशंसनीय है।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं --क्या आपकी लक्ष्य पूर्ति हो गई है ? किसानों के कल्याण के लिये आपने ये तमाम प्रयत्न किये--क्या किसान आपके इन प्रयत्नों के पश्चात सुखी हैं ? सौभाग्य से हमारे दोनों मंत्री काश्तकार हैं, काश्त की व्यवस्था को वे अच्छी तरह से जानते होंगे। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं-- किसान आज बड़ी ही दयनीय अवस्था में है। यदि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह बरबाद हो जाएगा। इसमें सन्देह नहीं है कि आज खूब पैदावार हो रही है लेकिन पैदावार का उचित मूल्य उसको नहीं मिल रहा है और वह जगह-जगह भटकता फिर रहा है, यहाँ तक कि उसको लागत भी नहीं मिल रही है।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं--आज किसानों का गन्ना 4 रुपये से 7 रुपये क्विंटल तक बिक रहा है, खाण्डसारी के मिल-मालिकों ने जानबूझ कर उसका गन्ना नहीं खरीदा, क्योंकि उस टाइम पर कुछ जगहों में चीनी 2 रुपये 15 पैसे किलोग्राम पर बिक रही थी। किसान को ऐसी स्थिति में लकड़ी के भाव फिरी गन्ना देना पड़ा। लेकिन आज अचानक उसका दाम इतना बढ़ गया है।

एक माननीय सदस्य : आज लकड़ी भी बहुत मंहगी है। 20 रुपये क्विंटल से ऊपर उसका दाम है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : उधर आप यह देखिये कि चीनी के दाम अचानक 3 रुपये प्रति किलो हो गये और इस तरह से मिल-मालिकों ने लूट शुरू कर दी है और आज वे माला-माल हो रहे हैं। लाखों रुपयों का उन्होंने मुनाफा कमा लिया है। मैं जानता हूं कि अचानक यह परिवर्तन क्यों आया है ? इसमें मिल-मालिकों और खाण्डसारी वालों का कौन सा षडयंत्र है जो आज चीनी तीन रुपये प्रति किलो बिक रही है।

अब मैं गुड़ पर आता हूं। इस देश में किसानों ने गुड़ बनाया और पहले उनको उसमें लाभ हुआ था लेकिन जब गुड़ बनाया तो तमाम फसल के दिनों में गुड़ 16 रुपए मन बाजार में मिलता रहा और अब जबकि गुड़ की पैदावार बन्द हो गई, तो 52 रुपए मन के हिसाब से वह बिकने लगा और व्यापारी एक ही रात में लखपति हो गये। यह नीति क्या है, यह मैं जानना चाहूंगा। आप आलू को ही ले लें। इस बार लाखों टन आलू पैदा हुआ है और मेरे घर में ह 6 हजार मन आलू पैदा हुआ है और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसका क्या करें। बाजार में आते हैं तो उसकी लागत नहीं मिलती और कोल्ड-स्टोरेज में रखने के लिए जाते हैं ताकि बाद में वह मिल जाए, तो कोल्ड स्टोरेज में जबकि एक बोरी पर, एक क्विंटल पर सरकारी रेट 13 रुपये है, तो उस पर 8 रुपये और ब्लैक में ले रहे हैं और उनके यहां भी आलू रखने के लिए जगह नहीं है। इस प्रकार से 20 - 22 रुपये फिरी बोरी और उसकी लागत आ गई है। इतना खर्च करने के बाद क्या हमें बाद में इतना दाम मिलेगा, यह पता नहीं है।

यही गेहूं की स्थिति है इस देश में और वह इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। उस

सम्बन्ध में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है और अगर सरकार इस सरकार का, हमारी पार्टी का प्रस्ताव था—

कृषि मूल्यों को समानता के सिद्धान्त पर निर्धारित करने के लिए सरकार को आवश्यक उपाय करने चाहिए अर्थात् कृषकों द्वारा दी जाने वाली कीमतों और और उन्हें प्राप्त होने वाली कीमतों में संतुलन होना चाहिये ।

इतना ही नहीं, हमारे मेनिफेस्टों में यह भी है । हमारी पार्टी ने यह भी घोषणा की थी कि—

कृषकों को समानता के आधार पर लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए जिस मूल्य पर वह अपने उत्पाद को बेचता है तथा जिस मूल्य पर उसे वस्तुएं खरीदनी पड़ती है दोनों में संतुलन होना चाहिए । यदि ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है और उ: सम्पन्न बनाना है तो समग्र राष्ट्रीय नीति के रूप में उन्हें व्यापार की अनुकूल शर्तें दी जानी चाहिए किसानों को उपादन उचितमूल्य पर दिए जाने चाहिए ।

परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, अवस्था इसके सर्वथा विपरीत है । मैं आपके सामने आजकल जो स्थिति है, जो प्राइसिज में इम्बेलेंस हैं, उसके बारे में दो-चार बातें कहना चाहूंगा । हमारे यहां गुड़ की कीमत है 134.9, वहां फर्टिलाइजर किसान को मिलता है 175.9 पर ।तम्बाकू का दाम है 137.4 और ग्राऊण्डनट का दाम है 142.8 जबकि इलेक्ट्रिसिटी 207.4 पर मिलती है । इसी तरीके से पेडी 157.4 और पावर 252.0 । इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र की सभी वस्तुओं के दाम आकाश को छू रहे हैं और जो चीजें काश्तकार पैदा करता है उसको उसकी लागत का भी मूल्य नहीं मिलता है । इस बारे में गवर्नमेंट पालिसी चेंज करे । किसानों की कोई सहायता करना चाहती है, तो वह समय पर उनकी सहायता क्यों नहीं करती । पिछली बार भी आपने कुछ छूट खांडसारी वालों को एक्साइज ड्यूटी वगैरह में दी थी जिससे कुछ फायदा किसानों को हो सके लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि समय पर नीति में परिवर्तन न होने के कारण किसानों को फायदा नहीं हो रहा है । अगर आपको किसानों की कोई सहायता करनी है, तो समय पर सहायता कीजिए । मेरा जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य क्यों नहीं मिलता और उनको अपनी लागत भी नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों है ? मैं समझता हूं कि इसका एकमात्र दोषी अगर कोई है, तो वह आपका प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग है जो यह तमाम षड़यन्त्र कर रहा है और वह इस लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि जो खेती से पैदा होने वाली वस्तुएं हैं, उनमें महंगाई न बढ़े और वह सोचता है कि किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों को कैसे गिराया जाए । उसका एकमात्र लक्ष्य यही है । औद्योगिक क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं के दाम कितने ही बढ़ जाएं और उनकी लागत के ऊपर उद्योगपतियों को चाहे कितना ही लाभ हो जाए, इस पर वह ध्यान नहीं देता है । वह चाहता है कि उनको ज्यादा लाभ मिल जाए लेकिन किसानों के द्वारा पैदा की जाने वाली वस्तुओं की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है और इसी कारण यह परिणाम हमारे सामने आया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन हमारी गवर्नमेंट की पालीसी, हमारी पार्टी के प्रस्ताव, हमारे मेनीफेस्टों के खिलाफ आचरण कर रहा है । इसको रोका जाना चाहिए । इसको

अगर सरकार ने नहीं रोका और अपनी नीति में सुधार नहीं किया, तो आपका जो लक्ष्य किसानों को फायदा पहुंचाने का है, वह भी पूरा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, किस तरह सरकार के आफिस मे इनके साथ नान कोआप्रेट कर रहे , इनको सहयोग नहीं दे रहे षड़यंत्र रच रहे हैं। मुझे आनन्द डेयरी के संबध में सूचना प्राप्त हुई है और इसके लिए मैंने नोटिस दी है।

क्या यह सत्र है कि कोपेनहेगन में नियुक्त भारतीय राजदूत ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत में कार्य कर रहे एक विदेशी अधिकारी ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा अधिकृत एक बड़ी दूध बेचने वाली मशीन, जो कि दिल्ली में सफलता पूर्वक काम कर रही है, का डिजायन चुराने की कोशिश की थी।

क्या यह भी सच है कि जांच के परिणामस्वरूप एक संयुक्तराष्ट्र संघ आधिकारी को बम्बई में पद से हटा दिया गया और दूसरे अधिकारी वेस्टरडूइन का भी भारत से तबादला कर दिया गया ?

क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि श्री वेस्टरडूइन फिर भारत वापस आए थे और कृषि भवन में उन अधिकारीरियों से मिले जो कि दूध-उत्पादन बढ़ाने की योजना और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे ? यदि हां तो सरकार का कृषि मंत्रालय के ऐसे अधिकारारियों, जो कि मंत्रालय की अपनी योजना को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं के मूल्य में और कृषि क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं के मूल्य में बहुत बड़ा अन्तर चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय जहां 1971 से औद्योगिक क्षेत्र की वस्तुओं के मूल्य 80 प्रतिशत बढ़ गये हैं वहां गेहूं के मूल्य में 1970-71 के 76 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले में मामूली वृद्धि हुई है। उसका मूल्य आजकल 110 या 115 रुपये प्रति क्विंटल है। औद्योगिक वस्तुओं के अनुपात में गेहूं का मूल्य आजकल 140.60 रुपये होना चाहिए। यह डिस्पेरिटी क्यों है ? सरकार को औद्योगिक वस्तुओं और कृषि वस्तुओं के दामों में पेरिटी मेन्टेन करनी चाहिए।

लेकिन आज 110 और 115 रुपये हैं। इसमें पैरिटी कहां है ? यह पैरिटी मेंटेन नहीं हो रही है।

इस समय देहात के लोगों की स्थिति क्या बन गई है, मैं इसके बारे में आंकड़े देना चाहता हूं। कृषि उत्पादन से कुल आय क्या है ? यह 30,621 करोड़ की है और अनुमानिक जन-गणना 125.8 मिलियन है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय 5 रुपये 72 पैसे है। इसकी तुलना में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहरी लोगों की आय की क्या स्थिति है।

जो मजदूर है, वर्कर है पी० एण्ड टी० वर्कशाप, बम्बई में, उसकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय है 13.33। रेलवे वर्कशाप, बम्बई में 15.93, नेशनलाइज्ड बैंक एट बाम्बे में 17,13, पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइज बंगलौर में 24.10 और एनादर पब्लिक सैक्टरप्राइज एट बंगलौर में 22.80 है। इस प्रकार से 24 रुपये तक प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय है और गांव में काम करने

वाले आदमी की आय 5 रुपये प्रतिदिन है। इतनी डिसपैरिटी इस देश में चल रही है, इसे कौन रोकेगा गवर्नमेंट के अलावा ? मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस डिसपैरिटी को रोकने की कोशिश की जाये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे कमीशन के फैसले देरी से होते हैं। आज किसान की फसल, गेहूं कट रहा है। आज तक किसान को पता नहीं है कि सरकार किस प्राइस पर उनका गेहूं खरीदने के लिये तैयार है, सपोर्ट प्राइस क्या है। क्या मुझे श्री भानु प्रताप सिंह और श्री बरनाला जी यह बतायेंगे कि आज तक यह कीमत क्यों नहीं एनाउन्स की गई ? आपकी तमाम चीजों की स्थिति यह है कि आप देरी से करते हैं।

मेरा सुझाव है कि जब किसान फसल बोता है, उस समय आप सपोर्ट प्राइस घोषित कीजिये। किसान को फायदा दिखाई देगा, तो वह बोयेगा, नहीं तो नहीं बोयेगा। लेकिन जब बनिये के लाभ की बात आती है तय आप उस टाइस पर प्राइस शोषित करते हैं, जब कि किसान अपनी फसल बो चूका होता है। आप कम कीमत तय करेंगे तो किसान करेगा ? क्या वह अपनी फसल को समुद्र में फैंक आयेगा ? मेरा कहना यह है कि काश्तकार के लिये इनके यहां कोई योजना नहीं है कि हमारे पास चीनी या गेहूं ज्यादा है, मत बोना। मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री यहां आश्वासन दें कि वह इस पर विचार करेंगे। मुझे पता चला है कि उन्होंने कहा है कि इस सपोर्ट प्राइस तय करेंगे, सेंकिन हमारे यहां यथष्ट भंडार है, हम खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे खतरा है कि यह प्राइवेट बिजनेसमैन को एलाऊ करेंगे कि तुम खरीदो क्योंकि सरकार के पास गेहूं रखने के लिए भंडार नहीं है। इस तरीके से इन्होंने किसान को जंगल में खड़ा कर दिया है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि तुरन्त प्लानिंग कमीशन का रवैय्या चैंज कीजिये और फसल बोने के समय पर ही आप अपनी सपोर्ट प्राइस घोषित कीजिये ताकि किसान सावधान रहे।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने खरीद के केन्द्र कहीं-कहीं ऐसी जगह रखे हैं जहां किसान जा नहीं सकता है और वह बिजनेसमैन को ही बेचने को मजबूर होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि खरीद के केन्द्र ऐसी जगह पर बनाये जहां कि 5-7 मील के फासले पर किसान अपनी पैदावार दे सके।

भंडार की व्यवस्था इनके पास नहीं है, 360 करोड़ रुपया विश्वबैंक से इनको मिला है, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार भंडार क्यों नहीं बना रही है देहातों में ? हर गांव और देहात में भंडार होना चाहिए, लेकिन सरकार भंडार शहरों में बनाने की कोशिश कर रही है। ताकि काश्तकार अपनी फसल को रख सकें। आज वे अपना उत्पादन बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास रखने की ताकत नहीं है। वे किराया देंगे, और जब बाजार अच्छा होगा, तो वे अपने उत्पादन को बेच देंगे।

सरकार ने घोषणा की है कि अमुक अमुक स्थानों पर भडार बनाये जा रहे हैं। हमारे यहां बस्ती और गौंडा में भंडार बन रहे हैं, मगर क्या बहराइच में गेहूं पैदा नहीं होता है ? क्या बहराइच जिला नहीं है ? मेरी कांस्टीट्युएन्सी बहराइए है। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारे यहां भंडार क्यों नहीं बनाया जा रहा है। श्री भानु प्रतापसिंह वहां के रहने वाले हैं, मगर पता नहीं हमारी उपेक्षा कैसे हो गई है।

चौधरी चरणसिंह ने बहुत ही कृपा करके डीजल पर से कुछ ड्यूटी कम कर दी है, लेकिन

हाई स्पीड डीजल की ड्यूटी को कम नहीं किया गया है। उनका कहना है कि हाई स्पीड डीजल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। मगर वह ट्रेक्टरों पम्प सेट्स में भी इस्तेमाल होता है। मेरी चौधरी साहब से बात-चीत हुई और उन्होंने कहा कि पम्प सेट्स में लो स्पीड डीजल इस्तेमाल होता है। इस देश में 25 लाख पम्प सेट्स हैं, जिनके लिए हाई स्पीड डीजल की आवश्यकता होती है। मेरा सुझाव है कि सरकार अमरीका की तरह यहां भी कूपन सिस्टम चलाये। वह काश्तकारों को कूपन दे और उसके माध्यम से उन्हें सबसिडाइज्ड रेट पर हाई स्पीड डीजल देने की व्यवस्था करे।

जब तक निर्यात की व्यवस्था में सुधार नहीं किया जायेगा, तब तक किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। आज किसानों के फायदे के दृष्टिकोण से निर्यात नहीं किया जाता है। हमारे यहां से जो औद्योगिक वस्तुएं बाहर जाती हैं, उनपर तो सरकार सबसिडी देती है, लेकिन जिन खाद्य पदार्थों का निर्यात होता है, उनपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? खाद्य पदार्थों के निर्यात में भी सबसिडी दी जानी चाहिए। सरकार यहां पर सिन्थेटिक फाइबर लाई और उसने कपास को चौपट कर दिया। वह यहां पर इतनी अधिक मात्रा में तेल लाई है कि तिलहन बोने वाले और तेल के व्यापारी तथा मिल-मालिक सब चौपट हो गये हैं। मालूम होता है कि कृषि मंत्री और व्यापार मंत्री में कोई को-आर्डिनेशन नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि काश्तकार अपनी खेती के लिए जिन इनपुट्स का इस्तेमाल करता है, वह उन सब पर से तमाम एक्साइज ड्यूटी माफ करायें, ताकि किसान जो वस्तुयें खरीदता है उनकी और उसकी फसल की कीमत में पैरिटी हो सके।

मंत्री महोदय जानते हैं कि किसानों के पास होल्डिंग्ज बहुत थोड़ी रह गई हैं और इसलिए अब बड़े ट्रेक्टर से काम नहीं चल सकता है। दुर्भाग्य से ट्रेक्टर की कीमत अमरीका में कम है और हिन्दुस्तान में ज्यादा है। यह स्थिति गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी के कारण है, जिसकी वजह से यहां पर ट्रेक्टर की कीमत बड़ी हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकार के हित में उसके इस्तेमाल में आने वाली चीजों पर से एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाये, ताकि हमारे देश में खेती को प्रोत्साहन मिल सके।

श्री वी० अरूणाचलम (तिरूनेलवेली) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री द्वारा सभा में प्रस्तुत की गई कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

खाद्यान्नों का अधिकतम उत्पादन हुआ है और इस संबंध में तनिक भी मतभेद नहीं है। हमारे मेहनती किसानों ने खाद्यान्नों के मामले में अतिरिक्त उत्पादन करके एक नए युग का सूत्रपात किया है। सारा देश उनकी अथक सेवाओं और उनकी अभूतपूव सफलता के लिए उनका ऋणी है। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम ने अन्य देशों से थोड़ा भी अनाज आयात नहीं किया है। कृषि क्षेत्र में हमारे अत्यधिक उत्पादन ने विश्व के विकासशील और समाजवादी देशों को चकित कर दिया है।

अत्याधिक उत्पादन के फलस्वरूप उपभोगताओं को बहुत लाभ हुआ है लेकिन इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप नुकसान केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हुआ है। इस उपलब्धि के परिणामस्वरूप शहरी जीवन में शांति है। इस सफलता के कारण सत्तारूढ़ दल उपचुनावों में अपना स्थान बना

रहा है। सभी संतुष्ट है केवल किसान ही संतुष्ट नहीं जिन्होंने अपने खून पसीने से भूमि को जोता और तपती दुपहरी की गर्मी सही।

यदि हम कृषकों के जीवन स्तर और उनकी अल्प आय की तुलना समाज के अन्य वर्गों के साथ करें तो हमें उनकी शोचनीय दशा के बारे में पता चल जाएगा। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 146.5 मिलियन किसान है उनकी औसतन आय प्रति वर्ष 2090 रुपये है। दूसरे शब्दों में एक किसान की औसतन दैनिक आय 5 रुपये 80 पैसे है जो कि समाज के किसी अन्य वर्ग के मजदूर की न्यूनतम दैनिक मजदूरी से भी कम है।

हम यह दावा करते हैं कि भारत एक बड़ा कृषि देश है। लेकिन यहां किसान का जीवन और उसकी आय राष्ट्र के किसी भी अन्य वर्ग की तुलना में बहुत कम है। सब से चिन्ताजनक बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है 1960-61 में 55.3% से 1973-74 में यह संख्या बढ़ कर 62.9% हो गई और इस वर्ष भी इस संख्या में वृद्धि हो रही है।

यदि हम किसानों के आंकड़ों को देखें निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सख्या 38 प्रतिशत से बढ़ कर 42.8 प्रतिशत हो गई है। बढ़े हुए उत्पादन, सुधरे तरीकों और संख्यागत तरीकों और सुविधाओं के बावजूद भी समुचित विकास नहीं हुआ है यह विकास सामाजिक न्याय से संबद्ध नहीं है।

यदि हम ध्यानपूर्वक कृषकों की निर्धनता का विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि इसका एक मुख्य कारण कृषकों को उनके उत्पाद का लाभप्रद मूल्य न मिलना है। सरकार द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया जाता है उससे उत्पादन लागत तथा अन्य खर्चे ही नहीं पूरे होते।

सरकार द्वारा कृषि पदार्थों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने का तरीका बहुत दोषपूर्ण है। उपभोक्ता के सामर्थ्य को उत्पादन लागत, परिवहन व्यय और कृषकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है।

दक्षिण में बार बार यह मांग की जारही है कि धान और गेहूं का एक सा मूल्य नियत किया जाए लेकिन केन्द्र सरकार धान और गेहूं का एक सा मूल्य निर्धारित करने के लिए तैयार नहीं। अभी भी देश को झूठे कारण दिए जा रहे हैं और अभी भी वह समानता के सिद्धान्त को लागू करने के लिए तैयार नहीं। मैं संभा को यह बताना चाहता हूं कि विश्व के किसी भी चावल उत्पादक देश की तुलना में भारत में चावल की कीमत बहुत कम है। यदि हम वर्ष 1970-71 को आधार वर्ष माने तो 1976-77 में इंडोनेशिया में चावल की कीमत 173 दक्षिण कोरिया में 183 फिलिपाइंस में 187 थाइलैंड में 218 श्री लंका में 237 और भारत में 117 थी। हम सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की बिक्री का स्वागत करते हैं पर ऐसा किसानों को नुकसान पहुंचा कर नहीं करना चाहिए।

वातानुकूलित संग्रहण सुविधाओं और सरकारी निकाय सुविधाओं के अभाव के कारण आलू, प्याज, गाजर जैसी सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। सब्जियों की कीमतों से छोटे किसानों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

गन्ना उत्पादकों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। चीनी मिलें रूग्ण एकक बन रही है और किसानों को वह उचित मूल्य देने में समर्थ नहीं। सरकार ने चीनी पर से कंट्रोल तो हटा दिया

है लेकिन वह गन्ना उत्पादकों के हितों को सुरक्षित रखने में असफल रही है। अब अधिकांश चीनी मिलें घाटे पर चल रही हैं जब तक सरकार घाटे को रोकने के लिए समुचित कदम नहीं उठाती। इसके बहुत गंभीर परिणाम निकलेंगे और उत्पादन में कमी होगी। चीनी मिलों की सहायता करना सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन सब से दुख की बात यह है कि रूग्ण एककों की सहायता करने में भी सरकार भेद भाव की नीति अपना रही है। कहा गया है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश रूग्ण मिलों को 20 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार के बार बार मांग करने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु की चीनी मिलों को 10 करोड़ रुपये का ऋण देने से इंकार कर दिया है। हमें सरकार की यह नीति समझ में नहीं आई।

सभी लोग कृषि उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता को समझते हैं लेकिन इसे क्रियान्वित करने में सरकार उदासीन है।

मंत्री महोदय अपनी नीति के पक्ष में यह कह सकते हैं कि भूतपूर्व सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य की तुलना में उनकी सरकार ने अपेक्षाकृत अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। यहां मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि हालांकि गत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य बहुत कम था फिर भी उन दिनों खुले बाजार भाव लाभकारी थे। लेकिन उत्पादन वृद्धि के कारण खुले बाजार भाव समर्थन सूल्य से भी कम है। इसलिए किसानों को विवश हो कर सरकार की गलत नीति का विरोध करना पड़ता है। यह इस सरकार का सौभाग्य है कि अधिकांश किसान बिखरे हुए हैं और वह सब से कम संगठित हैं और एक बार उनमें चेतना आ गई और वह संगठित हो गए तो सारे देश में हलचल मच जाएगी।

सभा इस बात में मुझ से सहमत होगी कि कृषि उत्पादों का निर्यात मूल्यों में अत्याधिक कमी और उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। चावल, तिलहन, मूंगफली और कपास के उत्पादन में क्रमशः 14.2 प्रतिशत 15.4 प्रतिशत और 21.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है लेकिन निर्यात में तदनुरूप वृद्धि नहीं हुई है और इससे भी चिन्ताजनक बात यह है कि सरकार ने निर्यात की मात्रा में कमी कर दी है। वर्ष 1976-77 में महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के निर्यात से 1,144 करोड़ रुपये की आय हुई लेकिन वर्ष 1977-78 में बढ़े हुए उत्पादन के बावजूद भी निर्यात से केवल 826 करोड़ रुपये की आय हुई। सरकार की प्रतिबंधित निर्यात नीति से न केवल निर्यात आय में कमी आ गई है। बल्कि खुले बाजार भाव में भी गिरावट ला दी है जिससे किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

इस सरकार की अनुचित नीति के कारण, कुछ राज्य के किसान लोग राज्य सरकारों के खिलाफ संघर्ष के लिए सड़कों पर निकल पड़े हैं। केन्द्र की गलत नीतियों के कारण राज्य सरकारों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। तमिलनाडु में कुछ किसानों ने सहकारी समितियों के ऋणों को देने से इंकार कर दिया है। उन्होंने बिजली के बिल देने से इंकार कर दिया है। तमिलनाडु में किसान नेताओं ने कर न देने का आन्दोलन चलाया है। आर्थिक असंतोष का यह ज्वालामुखी अभी फूटने वाला है। सरकार की गलत नीतियों का नतीजा राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है।

इससे पहले कि मैं अपने भाषण को समाप्त करूं मैं इस सरकार को महात्मा गांधी के सिद्धान्त की याद दिलाना चाहता हूं "जहां कृषि लाभप्रद नहीं वहां जीवन भी सुखी नहीं हो

सकता" मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस सूक्ति का अनादर करने वालों में शामिल न हों। यदि सरकार इस सिद्धान्त की महत्ता को समझने में असफल रहती है और किसानों के हितों के विरुद्ध काम करती है तो मैं आपको बता दूं इसके परिणाम गंभीर और भविष्य के लिए विनाशकारी होंगे।

प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना (महाराजगंज) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सन 1930 से चीनी के उद्योग से, उनके मजदूरों की समस्याओं से और किसानों से सम्बन्धित हूं। उत्तर प्रदेश में सन 1937 में 73 चीनी की मिलें थीं और आज 80 हैं। सारे देश की चीनी मिलों की तीन चौथाई पहले उत्तर प्रदेश में थीं और अब एक चौथाई रह गई है। यही हाल बिहार का भी है। बिहार में 37 चीनी मिलें थीं और अब करीब उतनी ही हैं जब कि सारे देश में चीनी मिलों की संख्या बढ़कर 300 के करीब हो गई है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, करीब-करीब पूरे उत्तर भारत में चीनी मिलों के साथ अन्याय किया गया है।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए एक शुगर-केन-रिसर्च सेन्टर कोयम्बटूर में 1950 में बनाया गया था, वही एक सेन्टर है जो गन्ने में रिसर्च करता है और स्पेशलाइज्ड तरीके से गन्ना पैदा करता है। उत्तर भारत में ऐसा कोई सेन्टर नहीं बनाया गया। करीब तीन चार साल हुए देवरिया में एक रिसर्च स्टेशन बनाने की कोशिश की गई, उसके लिए वायदा किया गया, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चार साल गुजर गये उस रिसर्च स्टेशन को बनाने में कोई प्रगति नहीं हुई है, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं—कि उत्तर भारत में जहां आज भी सारे हिन्दुस्तान की आधी चीनी पैदा होती है, जब कि पहले तीन चौथाई होती थी, वहां पर शुगर-केन-रिसर्च-स्टेशन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया। देवरिया के रिसर्च स्टेशन को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाय।

पिछले 50 सालों में उत्तर भारत में गन्ने से चीनी की रिकवरी बजाय बढ़ने के घटी है। सन 1937 में यह रिकवरी 10% थी, लेकिन अब 9% रह गई है। जबकि दक्षिण में यह 11 परसेंट से बढ़कर 13% हो गई है। यह ठीक है कि अभी भी बहुत से खेतों में, बहुत से फार्मों में रिकवरी 13% आती है, लेकिन उधर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है—रिकवरी को बढ़ाने की तरफ कोई प्रयास नहीं होता है। ये सब ऐसे काम हैं जिनसे पैदावार बढ़ सकती है और किसानों को भी फायदा हो सकता है, साथ ही कन्ज्यूमर को भी लाभ पहुंच सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं—यदि इस तरफ शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो उत्तर भारत के किसानों और वहां की चीनी मिलों की हालत और ज्यादा खराब हो जायगी।

प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना (जारी) : कुछ दिन हुए गवर्नमेंट की तरफ से एक नारा दिया गया था, शायद 1970 में दिया गया था कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा, 1979 आ गया, लगभग 10 साल हो गये, न उनका राष्ट्रीयकरण हुआ और न ही यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा। जब से सरकार की तरफ से राष्ट्रीयकरण की पालिसी का ऐलान किया गया है, प्राइवेट चीनी मिल वालों ने अपनी मिलों में इंवेस्टमेंट करना बन्द कर दिया, नतीजा यह हुआ कि वे बिलकुल जंक बन गई हैं। वहां चीनी पैदा करने में रिकवरी कम आती है और पैदावार भी कम होती है। मैं चाहता हूं कि सरकार साफ-साफ कहे—कि हम नेशनलाइज करेंगे और साथ ही उनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाय, अन्यथा साफ-साफ ऐलान कर दिया जाय कि हम नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। अगर मामले को फाइनलाइज कर दिया जाय और

ऐलान कर दिया जाय कि नेशनलाइजेशन नहीं होगा तो बहुत से मिल वाले उनमें इंवेस्टमेंट करके उन मिलों को सुधार सकेंगे, इससे किसानों को भी फायदा होगा और मजदूरों को भी फायदा होगा।

चीनी के साथ-साथ खण्डसारी का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। खण्डसारी विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इण्डस्ट्री है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी है। वह वीविंग-काटेज-इण्डस्ट्री के बाद देश की सब से बड़ी काटेज इंडस्ट्री है, लेकिन हालत बहुत खराब है।

महात्मा जी ने कहा था कि जो खांडसारी है, वह खानी चाहिए और शुगर जो है वह पायजन है लेकिन खांडसारी के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाए और खांडसारी पर से टैक्सों को हटा लेना चाहिए और उसको संरक्षण देना चाहिए।

गेहूं और चावल हमारे देश की मुख्य पैदावार है। अब तो हमारे देश में ऐसे बीज पैदा कर लिये गये हैं जिन से 50, 60 और 70 मन तक खेतों के अन्दर पैदावार कर सकते हैं। इन बीजों को निकले हुए कई साल हो गये हैं लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज एवरज ईल्ड धान की जो है, वह बहुत कम है। यह बेजा बात है। यह बहुत आवश्यक है कि जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज सीड्स की हैं उनको तेजी के साथ हम फैलाएं, जिससे सारे हिन्दुस्तान के अन्दर पैदावार बढ़े और गांवों के किसानों को फायदा हो।

हम सब लोग परेशान हैं कि विनोबाजी अनशन करने जा रहे हैं गौ-रक्षा के लिए। हमारे देश में यद्यपि सबसे बड़ी संख्या गायों की और केट्ल की है लेकिन उनकी हालत बहुत दर्दनाक है। डेयरी इम्प्रूवमैंट, केट्ल इम्प्रूवमेंट कोई नहीं हुआ है। हमारे देश में जहां गायों की पूजा होती है, वहां पर यह हालत हो, मैं समझता हूं कि यह बडी दर्दनाक बात है। इसके ऊपर सब से ज्यादा खर्च होना चाहिए। केट्ल रिसर्च होना चाहिए और गायों के लिए पास्चर लैंड होने चाहिए और उनके सुधारने का काम होना चाहिए और उनके लिए अच्छे फोडर का भी इन्तजाम होना चाहिए। आज तो हम यह देखते हैं कि पास्चर लैंड नहीं रह गये हैं और सारे के सारे पास्चर खत्म कर दिये गये हैं और वहां पर किसान खेती करते हैं। ऐसा कोई इन्तजाम नहीं है कि पास्चर लैंड हों। मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार ऐसा कानून बनाए कि गांवों के अंदर सरकार की ओर से कुछ लैंड पास्चर के लिए छोड़ी जाए जिससे मवेशी वहां पर चर सकें।

अब तो जहां देखो, वहां चाय ही पीने को मिलती है। आप कहीं चले जाएं, आपको चाय मिलेगी और दूध नहीं मिलेगा। मैं चाय नहीं पीता और दूध मिलता नहीं है। इस देश में जहां गाय की पूजा हो, वहां दूध न मिले, यह बहुत ही शर्म की बात है। एक तो गाय हैं नहीं और जो हैं भी, तो उनसे ज्यादा दूध नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चों को दूध मिल सके और इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए कि हमारे जो 11, 12, 13 और 14 साल के बच्चे हैं, उनको कुछ दूध तो कम से कम पीने को मिल सके। इसके लिए सरकार की ओर से प्रबंध किया जाए। तभी यह सम्भव है कि गायों की देखभाल की जा सके। उनके चरने के लिए पास्चर लैंड छोड़ी जानी चाहिए।

हमारे यहां लकड़ी ज्यादा नहीं है। गन्ना तो फिर भी 12 रुपये क्विंटल मिल जाता है लेकिन लकड़ी 16 रुपये और 20 रुपये क्विंटल मिलती है। यह बड़े अफसोस की बात है। हमारे

यहां फौरेस्ट की इतनी कमी है लेकिन फिर भी उनको बुरी तरह से काटा जा रहा है जिसकी वजह से लकड़ी का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं चाहता हूं कि फौरेस्ट्स के बारे में एक नीति निर्धारित की जाए जिससे लकड़ी का सवाल हल हो सके। फौरेस्ट्स के काटने से और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बाढ़ इसी का एक भयंकर परिणाम है, जिस से देश को बहुत नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि फोरेस्ट की तरफ विशेष ध्यान दिया जावे।

देहरादून में हमारी एक फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट संस्था है। यह एक बहुत बड़ी संस्था है। इस संस्था पर विशेष ध्यान देकर इसका महत्व और भी बढ़ाया जाए और इसे पूरी दुनिया की एक बेहतर संस्था बनाया जाए। इसने अब तक बहुत ही शानदार काम किया है।

हमारे देश में गल्ले का काफी भंडार है। इसकी मुझे प्रसन्नता है। लेकिन हमारे यहां कितना गल्ले का नुकसान होता है? हमारे यहां स्टोरेज का पूरा इंतजाम नहीं है। मैं जब पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी का मेम्बर था तो कमेटी ने एफ० सी० आई० की पूरी जांच की थी; उस जांच की वजह से पता चला कि गल्ले का कितना नुकसान इस संस्था के द्वारा होता है। गल्ले का स्टोरेज में नुकसान होता है, वर्षा में नुकसान होता है। गल्ला भीग कर सड़ जाता है। यह हालत एफ० सी० आई० में है। इसलिए एफ० सी० आई० की तरफ विशेष ध्यान दिया जावे और जो नुकसान उसके द्वारा होता है उसको रोका जावे।

एग्रीकल्चर इस देश का सब से बड़ा व्यवसाय है लेकिन इसकी रिसर्च पर जितना खर्च होना चाहिए उतना खर्च नहीं होता है। हम आई सी० ए० आर० पर तो कुछ रुपया खर्च करते हैं लेकिन इसके मुकाबले में दूसरे क्षेत्रों की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पर हम बहुत ज्यादा रुपया खर्च करते हैं। एग्रीकल्चर की रिसर्च में हम बहुत कम रुपया खर्च करते हैं। मैं तीन डिग्री कालेज चला रहा हूं और मैंने उनमें एग्रीकल्चर विषय को पढ़ाने के लिये यूनिवर्सिटी को एप्लाई किया था कि इन कालेजों को सम्बद्धता दी जावे लेकिन फण्ड की कमी की वजह से इस बात की परमीशन नहीं दी गयी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एग्रीकल्चर में रिसर्च के लिए और इसे कालेजों में पढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार राज्यों को ज्यादा रुपया दे जिससे कि इसकी और अधिक पढ़ाई हो सके। हमारे देश के लिए एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है इसलिए इसके बारे में पूरा ध्यान दिया जावे।

फ्लड हमारे लिये एक अभिशाप है। हमने अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनायी जिनसे कि इनको रोका जा सके। हमारे यहां सभी नदियां नेपाल से निकल कर आती हैं और नेपाल सरकार हमारे साथ दुश्मनी का बर्ताव कर रही है। 1955 में राप्ती नदी के कंट्रोल के लिए जलकुण्डी परियोजना बनी थी लेकिन नेपाल सरकार से अब तक इसके बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका है। इसी तरह से करनाली प्रोजेक्ट पर भी अब तक कुछ नहीं किया गया है। इनको 25 साल बीत गये हैं। बाढ़ों से हमारे यहां बड़ी क्षति होती है। सरकार इन पर विशेष ध्यान देवे और नेपाल से मांग की जावे कि वह इस बारे में सहयोग करे।

इन शब्दों के साथ में इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : सभापति महोदय कृषि उत्पाद के संबंध में मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन की स्थिति बहुत संतोषजनक है। यह दावा किया गया है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में एक नया रिकार्ड कायम हुआ है। खाद्यान्नों और वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हमारे देश की कृषि की केवल यही स्थिति नहीं है। तस्वीर

का दूसरा पहलू यह है कि कृषि क्षेत्र में गंभीर असंतुलनताएं पैदा हो गई हैं। इन असंतुलनों को दूर करने के लिए यदि तुरंत उपाय नहीं किए गए तो इन आवश्यक वस्तुओं की गंभीर कमी पैदा हो जाएगी इससे लोगों को विशेष खेतिहरों के कमजोर वर्गों छोटे तथा सीमांत किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

वाणिज्यिक फसलों विशेषकर कपास और तिलहन के उत्पादन में कमी हुई है जिनका कि हमारे देश की वाणिज्यिक फसलों में प्रमुख स्थान है. अनाज के उत्पादन में हाल ही में जो वृद्धि हुई है वह अधिकांशतः वाणिज्यिक फसलों की कीमत पर गई । वाणिज्यिक फसलों की अधिकाधिक भूमि अनाज फसलों में लगा दी गई इसके फलस्वरूप वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन की विकास दर को यद्यपि दरकरार रखा जा सका है, तो भी कुल कृषि उत्पादन की विकास दर गिर गई है। 1949-50 से 1964-65 तक जबकि उत्पादन देर 3.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी, अधिक उपज वाली किस्मों के अविष्कार तथा बाणिज्यिक फसलों की भूमि पर अनाज की फसलें उगाने के कारण विकास दर 1964-65 से 1970-71 में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष कम हो गई है और वर्ष 1976-77 के दौरान यह 2.1 प्रतिशत गिरी है।

अनाज की फसलों और वाणिज्यिक फसलों में असंतुलन के अतिरिक्त खाद्यान्नों में दालों में महत्वपूर्ण कमी हुई है। वाणिज्यिक फसलों की भांति लाभप्रद अनाज फसलें जैसे गेहूं इत्यादि उस भूमि पर भी उगाई जा रही है जहां कि पहले दालें उगाई जाती थीं। गेहूं जैसे बेहतर अनाज के उत्पादन की विकास दर और ज्वार, बाजरा, राजी जैसे निम्नकोटि के अनाजों के उत्पादन की विकास दर में असंतुलन पैदा हो गया उदाहरण के लिए 1960-61 से 1972-73 तक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि 13.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष हुई और बाजरा में केवल 3.44 और ज्वार के उत्पादन में मात्र 0.88 प्रतिशत वृद्धि हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्वार, बाजरा तथा राजी जैसे निम्न स्तर के अनाज का उत्पादन अधिकांशतः छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा किया जाता है और वह भी देश के अर्द्ध शुष्क भाग में जहां कि सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल न के बराबर है।

बेहतर अनाजों में भी गेहूं के उत्पादन की विकास की दर और चावल के उत्पादन की विकास की दर में असंतुलन सामने आया है। 1960-61 से चावल के उत्पादन में 2.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जब कि गेहूं के उत्पादन में 13.54 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यदि आप खेती के अन्य पहलु की ओर देखे तो पता चलेगा के चावल के अंतर्गत आने वाले केवल एक तिहाई क्षेत्र में ही सिंचाई की सुविधाएं जब कि गेहूं के लगभग तीन चौथाई क्षेत्र अर्थात 60 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है।

चूंकि चावल की खेती में एक विशिष्ट जल स्तर की आवश्यकता होती है इसलिए चावल की खेती को सूखे या बाढ़ के कारण भय बना रहता है। 2 करोड़ 30 लाख हैक्टेयर भूमि जिसमें चावल का उत्पादन होता है और जहां सिंचाई की सुविधाएं बहुत कम हैं कृषि उत्पादन का एक बहुत नाजुक क्षेत्र है।

यदि आप विकास के भौगोलिक वितरण पर दृष्टिपात करें तो आपको पता लगेगा कि विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित है सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि गेहूं प्रधान क्षेत्र तो आगे बढ़ रहा है और जिन क्षेत्रों में चावल तथा निम्न स्तर के अनाजों का बाहुल्य है वह पिछड़ रहा है।

स्वयं गेहूं उत्पादन क्षेत्र में भी असंतुलन है। पंजाब में एक एकड़ में औसतन 2,201

किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ है जबकि उत्तर प्रदेश में 993 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर उत्पादन हुआ। यदि आप चावल उत्पादन क्षेत्र को देखें तो पूरे देश के चावल उत्पादक क्षेत्र का 1/6 हिस्सा तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में है। चावल के कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत चावल इन दोनों प्रदेशों में पैदा किया जाता है।

दूसरी ओर पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग चावल उत्पादक क्षेत्र में आते हैं। इनके अंतर्गत 60 प्रतिशत चावल उत्पादन क्षेत्र है लेकिन चावल के उत्पादन में हुई वृद्धि में इनका योगदान नाम मात्र का है।

यदि आप सिंचाई पर ध्यान दें तो इस प्रकार की असंतुलनताएं देखने को मिलेगी। कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश इत्यादि में कुल क्षेत्र का दो तिहाई भाग नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है। किन्तु दूसरी ओर देश के केन्द्रीय भाग में कृषि भूमि के 44% भाग के लिए नहर प्रणाली सुविधा उपलब्ध नहीं है। जबकि पंजाब में 61 प्रतिशत जोतें पूरी तरह सिंचित हैं और मध्य प्रदेश में केवल 4 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में केवल 3 प्रतिशत जोतों के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

हमारे कृषि उत्पादन में इस तरह की विषमताएं हैं। अतः सरकार को इन विषमताओं की ओर ध्यान देना है और जैसा कि मैंने प्रारम्भ में बताया है, जब तक प्रभावी कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक ये विषमताएं अधिकाधिक समस्याएं पैदा करेंगी।

सरकार ने खाद्यानों के अधिक उत्पादन का दावा किया है। किन्तु यह बढ़ा हुआ उत्पादन किसके लाभार्थ है? इस बढ़े हुए उत्पादन से लाभान्वित कौन हो रहा है? केवल चंद धनी लोग, कुछ बड़े-बड़े जमीदार बड़े-बड़े व्यापारी तथा सटटेबाज ही लाभ उठा रहे हैं। काम करने वाले किसानों, छोटे तथा सीमान्त किसानों को इस बढ़े हुए उत्पादन का कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है।

कुछ ही दिन पूर्व माननीय प्रधान मंत्री कह रहे थे लाभप्रद मूल्य का विषय हमेशा ही विवादास्पद मामला रहा है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सका कि लाभप्रद मूल्य क्या होना चाहिए। मैं अब यह पूछना चाहता हूं कि क्या किसानों को समर्थन मूल्य या वसूली मूल्य भी मिल रहा है। क्या यह सही नहीं है कि फसल काटने के बाद बड़ी संख्या में किसानों को बहुत कम मूल्य पर अपना अनाज बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे मूल्यों के बढ़ने तक उस अनाज को अपने पास नहीं रख सकते। उन्हें अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फसलें तत्काल बेचनी पड़ती हैं, इसलिए आज हो यह रहा है कि हमारे देश में किसानों का दो ढंग से शोषण होता है। एक तो उन्हें अपना अनाज बहुत कम मूल्य पर बेचना पड़ता है, दूसरे खाद्यानों के मूल्य तो घट रहे हैं, किन्तु औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसानों का दो तरीकों से शोषण हो रहा है—उत्पादन के रूप में भी और उपभोक्ता के रूप में भी। जब तक इस स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक इस देश के किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

एक उदाहरण चीनी के मूल्य के बारे में दिया जा सकता है। चीनी के मूल्य में हाल ही में वृद्धि हुई है और इसका मूल्य 2 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 3 रुपये से भी अधिक प्रति किलो हो गया है। इसका कारण यह है कि चीनी मिलों से चीनी की अपर्याप्त मात्रा बाजार में आई है।

इन चीनी मिलों ने एक संचालन समिति का गठन किया है। यह संचालन समिति ही यह निर्णय लेती है कि चीनी मिलों से चीनी की कितनी मात्रा बाजार में भेजनी है और अप्रैल माह में उन्होंने जानबूझ कर कमी पैदा करने के लिए चीनी की कम मात्रा बाजार में भेजी है जिसके कारण चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई। यह संचालन समिति के ऐसा करने के कारण हुआ है। ऐसी स्थिति में यह सरकार क्या कर रही है? मैं कह दूं कि इसके लिए यही सरकार जिम्मेदार है। वे यहां अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते क्योंकि इस समिति में गैर सरकारी चीनी मिलों के ही प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि सहकारी चीनी मिलों तथा राज्य क्षेत्र की चीनी मिलों के प्रतिनिधि भी होते हैं।

मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूं और वह ग्रामीण विकास के बारे में है। हमारे ग्रामीण विकास में एक त्रुटि यह है कि यह सरकार कृषि सम्बन्धों में बिना किसी ढांचीय परिवर्तन के ग्रामीण विकास करने का प्रयास कर रही है। भूमि के संकेन्द्रण को तोड़े बिना भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किये बिना और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के क्षेत्र में शोषण को समाप्त किए बिना मैं नहीं समझता कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है।

दूसरा दोष यह है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के काम में वास्तविक रूप से लाभ प्राप्तकर्ताओं जैसे कमजोर वर्गों के लोगों, खेतिहर मजदूरों तथा छोटे किसानों आदि को भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाता, अतः मेरा निवेदन है कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के मामले में वास्तविक रूप से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को भाग लेने का अवसर दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: श्री गणनाथ प्रधान यहां नहीं हैं। श्री इकबाल सिंह ढिल्लो।

श्री इकबाल सिंह ढिल्लों (जालन्धर) : मैं कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

यद्यपि हमारा खाद्यानों का उत्पादन 120 मिलियन टन के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक बढ़ गया है और प्याज आलू, पटसन, कपास आदि जैसी वाणिज्यिक वस्तुओं का भी काफी उत्पादन किया है, फिर भी मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उत्पादन में हुई इस वृद्धि का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है? गन्ना खेतों में पड़ा हुआ है और दो दिन पूर्व एक समाचार निकला कि पंजाब में नवा शहर सहकारी चीनी मिलें तथा जगजीत चीनी मिलें, फगवाड़ा ने गन्ना खरीदने से इन्कार कर दिया है क्योंकि वे कहते हैं कि यह किण्वित चरण पर है। किसानों की क्या दशा होगी? जरा आप ही सोचिये। वे अपना गन्ना बेचने की प्रतीक्षा में हैं और वे दो दिनों तक पंक्ति में खड़े रहे। तापमान बहुत अधिक है जिसके कारण गन्ने का किण्वन हो रहा है और मिलें गन्ना खरीदने से इन्कार कर रही हैं। गतवर्ष उत्तर प्रदेश के बड़े भाग में गन्ने की फसल नहीं काटी गई और कुछ निराश किसानों ने तो अपने गन्ने की फसल जला ही दी और ऐसी ही स्थिति इस वर्ष भी चल रही है।

आज आलूओं की भी ऐसी स्थिति है। हम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं को चीजें समुचित

मूल्यों पर उपलब्ध करें और किसानों को भी उनकी फसल के लिए लाभप्रद मूल्य मिले। हम गर्व करते हैं कि हमारा आलू का उत्पादन 7 मिलियन टन से बढ़कर 9 मिलियन टन हो गया है। यदि आप पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां लोग खेतों से अपने आलू नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उन्हें खेतों से निकालने की लागत उनसे प्राप्त होने वाले मूल्य से कहीं अधिक है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में हम सुन रहे हैं कि सभी शीत भंडारागार भर चुके हैं और बाजार में उनका कोई खरीददार नहीं है क्योंकि आलू का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। यहां तक कि उनको रखने के लिए बोरियां भी उपलब्ध नहीं हैं। बोरी की कीमत 5 रुपये है और आलू 8-10 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। इस तरह आलू उत्पादकों की दयनीय दशा है।

अत: मैं कहूंगा कि सरकार आलू के लिए ही नहीं बल्कि तम्बाकू गन्ना, खाद्यानों तथा सब्जियों के लिए समर्थन मूल्य देने में बुरी तरह असफल रही है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए और इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें देश में बाजारों का आधुनिकीकरण करना चाहिए। बाजारों के आधुनिकीकरण से खाद्यानों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण हो सकेगा और उन्हें भलीभांति सुखी कर रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उन्हें नमी आदि से भी बचाकर रखा जा सकेगा। खाद्यानों आदि के लाने-लेजाने पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए बाजारों को निकट ही भंडारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस समय हमें सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि बाजारों का आधुनिकीकरण किया जाये और उनमें भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध किया जाये। केवल तभी क्रेयता, चाहे वह भारतीय खाद्य निगम हो या राज्य अभिकरण हों अथवा सहकारी अभिकरण हों, अच्छे स्तर तथा वर्गीकृत व वस्तुएं खरीद सकेंगे। सड़ने गलने वाली वस्तुओं को सड़ने-गलने से बचाने के लिए उपाय किये जाने चाहिए। आलू, प्याज, फल आदि सड़ने वाली वस्तुओं के लिए विवणान की व्यवस्था करनी नितांत आवश्यक है। जब तक आलू आदि के लिए विपणन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। मैं कृषि मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने डेरा में एक आलू बोर्ड स्थापित करने पर विचार नहीं किया है क्योंकि देश में आलू का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। इस बोर्ड को विकास कार्यों के लिए अनुसंधान कार्य करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। यह आलू की आंतरिक खपत पर विचार करेगा और साथ ही यह भी देखेगा कि कितना फालतू आलू का निर्यात किया जा सकता है और किस रूप में इसका निर्यात किया जाये। मूल रूप में या किसी अन्य रूप में। आलू के लिए कई प्रकार के प्रक्रम सयंत्र हैं। इस समय निम्नलिखित कदम उठाये जा सकते हैं।

(एक) फालतू उत्पादन को खरीद कर उसे सुखा दिया जाये। फिर इसे साधरण भंडारगार में रखा जा सकता है। चाट कट (छोटी टयूब) तथा ग्रीन टयूबों को पशुओं के चारे के लिए तथा मिरोविथल प्रोटीनों के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

(दो) आलू की फसल के बाद अर्थात मई के बाद सुखाये गए आलुओं को वाणिज्यिक वस्तुओं जैसे ग्रैनल्स, आटा आदि में बदला जा सकता है।

(तीन) उपभोग चरण आटे का उपयोग बेकरी, कार्न फ्लैक्स, साबुदाना, खीर आदि के लिए किया जा सकता है।

दुरला रीजनल आलू फार्म (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय भंडारागार निगम ने आलू रखने के लिए एक कंट्री स्टोर का निर्माण किया है और वे वहां आलू दो महीनों के लिए रखते हैं। दो महीने वहां आलू रखने का प्रभार एक रुपये से दो रुपये तक है। कमी वाले समय में, जब भडार में स्टाक बहुत कम रह जाता है, इन दो-तीन महीनों में इस कंट्री स्टोर का उपयोग सही ढंग से करना चाहिए और फिर इन कमी वाले दो महीनों में हम आलू की मांग को पूरा कर सकते हैं। जुलाई से अक्तूबर-नवम्बर तक आलू की मांग पूरी करने के लिए हमें रेफ्रिजिरेटिड शीत-भंडार प्रणाली अपनानी चाहिए। आजकल प्रशीतन प्रणाली बहुत अधिक खर्चीली है। राज्य सरकारों शीत भंडारण दरों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया है। पंजाब में उन्होंने 11.50 रुपये प्रति बोरी, हरियाणा में 10.50 रुपये प्रति बोरी निर्धारित किया है। दिल्ली में यह 20 रुपये प्रति बोरी है। मुझे यह भी पता चला है कि पश्चिम बंगाल में ये दरें 18-20 रुपये से अधिक हैं। महाराष्ट्र में यह दर 20 रुपये है। कुछ राज्यों ने इस दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनकी हम सराहना करते हैं। किन्तु क्या कभी हमने शीत भंडारों को चलाने के बारे में सोचा है? इसकी कितनी लागत है? श्रीमान मुझे इस बारे में अनुभव है क्योंकि पिछले 20 वर्षों से मैं शीत भंडार चला रहा हूं। मुझे पता है कि इस पर बिजली की कितनी लागत आती है और श्रम लागत कितनी आती है। मुझे इसमें लगने वाली सामग्री, मशीनरी, इस्पात, इमारती लकड़ी आदि की लागत का पता है। पिछले दो वर्षों में इन सब चीजों की कीमत लगभग दुगुनी हो गई है। चूंकि मुझे इस बारे में व्यवहारिक ज्ञान है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक बोरी के 10 या 11 रुपये लेने से शीत भंडारों के मालिक अच्छा पैसा नहीं कमा सकते। इससे उनको पर्याप्त मुनाफा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि हम खाद्यान्नों कृषि वस्तुओं तथा सब्जियों का उत्पादन बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि अधिक दूध का उत्पादन करने की दूसरी योजना, जो कि पांच वर्षों की है, पूरी हो। मैं चाहता हूं कि दूध का उत्पादन 27 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाये। किन्तु क्या कभी हमने यह भी सोचा है कि यह योजना कार्यान्वित कैसे की जाये? सर्व प्रथम मैं दूध की बात को लेता हूं। इस समय गाय का दूध सस्ता बिक रहा है और हम विदेशों से शुष्क स्प्रेटा दूध का आयात करते हैं। यदि हम इस तरह के दूध का आयात करते रहें तो क्या हम किसानों को गायें आदि रखने के लिए प्रोत्साहित कर पायेंगे? ऐसे में हम देशी नस्ल की गायों में सुधार कर पायेंगे? मुझे संदेह है कि यदि हम शुष्क स्प्रेटा दूध का आयात करते रहें और भैंस के दूध को अधिक कीमत पर बेचते रहे तो हम अपनी गायों की नस्ल नहीं सुधार पायेंगे। इस नीति से काम नहीं चलेगा। हमें अधिक दूध देने वाली गायों के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। हमें किसानों को अधिक सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। किन्तु ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जबकि एक राष्ट्रीय बागवानी तथा सब्जी प्रक्रम निगम की स्थापना की जाये जिसे उत्तरा भारत, पूर्वोतर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में फलों के कुल उत्पादन का पता लगाना चाहिए और बगीचों, फलों तथा सब्जियों आदि का पूरा हिसाब रखना चाहिए। यदि फलों का अधिक उत्पादन होता है तो उसे सुखा कर उसका निर्यात कर देना चाहिए। हमें आयात करने वाले देशों की रूचि को भी जानना चाहिए। इस वर्ष आलुओं का अधिक उत्पादन हुआ है इसलिए हमने निर्यात की अनुमति दे दी है। अगले वर्ष किसान निराश हो जायेंगे और फलस्वरूप उत्पादन कम होगा और फिर हम निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देंगे। गत वर्ष के अंत में 1 मिलियन टन आलू शीत भंडार

में पड़े हुए थे जिनको उपभोग में नहीं लाया जा सका और वे उत्तरी भारत से बंगाल, बंगाल से महाराष्ट्र ले जाए गए और अंत में महाराष्ट्र से समुद्र में फेंक दिए गए किन्तु हमने आलुओं और प्याज के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाये रखा। तो क्या हम अपने उत्पादन का समुचित उपभोग कर रहे हैं ? यद्यपि आपकी सकल राष्ट्रीय आय 48,000 करोड़ से भी अधिक हो गई है और इसमें से 47 प्रतिशत आय कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती है फिर भी मुझे संदेह है कि किसानों की वास्तविक आय नहीं बढ़ी है।

मैं आपको पंजाब का एक उदाहरण देता हूं। श्रीमान 8-10 वर्ष पूर्व हमारे देश में कपास की 12 लाख गाँठों का उत्पादन होता था। अब 22 लाख गाँठों का उत्पादन हो रहा है। उस समय किसानों की आय आज की तुलना में अधिक थी, जबकि आज हम कपास की 22 लाख गांठों का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के लिए मेरे विचार से समर्थन मूल्य निर्धारित करने में प्रशासन तथा सरकारी तंत्र से परामर्श नहीं किया जाना चाहिए। संसद तथा विधान मंडलों को ही अकेले यह काम करना चाहिए। यह समर्थन मूल्य वास्तविक उत्पादकों से परामर्श कर के निर्धारित किया जाना चाहिए। आप विश्व विद्यालयों से व्यक्ति ले सकते हैं जिन्होंने विस्तार कार्य किया है जो कि प्रयोगशालाओं से लेकर फील्ड परियोजनाओं तक काम कर रहे हैं। श्रीमान केवल तभी किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सकता है और इस तरह से हम किसानों की सहायता कर सकते हैं।

अब मैं कृषि उपकरणों पर कर ढांचे के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। उर्वरकों पर उत्पाद शुल्क घटाने की जो घोषणा की गई है, उसका स्वागत है। किन्तु श्रीमान कृषि मशीनों, ईंधन, कीटनाशी दवाओं आदि पर तो उत्पादन शुल्क उतना ही रखा हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या हम वास्तविक रूप से कृषि वस्तुओं के मूल्य कम करना चाहते हैं ? या क्या हम औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ाना चाहते हैं ? श्रीमान सब कुछ कारखानों के लाभार्थ किया जा रहा है। एक ट्रैक्टर का मूल्य 60,000 रुपये से 70,000 रुपये तक है।

चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब मैं केवल एक बात कहता हूं। यह कृषि वस्तुओं की बिक्री पर पूंजीगत लाभ कर के सम्बन्ध में हैं। यहां यह स्थिति है कि किसान की अनुमति के बिना सरकार भूमि अर्जित कर लेती है। इन लोगों को उनकी भूमि से वंचित कर दिया जाता है। वे लोग अपनी भूमि नहीं खोना चाहते। उन लोगों को दो ढंग से दंड दिया जाता है। पहला भूमि अर्जन के कारण पूंजीगत लाभ कर लगा कर तथा दूसरे उन्हें उनकी भूमि से वंचित कर के। सरकार द्वारा की जाने वाली इन जबरन कार्यवाहियों के फलस्वरूप किसान अपनी भूमि से वंचित हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि समूचे कर ढांचे पर पुर्नविचार किया जाये। जब भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है तो क्या फिर भूमि पर सम्पति कर लगाने में कोई औचित्य है ? मैं यही जानना चाहता हूं इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद,

***श्री छीतूभाई गामीत (माँडवी)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कृषि व सिंचाई मंत्रालय की 1979-80 की मांग पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मैं अपने भाषण में विशेष रूप से ग्राम विकास, कृषि विकास तथा खेत-मजदूरों

*गुजराती में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

और आदिवासी व हरिजनों तथा किसानों के विकास, उनकी समस्याओं आदि पर अपने विचार और सुझाव आपके माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं।

भारत छः लाख गांवों से बना हुआ एक खेती-प्रधान देश है। इसकी कुल जनसख्या का 70% भाग गांवों में रहता है। इनमें से 80% लोग खेतीबाड़ी करते है। इसलिए यदि हम भारत के ग्रामीण क्षेत्र ओर कृषि अर्थतंत्र का बहुमुखी विकास करेंगे तो हमारे देश की 70% जनसंख्या की हालत में सुधार होगा और देश समृद्ध होगा। इसमें कोई शंका नहीं है।

अध्यक्ष जी, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद, उसके विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रयास किये गये। लेकिन, माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता प्राप्ति के 30 वर्ष तथा नियोजित विकास के 28 वर्ष के बाद, आज अमीर और गरीब तथा शहर और गांवों के बीच असंतुलन बढ़ता ही गया है। इसके फलस्वरूप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और बेरोजगारी से कुचले जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश का विकास नहीं हो पाया है। इस प्रकार असंतुलन, गरीबी और बेरोजगारी देश के विकास में रुकावट बन गई है।

इसके साथ ही शहरों में समृद्ध और शासनविहीन दो वर्ग मौजूद हैं। उसी प्रकार गांवों में भी धनिकों और साधनविहीन लोगों के दो वर्ग हैं अब तक कृषि और ग्राम विकास का लाभ गांवों के धनिक किसानों को ही मिला है, जबकि इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ इस क्षेत्र के छोटे व सीमान्त किसानों, भूमिहीन खेत मजदूर, हरिजन, आदिवासी आदि पिछड़े वर्ग को ही देना अत्यन्त आवश्यक था। किन्तु वे लोग ग्रामीण कार्यक्रमों से वंचित रह गये।

इस बजट को प्रस्तुत करने से पहले और प्रस्तुत करते समय, बजट को किसानों और गांवों का दिखाने का ढोल पीटा गया था। लेकिन समूचे देश में सामान्य जनता के द्वारा और अखबारों ने बजट पर जो आलोचना की है उससे साफ हो गया है कि यह बजट गांवों तथा किसानों का हित करने वाला नहीं है।

हमारे देश में धनिक किसान, केवल 4 प्रतिशत ही हैं लेकिन उनके पास कुल भूमि का 31 प्रतिशत भाग है। उनके हित के लिए इस बजट में अनेक सुविधाएं दी गई हैं, किन्तु देश के छोटे व सीमान्त किसान, जिनकी गिनती कुल संख्या का करीब 70 प्रतिशत है, उनके पास कुल भूमि का 21 प्रतिशत ही है। 4.75 करोड़ भूमिहीन खेत मजदूर हैं, उनका आर्थिक व सामाजिक विकास तेजी से करने के लिए बजट में कोई विशेष, कारगर कार्यक्रम तथा धनराशि का प्रबन्ध नहीं किया गया है। आज तक गांवों में रहने वाले छोटे किसान, खेत मजदूर, आदिवासी, हरिजन आदि को जिस प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है।

यदि अब भी ग्रामीण विकास और किसानों के विकास के नाम पर इन धनिक किसानों को ही लाभ दिया गया तो गांवों के गरीब तबके के लोगों की हालत और खराब हो जायेगी। वे गरीबी और बेरोजगारी से कभी भी नहीं छूट पाएगे। देश की स्वतंत्रता के तीस वर्ष बाद भी गांवों के गरीब लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक रोजगार चुनकर, आराम से गुजारा करने की कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो ये लोग अब और अधिक समय तक शान्ति और धैर्य न बैठे नहीं रहेंगे। कृषि मंत्रालय के इस बजट में इस गरीब वर्ग को उन्नति का कोई आभास तक दिखाई नहीं देता। इससे समूचे ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और खेत-मजदूरों के बीच बार-बार संघर्ष होते रहे है। बड़े किसानों ने हरिजन और आदिवासी लोगों की झोंपड़ियां जलाई हैं, इस प्रकार की कई वारदातें हुई हैं, जो

वास्तव में दुखद बात है। यदि हम इस संघर्ष को समाप्त करना चाहते हैं, तो छोटे व सीमान्त किसान, हरिजन तथा आदिवासियों के विकास के लिए कोई ठोस व कारगर कदम उठाने होंगे। गांवों का विकास आवश्यक है। इसके लिए भूमि का असंतुलित बंटवारा मिटाना होगा। जब तक यह नहीं होगा, तब तक गांवों की गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकेगी। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे देश में भूमि का जो असंतुलित बंटवारा है, उसे समाप्त करने के लिए भूमि-सुधार तथा भूमि सीमा संबंधी कानूनों को तेजी से व सख्ती से लागू करना होगा। यदि वे लागू नहीं होंगे, तो गांवों के छोटे व सीमान्त किसान तथा बड़े किसान, सवर्ण तथा गरीब हरिजनों एवं आदिवासियों के बीच जो असंतुलन है, वह कभी समाप्त नहीं होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से जनता पार्टी ने शासन सम्भाला है, विशेषरूप से मैं गुजरात के संदर्भ में कह रहा हूं—गुजरात में जबसे जनता पार्टी शासन में आई है तब से उसने, भूमि सीमा संबंधी कानूनों को उठाकर ताक पर ही रख दिया है। हमारे गुजरात में कांग्रेस सरकार ने भूमि सीमा और पट्टेदारी के सम्बन्ध में क्रांतिकारी कानून बनाए थे, बाद में जनता सरकार ने सत्ता में आकर भूमि सुधार के नाम पर भूमि आयोग का गठन किया और उन कानूनों को ताक में रख दिया जो दुखद बात है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा माननीय कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वे गुजरात में जो भूमि सीमा के सम्बन्ध में क्रांतिकारी कानून बनाये गये हैं, उन पर सख्ती से शीघ्र अमल करावें और वहां की जनता सरकार को रोकें जो उन कानूनों को नाकामयाब करने के प्रयास कर रही है।

आंध्र प्रदेश के एक भूतपूर्व नरेश की हजारों एकड़ भूमि, भूमि सीमा कानून से अलग रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के एक उच्च पदासीन व्यक्ति के द्वारा प्रयास किए गए थे। यह मामला कुछ समय पहले सारे देश के लोगों और अखबारों में चर्चा का विषय बना था।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि जनता सरकार भूमि के असंतुलित बंटवारे को समाप्त करने के लिए कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए जो कार्रवाही गंभीरता पूर्वक करनी चाहिए, नहीं करती है।

यदि हम अपने देश में वास्तव में कृषि व ग्राम विकास करना चाहते हैं, तो निम्न कार्यक्रमों की ओर सरकार को ध्यान देना होगा—

1. कृषि विकास कार्यक्रमों के द्वारा ग्राम विकास

कृषि विकास, ग्राम विकास कार्यक्रमों में अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए कृषि विकास के कार्यक्रमों पर तेजी से अमल करना होगा। कृषि विकास से ही ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि गांवों में रहने वाले 80 प्रतिशत लोग कृषि का व्यवसाय ही करते है।

सिंचाई के लिए सघन कार्यक्रम लागू करना चाहिए। वर्षा के बढ़ते हुए पानी का संग्रह करने के लिए समूचे देश का मास्टर-प्लान तैयार करके तालाबों तथा छोटे-बड़े बांधों का निर्माण करना चाहिए।

किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिलना चाहिए।

कृषि व अन्य जरूरतों के लिए किसानों को उचित समय पर 2 से 4 प्रतिशत की मामूली

ब्याज की दर से पर्याप्त ऋण मिलना चाहिए। किसानों को जब तक कम ब्याज की दर से ऋण नहीं मिलेगा, तब तक उनकी हालत में सुधार नहीं हो सकेगा। किसानों को आज सहकारी बैंकों से जो ऋण मिलता है, उसके लिए 10 से 14 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ता है। इनके स्थान पर कम ब्याज की दर से ऋण मिलना चाहिए। ताकि निर्धन किसानों को पूरा-पूरा लाभ मिल सके।

2. पशु पालन द्वारा ग्राम विकास

गांवों की उन्नति करने और रोजगार बढ़ाने के लिए पशु पालन का काफी महत्व है, क्योंकि गांवों में कृषि के साथ ही पशु पालन एक पूरक व्यवसाय है। गांवों में रहने वाले कमजोर आर्थिक स्थिति के छोटे व सीमांत किसान, खेत-मजदूर, ग्रामीण कारीगर तथा अन्य बेरोजगार लोगों को इससे लाभकारी रोजगार प्राप्त हो सकेगा। गुजरात का अनुभव है कि जहां डेयरियों का विकास हुआ है, जैसे मेहसाणा, सूरत, आणंद आदि स्थानों पर, इसके कारण वहां के ग्रामीण लोगों को अच्छी आय प्राप्त हुई है।

इस व्यवसाय के लिए सहकारी दूध समितियों का गठन करना चाहिए। सदस्यों को दूधारू पशु खरीदने के लिए मामूली ब्याज की दर से ऋण और सहायता देनी चाहिए।

गांवों से डेयरी मुख्यालयों तक दूध ले जाने के लिए बीच के मार्गों को तुरन्त पक्का करना जरूरी है। इसके लिए सरकार को कोई कार्यक्रम बनाना चाहिए।

3. ग्राम विकास तथा रोजगार के लिए खादी ग्रामोद्योग व कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों का महत्व

किसानों को अपनी उत्पादित चीजों का उचित मूल्य नहीं मिलता है क्योंकि कृषि से उत्पादित चीजों का उपयोग करने वाले उद्योग अभी तक गांवों में बहुत कम हैं। ये उद्योग गांवों के विकास में उपयोगी हो सकते हैं, इसलिए चावल की मिलें, आयल मिलें, विभिन्न प्रकार की कृषि से उत्पादित चीजों पर जो रूपान्तरित करने वाले उद्योग हैं, उसका निर्माण करके, उसका विकास करना चाहिए। इस प्रकार के उद्योगों का विकास हमारे देश में नहीं हुआ है फलस्वरूप किसानों को अपने उत्पादों का वह मूल्य नहीं मिलता जो मिलना चाहिए।

खेल-उत्पाद तथा ग्रामोद्योग आदि का हम जितना अधिक विकास करेंगे उतना ही किसानों को खेती के साथ-साथ अधिक रोजगार तथा उचित मूल्य मिलेगा। गांवों में जो बेरोजगारी है, वह दूर होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना भाषण, माननीय मंत्री महोदय से यह अंतिम निवेदन कर समाप्त करूंगा।

आज सरकार द्वारा "काम के बदले अनाज" जो योजना चलाई जा रही है, उसमें सार्वजनिक विकास के लिए रास्ते, तालाब आदि निर्माण के कार्य किये जाते हैं तथा बदले में अनाज दिया जाता है। इसके साथ ही गांवों में रहने वाले आदिवासियों और हरिजनों के लिए आवास-निर्माण के प्रयत्न किये जाएं, तो अधिक अच्छा होगा।

*श्री राजकृष्ण डाल (बर्दवान) सभापति महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

इसी आधार पर हमारे मंत्रियों ने तथा नेताओं ने किसानों को संबंधित करके मत प्राप्त किए थे। किन्तु आज हम कृषि मंत्रालय की मांगों पर विचार कर रहे हैं और किसानों की दशा पर चर्चा कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि इस विषय पर बोलने के लिए, सभापति महोदय, थोड़े से अधिकारी तथा मंत्री महोदय उपस्थित हैं। कुछ सदस्य इस बिषय पर बोलने के लिए अवसर प्राप्त करने की प्रतीक्षा में हैं बाकी लोग सभा से चले गये हैं। इसी से पता चल जाता है कि हमें अपने देश के किसानों के बारे में कितनी चिन्ता है। यदि यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाये तो हम बाहर अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। श्रीमान, हमने देख लिया है कि यदि कारखाने के मजदूरों पर कुछ अत्याचार किए जाते हैं तो श्रम मंत्री या उद्योग मंत्री द्वारा इस बारे में उत्तर दे दिया जाता है। यदि विश्वविद्यालय परिसर में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है और किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो शिक्षा मंत्री उसके बारे में उत्तर देते हैं। रक्षा मंत्री रक्षा सेवाओं में होने वाली किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी होते हैं। किन्तु यदि किसान या खेतिहर मजदूरों पर अत्याचार किए जाते हैं या उन पर गोलियां चलाई जाती हैं तो उसका उत्तर कौन देता है ? उसका उत्तर कृषि मंत्री नहीं देते बल्कि प्रायः गृह मंत्री देते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमारे संविधान में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस लिए हमें अपने संविधान में संशोधन करना चाहिये। हमें इन करोड़ों लोगों की देखभाल के लिए यथासम्भव शीघ्र कदम उठाने चाहिए। अतः यदि किसानों पर अत्याचार किए जाते हैं तो कृषि मंत्री को उन पर ध्यान देना चाहिये और उन्हें स्वयं उस जिम्मेदारी को लेना चाहिए। आज किसानों को उनके आलुओं की फसल के लिए समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है। कृषि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये। गरीब किसान अपने खून-पसीने की मेहनत से फसलें उगाते हैं किन्तु उन्हें उनके बदले में समुचित मूल्य नहीं मिलता। श्री बरनाला को किसानों के हितों पर ध्यान देना चाहिये। आज किसान दयनीय स्थिति में हैं और वे कृषि मंत्री से राहत की उम्मीद करते हैं। पटसन किसानों से बहुत ही सस्ती दरों पर खरीदा जा रहा है और उसकी विभिन्न वस्तुएं बनाकर उन्हें बहुत अधिक दामों पर बेचा जा रहा है। इस बात पर मैं बाद में आऊंगा।

यद्यपि यह किसानों का देश है फिर भी शहरों के मुठ्ठाभर बुद्धिजीवी इस देश पर अपनी बुद्धि से शासन चला रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि गांवों में लोग बुरी तरह असंतुष्ट हैं।

श्रीमान, राशनिंग प्रणाली ब्रिटिश शासन के दौरान आरम्भ की गई थी किन्तु हम देख रहे हैं कि पिछले 32 वर्षों से इस प्रणाली का लाभ किन लोगों को पहुचा है। इसका लाभ केवल शहरी लोगों को ही पहुंचा है। मैं पश्चिम बंगाल का हूं और मुझे उस राज्य के बारे में पूरा अनुभव है। वहां राशन तीन शहरी केन्द्रों अर्थात कलकत्ता, आसनसोल तथा दुर्गापुर में वितरित किया जाता है। निःसन्देह इसका भी कुछ कारण है और वह कारण यह है कि शहरी लोग सरकार के विरूद्ध आवाज उठा सकते हैं। वे आन्दोलन कर सकते हैं और सरकार को चेतावनी दे सकते हैं कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो सरकार को सत्ता से हटा दिया जायेगा और इस तरह सरकार डर जाती है। अतः शहरी लोगों को खश करने के लिए किसानों को घाटे में रखा जाता है। उन्हें चावल 77 रुपये प्रति क्विंटल बेचने के लिए कहा जाता है जबकि 1 क्विंटल चावल की उत्पादन लागत 125 रुपये बैठती है। किसानों को बन्दूकें दिखाकर धमकाया जाता है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है और उनकी इच्छा के विपरित उनका अनाज उनसे छीन लिया जाता है।

कांग्रेस के 30 वर्षों के शासनकाल में हमने ऐसा ही देखा है। किन्तु इस वर्ष हमें विकास की सुनहरी किरण देखाने को मिली है। श्रीमान कृषि मूल्य आयोग ने धान के लिए 82 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की है किन्तु सरकार ने उसे बढ़ाकर 85 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय किया है। वैसे यह मूल्य भी लाभप्रद नहीं है फिर भी कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किये गए 82 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर उसे 85 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए श्री बरनाला धन्यवाद के पात्र हैं। श्रीमान गत वर्ष हमारी सकल राष्ट्रीय आय 78012 करोड़ रुपये थी। इसमें से 55% आय हमें कृषि क्षेत्र से मिली है। किन्तु खेद की बात है कि गत वर्ष कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय में 5000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इसका कारण यह है कि किसानों को उनके बदले कम मूल्य मिला है। कुछ ही दिन पूर्व हमारे इस्पात मंत्री श्री बीजू पटनायक ने लोक सभा में 1 टन इस्पात के मूल्य में 400 रुपये की वृद्धि की घोषणा की थी।

ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें एक सरकारी प्रतिष्ठान को चलाना है जोकि सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है। इस सरकारी प्रतिष्ठान को बनाये रखने के लिए ग्रामीण लोगों पर कर लगाये जाते हैं। इस नगर में बस सेवा को सरकारी सहायता मिलती है कलकत्ता में राज ट्राम सेवा को सहायता मिलती है। यह सभी सहायताएं नगरों में बसने वाले संगठित कर्मियों को मिलती हैं जोकि संगठन बनाकर सरकार को चुनौति दे सकते हैं जबकि ग्रामीण लोगों पर कर लगाया जाता है जोकि नगरों में जाकर कभी बसों में सैर नहीं करते। गांवों के लोग शहरी लोगों का भरण-पोषण का भार वहन करते हैं? मेरा संबन्ध पश्चिमी बगाल से है। क्या आपको पता है पश्चिम बगाल में किसानों को क्या कहा जाता है। दो शब्द बहुत प्रचलित है, एक हैं प्रगतिशील और दूसरा प्रतिक्रियावादी। प्रगतिशील किन्हें कहा जाता है? प्रगतिशील उन्हें कहा जाता है जो ऊंचे वेतन लेते हैं, बहुत रिश्वतें लेते हैं, 25 रुपये किलो हिल्से मछली तथा 4 रुपये किलो चावल, चार रुपये किलो दूध तथा प्रतिदिन अपनी पत्नियों को फिल्मों में ले जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में प्रतिक्रियावादी किन्हें कहा जाता है? जो लोग अपनी धरती में सब्जियां बोते हैं, मोटा चावल बोते है, अपनी पालतू गौओं का दूध पीते हैं और अपने तालाबों में पाली हुई मछली खाते हैं उन्हें प्रतिक्रियावादी अथवा जोतदार कहा जाता है। यह कठोर परिश्रम करने वाले किसानों को इस प्रकार हीन माना जाता है तथा बूढ़े किसानों को 'कुलक' कहते हैं तथा उनके विरुद्ध घृणा फैलाई जाती है तो मैं कह नहीं सकता इस देश में जो मूलतः कृषि प्रधान है कृषि में सुधार कैसे हो सकता है। यह स्थिति सहन नहीं की जा सकती। नगरों के कुछ दुर्जन व्यक्ति अपने चातुर्य तथा फन की शक्ति से शोषण कर रहे हैं तथा देहात पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे निहित स्वार्थ पैदा कर दिये हैं जिन्हें कुचल देने की आवश्यकता है।

श्रीमान, हम भूमि के वितरण की बातें सुनते हैं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि चारागाह को हल चलाने के लिए वितरित कर दिया जाये दूसरी ओर हमारे सम्मानीय बिनोबा जी गो वंश की हत्या पर तथा गोमांस सेवन पर पूरा प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं। गौओं के लिए चारा पैदा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। गौचर भूमि को मनुष्यों के लिए आनाज पैदा करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। बूढ़ी क्या बेकार गौओं को न तो खाने को उपलब्ध और न उनको रखने का स्थान उपलब्ध है। दूध देने वाली कम उमर की गौओं के लिए भी खाने को पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में बूढ़ी तथा अनोपयुक्त गौओं की हत्या पर प्रतिबन्ध लगाना सर्वथा उपयुक्त नहीं है। तब भी मंत्रियों का एक दल बिनोबा जी को अनशन छोड़ने के लिए वहाँ पर

गया सरकार के इस प्रकार के अवास्तविक रवैये को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। हमारे मंत्रियों को बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों की शीघ्र मदद करनी चाहिए जिन्हें आलू का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। लाखों किसान आपकी तरफ सहायता के लिए निहार रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिनोबा जी पर समय बर्बाद करना उचित नहीं है। इतना ही नहीं भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय विकास निधि से पिछले वर्ष तक 3/4% कम ब्याज पर 569 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त हुआ। सरकार उस राशि को कृषि पुनर्वित विकास निगम को $6\frac{1}{2}$ से $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज पर दे रही है। कृषि पुनर्वित्त विकास निगम द्वारा यह राशि भूमि विकास बैंक को 7-8% के ब्याज दर पर दिया गया है। भूमि विकास बैंक अपनी ओर से किसानों को 12-13 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देता है। इस प्रकार जो धन विश्व बैंक से 1% से कम ब्याज पर प्राप्त हुआ है वही अंततः किसानों को 13% ब्याज पर दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि भारत सरकार की सूदखोरी का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। किसानों के हित में सूद खोरी की इस प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। यह मात्र शोषण है और फिर विश्व बैंक ऋण 50 वर्ष के लिए देता है जबकि किसानों को ऋण 9 वर्ष के लिए मिलता है। एक और शर्त लगा दी जाती है कि यदि वह किसी एक वर्ष में ऋण का 65 % वापिस नहीं दे पाता तो उसे ऋण की अगली किश्त नहीं मिलेगी। इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि उसकी फसल बाढ़ों से सूखे से आंधी से या तूफान से नष्ट हो गयी हो। अदायगी को बेरहमी से लागू किया जाता है। अन्यथा आगे ऋण नहीं दिये जाते।

[श्री एन० के रोजक्लकर पीठासीन हुए]

सभापति महोदय देश को प्रतिवर्ष 50 लाख टन उर्वरक की आवश्यकता होती है परन्तु हमारा उत्पादन उस मांग को पूरा नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है ? इसका कारण यह है कि हमारे उर्वरक संयंत्र क्षमता भर उत्पादन नहीं कर रहे। हमारे उर्वरक संयत्रों में राजनीति का प्रवेश हो गया है तथा उर्वरक उत्पादन में कमी आ गई है फसलों के लिए कोई योजना नहीं है। आज आलू, गन्ना, पटसन आदि का पर्याप्त उत्पादन हो रहा है परन्तु उनके खरीददार नहीं मिलते, किसान बर्बाद हो रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके समक्ष एक नया ढंग रखूंगा जिससे किसानों का शोषण हो रहा है।

मंत्री महोदय देखिए। यह आलू डालने की बोरी है जिसका वजन 280 ग्राम है। यह खेतों में 3 रुपये में बिकती है। वे पटसन 30 पैसे प्रति किलो खरीदते है और उसे 12 रुपये प्रति किलो बेचते हैं। भारत में इस प्रकार का शोषण चल रहा है। आपको किसानों को संरक्षण देना है तथा आप इसके उत्तरदायी हैं। आपको किसानों को संरक्षण देना चाहिए।

क्या यह आश्चर्य जनक नहीं है कि 30 पैसे प्रति किलो खरीदी जाने वाली पटसन 12 रुपये पर किसानों को बेची जाती है ? सरकार अधिक काला बाजार करती है। मैं आपको भारत के 85 % लोगों की कहानी सुना रहा हूं, 10 प्रतिशत वालों की नहीं।

सभापति महोदय : आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री राज कृष्ण डान : मैं फसल बीमे को लेता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। व्यवसाय के क्षेत्र में काला बाजार करने वालों के गोदामों का बीमा होता है। दुर्घटना की हालत में उन्हें पूरी क्षतिपूर्ति मिलती है। यदि गोदाम में माल हो अथवा नहीं। बंगाल में पिछले वर्ष मैंने देखा कि बाढ़ों से उनकी सारी फसलें बह गई। उनकी झोंपड़ी पशु भी पूरी तरह बह गये। वे पूरी तरह तबाह हो गये परन्तु उन्हें कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। परन्तु उन बहादुर लोगों ने चुनौति का सामना किया तथा नयी फसल पैदा की। परन्तु श्री बरनाला जी आपको पता है कि बाढ़ों के बावजूद पश्चिम बंगाल में 23 लाख टन आलू पैदा हुए। वे 'अमन' धान नहीं पैदा कर पाये, अतएव उन्होंने आलू पैदा किए। परन्तु दुःख की बात है कि मूल्य इतने गिर गये कि किसान आलू को खेतों से घर ले जाने की लागत भी नहीं बचा पाये। मंत्री लोग विनोबाजी को बचाने के लिए समय नष्ट कर सकते हैं। परन्तु लाखों पीड़ित किसानों के पास जाने का उनके पास समय नहीं है। ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। उन्हें आलू, पटसन, गन्ने के घटते मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां फसल के बचाव के लिए बहुत जरूरी हैं। परन्तु मैंने इस सभा में ऐसे धान के पौधे का नमूना पेश किया था जिसे कीड़ों ने विनष्ट कर दिया था। किसान फसलों को बचाने के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं। परन्तु दवाइयां अप्रभावी होती हैं क्योंकि उनमें बहुत मिलावट होती है। यह ती मिलावट करने वालों ने धान की फसल का विनाश कर दिया। इस पर कोई कार्रवाही नहीं की गई मिलण करने वालों को फांसी लगा देना चाहिए। क्योंकि ये लोग गरीब लोगों की फसल नष्ट करके उनकी जिन्दगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए अन्यथा यदि परमात्मा भी श्री बरनाला के स्थान पर होंगे तो भी वह देश को बचा नहीं सकेगा।

श्रीमान, जब एक साईकिल फैक्ट्री में तैयार होता है तो उसके मूल्य का निर्णय कौन करता है ? मूल्य का निर्धारण फैक्ट्री के प्रबन्ध निदेशक, उद्योग सचिव और मंत्री महोदय के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। मूल्य, आई० सी० एस० अधिकारी द्वारा मंत्री महोदय द्वारा किया जाता है। जिन्होंने कभी खेत देखा नहीं तथा नहीं जानते कि आलू कैसे लगते हैं। वातानुकूलित कक्ष में बैठे हुए हाथ में कोका कोला की बोतल लिए वह घोषणा करता है कि धान का मूल्य 77 रुपए प्रति क्विंटल होगा और मूल्य निर्धारित हो जाता है। इस प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। मूल्य निर्धारित करते समय किसानों से अवश्य परामर्श किया जाना चाहिए। कृषि मूल्य आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए। यह मात्र भ्रष्ट और चालाक लोगों का संगठन है। उन्होंने कभी कृषि उत्पादनों के लिए उचित मूल्यों का निर्धारण नहीं किया। उन्होंने फसलों की लागत पर विचार किए बिना कृषि उत्पादों के मूल्य घोषित किये हैं। जब तक इसे भंग नहीं किया जाता इस देश के किसानों का कभी कल्याण नहीं होगा।

श्रीमान, मैं ग्रामीण बैंकों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। जब कभी किसी गांव में कोई बैंक स्थापित होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है, परन्तु वास्तव में ये बैंक कर क्या रहे है ? वे केवल ग्रामीणों का शोषण कर रहे हैं। तथा उनका खून चूस रहे हैं। ऐसा इस प्रकार होता है। ग्रामीण लोगों द्वारा जमा राशि नगरों में मुख्यालयों में भेज दी जाती है, मुख्यालय यह धन बिड़ला, टाटा, डालमियां जैसे बड़े उद्योगपतियों को ऋण दे देते हैं। इस प्रकार गांवों से धन बैंक

के माध्यम से शहरों में पहुंचता है । इसलिए ऐसा कानुन बनाया जाना चाहिए कि गांवों से एकत्र धन गांवों में ही वहीं के लोगों के कल्याण के लिए उसी क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए । कुछ व्यक्तियों को रोजगार देने के बहाने से ये बैंक ग्रामीण क्षेत्रों का मात्र शोषण करते हैं ।

मंत्री महोदय मैंने दुर्गापुर दुग्ध डेरी को कार्य करते देखा है । उसमें पूरी तरह अराजकता तथा कुप्रशासन है । फैक्टरी को दूध का संभरण करने के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया गया है । बर्धवान से कोटवा तक 60 मील की दूरी केवल दो बर्तन दूध (30 किलो) दे ।लाने के लिए एक लारी किराये पर ली गई है । 30 किलो दूध के लिए लारी प्रति दिन 60 मील चलती है । यह भारी बरबादी दुर्गापुर फैक्ट्री में हो रही है, जिसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्रीमान, अब मैं अनाज के भंडार की बात लेता हूं । गरीब किसान फसल अपना खून पसीना बहाकर पैदा करते हैं, अपनी फसलों को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों तथा रसायनों की व्यवस्था करता है परन्तु वह अपने बच्चों के लिए दवाई नहीं जुटा पाते । परन्तु यह शर्म की बात है कि सरकार के पास उनकी फसल को रखने के लिए स्थान की भी व्यवस्था नहीं है । आज लाखों टन अनाज, गेहूं, चीनी आदि भण्डार सुविधाओं के अभाव में बर्बाद हो रहा है । जो सरकार गरीब किसानों द्वारा खून पसीना बहाकर पैदा की गई फसल को बचा नहीं सकती उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है ।

अब मैं विपणन सुविधाओं को लेता हूं । आज भरपूर आलू की फसल के लिए विपणन सुविधाएं नहीं है । सरकार के पास आलू के विदेशों में निर्यात की सुविधाएं नहीं है । यदि कोई किसान अपने आलू बाहर भेजना चाहता है तो वह ऐसा नहीं कर सकता । सरकार को विदेशों में मंडियों की खोज करनी चाहिए ताकि किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके । आलू विदेशों में क्यों नहीं बेचे जा सकते । आपको वहां पर मंडियां खोजनी चाहिएं ।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कृषि पर आधारित उद्योगों पर कड़ा नियंत्रण रखे । जो उदाहरण मैंने दिया है वह अत्यन्त चिन्ता का विषय है । पटसन की वाणिज्यिक फसल का किसानों को 80 पैसे प्रति किलो मिलता है । परन्तु पटसन मिलें 'मौजी' के रूप में उसे बारह रुपए किलो पर बेचती हैं । सरकार मात्र तमाशा देखती रहती है । यह स्थिति देर तक नहीं चल सकती । सरकार को यह मामला लेना होगा । मैं यह नहीं दहता कि आप मंत्रालयों से झगड़ा करें । मेरा यह अभिप्राय है कि आप तथा आपका मंत्रालय अधिक सतर्क तथा क्रियाशील रहे ताकि किसानों का इस ढंग से शोषण न हो सके । 85% व्यक्ति आपके कार्यभार में आते हैं । वे अपना शोषण रोकने के लिए आप पर निर्भर करते हैं । आप उनके प्रतिनिधि हैं, अतएव आपको उनकी सहायता करनी चाहिए ।

श्रीमान, कृषि ऋणों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है । गरीब और अनपढ़ किसान नियमों एवं विनियमों के चक्र में फंस जाते हैं, उन्हें ऋण प्राप्त करने से पूर्व बहुत सी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं । इसलिए प्रक्रिया के सरल बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि किसानों को शीघ्र तथा उचित समय पर ऋण मिल सके ।

श्रीमान, मात्र शहरी सम्पत्ति की उच्चमत सीमा निर्धारित करने से ही समाजवाद नहीं आ सकता। ग्रामीण भूमिकी सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। नगरों में लोगों के पास करोड़ों रुपए के मूल्य के अनेकों भवन हैं। वे लोग वहुमंजलीय भवन बनाकर हजारों रुपये कमाते हैं। नगरीय भूमि की सीमा निर्धारित करने से ही समाजवाद नहीं आ सकता। नगरों में कोई नियंत्रण नहीं है जबकि खेती के लिए 25 बीघे की सीमा है। अधिक भूमि वाले व्यक्तियों को जोतदार कहा जाता है तथा उनसे घृणा की जाती है। इस पर पुर्नविचार की आवश्यकता है। इस प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है। यदि आप स्वयं नहीं बदलते तो लोग चुप नहीं बैठे रहेंगे। एक दिन वह स्वयं इस प्रणाली को बदल देंगे। वह दिन दूर नहीं है।

आयकर के बारे में आपने कौनसी प्रणाली शुरू की है। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय में 8000 रुपये कमाता है तो वह आयकर से मुक्त रहता है। पन्तु कृषि से आय 3000 रुपये से अधिक होती है तो उस पर आय कर लग जाता है। इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। यह बेहूदा है।

मुझे कृषि मंत्री की प्रशंसा करनी है क्योंकि उन्होंने इस बजट द्वारा किसानों की भलाई का यत्न किया है। बेशक इस वर्ष कृषि पर कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 21 करोड़ रुपये कम हुआ है। कृषि मंत्री पंजाब के किसान परिवार के हैं, जो राज्य की व्यवहारतः सारे भारत को भोजन देता है। इसलिए आप किसानों का महत्व ठीक तरह से समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि गरीब किसानों की शोषण से रक्षा करें। वे आपकी तरफ निहार रहे हैं।

मैंने पटसन मिलों द्वारा तैयार किया गया टाट का कपड़ा प्रधानमंत्री को दिखाया था। प्रधान मंत्री ने श्री मोहन धारिया से बात की जिन्होंने बताया कि पटसन तो उनके अधीन है जबकि उससे निर्मित टाट का कपड़ा जार्ज फर्नान्डिज के अधीन है। इस नियंत्रण में से किसानों को हानि उठानी पड़ती है तथा इससे उनका मिल मालिकों द्वारा शोषण होता है कृपया इस कार्य भार को स्वयं सम्भाले तथा इस बात पर ध्यान दें कि किसानों का शोषण समाप्त हो।

अंत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि किसानों की इन कठिनाइयों पर ध्यान दें। फसल बीमा शुरू करें। कृषि मजदूरों के लिए किसी प्रकार की पेंशन योजना प्रारम्भ करें। श्रीमान, मैं 5 वर्ष पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाऊंगा पेंशन भोगूंगा। मंत्री महोदय भी सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करेंगे। सरकार के अधिकारी इंजीनियर आदि भी पेंशन प्राप्त करेंगे। परन्तु कृषि मजदूरों को जो साठ वर्ष तक या उससे भी अधिक समय तक आपको भोजन देते हैं, जब वे काम करने के अयोग्य हो जाते है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए मेरा आग्रह है कि उनके लिये पेंशन या ग्रेच्युटी की कोई योजना तैयार की जाये मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्दन सिंह (कैराना) : सभापति जी, आप समय देखकर दीजिए, सभी मुन्तजिर हैं बोलने के।

सभापति महोदय : यह कार्यवाही माननीय सदस्यों को करना है। मैं जहां घंटी बजा सकता हूं और वह समझ सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर) : सभापति जी, कृषि मंत्रालय एक महत्व-पूर्ण मंत्रालय है। इस मंत्रालय के मंत्री और राज्य मंत्री दोनों ही कृषक हैं। **(व्यवधान)**

श्री नाथूराम मिर्धा : इस मंत्रालय में बैठनेवाले हमारे मंत्री जी और राज्य मंत्री जी दोनों कृषक हैं और कृषक जगत की और कृषि की सारी समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं। जब से जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछले दो सालों में उन्होंने जो काम किया है, इन्होंने किसान, खेत और गांव के विकास पर जोर देने की बात कही है। इसका एक वातावरण भी बनाया और इस साल तथा पिछले साल के जो बजट इन्होंने पेश किये, उनमें अनुदान की जो मांगे रखीं, उनमें निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय से डील होने वाले विभागों के अनुदान बढ़ाये गये हैं। लेकिन खर्चे की राशि बढ़ाना एक बात है और उस राशि का सही उपयोग करके किसान जगत और देश की समस्याओं का निपटारा करना दूसरी बात है। आज भी मुझे एक ऐसा वातावारण नजर आता है—इस सरकार में—कि इसकी कोई निश्चित नीति नहीं है कि जिन के द्वारा किसानों तथा खेती में आनेवाली समस्याओं का हल निकाल सके।

इन्होंने एक किताब छपाई है – "अनाज के मोर्चे पर विजय"। बहुत खुशी की बात है। इन्होंने लिखा है— इतने दिनों तक हम लगातार बाहर से अनाज मंगाते रहे, अब हमने मंगाना बन्द कर दिया और यहां तक गर्वोन्नत होकर कहा है —आगे भी शायद हमको कभी अनाज मंगाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी पुस्तक में मैंने पढ़ा—कृषि आयोग ने देश में आनेवाले वर्षों में बढ़ने वाली जनसंख्या का ख्याल रख कर 2000 तक की खाद्यान्न की मांग का अन्दाजा लगाया है और उनके अनुसार साढे-बाइस करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। आज का उत्पादन, जो उन्होंने बतलाया है, साढ़े-बारह करोड़ टन हुआ है, इसका मतलब है हमें दुगनी मंजिल तक पहुंचना है, तब उस वक्त हमारी जरूरत पूरी हो सकेगी। मैंने एक दूसरे मंत्रालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखा जिसमें कहा गया है कि इस देश से गरीबी और बेकारी को मिटाने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिये हमें दो तरफ से इस मोर्चे की तरफ चलना है। एक तरफ जनसंख्या पर काबू पाने की बात है और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ाकर, उसका सही वितरण कर ज्यादासे ज्यादा लोगों को काम पर लगाने की बात है। ये दोनों मोर्चे आज जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं— मुझे उसमें थोड़ी शंका है। जहां तक आबादी के घटने का सवाल है—इस मोर्चे पर यह सरकार बिलकुल फेल हुई है। आप इनकी परफार्मेंस को देखिये। पिछले दो सालों में इन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया, उसका 15 या 20 परसेंट भी पूरा नहीं किया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम बदल कर भी ये उस मोर्चे पर नाकामयाब रहे। एक तरफ आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ आप टारगेट की बात कर रहे हैं कि साढे-बाइस करोड़ टन अनाज पैदा करेंगे। उस समय आबादी के लिये कहा गया है कि 94-95 करोड़ के लगभग हो जायेगी, क्योंकि इस समय वह रफतार हजार के पीछे 33 है। जिसको आप छटे प्लान के अन्त तक 28 करना चाहते हैं। हमने अन्दाजा लगाया था कि 24 या 25 एक हजार के पीछे पैदा होंगे तो इस 2000 सन् तक हमारी आबादी 94, 95 करोड़ होगी और उनके लिए हमको इतना अनाज चाहिए। हमने कृषि आयोग में बैठकर सब चीजों का अन्दाजा लगाया था कि इतनी डिमान्ड होगी और इतनी सप्लाई। कितना सीरियसली मंत्री जी ने इस पर गौर फरमाया है।

मुझे अफ़सोस है कि इस कृषि आयोग की रिपोर्ट के बारे में इतनी चर्चाएं इस सदन में हुईं; क्या कभी आपने यह सोचा कि कृषि आयोग की रिपोर्ट, जिसकी प्रतियां सभी लोगों को बांटी जा चुकी हैं, पर इस सदन में दो-चार दिन बैठ कर चर्चा हो और सब लोग उस पर विचार करें और उसके बारे में सरकार का क्या रुख है, उसको समझ सकें। मैंने एकाध बार

आप से इस रिपोर्ट के बारे में कनसलटेटिव कमेटी में पूछा था, तो आपने जवाब दिया कि 2233 सिफारिशों में से करीब 1200 सिफारिशों पर हमने कार्यवाही की है। मुझे यहां तक मालूम है कि आपने जो राज्य सरकारों को इस बारे में पत्र लिखे हैं, वे रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। कृषि आयोग की रिपोर्ट ऐसा डाकूमेंट है, जिसमें आगे आने वाले 50 सालों में जो कुछ करना है, वह उसमें दिया हुआ है कैसे बेकार पड़ी हुई भूमि को सुधारा जाए, किस प्रकार उत्पादन के लक्ष्यों को पूरा किया जाए, सिंचाई को बढ़ाने का काम कैसे हो, पशु धन को कैसे बढ़ाया जाय, समुद्र के धन मत्स्य को कैसे बढ़ाया जाए, वनों के बारे में क्या नीति हो, इस प्रकार के बहुत से विषयों के बारे में 38 वोल्यूम में लिखी हुई वह रिपोर्ट है और वह आपकी आलमारी में बेकार पड़ी हुई है। जिस प्रकार से गंभीरता के साथ उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, वह कार्यवाही मुझे आज नजर नही आती है। उस रिपोर्ट में अहम और गहन सुझाव दिये गए हैं। धन तो आप प्लानों में बढ़ाते चले जा रहे हैं पर योजनाओं को लागू करने के लिए सिर्फ धन ही काम नहीं आता है। योजनाओं को लागू करने के लिए मंत्रालयों का आपस में समन्वय, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकारों का तालमेल होना जरूरी है। इसके लिए उपयुक्त वातावरण, शासन के अन्दर काम करने वाले शासनकर्त्ता की प्रणाली, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और उसके साथ-साथ जनता का माहौल और जनता को इंस्टीट्यूशन्स के साथ सम्बन्ध जोड़कर योजना के अन्दर जो गति आती है, जो रिजल्ट्स निकलते हैं, क्या वह वातावरण इन पिछले दो सालों में बना है ? क्या उस वातावरण की हम उम्मीद कर सकते हैं जिसके जरिये उत्पादन बढ़ा कर किसानों के साथ न्याय होगा और देश से बेरोजगारी मिटेगी प्रधान मंत्री जी ने भाषण दे दिया और बड़े गौरव के साथ कहा कि हम 10 साल के अन्दर बेरोजगारी मिटा देंगे। श्री समर गुहा ने एक सवाल पूछा था, उनका एक नान औफीशियल रेज्योलूशन था कि उस में क्या प्रगति हुई है इन दो सालों में, तो प्रधान मंत्री जी ने बताया कि हर साल या दो सालों के बाद प्रगति नापी नहीं जा सकती है। प्रगति नापेगें एक साथ। मेरे ख्याल से कभी वह नपेगी नहीं और कितनी प्रगति हुई है, इसका कुछ पता नहीं है, कोई इसका एसेसमेंट नहीं है। बेरोजगारी मिटाने के लिए कृषि आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं कि गांवों में किन कामों पर जोर दिया जाए, किन कामों को आगे बढ़ाया जाए। क्या उनके बारे में आज तक, दो साल हो गए हैं आपकी सरकार को आए हुए, रत्ती भर भी विचार किया है ? सेरीकल्चर, रेशम के बारे में आपने विचार किया है। 30 करोड़ रुपए का आप एक्सपोर्ट करते हैं। 300-400 करोड़ रुपए का उसका पोटेंशियल है। कई जगह उसका उत्पादन हो सकता है। सिल्क बोर्ड बैठा हुआ सो रहा है और कोई काम उसका नहीं है। उसमें एम्पलाइमेंट का कितना पोटेंशियल है, इसके बारे में आपने सोचा है। 2 एकड़ के अन्दर अगर रेशम का उत्पादन किया जाए, तो कम से कम 10 हजार रुपए, की नेट इन्कम हो सकती है। क्या इस बात पर आपने गहराई से विचार किया है ? मधुमक्खियां पोलीनेशन में इम्पोर्टेन्ट रोल अदा करती हैं। वे शहद देती हैं। क्या उसके बारे में आपने आज तक गहराई से सोचा है ? इन सारी चीजों के बारे में आपकी क्या नीति है ? आज वन धड़ाधड़ कटते जा रहे हैं। मैनमेड फोरेस्ट्स की जो रिपोर्ट है, उसमें यह है कि अनअप्रोचेबिल बनाया जाए। उसमें भी लोगों को एम्पलायमेंट मिलेगा। सड़कें बनेंगी। उसके बाद में फारेस्ट काट कर के, जो पुराने हो गए हैं, उसके बजाय नया प्लान्टेशन किया जाए। आज कितना काम हो रहा है ?

मंत्री जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्टरनेशनल एजेन्सीज की जो फाइनेंशिंग इस्टीट्-

यूशंस है, उन्होंने कहा है कि इन्टरनेशनल कमीशन की सिफारिशों को मानकर अगर आप काम करो तो आपको धन की कमी नहीं हो सकती है। आपको धन बाहर से मिल सकता है। आपको मेन पावर क्रियेट करनी है, रिसर्च बेस मजबूत करना है। मगर इन चीजों को कौन सोचता है? आपकी सरकार में इन चीजों के बारे में सोचने की सीरियसनेस नहीं है।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गम्भीरता से सोचें कि उत्पादन के चार स्रोत हैं। इन चार में से तीन स्रोत आपके पास हैं। खाद्य नहीं है। जंगल, जमीन और पशु आपके पास हैं। आपने जो कुछ भी उत्पादन बढ़ाया है, उस पर आप अहम करते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सोचता हूं कि दो-तीन साल मानसून अच्छा हो गया, बरसात अच्छी हो गई तो यह सब हो गया। जब बरसात होती है तो ठीक है फ्लड आता है लेकिन उससे जमीन में पानी होता है, कुंओं में पानी होता है, नदियों में पानी होता है, बांध भरे होते हैं। उनसे सिंचाई के साधन मिलते हैं, प्रोडक्शन बढ़ती है। इस साल का बेस लेवल प्रोडक्शन 125 मीलियन टन है। इसको हम देशका बेस लेवल प्रोडक्शन नहीं मान सकते हैं। जब हमारा प्रोडक्शन 108 मीलियन टन तक पहुंचा था तो हम 104 या 105 बेस लेवल प्रोडक्शन मानते थे। आज आपका बेस लेवल प्रोडक्शन 110 या 112 मिलियन टन से ज्यादा नहीं है। इस तरफ बैठने वाले लोगों ने आपके पास काफी स्टाक छोड़ा, विदेशी मुद्रा का काफी भण्डार छोड़ा। आज आप उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं? आज ही अखबारों में निकला कितना इम्बेलेंस हुआ है क्योंकि फालतू चीजों को आप मंगाते रहे हैं और जिन चीजों का एक्सपोर्ट होना चाहिए वह नहीं किया जाता है। कृषि के बारे में यहां आंकड़े दिये गए, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। कृषि की बाहर जाने वाली चीजों को आपने बाहर भेजना बन्द कर दिया या कम कर दिया। आपने यह दृष्टिकोण लिया है कि कृषि की चीजों को बाहर नहीं जाना चाहिए। प्याज, आलू, फल, हल्दी जीरा, धनिया बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे क्या हुआ? किसान पिटा। जब उसकी चीजों की पैदावार ज्यादा हुई तो उसने जबरदस्ती करके दुकानों में डाला और बनिये ने अपनी मर्जी के दाम उसे दिए। आपकी इस अदूरदर्शिता की नीति के कारण किसानों की यह हालत हुई। आपकी कोई निश्चित नीति नहीं है। आप इन्टरनेशनल मार्किट ढूंढ कर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को क्यों नहीं बाहर भेज रहे हैं? क्या आपने कोई इंटरनेशनल मार्किट का सर्वे कराया है? क्या आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए कोई लौंग रेंज पालिसी बनायी है? हमारे यहां गावों में कहा वतहै कि जब टट्टी लगी तो लोटा ढूंढो। इस प्रकार से आप करते हैं कि हल्दी ज्यादा हो गई है अब इसको बाहर भेजो। 15 सौ रुपए की आपने एक्साइज ड्यूटी बाहर भेजने पर लगा दी। जो कमाये तो बनिया कमाये। आपकी सारी नीति किसान को लुटवाने की है, मिडिलमेन को फायदा पहुंचाने की है। आपकी जो नीतियां हैं उनकी वजह से आज किसान परेशान है। उसकी उपज की चीजों के दामों में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे वह परेशान है। अगले साल वह गन्ना सोच-समझकर बोयेगा। आज गन्ना बोने वाले किसान की क्या हालत है? देश में तेल की कमी रही तो बाहर से आ जायेगा। दस-बारह टन तेल बाहर से मंगा लिया ताकि बनिये की खोपड़ी ठीक हो जाए, किसानों की खोपड़ी ठीक हो जाए। ये सारी आपकी एडहाक नीतियां हैं। इनसे देश के किसानों का कोई भला नहीं हो सकता है।

अन्त में मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि कृषि आयोग की रिपोर्ट पर आप इस सदन को कम से कम तीन चार दिन तक खुलकर बहस करने का अवसर देंगे। जो योजना बनती है उसके

अन्दर इधर उधर थोड़ा बहुत माडिफिकेशन करने से काम नहीं चलेगा, बेसिक चेंजिज होने चाहिए। साथ ही सैंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप में तालमेल रखा जाना चाहिए। देश में अजीब राजनीतिक माहौल बन रहा है, आपकी पार्टी का भी यही हाल है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से चल रही हैं और आप अपने हिसाब से अलग से चल रहे हैं। दोनों में कोई तालमेल नहीं है। मैंने कई राज्यों के बजटों को देखा है। आप देखें कि बजट प्रावधानों को कब और किस तरह से खर्च किया जाता है। 30 % बजट प्रावधानों का दिसम्बर और जनवरी में खर्च किया जाता है और फरवरी मार्च में जो खर्चा होता है पता नहीं और सेविंग कितनी बता दी जाती है उसको भी आप देखें। दिमाग की सफाई होनी चाहिए, मंत्रालयों का आपस में तालमेल होना चाहिए, राज्यों और केन्द्र के बीच तालमेल बिठाना चाहिए, पार्टी और सरकार का वातावरण शुद्ध जब नहीं होगा तब तक देश की गति तीव्र नहीं हो सकती है, विकास देश का नहीं हो सकता है। उस अवस्था में आपके नारे; नारे मात्र ही रह जायेंगे और इस देश के अन्दर बेकारी फैलती चली जायेगी, पढ़े और अनपढ़ ज्यादा बेकार होते चले जायेंगे, देश में अशान्ति का जो वातावरण बना हुआ है वह और भी विकट होता चला जायेगा, और उस चीज को समेटना कोई भी सरकार जो बाद में आएगी उसके लिए मुश्किल हो जाएगा।

आप इन सब चीजों पर गहराई से विचार करें और नीतियों का सही निर्धारण करें, मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री महीलाल (बिजनौर) : सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि चीनी पर से कंट्रोल हटा करके आपने भ्रष्टाचार की जो समाप्ति की है उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और मैं आपको बधाई देता हूं। यह सही है कि अब चीनी शहरों में लोगों को कुछ महंगी खाने को मिलेगी लेकिन शहरों के दबाब में आकर पुनः चीनी पर नियंत्रण लागू करने की बातें आप न सोंचें। इसका लाभ यह होगा कि खण्डसारी के दाम कुछ ऊंचे जाएंगे और इससे गन्ना उत्पादकों को गन्ने का अच्छा मूल्य मिल सकता है।

मैं राष्ट्र के उत्तरी भाग से आ रहा हूं वहां के किसान की अर्थ व्यवस्था का आधार गन्ना है। गन्ना केवल किसान ही नहीं बल्कि राष्ट्र की अर्थ व्यवस्था का एक मुख्य अंग है। प्रान्तीय सरकारें और मुझे आज्ञा करें मंत्री महोदय कहने के लिए कि केन्द्रीय सरकार भी जो उदासीनता दिखा रही है उससे उदासीनता को जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिये।

गन्ना क्षेत्रों में विकास के लिए नई खोजों के लिए चीनी मिलों को बड़े-बड़े फार्म आपने दे रखे हैं। पिछले तीन साल में कोई नया रिसर्च शूगर फैक्ट्रीज के फार्म्ज ने करके नहीं दिखाया है, कोई उपादेयता ऐसी नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि वह भूमि जो आज मिल मालिक सम्भाले बैठे हैं उसका कोई सदुपयोग हुआ है। किसान अपने तरीके से नई नई खोज कर रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र का भविष्य उसकी वजह से उज्जवल है। बिना पढ़े लिखे किसान ने अपने खेत को एक रिसर्च सेंटर बना रखा है। वह मिक्स्ड क्रापिंग भी कर रहे है और गन्ने के साथ साथ गेहूं और दूसरी तीसरी चीजें भी पैदा कर रहा है। यह किसान की देन है और हमें उसका आभारी होना चाहिये। गन्ने की रिसर्च फार्म्ज पर पिछले तीस साल में नहीं हुई है, कोई नई खोज करके उन्होंने नहीं दी है। इस वास्ते शूगर फैक्ट्रीज के पास रिसर्च के नाम पर जो फार्म्ज हैं उनको उनसे वापिस ले लिया जाना चाहिये और उस भूमि को भूमिहीन खेत मजदूरों में—भूमिहीन किसान में, मैं उन सब को शामिल करता हूं जिनके पास अपनी जमीन

हो या न हो लेकिन वे खेती का काम करते हैं··· बांट दिया जाना चाहिये। इन लोगों के पास सही माने में भूमि रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुझे यह शिकायत है कि पंजाब में जालंधर का जो गन्ना अनुसन्धान केन्द्र है उसने जो कुछ नई गन्ने की खोज की है, उसको मेरे प्रदेश की सरकार ने मान्यता नहीं दी है।

मेरे प्रदेश में पंजाब से जो किसान जाकर बसे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि गन्ने की रिकवरी 11, 12 परसैंट तक है, प्रतिएकड़ पैदावार भी अच्छी है, लेकिन हमारे उत्तरप्रदेश की सरकार उसे मान्यता देने को तैयार नहीं है।

एक माननीय सदस्य : एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी है।

श्री मही लाल : मैं जालन्धर के रिसर्च अनुसंधान केन्द्र की बात कर रहा हूं।

मैं क्या बताऊं, मुझे तो तकलीफ है और मैं यह कहने को मजबूर हूं कि केन्द्रीय सरकार की नई-नई योजनाओं की हमारी प्रान्तीय सरकार ने यह दुर्दशा कर दी है कि अन्धे पीसें, कुत्ते खायें। अच्छी—से—अच्छी योजना जाती है, लेकिन उसको गुड़-गोबर बनाकर हमारी सरकार खराब कर देती है।

बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए उत्तरप्रदेश सरकार को 50 करोड़ रुपये दिये गये थे, जिनमें से हमारी प्रान्तीय सरकार ने केवल 2 करोड़ रुपया खर्च किया है। जो 2 करोड़ रुपया बाढ़-पीड़ितों को बांटा भी गया है, शायद उसमें से 75 लाख ही बाढ़-पीड़ितों को पहुंचा हो, बाकी से हमारे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जेबें ही गर्म हुई होंगी।

मैंने माननीय कृषिमंत्री को दावत दी थी कि मेरे बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में चलिये। उन्होंने मुझे तारीख भी दी थी, लेकिन न मालूम कौनसा और जरूरी काम उनको निकल आया, जिनको उन्होंने बाढ़-पीड़ितों की अपेक्षा वरीयता दी और मेरे क्षेत्र में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। आधा-आधा गज कपड़ा बाढ़-पीड़ितों को बांटा गया है।

इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि जो कुछ भी धनराशि दी जाये, चाहे फोरैस्ट के लिए हो, गन्ने के लिये या बाढ़-पीड़ितों के लिये हो उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की जाये, अध्ययन दल भेजा जाये और अनुमान लगाया जाये कि जो धनराशि भारत सरकार देती है उसका कितने प्रतिशत लाभ किसान को पहुंचता है, गरीब को पहुंचता है और कितना प्रतिशत हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी जेबों में रह जाता है और कितने प्रतिशत लैप्स हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को पुनः प्रान्तीय सरकार के साथ अपने संबन्धों पर विचार करना होगा और प्रांतीय सरकार को विचार करना होगा कि जिन योजनाओं के लिये रुपया दिया जाता है, वह उस पर खर्च करे। अगर वह खर्च न कर सके तो भारत सरकार को सीधे विकास के कार्यों के लिये खर्च करना चाहिए।

मैंने फार्मों के सिलसिले में जानकारी की है। आज चाहे बंगाल पंजाब या राजस्थान के कोई भी माननीय सदस्य कुछ कहें, लेकिन वह भूमि के पुर्नवितरण की आवाज को नहीं दबा सकते, अब राष्ट्र लौटकर बड़े फार्मों की तरफ नहीं जा सकता। मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि आज साधारण जनता में जनता सरकार के अन-पापुलर होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भूमि के पुर्नवितरण की योजना को जितनी ताकत देनी चाहिये थी, जितनी लगन के

साथ करना चाहिये था, उसने वह नहीं किया। इसी की वजह से आज सरकार के प्रति असंतोष है।

लोगों में बड़ी निराशा थी कि अगर कहीं शराबबन्दी हुई तो जनता असंतुष्ट होगी, लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मैं आज ही अपने क्षेत्र से लौटा हूं जो कि बिना पढ़े-लिखों का क्षेत्र है, माननीय मंत्री जी को भी यह जानकर खुशी होगी कि जनता ने सरकार की शराब-बंदी का स्वागत किया है।

हमारे पश्चिमी जिलों में किसान का गन्ना शूगर मिलों में कम जा रहा है और खंडसारी की इकाइयों में ज्यादा जा रहा है—ज्यादा गया है; अब तो वह करीब करीब खत्म हो गया है। खडसारी की इकाइयों का रेट 6 रुपये से 13 रुपये तक पहुंचा है। जिन लोगों का—चौधरी चंदन सिंह जैसों का—गन्ना मिलों में जा रहा है, उन्हें तो दो रुपये प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा, लेकिन जिस छोटे किसान का गन्ना क्रेशर, खंडसारी इकाई, में जा रहा है, उसको कोई अनुदान देने की योजना सरकार की नहीं है। आखिर यह विषमता क्यों है? खंडसारी की इकाइयों को गन्ना सप्लाई करने वाले के लिए अनुदान क्यों नहीं है और मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले के लिए अनुदान क्यों हैं?

जहां तक भूमि-वितरण योजना का सम्बन्ध है; जितने प्रश्न किये गए, उनके उत्तर में मंत्री महोदय ने प्रान्तीय सरकारों के दिए हुए आँकड़ों को दोहरा दिया। लेकिन क्या केन्द्रीय सरकार के स्तर पर कोई मूल्यांकन समिति बनी है, जो मौके पर जाकर जांच करे कि सीलिंग के लागू होने से कितनी जमीन निकली और उसमें से कितनी जमीन निर्धारित नियमों के अनुसार निर्बल लोगों को दी गई? जिनके पास पहले से जमीन मौजूद है, उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों के नाम सीलिंग की भूमि का आवटन करा लिया। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने परिवार के लोगों के नाम भूमि का आवंटन करा लिया। मंत्री महोदय इस विषय को प्रांतीय सरकारों पर छोड़ कर जतता पार्टी को पापुलर नहीं बना सकते। अगर यही स्थिति चलती रही, तो जनता पार्टी के प्रति आज निर्बल वर्ग में जो असंतोष है, उसको वह नहीं मिटा सकेंगे। इसलिए मैं दृढ़तापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि-आवंटन के कार्य को वरीयता देकर, सही मानों में जो किसान है, उसके हाथ में भूमि दी जाये।

यहां पर दोनों तरफ हरिजनों के नाम पर रोया जाता है और हम सब हरिजनों के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हरिजनों की समस्या एक आर्थिक समस्या है, और वह भूमि की समस्या है। अगर हरिजनों को उनकी तादाद के अनुपात में भूमि दे दी जाए, तो मेरा निश्चित मत है कि हरिजनों पर होने वाले अत्याचार एक-चौथाई रह जायेंगे-तीन चौथाई अत्याचार भूमि के वितरण के बाद समाप्त हो जायेंगे भूमि के क्षेत्र में जो विषमता है, वह निर्बल वर्ग केलिए सबसे ज्यादा कष्टदायक है। जो भूपति हैं, या भूपतियों के नौकर और सम्बंधी हैं, उन्होंने ही गांवों में निर्बल वर्ग के लोगों के जीवन को नरकमय बना रखा है। निर्बल वर्ग के लोग कुछ उठना चाहते हैं, मगर वे उन्हें दबा कर वहीं रखना चाहते हैं, और यही संघर्ष का कारण है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि अगर जनता सरकार सही मानों में हरिजनों का हित करना चाहती है—और मुझे कोई संदेह नहीं है कि वह उनका हित करना चाहती है, उन्हें उठाना चाहती है—, तो उनके उत्थान के लिए एकमात्र योजना उनकी संख्या के अनुपात में उनको भूमि का आवटन है।

अगर सरकार बड़े लोगों की जमीन छीन कर उन्हें नहीं दे सकती है, तो उसके पास

लाखों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है, जो खेती के योग्य बनाई जा सकती है और उसका वितरण किया जा सकता है। मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र की बात कहता हूं। गवर्नमेंट की 18 करोड़ रुपये की मशीनरी, जिसमें बड़े-बड़े बुलडोजर भी हैं, आसमान के नीचे पड़ी हुई है। वे बुलडोजर पड़े सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं. लेकिन उनसे जमीन को समतल करने का काम नहीं लिया जा रहा है। जिस काम के लिए हमने वह मशीनरी खरीदी थी, वह काम तो हमने पूरा कर लिया। अब हम उस मशीनरी से दूसरा काम क्यों नहीं ले सकते? वे बुलडोजर रामगंगा बांध पर पड़े हुए हैं। क्या हम उसके द्वारा चम्बल घाटी की जमीन को चौरस नहीं करा सकते हैं? लेकिन अधिकारियों का ध्यान उधर नहीं जाता है और क्यों जाये? वे तो एयर-कन्डीशन्ड कमरों में बैठते हैं, सरकारी गाड़ियां उनके पास हैं. और गाड़ियां भी एयर-कन्डीशन्ड हैं। उनको क्या तकलीफ है? क्या उन्होंने तकलीफ देखी है? जिन लोगों को तकलीफ है, क्या उनके प्रति उन्हें सहानुभूति है? सहानुभूति और जिम्मेदारी है, जो जन-प्रतिनिधि हैं, और मंत्रि-मंडल के सदस्यों की है। वे अपनी जिम्मेदारी को देखें और निभायें। मैं यह बात नहीं मानना हूं कि सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे—अगर हमारे मंत्री योग्य होंगे। सरकारी मशीनरी घोड़ा है और हमारे मंत्री सवार हैं। सवार अगर अनाड़ी है तो घोड़ा सवारी नहीं देगा और सवार योग्य है तो घोड़े की सवारी ले लेगा चाहे कितना ही बिगड़ा घोड़ा क्यों न हो। तो जो कुछ हमारी योजनाओं में आज विफलता है उसका कारण क्या है

एक माननीय सदस्य : घोड़ा किस नस्ल का है?

श्री मही लाल : वह किसी नस्ल का क्यों न हो, यह सवार के ऊपर निर्भर करता है कि सवार में कितनी शक्ति और योग्यता है। अच्छा सवार होगा तो चाहे वह किसी नस्ल का घोड़ा हो उससे वह सवारी ले लेगा।

अगली बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अनेक बार मेरे मित्रों ने आप से कहा होगा और आप भी जानते होंगे, रिजर्व बैंक हमारे कोआपरेटिव बैंकों के जरिए किसानों को कर्ज देता है। किसान की जमीन लिखी जाती है लेकिन उसको नकद पैसा नहीं मिलता। कहा जाता है कि कैश नहीं देंगे काइंड में देंगे इसलिए कि मिडिल मैन का पेट बीच में भरता रहे। किसान की जमीन लिखी जाय, किसान मय सूद के कर्जा अदा करे और व्यापारी उससे लाभ उठाए। क्या माननीय मंत्री जी से यह बात छिपी है? उत्तर प्रदेश के तीन एकड़ तक के लाखों किसान भूमि विकास बैंकों के द्वारा बेदखल किए जा रहे हैं। बेदखल हो चुके हैं और जमीन नीलाम हो रही है। किसलिए? इसलिए कि उसको कैश रुपया नहीं मिला। पाबन्दी लगा दी कि फला आयल इंजन खरीदा जायगा, फलां पम्पिग सैट खरीदा जायेगा। पम्पिग सैट खेत तक पहुंचा लेकिन पानी की एक बूंद किसान को नहीं मिली। कहीं कहीं पम्पिग सैट भी नहीं है। चैक कट रहा है दूकानदार के नाम से और जमीन लिखी जा रही है किसान की और आज भी किसान की ज़मीन नीलाम हो रही है। हम देख रहे है बैठे-बैठे। हम बेबस पा रहे हैं अपने को। उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हैं। रिजर्व बैंक या दूसरे बैंक जिनके माध्यम से कोआपरेटिव बैंकों को लोन दिया जा रहा है क्या उनकी ऐसी परम्पराएं हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते, नये नियम नहीं बना सकते? नियम कानून इंसान के लिए हैं, इंसान कानूनों के लिए नहीं है। आज मुझे तकलीफ होती है। किसी दिन का अखबार उत्तर प्रदेश का खाली नहीं होता जिसमें नीलाम होने वाली जमीनों की सूची प्रकाशित न हो।

कृषि के क्षेत्र में मुझे यह कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद हम कोई इस तरह का ठोस काम नहीं कर सके कि जो उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में जो बिचौलिये हैं जो सबसे बड़े हिस्से के मालिक होते हैं, उनके मुनाफे की दर को कम कर सकें। आज उत्पादक किसान है और उपभोक्ता साधारण लोग हैं। लेकिन उत्पादन को पूरा मूल्य नहीं मिलता है और उपभोक्ता की जेब से ज्यादा आता है। बीच में व्यापारी वर्ग बराबर मोटा होता चला जा रहा है दोनों का खून पी पी कर। माननीय मंत्री जी योग्य वकील भी हैं और शायद छोटे किसान भी अपने को बताते हैं छः सात या आठ एकड़ के और हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि दुनिया में एक अच्छे किसानों के प्रान्त पंजाब से आते हैं। मैं उनसे यह उम्मीद करूंगा कि मिडिल मैन का जो फायदा है उसका रेट कम किया जाय। ऐसे रास्ते निकाले जायं जिससे मिडिल मैन जो बेकार बैठे हैं, जो सिर्फ अपनी बुद्धि लगाते हैं और हमें इस्तेमाल करते हैं, हमारी जेबों को काटते हैं, एयर कंडीशंड कमरों में रहते हैं, ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं और रुई के गद्दे की जगह अब डनलप पिलो बिछाते हैं उनके मुनाफे की दर में कुछ कमी हो। उसके लिए ऐसे रास्ते वह निकालें। तब वह किसानों का हित कर सकेंगे। (व्यवधान) .. इनकम टैक्स जो भी देते हैं उनमें शायद एक दो प्रतिशत हों जो सही रिटर्न भरते हों। यह तो हमारे पूरे समाज का दोष है।

एक बात मैं यह कहना चाहूंगा बाढ़-पीड़ितों के लिए जो नदियों के किनारे हैं। वहां लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी है। भारत सरकार को चाहिए कि उस जमीन पर फारेस्ट लगवा दे। मंत्री जी बड़े इच्छुक हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वह फारेस्ट का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको खर्च नहीं करती है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वह अगर सही माने में वनों का विकास चाहते हैं तो नदियों के किनारे की जमीन पर पेड़ लगवा दें। मैं भी उन पीड़ितों में से एक हूं, इसलिए उनकी भावनाओं को यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। आपकी थोड़ी कोशिश हो जाए तो वे अपनी जमीनें आपको दे देंगे। आप उनको 70 फीसदी अच्छी जमीन ही कहीं बाहर देकर बसादें। इस प्रकार से हर साल बाढ़-पीड़ितों की समस्या को लेकर जो हाहाकार मचता है उससे भी आपको मुक्ति मिल जायेगी।

अन्त में मैं विनोबा जी के विचारों से शतप्रतिशत सहमति व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि भारतवर्ष में गोरक्षा मनुष्य के जीवन की रक्षा है। पशु सम्पत्ति के संरक्षण की ओर जितना ध्यान सरकारों का जाना चाहिए था उतना ध्यान अभी तक नहीं गया है। सरकार ने डेरी डेवलपमेंट के लिए कुछ रुपये का प्रावधान किया है लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। अभी तक किसान के नाम पर रुपये का दुरुपयोग किया गया है। किसानों के नाम पर व्यापारियों ने रुपया निकाला है। किसानों के नाम पर ट्रैक्टर के लिए और बड़ी बड़ी मशीनों के लिए रुपया निकाला गया है। आप कृपा करके ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि के क्षेत्र में छोटे छोटे लोगों को प्रोत्साहित किया जाये, उन्हीं के नाम पर ऋण निकले और उन्हीं को गाय तथा भैंस दी जायें। हमारे मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि छोटे किसान की गाय जितनी दुधारू होती है उतनी बड़े किसान की गाय नहीं हो सकती है। कारण यह है कि छोटा किसान गाय को अपने परिवार का सदस्य मानकर उसकी सेवा करता है लेकिन बड़े किसान के पास उस प्रकार से उसकी सेवा नहीं हो सकती है। मेरा सुझाव है कि गोधन के संरक्षण के लिये आप पुनः एक कमेटी का निर्माण करें जोकि इस बात पर विचार करे कि किस तरीके से गोधन की रक्षा तथा विकास किया जा सकता है। हमारे देश में गौधन की रक्षा के बिना खेती चल नहीं सकती है।

बिना बैलों के खेती नहीं की जा सकती है। आप मशीनरी को जितना इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं करें लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या का वह कोई इलाज नहीं है। यदि मशीनों को आपने ज्यादा बढ़ावा दिया तो इस देश के बहुत से हाथों को आप बेकार कर देंगे। इस देश में खेती का सहारा बैल ही रह सकते हैं। इसलिए बैलो के विकास के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता है वह होना चाहिए। आप अच्छे से अच्छे सांडों की व्यवस्था करें और सुरक्षित चरागाह बनायें। गोधन के विकास के लिए पूरा पूरा प्रयास किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री महीलाल : एक ही बात निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की जमीनें नीलाम की जा रही हैं, आप मेहरबानी करके काइन्ड को जो पाबन्दी है उसको हटाइये और कैश में दिलवाइये, आज कोआपरेटिव तथा भूमि विकास बैंक किसानों की जमीनों को नीलाम करा रही है। जमीनें छोटे किसानों के हाथों से निकल कर बड़े किसानों के पास जा रही हैं।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : चेयरमैन साहब, कृषि मंत्रालय की मांगों पर जो चर्चा हो रही है उसको मैं ध्यान से सुन रहा था। मैं तीन चार बातों की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि खेत मजदूरों के लिए कोई ठोस प्रोग्राम आपको चलाना पड़ेगा। गावों में जिस प्रकार से छोटे किसान हैं उसी प्रकार से खेत मजदूर भी हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। आप जो रेम्युनरेटिव प्राइस की बात करते हैं उसके अन्तर्गत खेत मजदूर को भी शामिल किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से आप एक इण्डस्ट्रियल वर्कर की मजदूरी का हिसाब लगाते हैं उसी प्रकार से कैलकुलेट करके खेत मजदूर की मजदूरी भी निर्धारित की जानी चाहिए। तब इस प्रकार का झगड़ा नहीं उठेगा कि खेत मजदूर को कितना पैसा दिया जाये, कितना न दिया जाये और खेत मजदूर को दाम ठीक मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि इस देश में हर साल बाढें आती हैं। जैसा कि यहां पर कहा गया, 50 करोड़ में केवल 2 करोड़ ही खर्च किया गया। मेरा निवेदन है कि इस देश में अनाज काफी पैदा हुआ है जिसको रखने की समस्या बनी रहती है। कुछ अनाज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अनाज यदि जल्द इस्तेमाल नहीं किया जाता तो उसके नष्ट होने का डर है।

इसलिये जहां-जहां बेरोजगारी ज्यादा है, उसके हिसाब से जैसे महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारंटी स्कीम चली, पी०एल० 480 में "फूडफार वर्क" स्कीम चली, उसी तरह की स्कीम अनाज के द्वारा चलायें। आज हमें नदियों पर बांध बनाने हैं, नहरें बनानी हैं—फ्लड कंट्रोल करना है। हमारे पास नकद पैसे की कमी हैं, हम अनाज देकर उन स्कीमों को चला सकते हैं और इस तरह से अनएम्पलायमेंट-गारंटी का काम कर सकते हैं। हमारे यहां यू० पी० और बिहार मैं ऐसे बहुत से इलाके हैं जहां इस तरह के काम मजदूर लोग कर सकते हैं और उनको अनाज दिया जा सकता है। और बेरोजगारी मिटा सकते हैं।

अब मैं इरिगेशन की बात कहना चाहता हूं—हम छोटे किसानों को रिम्यूनरेटिव प्राइस देना चाहते हैं—यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास अन-इकानामिक होल्डिंग्ज हैं उनकी कीमत को कैसे तय करेंगे। जो छोटा किसान है उसकी कैपिटल-एक्सपेण्डिचर तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन उतना पैसा खर्च करने के बाद जो रिटर्न आती है, वह कम है, उसकी कास्ट-आफ

प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यहां तक कि रिम्यूनरेटिव प्राइस से भी ज्यादा हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे किसानों को आप जो लोन देते हैं, वह विदाउट-इंटरेस्ट दें और उसकी रिकवरी 5 या 10 साल में नहीं, बल्कि 25 साल में होनी चाहिए, ऐसा करके ही हम छोटे किसान को बचा सकते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में लोन देने का काम चल रहा है, लेकिन सब्सिडी और लोन का बैंक और गवर्नमेंट एजेंसीज से तालमेल नहीं बैठता है। डी० वी० ओ० पी० का प्रोग्राम लागू करते हैं और उसमें 3000 रु० की जरूरत है तो उसमें उसको 1000 हजार रुपया दिया जाता है —बाकी रुपया वह कहां से लायेगा, नतीजा यही होता है—जिस तरह से पहले यह रुपया खाने-पीने में चला जाता था, वैसे ही आज भी चला जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इस स्कीम पर पुर्नविचार करें। जो भी स्कीम बनाई जाती है —उनको सारे देश के लिए एक ही पैटर्न पर बना दिया जाता है, लेकिन हर जगह की एग्गे क्लाइमेटिक कण्डीशन व जरूरत अलग-अलग होती है। एक ही तरह की स्कीम बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के लिये कैसे चल सकती है और यही कारण है कि हमारी स्कीमें ठीक तरह से चल नहीं रही हैं। एक तरफ अनइकानामिक होल्डिंग है, दूसरी नरफ रेन-फेड एरियाज हैं। जहां नहरें नहीं हैं-ऐसे इलाकों के लिये विद-आउट-इंटरेस्ट लोने देने से उनको राहत मिल सकती है। मैं सब्सिडी का दिया जाना बहुत अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि इसमें 500 रुपया दिया जाना है, 200 तुम ले लो, 300 मुझे दे दो, किसान को पूरा पैसा नहीं मिलता। यदि विदआउट-इंटरेस्ट लोन देंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा।

एग्रीकल्चर क्रेडिट की जितनी जरूरत है, उतना नहीं मिलता है। पूरा पैसा न मिलने के कारण किसान जो क्रेडिट उत्पादन के लिये लेता है, वह उसमें नहीं लगता, कभी उसकी लड़की की शादी में खर्च हो जाता है, कभी दूसरे कामों में खर्च हो जाता है। इसलिये कन्जम्पटिव फाइनेंस क्रेडिट के पैटर्न को बदलना चाहिये। इसके लिये इंटिग्रेटेड डव्लपमेंट एप्रोच होना चाहिए। जब तक इस दृष्टि से इसको नहीं देखेंगे —तब तक कुछ नही बनेगा। जिस तरह से आप इंडस्ट्रीज को लोन देते हैं, उसी तरह से किसानों को भी इंटीग्रेटेड एप्रोच को ध्यान में रख कर कर्जा देना चाहिए।

अब मैं नैचुरल कैलेमिटीज की तरफ आता हूं—बाढ़ आती है, सूखा आता है—किसान क्या करे ? मैने सुना है गुजरात में और महाराष्ट्र में क्राप-इंशोरेंस के बारे में कुछ किया जा रहा है। हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता आने के पहले से हम लोग क्राप-इशोरेंस की आवाज लगा रहे हैं। इस समय जनरल इंशोरेंस कम्पनी ने, जो गवर्नमेंट की कम्पनी है, कैश-क्राप्स का इंशोरेंस शुरू किया है, फायर का भी इंशोरेंस करते हैं। लेकिन जब नैचुरल कैलेमिटी आती है—तो किसान की हालत खराब हो जाती है। वह बेकार हो जाता है। इसलिये कम से कम उन एरियाज में आपको क्राप.इंशोरेंस की स्कीम को लागू करना चाहिये।

मैं यह उचित समझता हूं कि स्टेट और सेंटर दोनों का क्राप इंशोरेंस कानून आप बना दें क्योंकि ऐसा हुआ तो उसमें दोनों की हिस्सेदारी होगी। अगर खाली सेंटर का क्राप इंशोरेंस कानून आप बनाते हैं, तो स्टेट उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी करेंगी और झूठा हिसाब बना कर ज्यादा पैसा लेंगी। सूखे और बाढ़ का रिकार्ड ठीक नहीं रखेंगी। इसलिए स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर क्राप इंशोरेन्स का कानून बनाएं, तो मेरे ख्याल से यह किसानों के लिए अच्छा होगा।

एग्रीकल्चर कोमोडीटीज की प्राइसेज के बारे में मेरा सुझाव यह है कि नेशनल कमीशन आन एग्रीकल्चर प्राइसेज पर्मानेन्ट और लीगल बोडी होनी चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि हमारे दिल में आया तो कुछ रिकमेंडेंस को मान लिया और दिल में नहीं आया तो न माना आपने देखा कि गन्ने के बारे में एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन ज्यादा कीमत देना चाहता था लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि इससे इंफ्लेशन बढ़ेगा। हिन्दुस्तान में हमेशा यह रहा है कि जब भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स के दाम बढ़ते हैं और उसके बाद जब भी एग्रीकल्चर की प्राइसेज बढ़ाने की बात आती है, तो यही कह दिया जाता है कि इससे जबर्दस्त इफ्लेशन बढ़ेगा और यह समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इससे किसानों को भारी नुकसान होता है।

दूसरी तरफ अभी टैक्सटाइल्स की बात आई तो देश सब्सीडी, जूठ इंडस्ट्री की बात आई तो एक्सपोर्ट सब्सीडी दे दी गई लेकिन जो जूट को पैदा करने वाला किसास है, उसको क्या मिलता है। जब इंडस्ट्री की बात आती है तो कह दिया जाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो अनएम्पलायमेंट ज्यादा बढ़ेगा और मिनिस्टर्स का फिर घेराव होगा, एम० पी० का घेराव हो जाएगा और अधिकारी वर्ग का घेराव हो जाएगा लेकिन हमारा जो किसान है वह संगठित नहीं है। इसलिए मेरा यह कहना है कि किसान के लिये नान-पोलाटीकल आर्गेनाइजेशन हिन्दुस्तान में नहीं है। अगर किसान संगठित हो जाए, तो फिर वह गवर्नमेंट नहीं चलने देगा। वह असंगठित है, तो उसको जब रूमनरेटिव प्राइस देने की बात आती है, तो कह दिया जाता है इससे इंफ्लेशन बढ़ जाएगा।

मैंने शुरू में ही एग्रो-क्लाइमेटिक कंडीशन्स, की बात कही है। हर एक स्टेट में वे अलग-अलग हैं। इसलिए हर स्टेट में एक स्टेट एग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन बनाया जाए और सेन्ट्रल एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन से कोआर्डीनेशन करके यह देखा जाए कि कास्ट आफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा है, तो कैसे उसको सहायता दी जाए, इंट्रेस्ट के फार्म में दी जाए या इंसटालमेंट्स के फार्म में दी जाए या किसी और दूसरे तरीके से यह हो सकता है। उत्पादन ज्यादा हो, तो क्या किया जाए। अभी पंजाब में हमने देखा कि ज्यादा उत्पादन हो गया तो कोई ग्राहक लेने वाला नहीं है। अगर उत्पादन कम होता है तो ज्यादा दाम हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि सूखा न पड़े। अगर सूखा पड़ जाता है तो कौन से किसान हैं, जिनको पैसा मिलता है। वहां नहरें हैं, जहां ट्यूबवेल्स हैं, वहीं के किसानों को यह मिल जाती है। जहां का किसान बरसात पर डिपेन्ड करता है, उसको क्या मिलता है? उसको तो मजदूरी ही करनी पड़ती है लाचारी में। हिन्दुस्तान में जो बेकारी बढ़ रही है, उस बेकारी के साथ लाचारी भी बढ़ गई है। ये गंभीर समस्या इससे कोई रेवोल्यूशन होने वाला नहीं है। एकोनामिक प्रोग्राम को कोई इम्लीमेंट करने वाला नहीं है। एकोनोमिक प्रोग्राम को लेकर कुछ ठोस प्रोग्राम करेंगे, तो कोई रवोल्यूशन हो सकता है। समाजवाद और गरीबी, मुझे यह लगता है, सिर्फ भाषण के विषय रह गये हैं, काम के विषय नहीं रह गये हैं। काम के लिये खाली बात बताते हैं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। जब सब पोलीटीकल पार्टी वही काम करती हैं, तो हम को क्या सोचना है? हम क्या चाहते हैं, हम कहां तक जाना चाहते हैं, यह हमें सोचना चाहिए। ये जो रीजनल इम्बेलेन्सेज हैं, ये कैसे मिटायेंगे। इस वक्त पर एकड़ कास्ट डैम की कहीं 10 हजार रुपए आती है और कहीं 2 हजार रुपये आती है। इस तरह के इम्बैलेन्सेज को दूर करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और जहां पर पैसा नहीं है, वहां पर आप फूड फार वर्क का प्रोग्राम क्यों नहीं लगाते। जब तक एग्रीकल्चर प्राइ-

सेज के बारे में आप कुछ ख्याल नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे नही, तो मेरे ख्याल से आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जहां तक एग्रीकल्चरल इनपुट्स का सवाल है, आपने 50 परसेन्ट रिडक्शन कर दिया, बड़ी अच्छी बात हो गई लेकिन रेल के किराये बढ़ने से जो छूट मिली, वह एक रुपये बोरी की ही मिली। रेल का किराया काफी बढ़ गया और इसका असर एग्रीकल्चर इनपुट्स पर पड़ा। आगे-इनपुट की कीमत कम होनी चाहिये।

सेन्ट्रल के कानून से इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड बना है। उसको नुकसान न हो। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आप इंडस्ट्री वालों को सस्ती बिजली देते हैं किसान को सस्ती इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिल सकती है? आप इंडस्ट्री को शुरू में दो साल तक 50 परसेंट कसेशन पर बिजली देते हैं फिर किसान को दो-तीन साल सस्ती बिजली क्यों नही देते? आप उसे सस्ती बिजली इसलिए नहीं देते कि उसका कोई बोलने वाला नहीं है। हम गांवों से चुन कर आये हैं। यहां बहुत से लोग किसानों के बैठे हैं। किसान हमारे पास गांव में दरख्वास्त लेकर आता है और हम से यह सब बातें कहता है। जब तक हम किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आपकी ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी

अभी हमारे दोस्त ने कहा कि किसान की जमीन की नीलामी हो रही है। हमारा क्रेडिट लाईन पूरा चोर हो गया है। इसके बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनके खिलाफ कोई लीगल कार्यवाही करने के लिए मैं प्रसन्द नहीं करता। जब इंडस्ट्रीज से पैसा वसूल नहीं होता तो सब हम कहेंगे कि कारखाने वाले को रिहेबलिटेट करो, उससे कारखाने का माडरनाइजेशन करो। क्यों? क्योंकि वह पैदा करता है। क्या किसान पैदावार नहीं करता है? जो करोड़ों रुपयों का इंकम टैक्स, सेल्स टैक्स छिपाते हैं उनको आप शाबाशी दें, उसके लिए इम्पोर्ट प्राइस, एक्सपोर्ट प्राइस फिक्स करें। बिचारा किसान जो भूखा मरता है उसे जिन्दा रहने के लिए रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं देंगे। यह कोई आपके लिए गौरव की बात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो छोटे किसान हैं, जिनकी अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उन पर से सब कर्जा लगान माफ होना चाहिए। किसी भी हालत में उनसे कानून के मुताबिक कोई रिकवरी नहीं होनी चाहिए किसान को अपराधी मत समझिये। हम किसान से चुनकर आते हैं, हम किसान के साथ काम करते हैं। हमें किसानों के लिए सोचना चाहिए।

इस साल चीनी का डिकंट्रोल हुआ। किसान को गन्ने की कीमत के लिये पांच-छ, रुपये क्विंटल मिली। अब चीनी एकस्ट्रा रिलोज खांडसारी का मिकेनाइंजेशन हो गया हैं। अब 12 रुपये क्विंटल दाम है। अगले साल चीनी चार या पांच रुपये किलो से कम नहीं बिकेगी क्योंकि किसी का ठीक नही। इडस्ट्री वाले आपस में मिलकर शार्टेज क्रियेट करते हैं। जब वे शार्टेज क्रियेट करते हैं तो उनको ज्यादा दाम मिलता है। वे देखते हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा होने से इनको माल का दाम ठीक से नहीं मिलेगा। जब ज्यादा शार्टेज होगी तो ज्यादा कंसेशन मिलेगा और मुनाफा भी ज्यादा मिलेगा। किसान वैसा नही कर सकता।

जब बरसात हो गयी तो किसान ने बोना शुरू कर दिया। जब गन्ने की ज्यादा पैदावार हुई तो गन्ने का दाम घट गया सरकार ध्यान नहीं देगी। किसान उसका स्टाक भी नहीं कर सकता है। जब कभी बरसात नहीं होती, तो सूखा पड़ जाता है और सूखे के कारण उत्पादन कम हो जाता है और चीनी का दाम बढ़ जाता है। सरकार को इस बारे में कोई लांग टर्म पालिसी बनानी चाहिए, यह जो एडहाकिज्म की पालिसी चली आ रही है इससे किसान को घाटा होता है। संपटा कामेटीका इंसेंटीव कहां से पता हो गया? क्या फैसला होगा? ज्यादा चीनी उत्पादन हुआ सरकार ने फैसला कर दिया - अभी नये कारखाने नहीं खोलेंगे। आगे से चीनी कम पैदा होगी। चीनी के लिये नये कारखाने देने पड़ेंगे—ऐसी हाफ हार्टिड पालिसी से किसान का हित कैसे होगा। लांगटर्म पालिसी होनी चाहिए।

प्लानिंग कमीशन ने जो रूरल डवलपमेंट, इंटेग्रेटिड रूरल डवलपमेंट, ब्लाक डवलपमेंट की

स्कीम बनायी है उससे गांवों का पूरा विकास हो नहीं सकता है। इस से साल में बहुत कम किसानों का भी विकास नहीं हो सकता है। यह हाफ हार्टिड पालिसी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन ने वालिन्ट्री एजेंसीज को एम्पलाए करने की रिकमण्डेशन की है जो कि ब्लाक का डवलपमेंट करेंगी। इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए आप बहुत सारी वालिन्ट्री एजेंसीज को पैसा देने जा रहे हैं।

अब से आपने वालिंटरी एजेंसीज को भी कहा है कि वे आगे आएं और इस तरह के कामों को करें। सरकार स्वयं इन कामों को करने में क्यों असमर्थ है और वालैंटरी एजेंसीज को आगे लाने की क्या जरूरत है इसको मैं समझ नहीं पाया हूं। वालैंटरी एजेंसीज आप से और भी कंसेशंज की मांग करेगी और उनको आपको देना पड़ेगा। पैसा सरकार का होगा और काम उनका बनेगा। आपको स्वयं पूर्ण बनना चाहिये। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है और एडमिनी स्ट्रेटिव मशीनरी होते हुए भी क्या कारण है कि आप स्वयं में पूर्ण नहीं हैं और वालिंटरी एजेंसीज इंट्रोड्यूस करने की क्या जरूरत थी? अगर आप स्वयं में पूर्ण नहीं हैं तो आपको पूर्ण बनना चाहिये। अगर सरकार अपने कार्यक्रमों को इन्ट्रोड्यूस करने के मामले में दूसरी एजेंसीज पर निर्भर करेगी तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकेगा और प्रगति अधिक नही हो सकेगी और इसका नतीजा यह होगा कि गरीब-गरीब रहेगा और उसका उद्धार नहीं हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिए हैं और जो कुछ कहा है उस पर मंत्री महोदय गंभीरता से विचार करेंगे और जहां तक हो सकेगा, उसको स्वीकार करेंगे।

श्री नाथू सिंह (दौसा) : मुझे लग रहा है जैसे विरोधी दलों ने जब कृषि की मांगों पर चर्चा हो रही है तो सदन का बहिष्कार ही कर रखा है। एक भी विरोधी दल का सदस्य सामने मौजूद नहीं है। कृषि के प्रति ये कितने उदासीन थे इसका इससे पता लग जाता है और यही कारण है कि आज तक कृषि का विकास देश में नहीं हो सका है। यदि स्पेशल कोर्ट बिल पर बहस होती और इनको अनुमति होती तो ये और लोगों को और उनके बेटों को भी ले आते।

कृषि के विकास, किसान की उन्नति के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। सहानुभूति के दो शब्द कह देने से किसान की किस्मत बदल नहीं सकती है, कोई लुभावना नारा देकर उसके मस्तिष्क के पसीने को पोंछा नहीं जा सकता है। जब तक सूझ-बूझ के साथ काम नहीं लिया जाएगा देश का भला नहीं हो सकेगा, किसान का भला नहीं हो सकेगा। हमारा कृषि प्रधान देश है। पहली आवश्यकता कृषि को सुधारने के लिए सिंचाई की होती है, दूसरी खेती के काम में आने वाले साधनों की कीमतें कम हों, यह होती है और तीसरी यह होती है कि किसान को उसकी पैदावार का उचित मूल्य मिले। इन तीनों पर ध्यान दिया जाए तो किसान की दशा आसानी से सुधर सकती है, कृषि का विकास हो सकता है। देश में 140 करोड़ हैक्टर भूमि ऐसी है जिसमें सिंचाई हो सकती है। लेकिन आज तक तीस साल की आजादी के बाद भी केवल 34 करोड़ हैक्टर में ही हम सिंचाई कर पा रहे। यह सही है कि आज देश में अन्न की कमी नहीं है। लेकिन जो हम यह चाहते हैं कि हमारी धरती सोना उगले वह यह कैसे उगल सकती है जब तक यह प्यासी रहती है। हमारी धरती प्यासी है और अधिक से अधिक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करके हम यह आशा कर सकते हैं कि वह सोना उगले। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि गांवों में बिजली का विस्तार हो, पम्प सैट लगें और छोटे-छोटे बांध बनाकर उनमें से नहरें निकाली जाएं। तभी कृषि का विकास हो सकता है।

सभापति महोदय : आप अगली बार जारी रखें।

इसके पश्चात लोक सभा 11 अप्रैल, 1979, 21 चैत्र, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।